निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
69	कौलागढ	प्रेमपुर माफी कौलागढ	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		शान्ति विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		सायल कन्जर्वेशन कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
		शांति विहार (आंशिक)	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
59	वल्लूपुर	कौलागढ रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		राजेन्द्र नगर बी ब्लाक	4.5	5,25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		आनन्द विहार	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		नरेन्द्र विहार	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		गांधी नगर	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		कैलाशपुरी	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		अल्कापुरी	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		राम विहार	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		वनस्थली	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
57	गोविन्दगढ	पी0एण्ड0टी कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		शांति विहार आंशिक	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		राजीव नगर	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		श्रीरामपुरम कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		विजय पार्क एक्सटेंशन	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		गायत्री विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
58	श्रीदेव सुमन नगर	सत्य विहार	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		हेमकुंज श्री देवसुमन नगर	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		श्री देवसुमन नगर मलिन बस्ती	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		आदर्श विहार	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		महेन्द्र विहार	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		दीपलोक	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		मित्रलोक	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)														
वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
55	गांधी ग्राम	अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
56	यमुना कालोनी	यमुना कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		सैयद मौहल्ला	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		कुम्हार मण्डी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		पी0डब्ल्यू0डी0 क्वार्टर	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		गोविन्दगढ़	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		प्रकाश नगर	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		आजाद मण्डी ईदगाह	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		बैंक कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		टीचर्स कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
53	मोहित नगर	न्यू कालोनी मोहित नगर,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		नेहरू एन्कलेव	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
54	पटेल नगर (पश्चिम)	पश्चिमी पटेल नगर	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		संजय कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		गुरू रोड,	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		पार्क रोड, केशव	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		गांधी ग्राम,	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		गुरू रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		आंशिक महिला आश्रम	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)														
वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
51	इन्द्रानगर	*शास्त्री नगर आंशिक*	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
52	बसन्त विहार	बसंत विहार	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		बसंत विहार एन्कलेव	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		आशीर्वाद एन्कलेव	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		महारानी बाग	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		भूड़गांव,	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		पंडितवाडी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		विजय पार्क,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		विजय पार्क एक्सटेंशन	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		विवेक विहार	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6

निर्धारित दर समस्त वार्डों के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
		जी0एम0एस0रोड गांधीग्राम	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
50	कांवली	कांवली गांव	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		कालिन्दी एन्कलेव	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		गंगा विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		उत्सव विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अरावली एन्कलेव	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		व्योमप्रस्थ	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		इंजीनियर एन्कलेव आंशिक	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		शास्त्री नगर आंशिक	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		इन्द्रानगर कालोनी	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		जल निगम कालोनी	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		संचार कालोनी	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
48	इन्द्रापुरम	शास्त्री नगर	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		इंजीनियर एन्कलेव आंशिक	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		निरंजपुर,	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		नथा पुरवा	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		मिलन विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		इन्दिरा पुरम	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		केशव विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		मछली तालाब	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
49	द्रोणपुरी	द्रोणपुरी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अंकितपुरम	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		काली मन्दिर	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		दत्ता एन्कलेव	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		चन्द्र शेखर आजाद नगर	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		न्यू पटेलनगर	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		सती कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
45	निरजनपुर	अशोक इन्कलेव	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		नेहरू विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		चमन विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
46	माजरा	ब्राहमणवाला	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		माजरा	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		ाक्ति कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		बैंक कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
47	टर्नर रोड	आजाद कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		मन्दिर मार्ग	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		टर्नर रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		ओगल भट्टा	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		गुप्ता स्टोर	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
43	पटेल नगर पूर्व	भण्डारी बाग ब्लॉक 1	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		2 पथरी बाग (आंशिक)	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		पूर्वी पटेलनगर	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		सहारनपुर रोड़	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		पूर्वीय बस्ती	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
44	ब्रहमपुरी	ब्रहमपुरी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		ग्री-नपार्क	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		इन्दिरी गांधी मार्ग	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		लोहिया कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		महबूब कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		चमनपुरी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		इन्दिरा गांधी मार्ग	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		कश्मीरी कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
		अन्य	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
41	लक्खी बाग	लक्खीबाग	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		खदरी मौहल्ला	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		रामनगर लक्कड मण्डी	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		दरभंगा कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		मण्डारी बाग ब्लॉक 3	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
42	कारगी	रीठा मण्डी,,,, तथा	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		सिंघल मण्डी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		पथरी बाग	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		विद्या विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		टी0एच0डी0सी0 कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		कारगी गांव	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
[illegible]	[illegible]	आई0डी0एच0 कालोनी	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
39	रेस्ट कैम्प	त्यागी रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		रेस्टकैम्प	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		लोहियापुरम	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		मदारसी कालोनी,	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		रेसकोर्स सी ब्लॉक	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		रेलवे कालोनी	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		आई0डी0एच0 कालोनी	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
40	शीठा मंडी	मुस्लिम कालोनी, *कब्रिस्तान*	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		बन्दर वाली गली	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		शीठामण्डी	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		(आंशिक) रेलवे क्वार्टर	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		बंजारावाला लक्खीबाग	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
36	अजनपुर	पुष्प विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		प्रगति विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		चन्द्र सिह गढवाली मार्ग	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		विष्णुपुरी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		कुम्हार गौ0	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
37	माता मन्दिर मार्ग	सुमन नगर	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		माता मन्दिर रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अजबपुर ग्राम	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		हरिजन बस्ती	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
38	रेसकोर्स रा0	त्यागी रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		रेस्टकैम्प	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		लोहियापुरम	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		रेसकोर्स ए बी सी ब्लॉक	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		रेलवे कालोनी	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)														
वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
33	नेहरू कालोनी	निर्माण विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
34	धर्मपुर	धर्मपुर नयी बस्ती	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		धर्मपुर पुरानी नेहरू कालोनी.	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		नेहरू कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		ए0बी0सी0एच0	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		आई0 ब्लाक	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
35	दीप नगर	केदारपुर, ,	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अजबपुर खुर्द आशिंक	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		बगांली कोठी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		टी0 एच0 डी0 सी0 कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		दीप नगर	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अजबपुर गांव	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		आदर्श विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
		शाह नगर	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		डिफेन्स कालोनी आंशिक	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
32	डिफेन्स कालोनी	डिफेन्स कालोनी	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		टी0एच0डी0सी0 क्वांटरस इन्दर पुर	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		केदार पुरम	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		शिवलोक कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		शिवनगर	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		गोरखपुर गांव	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		केदार पुरम गलिन बस्ती	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		एम0 डी0 डी0 ए0 कालोनी	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		नेहरू कालोनी डी0ई0	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		एफ0जी0एच0	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		रिस्पना नगर	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		संचार विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
29	अघोईवाला द0	आर0के0 पुरम	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		प्रगति विहार,एम0 डी0 डी0 ए0 कालोनी	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		आजाद नगर कालोनी आदि	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
30	भगत सिंह का0	भगत सिंह कालोनी,	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		वाणी विहार,	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		शान्ति विहार	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
31	राजीव नगर	बद्रीश कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अपर राजीव नगर	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		राजीव नगर	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		दिव्या विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		शन्ति विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		हरिद्वार रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		शास्त्री नगर	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6

(16)

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
27	डालनवाला द0	तेंगबहादूर रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		नयागाव	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		माडल कालोनी	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
28	अधोईवाला उ0	सहस्त्रधारा रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		सुमन पुरी.	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		अधोईवाला,बैंक कालोनी.	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		केवल विहार	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		मेलराम कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		विकास लेन	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		प्रगति विहार	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		विजय नगर	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		आनन्दग्राम	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		आर्दश विहार	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		तरला अधोईवाला	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		सरस्वती विहार.	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		रक्षा विहार.	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
		चन्दर रोड नदी वाला भाग	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
26	डालनवाला पू0	बलबीर रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		नयी बस्ती संजय कालोनी,	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		प्रीतम रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		नयी बस्ती प्रीतम रोड	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		पूरन बस्ती	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		इन्दर रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		नयी बस्ती गांधी बस्ती	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		चन्दर रोड से मोहिनी रोड तक सडके आशिंक	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		कर्जन रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		सरकुलर रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		बलबीर रोड नदी वाला भाग	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		इन्दर रोड नदी वाला भाग	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		इन्दर रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		प्रीतम रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		बलबीर रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)															
वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
24	झण्डा मौहल्ला	झण्डा मौहल्ला,	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		मालियान मौ0	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		दर्शनी गेट	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		पीपलमण्डी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अखाडा मौ0	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		मोती बाजार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		मन्नूगंज आंशिक	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
25	डालनवाला उ0	रायपुर रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		कर्जन रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		चन्दर रोड,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		मलिन बस्ती	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		ई0सी0रोड0 सर्वे क्वार्टरस	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		सरकुलर रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		इन्दर रोड,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		लक्ष्मी रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)														
वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
22	इन्द्रेश नगर	कावली रोड,	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		इन्द्रेश नगर	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		जटिया मौ0	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		मालवीय रोड,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		सरस्वती सोनी मार्ग,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		केशव रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		गांधी ग्राम आशिक	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		नेहरू पुरम	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
23	घामावाला	घामावाला	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		राजारोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		दर्शनीगेट	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		इनामुल्ला बिल्डिंग	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		डिस्पेन्सरी रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
19	तिलक रोड	फौरेस्ट कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		लीची बाग	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		गुजराती बस्ती	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
20	खुडबुडा	खुडबुडा	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		भाटडा बस्ती	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		कुम्हार मौ0 खुडबुडा	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अमरूद वाला बाग खुडबुडा	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		न्यू खुडबुडा	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
21	शिवाजी मार्ग	छबीलबाग.	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		कब्रिस्तान कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		भाटडा मौ0 शिवलोक कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अमरूद वाला बाग	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		शिवलोक कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
		सवदेवा कालोनी	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		ई0सी0रोड0	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		शिवालिक पुरम	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		सती निवास, बाल्मीकी बस्ती,चन्दर नगर	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
18	कालिका माता मन्दिर	लूनिया मौहला	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		चकराता रोड,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		कनाट प्लेस	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		मौती बाजार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		मन्नुगंज,	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		डाडीपुर	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		खुडबुडा,	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		तिलक रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		आनन्द चौक,	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		डाडीपुर	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)														
वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
16	रेसकोर्स उत्तर	रेस कोर्स	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		चन्दन नगर	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		बाल्मीकी बस्ती.	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		आराघर	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		कलिंगा कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
17	एम0 के0 पी0	न्यू रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		सुभाष रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		फालतू लाईन.	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		आ0 कौन्वेन्ट रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		आं0 नया नगर.	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		कलालो वाली गली	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		हरिद्वार रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		चन्दन नगर	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		आं0 गंगा विहार.	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)														
वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
13	चुक्खुवाला	पो0 औ0 कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		चुक्खुवाला मलिन बस्ती	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
14	इन्द्रा कालोनी	इन्दिरेश कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		मोर का तारा	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		नवविहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		खटीक मौ0	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
15	घंटाघर	ओमकार रोड,	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		चुक्खुवाला,	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		सी0पी0डब्लू0 डी0 कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		घोसी गली	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		फालतू लाईन,	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		पल्टन बाजार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		हैरिस लेन	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
..	[illegible]	अन्य	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
12	बकरालवाला	बकरालवाला	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		परसोली वाला	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		ग्रीनवैली	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		ओल्ड सर्वे रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		दिलाराम बाजार	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		पुराना सेल टैक्स कालोनी	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		बेनी बाजार	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		इनकम टैक्स	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		वुक्खुवाला	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		नेशविला रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		आ0 टैगौर विला	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		कम्हार गौ0	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		ओल्ड कनाट प्लेस	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
9	डी0 एल0 रोड0	डी0 एल0 रोड0	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		नालापानी रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अम्बेडकर नगर	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		सेवक आश्रम रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		नालापानी रोड नदी वाला भाग	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
10	रिस्पना	रिस्पना	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अघोईवाला	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		नालापानी रोड	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		ओल्ड डालनवाला	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		अन्य	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
11	[illegible]	मान सिंह वाला	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		बंगाली मौहल्ला	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		करनपुर ओल्ड डालनवाला	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36
		मन्दिर मार्ग गुरूद्वारा रोड	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	0.24	0.3	0.36

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
7	विजय कालोनी	विजय कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		शक्ति कालोनी	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		पश्चरिया पीर प्रथम, द्वितीय, तृतीय	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		नीलकण्ठ विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		बद्रीनाथ कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		इन्दिरा कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		आंशिक कालीदास रोड न्यू	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		कैण्ट रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		विजय कालोनी नदी वाला भाग	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
8	किशन नगर	राजेन्द्र नगर	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		सिरमौर मार्ग	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		कृष्ण नगर	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		शैयद मौहल्ला उत्तर	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		मालरोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		कृष्ण नगर नदी वाला भाग	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)														
वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
		न्यू कैन्ट रोड,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
5	आर्यनगर	बाडी गॉर्ड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		एकता विहार	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		आर्य नगर मलिन बस्ती	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		सेवक आश्रम रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
6	डोभालवाला	अहीर मण्डी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		कालीदास रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		डोभालवाला गांव	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		नेशविला रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		सुभाष रोड	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		राजपुर रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		ऐस्टलेहाल	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		ईशकृपा रोड	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		परसोली वाला	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		डंगवाल मार्ग	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3

निर्धारित दर समस्त वार्डों के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
3	जाखन	किशनपुर,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		इन्दर बाबा मार्ग,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		कैनाल रोड,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		जाखन	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		दून विहार	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		बापू नगर	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		विवेक विहार कालोनी गलिन बस्ती	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		आनन्द विहार, आफिसर्स कालोनी	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		जोहडी रोड, जाखन गांव , बारीघाट	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3
		वीर गब्बर सिह (हैप्पी वैली),नई बस्ती	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
4	हाथीबडकला	सालावाला,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		चन्द्रलोक	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		वृजलोक	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		हाथीबडकला गांव हाथीबडकला स्टेट,	3.75	4.5	5.25	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.15	0.24	0.3

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड नं0	वार्ड का नाम		पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
			12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
1	राजपुर	ओल्ड राजपुर,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		सत्याण मौहल्ला,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		विरगिरदासी,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		राजपुर रोड,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		सुमन कालोनी,	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		प्लीजेण्टवैली,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		किशनपुर,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		कश्मीरी कालोनी	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		वीर गब्बर सिंह कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		चन्द्रलोक कालोनी	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
2	सहस्त्रधारा रोड	सहस्त्रधारा रोड आशिक,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		घौरण गांव,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		सोंधीवाली,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		बिडोवाली,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		कण्डोली,	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		राजीव नगर , ऋषि नगर	2.25	3	3.75	1.5	2.25	3	1.2	1.5	2.25	0.15	0.24	0.3
		मयूर विहार	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6
		अन्य	4.5	5.25	6	3	3.75	4.5	2.25	3	3.75	0.3	0.45	0.6

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त [निगम] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तथा उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित करों में से कोई भी कर लगा सकती है—

(क) व्यापारों, आजीविकाओं (callings) और व्यवसायों तथा सार्वजनिक या निजी नियुक्ति होने पर कर;

(ख) [1][× × ×]

(ग) [1][× × ×]

(घ) [1][× × ×]

(ङ) नगर के भीतर रखे गये कुत्तों पर कर;

(च) परिवृद्धि कर (betterment tax);

(छ) नगर के भीतर स्थित अचल संपत्ति के हस्तान्तरण लेखों पर कर;

(ज) समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर;

(झ) प्रेक्षागृहों (theatres) पर कर;

(ञ) [1][× × ×]

[2][× × ×]

(3) [निगम] कर इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाई गई नियमावली और उपविधियों के अनुसार निर्धारित (assess) किये जायेंगे और लगाये जायेंगे (levied)।

(4) इस धारा की कोई बात कोई ऐसा कर लगाने का प्राधिकार न देगी, जिसे भारत का संविधान के अधीन राज्य विधान मंडल को राज्य में लगाने का अधिकार नहीं है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई कर भारत का संविधान के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नगर में सम्मिलित किसी क्षेत्र में विधितः लगाया जा रहा था तो ऐसे कर का लगाया जाना और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किया जाना जारी रखा जा सकता है जब तक कि संसद इसके विपरीत कोई उपबन्ध न बनाये।

संपत्ति-कर

173. सम्पत्ति-कर लगाये जा सकेंगे—(1) धारा 172 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये संपत्ति-कर में निम्नलिखित कर सम्मिलित होंगे, जो आगे व्यवस्थित अपवादों, परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए नगर में भवनों या भूमियों पर लगाये जायेंगे—

(क) सामान्य-कर, जो यदि [निगम] ऐसा निर्धारित करे, आनुक्रमिक मद (graduated scale) से आरोपित किया जा सकता है;

[3]["(ख) जल-कर जो उन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा जहाँ निगम द्वारा जल की आपूर्ति की जाती हो;"]

(ग) जल निस्सारण कर (drainage tax) जो उन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा जहां [निगम] ने नालों (sewer) की प्रणाली की व्यवस्था की हो;

(घ) ऐसे क्षेत्रों में स्वच्छता कर (conservancy tax), जहां [निगम] संडासों, मूत्रालयों और नलकूपों से मलमूत्र और दूषित पदार्थ इकट्ठा करने, हटाने तथा उनका निस्तारण करने का कार्य-भार वहन करती है।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गयी नियमावली में स्पष्ट रूप से की अन्य व्यवस्था को छोड़कर ये कर यथास्थिति भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य (annual value) पर लगाये जायेंगे :

[1]["किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पत्ति-करों का योग, किसी भी दशा में भवन या भूमि या दोनों ही, जिस पर उक्त कर निर्धारित किये गये हों, के वार्षिक मूल्य के बाईस प्रतिशत से कम और बत्तीस प्रतिशत से अधिक न होगा, किन्तु इस प्रकार कि सामान्य कर, वार्षिक मूल्य के दस प्रतिशत से कम और पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल-कर, वार्षिक मूल्य के साढ़े दस प्रतिशत से कम और साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल-निस्सारण-कर, वार्षिक मूल्य के ढाई प्रतिशत से कम और पाँच प्रतिशत से अधिक न होगा और स्वच्छता-कर, वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत से अधिक न होगा।"

174. वार्षिक मूल्य की परिभाषा—वार्षिक मूल्य से तात्पर्य है—

[2][1-[3][(क) रेलवे स्टेशनों, कालेजों, स्कूलों, छात्रावासों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में, नियम द्वारा निश्चित की गयी दर से मूल्याकर्षण व्यय घटाने के पश्चात् भवन निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत और उससे संलग्न भूमि के अनुमानित मूल्य को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अन्यून भाग जिसे एतदर्थ बनाये गये नियम द्वारा निश्चित किया जायेगा, और"]

[4]["(ख) ऐसे भवन या भूमि की दशा में, जो खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आती हो, भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र पर, यथास्थिति, भवन के मामले में कारपेट एरिया का प्रति वर्ग फीट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दर से या भूमि के मामले में क्षेत्र का प्रतिवर्ग फीट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दर से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य का बारह गुना, और इस प्रयोजन के लिए प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर ऐसी होगी जैसी मुख्य नगर अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन के निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट और ऐसे भवन या भूमि के लिये उस क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर और ऐसे अन्य कारणों के आधार पर, और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, निर्धारित की जा सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त रीति से हिसाब लगाने पर निगम की राय में, किसी असाधारण परिस्थिति के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य अत्यधिक होता हो तो निगम वार्षिक मूल्य के रूप में कोई ऐसी कम धनराशि की निश्चित कर सकती है जो न्याय संगत प्रतीत हो।

स्पष्टीकरण-एक :—वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट एरिया की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी :—

(एक) कमरे—आन्तरित आयाम की पूर्ण माप;

(दो) आच्छादित बरामदा—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप;

(तीन) बालकनी, कारीडर—आन्तरिक आयाम की पचास प्रतिशत माप; रसोई और भण्डार गृह

(चार) गैराज—आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप;

(पाँच) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

स्पष्टीकरण-दो :—किसी भवन के मानक किराया या रीजनेबुल एनुअल रेन्ट की, जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियम) अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिए हैं, गणना उस भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय, नहीं की जायेगी।

[5](2) यदि निगम ऐसा संकल्प करे तो वार्षिक मूल्य, सम्पत्ति कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, निम्न प्रकार होगा :—

(क) भूमि और स्वामी द्वारा अध्यासित आवसिक भवन के मामले में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना नहीं है तो 25 प्रतिशत कम, और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो 32.5 प्रतिशत कम और यदि वह बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो चालीस प्रतिशत कम, समझा जायेगा; और

(ख) किराये पर उठाये गये आवासिक भवन के मामले में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत और यदि

---

1 उ० प्र० अधिनियम सं० 17 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित जो कि उ० प्र० असाधारण गजट भाग-1 खण्ड (क) लखनऊ दि० 26 मार्च, 1999 में प्रकाशित हुआ।

2 उ० प्र० अधिनियम सं० 17 सन् 1999 द्वारा धारा 174 की उपधारा (1) पुनः संख्यांकित किया गया।

वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत, अधिक समझा जायेगा और यदि वह बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो उसका वार्षिक मूल्य उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

[175. जल-कर लगाने पर प्रतिबन्ध —धारा 173 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कर इस निर्बन्धन के अधीन रहते हुए लगाया जायेगा कि निम्नलिखित पर ऐसा कर न लगाया जाय,—

(1) किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, जब तक कि [निगम] द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए जल सम्भरित न किया जाय; या

(2) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ आठ रुपये से अधिक न हो और जिसे [निगम] द्वारा जल सम्भरित न किया जाता हो; या

(3) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम **बम्बा** या अन्य-जल-कल से जहाँ पर जनता को [निगम] द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, उस नगर के लिए विहित अर्ध व्यास के भीतर न हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये,—

(क) 'भवन' में उसका अहाता (यदि कोई हो), और जहां तक ही सामान्य अहाते में अनेक भवन हों, वहां ऐसे समस्त भवन और सामान्य अहाता भी सम्मिलित है;

(ख) 'भू-खण्ड' का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि के खण्ड से है जो किसी एकल अध्यासी द्वारा या अनेक अध्यासियों द्वारा सामान्य रूप से धृत हो जिसका कोई भी भाग किसी दूसरे भाग से किसी अन्य अध्यासी या अध्यासियों की भूमि या सार्वजनिक सम्पत्ति के द्वारा पूर्णतया पृथक-कृत न हो।]**[1]**

176. जल-कलों और जल-निस्तारण के निर्माण-कार्यों से होने वाली आय को एकत्र करना—जल-कर, जल-निस्सारण कर और स्वच्छता कर से होने वाली आय तथा ऐसी अन्य समस्त आय को, जो जल-कलों, जल निस्सारण कार्यों, नालियों तथ संडासों, मूत्रालयों और नलकूपों से इकट्ठा किये गये मल इत्यादि और दूषित पदार्थों और ऐसे पदार्थों के निस्तारण से तथा "सलेज फार्मों" से होती हो, एकत्र किया जायेगा और उसे उक्त जल-कलों और जल-निस्सारण निर्माण कार्यों के निर्माण, संधारण, विस्तार और सुधार के संबंध में और संडासों, मूत्रालयों तथा नलकूपों से मल इत्यादि और दूषित पदार्थ इकट्ठा करने, हटने और उनका निस्तारण करने के संबंध में, जिसके अन्तर्गत सलेज फार्मों का संधारण भी है, होने वाले व्ययों को पूरा करने के लिए खर्च किया जायेगा।

177. किन भू-गृहादि पर सामान्य कर आरोपित किया जायेगा—सामान्य कर नगर में स्थित सभी भवनों और भूमियों पर लगाया जायेगा, सिवाय—

(क) उन भवनों और भूमियों के, जो एकमात्र मृतकों के निस्तारण के संबद्ध प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होती हों;

(ख) उन भवनों और भूमियों या उनके ऐसे भाग के, जो केवल सार्वजनिक उपासना या दानोत्तर के प्रयोजन के लिये अध्यासन में हों;

[2]["(ग) भवन जो एक मात्र जेलों, न्यायालय गृहों, कोषगार स्कूल और कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते हों, किन्तु ऐसे वृत्तिक, व्यावसायिक, प्राविधिक और चिकित्सकीय संस्थानों को छोड़कर जिन्हें ऐसे सरकार द्वारा न तो बढ़ाया जाता है और न प्रबन्ध किया जाता है।"

(घ) एन्शियन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन ऐक्ट, 1904 में पारिभाषित प्राचीन स्मारकों के किन्तु ऐसे किसी स्मारक के संबंध में राज्य सरकार के दिये हुये किसी आदेश के अधीन रहते हुये;

[3][(ङ) किसी ऐसे भवन या भूमि के जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये या इससे कम हो, प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामी का उसी नगर में कोई अन्य भवन या भूमि न हो, (और [निगम] की मुख्य या शाखा सीवर लाइन से तीस मीटर के भीतर स्थित किसी भवन की स्थिति में, अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उसमें फ्लश की व्यवस्था सहित शौचालय हो) **[4]**, [और]**[5]**

(च) भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 के खंड (2) के उपबन्ध जहां लागू होते हों उन्हें छोड़कर भवन तथा भूमि जो भारत के संघ में निहित हों।

[6]["(छ) स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा कोई आवासिक भवन जो तीस वर्ग मीटर के भूखण्ड पर निर्मित

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 10 सन् 1978 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 17 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 1978 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 35, 1978 की धारा 12 द्वारा अन्तर्विष्ट और अधिसूचना सं० 4241 बी/11-6-77-301/77 अधि/80 दिनांक 28 फरवरी, 1979 के अन्तर्गत 1 मार्च, 1979 से अन्तर्विष्ट समझा जायेगा।

31/1

किया गया हो या जिसका कारपेट एरिया 15 वर्ग मीटर तक हो; प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामित्व में नगर में कोई अन्य भवन न हो;

[(ज) स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन जो किसी ऐसे क्षेत्र में हो जिसे पिछले दस वर्ष के भीतर नगर में सम्मिलित किया गया हो।"

178. अनुध्यासन (nonoccupation) के कारण छूट—(1) जब किसी वर्ष कोई भवन या भूमि निरन्तर नब्बे या इससे अधिक दिनों तक खाली रही हो और उससे किराया न मिलता रहा हो तो मुख्य नगराधिकारी उस वर्ष के प्रत्येक संपत्ति कर में उतनी छूट दे देगा या उसे वापस कर देगा, जो उतने दिनों के अनुपात में हो, जितने दिनों तक उक्त भवन या भूमि खाली रही हो और उससे किराया न मिला हो।

(2) यदि किसी भवन में अलग-अलग लघु गृह (tenements) हों और उनमें से एक या एकाधिक ऊपर उल्लिखित किसी अवधि तक खाली रहा हो, और उससे किराया न मिला हो, तो मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक कर या किस्त के ऐसे भाग (यदि कोई हो) को छूट दे सकता है या उसे वापस कर सकता है, जो विहित किया जाय;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस समय तक कोई छूट न दी जायेगी जब तक [निगम] को इस बात का लिखित नोटिस न दे दिया गया हो कि भवन या भूमि खाली है और उससे कोई किराया नहीं मिल रहा है, और ऐसा नोटिस देने के दिन से पूर्व की किसी अवधि के लिए कोई छूट या वापसी प्रभावी न होगी।

(3) उन तथ्यों को, जिनके कारण कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन उपशम (relief) प्राप्त करने का अधिकारी हो, प्रमाणित करने का भार स्वयं उसी पर होगा।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई भवन या भूमि खाली न समझी जायेगी यदि वह आमोद-प्रमोद के स्थान (pleasure resort) या नगर गृह या ग्राम्यगृह (town or country house) के रूप में संधारित की जाती हो अथवा यह न समझा जायेगा कि उससे किराया नहीं मिल रहा है यदि उसे किसी ऐसे किरायेदार या काश्तकार (tenant) के पास छोड़ दिया गया हो, जिसे उसके निरन्तर अध्यासन का अधिकार हो, चाहे वह उसके वास्तविक अध्यासन में हो या न हो।

179. वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले कतिपय सम्पत्ति करों के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व—(1) अन्यथा विहित की गई व्यवस्था को छोड़कर, भवनों या भूमियों के वार्षिक मूल्य पर प्रत्येक कर (जो-निस्सारण कर या स्वच्छता-कर से भिन्न हो) प्राथमिक रूप से उस सम्पत्ति के, जिस पर उक्त कर निर्धारित किये गये हों, वास्तविक अध्यासी पर लगाया जायेगा, यदि वह उक्त भवनों या भूमियों का स्वामी हो या उसने उन्हें केन्द्रीय या राज्य सरकार या महापालिका से भवन सम्बन्धी पट्टे या अन्य पट्टे पर या किसी व्यक्ति से भवन संबंधी पट्टे पर लिया हो;

(2) किसी अन्य दशा में कर प्रथमतः (primarily) निम्नलिखित रूप से लगाया जायेगा, अर्थात्—

(क) यदि सम्पत्ति किराये पर उठाई गई हो तो पट्टा दाता से;

(ख) यदि सम्पत्ति शिकमी पट्टे पर दी गई हो तो वरिष्ठ (superior) पट्टादाता से;

(ग) यदि सम्पत्ति किराये पर नहीं उठाई गई हो तो उस व्यक्ति से, जिसमें उसे किराये पर उठाने का अधिकार निहित हो।

[1]["(घ) यदि सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किराये पर उठाई गई हो, तो किरायेदार से।"

(3) प्रथमतः देनदार व्यक्ति से कोई ऐसी धनराशि, जो उससे उक्त कर के रूप में प्राप्य (due) हो, वसूल न होने पर मुख्य नगराधिकारी उन भवनों या भूमियों के, जिनके संबंध में वह देय हो, किसी भाग के अध्यासी (occupier) में उस कर का ऐसा भाग वसूल कर सकता है, जो देय कर की सम्पूर्ण धनराशि के उस अनुपात में हो जो उक्त अध्यासी द्वारा देय वार्षिक किराये की धनराशि में तथा उक्त पूरे भवन या भूमि के सम्बन्ध में देय कुल किराये की धनराशि या प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची (authenticated assessment list) में उसके किराये के मूल्य की कुल धनराशि में हो।

(4) यदि कोई अध्यासी कोई ऐसा भुगतान करे, जिसके लिए पूर्वोक्त उपबन्धों के अधीन वह प्रथमतः देनदार नहीं है तो किसी विपरीत संविदा के न होने पर वह प्रथमतः देनदार व्यक्ति से उक्त धनराशि की भरपाई (reimbursement) पाने का अधिकारी होगा।

180. ऐसे अन्य करों के भुगतान का दायित्व—(1) भवनों या भूमियों के वार्षिक मूल्य पर जल-निस्सारण कर या स्वच्छता-कर उस सम्पत्ति के, जिस पर वे कर निर्धारित किये गये हों, वास्तविक अध्यायी से वसूल किये जायेंगे;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी सम्पत्ति एक से अधिक अध्यासियों को किराये पर उठाई गई हो तो मुख्य

से कर वसूल करे।

(2) कोई पट्टादाता, जिससे उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन कर वसूल किया गया हो, किसी विपरीत संविदा के न होने पर उक्त कर की धनराशि किन्हीं या सभी वास्तविक अध्यासियों से वसूल कर सकता है।

181. सम्पत्ति-कर उन भू-गृहादि पर, जिन पर वे निर्धारित किये गये हों, प्रथम भार (charge) होगा—(1) राज्य सरकार को किसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में देय मालगुजारी, यदि कोई हो, का पहले भुगतान कर दिये जाने के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन उस भवन या भूमि के संबंध में देय संपत्ति-कर, राज्य सरकार से सीधे लिये गये (held immediately) किसी भवन या भूमि की दशा में, उक्त भवन या भूमि में उन करों के देनदार व्यक्ति के स्वत्व पर तथा उक्त भवन के भीतर या भूमि में स्थित चलसम्पत्ति पर, यदि कोई हो, जिसका वह स्वामी हो और किसी अन्य भवन या भूमि की दशा में उक्त भवन या भूमि पर, जो उस व्यक्ति की हो, जो ऐसे करों का देनदार है, सर्वप्रथम भार होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में शब्द "संपत्ति-कर" के संबंधों में यह समझा जायेगा कि उसके अन्तर्गत ऐसे व्यय को, जो किसी भू-गृहादि को सम्भरण किये गये जल के कारण देय हों और नियमावली में निर्दिष्ट सम्पत्ति-कर की वसूली पर होने वाले व्यय आ जाते हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन उत्पन्न किसी भार (charge) को कार्यान्वित करने के लिये प्रस्तुत वाद की किसी डिग्री में न्यायालय यह आज्ञा दे सकता है कि देय धनराशि पर वाद प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से उसकी वसूली के दिनांक तक उस ब्याज की दर से, जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, [निगम] को ब्याज दिया जाय और ऐसे ब्याज तथा ऐसे भार को कार्यान्वित करने के संबंध में होने वाला व्यय, जिसमें वाद-व्यय और उक्त डिग्री के अधीन सम्बद्ध भू-गृहादि या चल सम्पत्ति की बिक्री पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है, उपर्युक्त बातों के अधीन रहते हुए देय धनराशि सहित ऐसे भू-गृहादि और चल सम्पत्ति पर प्रथम भार होगा और न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि बिक्री की आय में से उक्त धनराशियों का भुगतान [निगम] को कर दिया जाय।

वाहनों और नावों तथा पशुओं पर कर

182. वाहनों और नावों तथा पशुओं पर कर—(1) धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई कर उन दरों से ऊँची दरों पर न लगाया जायेगा जो राज्य सरकार समय-समय पर एतदर्थ यथास्थिति, वाहनों और नावों अथवा पशुओं के संबंध में नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे।

(2) [निगम] वर्ष-प्रतिवर्ष धारा 148 के अनुसार वह दरें निर्धारित करेगी, जिनके अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर लगाया जायेगा।

(3) किसी ऐसे वाहन (vehicle), नाव या पशु के संबंध में, जो नगर की सीमाओं के बाहर रखा गया हो, किन्तु जो नियमित रूप से उन सीमाओं के भीतर प्रयुक्त होता हो, यह समझा जायेगा कि वह नगर में प्रयोग के लिए रखा गया है।

183. धारा 172 में उल्लिखित कतिपय करों से मुक्ति—(1) धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कर निम्नलिखित के संबंध में न लगाया जा सकेगा—

(क) वाहन और नावें, जो [निगम] की हों;

(ख) भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के खंड (2) के उपबन्ध जहाँ लागू होते हों, उसे छोड़कर वाहन और नावें, जो भारत के संघ में निहित हों।

(ग) भारत के संघ में सम्मिलित किसी राज्य में निहित वाहन और नावें, जो केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होती हों तथा लाभ के प्रयोजनार्थ न तो वे प्रयुक्त होती हों और न एतदर्थ उनका प्रयोग अभिप्रेत हो;

(घ) वाहन और नावें, जो केवल घायलों, बीमारों या मृतकों को निःशुल्क लाने ले जाने के लिए अभिप्रेत हों;

(ङ) बच्चों के पेराम्बुलेटर और तीन पहिये की साइकिलें;

(च) वाहन या नावें, जिन्हें वाहनों या नावों के वास्तविक व्यापारी (bonafide dealers) केवल विक्रय के प्रयोजनार्थ अपने पास रखते हों और जो प्रयुक्त न होती हों।

(2) धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कर निम्नलिखित के संबंध में न लगाया जा सकेगा—

(क) [illegible] जो [निगम] के हों,

(ग) भारत के संघ में सम्मिलित किसी राज्य में निहित पशु जो केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होते हों तथा लाभ के प्रयोजनार्थ न तो वे प्रयुक्त होते हों और न एतदर्थ उनका प्रयोग अभिप्रेत हो।

(3) यदि उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) या उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन इस आशय का कोई प्रश्न उठ खड़ा हो कि भारत के संघ या उसमें सम्मिलित किसी राज्य में निहित कोई वाहन, नाव या पशु लाभ के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होता है या नहीं, अथवा एतदर्थ उसका प्रयोग अभिप्रेत है या नहीं तो उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

अन्य कर

184. परिवृद्धि-कर (Betterment tax)—परिवृद्धि-कर से तात्पर्य वह कर है, जो किसी ऐसी भूमि के मूल्य की वृद्धि पर लिया जाय जो अध्याय 14 के अधीन प्रवृत्त किसी योजना में सम्मिलित हो, किन्तु उसके निष्पादन के लिये वास्तव में अपेक्षित न हो अथवा ऐसी किसी भूमि के मूल्य की वृद्धि पर, जो उक्त योजना की सीमा के पार्श्व में (adjacent) हो और उससे एक चौथाई मील के भीतर हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पार्श्ववर्ती भूमि नगर के भीतर स्थित हो।

185. परिवृद्धि-कर की धनराशि—परिवृद्धि-कर की धनराशि धारा 187 की उपधारा (2) के अधीन सार्वजनिक नोटिस में निर्दिष्ट दिनाँक को उक्त भूमि के बाजार मूल्य और अध्याय 14 के अधीन योजना के अन्तिम रूप से विज्ञप्ति किये जाने के दिनांक को या उसके ठीक पूर्व के दिनाँक पर उक्त भूमि के बाजार मूल्य के अन्तर की धनराशि के आधे के बराबर होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन हिसाब लगाने के प्रयोजनों के लिए भूमि सब भवनों से रहित समझी जायगी।

186. परिवृद्धि-कर का भुगतान—जहां [निगम] ने धारा 172 की उपधारा (2) के खंड (च) में उल्लिखित कर आरोपित किया है, धारा 184 में उल्लिखित भूमि का प्रत्येक स्वामी या कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका उक्त भूमि के मूल्य की वृद्धि के संबंध में कोई स्वत्व हो, आगे व्यवस्थित रीति से [निगम] को उतना परिवृद्धि कर अदा करेगा, जितना मुख्य नगराधिकारी निर्धारित करे।

187. परिवृद्धि-कर लगाये जाने की नोटिस—(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा वह दिनाँक घोषित करेगी, जिस पर योजना पूर्ण हुई समझी जायेगी।

(2) उपधारा (1) में घोषित योजना पूर्ण होने के एक वर्ष के भीतर मुख्य नगराधिकारी [निगम] के इस अभिप्राय का एक सार्वजनिक नोटिस देगा कि वह एक निर्दिष्ट दिनांक से परिवृद्धि-कर लगाना चाहता है।

188. परिवृद्धि कर का निर्धारण—(1) मुख्य नगराधिकारी उक्त नोटिस के प्रकाशन के एक मास के पश्चात् किसी भी समय सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा देय परिवृद्धि-कर की धनराशि निर्धारित करेगा और उस व्यक्ति को लिखित नोटिस देगा, जिसमें कर की धनराशि और किस्तों, यदि कोई हों, तथा दिनाँक जब कर का भुगतान किया जायेगा और ऐसे अन्य विवरणों का, जो आवश्यक हों, उल्लेख किया जायेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (1) के अधीन निर्धारण का नोटिस तामील किया गया हो, ऐसा नोटिस किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर उक्त निर्धारण के विरुद्ध मुख्य नगराधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी कोई आपत्ति स्वीकार की जा सकती है यदि उपधारा (3) में अभिदिष्ट कार्यकारिणी समिति या उपसमिति का यह

मुख्य नगर अधिकारी/मा0 नगर प्रमुख महोदय

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत भवनकर में एकरूपता लाने हेतु नगर निगम में सम्पत्ति कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ बनाते हुए नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–174(ख) के अन्तर्गत आवासीय भवनों एवं भू–खण्डों पर सम्पत्तिकर लगाने हेतु स्वकर निर्धारण की प्रक्रिया नगर निगम सम्पत्तिकर नियमावली, 2000 को नगर विकास विभाग की अधिसूचना सं0 1435/9–3–2000–63ज/954–टीसी, दिनांक 22 अप्रैल, 2000 के क्रम में नगर निगम बोर्ड बैठक दिनांक 11.11.08, दिनांक 12.11.08 एवं दिनांक 15.11.08 में पारित प्रस्ताव सं0 5 द्वारा लागू कर दिया है।

नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य नगर अधिकारी महोदय द्वारा वार्डवार दरों के निर्धारण हेतु उप नगर अधिकारी, नगर अभियन्ता एवं दो कर अधीक्षकों की समिति गठित की गई। समिति द्वारा नियमावली में दिये गये मानकों के अनुसार क्षेत्र विशेष के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट को दृष्टिगत रखते हुए नगर के 60 वार्डों में वार्डवार प्रतिवर्ग फुट कारपेट एरिया किराये की न्यूनतम मासिक दर तथा भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल के प्रतिवर्ग फुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दरे निम्नवत् प्रस्तावित की गई है। नियमों के अन्तर्गत यह सम्पूर्ण व्यवस्था ऐसे भवन जो 30 वर्ग मीटर के भू–खण्ड पर निर्मित किये गये हों या जिसका कारपेट एरिया 15 वर्ग मीटर तक हो, पर लागू नहीं होगी परन्तु ऐसे भवन स्वामी के स्वामित्व में देहरादून नगर में कोई अन्य भवन न हो। स्वकर निर्धारण हेतु आवासीय भवनों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

समस्त 60 वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम	पक्का भवन आ0सी0सी0 आर0बी0 छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमें भवन न बना हो		
		24 मी0 से अधिक चौडी सड़क	12–24 मी0 चौड़ी सड़क	12 मी0 से कम चौड़ी सड़क	24 मी0 से अधिक चौडी सड़क	12–24 मी0 चौड़ी सड़क	12 मी0 से कम चौड़ी सड़क	24 मी0 से अधिक चौडी सड़क	12–24 मी0 चौड़ी सड़क	12 मी0 से कम चौड़ी सड़क	24 मी0 से अधिक चौडी सड़क	12–24 मी0 चौड़ी सड़क	12 मी0 से कम चौड़ी सड़क
1	राजपुर	4.00	3.50	3.00	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.40	0.30	0.20
2	सहस्त्रधारा रोड	4.00	3.50	3.00	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.40	0.30	0.20
3	जाखन	4.00	3.50	3.00	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.40	0.30	0.20
4	हाथीबड़कला	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.00	1.50	1.00	0.30	0.25	0.20
5	आर्यनगर	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.00	1.50	1.00	0.30	0.25	0.20
6	डोभालवाला	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.00	1.50	1.00	0.30	0.25	0.20
7	विजयपुर जोगी	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.00	1.50	1.00	0.30	0.25	0.20
8	किशननगर	4.00	3.50	3.00	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.40	0.30	0.20
9	डोईवाला रोड	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	0.25	0.20	0.15
10	[illegible]	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	1.50	1.00	0.75	0.20	0.15	0.10
11	[illegible]	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	1.50	1.00	0.75	0.20	0.15	0.10

12	बकरालवाला	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20
13	बुक्खूवाला	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	1.50	1.00	0.75	0.20	0.15	0.10
14	इन्द्राकालोनी	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	1.50	1.00	0.75	0.20	0.15	0.10
15	घन्टाघर	4.00	3.50	3.00	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.40	0.30	0.20
16	रेसकोर्स उत्तर	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	0.25	0.20	0.15
17	एम0के0पी0	4.00	3.50	3.00	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	0.40	0.30	0.20
18	कालिका माता मन्दिर मार्ग	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20
19	तिलक रोड	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20
20	खुड़बुड़ा	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	0.25	0.20	0.15
21	शिवाजी मार्ग	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	1.50	1.00	0.75	0.20	0.15	0.10
22	इन्द्रेशनगर	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.20	0.15	0.10
23	धामावाला	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.00	0.30	0.25	0.20
24	झण्डा मौ0	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.00	0.30	0.25	0.20
25	डालनवाला उ0	4.00	3.50	3.00	3.00	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	0.40	0.30	0.20
26	डालनवाला पू0	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	0.25	0.20	0.15
27	डालनवाला द0	4.00	3.50	3.00	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	0.30	0.25	0.20
28	अधोईवाला उ0	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20
29	अधोईवाला द0	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20
30	भगतसिंह का0	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	1.50	1.00	0.75	0.20	0.15	0.10
31	राजीवनगर	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	0.25	0.20	0.15
32	डिफेन्स कालोनी	4.00	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	0.40	0.30	0.20
33	नेहरू कालोनी	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20
34	धर्मपुर	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20
35	दीपनगर	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	1.50	1.00	0.75	0.20	0.15	0.10
36	अजबपुर	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20
37	मातामन्दिर मार्ग	3.00	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20
38	रेसकोर्स द0	4.00	3.50	3.00	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	0.40	0.30	0.20
39	रैस्ट कैम्प	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20
40	शीतामण्डी	2.50	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	0.25	0.20	0.15
41	लक्खीबाग	2.50	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	0.25	0.20	0.15
42	कारगी	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20
43	पटेलनगर पू0	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	1.50	1.00	0.75	0.20	0.15	0.10
44	ब्रह्मपुरी	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	1.50	1.00	0.75	0.20	0.15	0.10
45	निरंजनपुर	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	1.50	1.00	0.75	0.20	0.15	0.10
46	गजरा	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20
47	टर्नरोड	4.00	3.50	3.00	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	0.40	0.30	0.20
48	इन्दिरापुरम्	3.50	3.00	2.50	3.00	2.00	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20
49	द्रोणपुरी	3.50	3.00	2.50	3.00	2.00	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20

23

50	कांवली	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	0.25	0.20	0.15
51	इन्दिरानगर	4.00	3.50	3.00	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	0.40	0.30	0.20
52	बसन्तविहार	4.00	3.50	3.00	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	0.40	0.30	0.20
53	मोहितनगर	4.00	3.50	3.00	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	0.40	0.30	0.20
54	पटेलनगर प0	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	0.25	0.20	0.15
55	गांधीग्राम	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	1.50	1.00	0.75	0.20	0.15	0.10
56	यमुनाकालोनी	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20
57	गोबिन्दगढ़	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	0.25	0.20	0.15
58	श्रीदेव सुमननगर	2.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.00	1.50	1.00	0.75	0.20	0.15	0.10
59	बल्लुपुर	4.00	3.50	3.00	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	0.40	0.30	0.20
60	कौलागढ़	3.50	3.00	2.50	3.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.50	0.30	0.25	0.20

नोटः–

1. रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम 1972 के अधीन आने वाले भवनों पर ~~उत्तरखण्ड~~ नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधानुसार करोंकी देयता अब किरायेदार की होगी।
2. स्वअध्यासित भवन यदि 10 वर्ष तक पुराना है तो आंगणित वार्षिक मूल्यांकन से 25 प्रतिशत कम, 10 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम पुराने भवन पर 32.05 प्रतिशत तथा 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों पर 40 प्रतिशत कम वार्षिक निर्धारण माना जायेगा।
3. किराये पर उठाये गये आवासीय भवनों में यदि भवन 10 वर्ष तक पुराना है तो 25 प्रतिश, 10 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम पुराना है तो उसका वार्षिक किराया मूल्यांकन भवन के निर्धारित वार्षिक किराया मूल्यांकन के बराबर माना जायेगा।
4. स्वकर निर्धारण के निमित्त प्रपत्र "क" और "ख" में प्रत्येक करदाता को सूचना भरकर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 207 के अन्तर्गत उपरोक्त दरों को समाचार पत्र में प्रकाशित करते हुए जनसामान्य से आपत्तियां प्राप्त की जानी है। कृपया उक्त दरों का अनुमोदन करते हुए समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(राजेश नैथानी)
कर अधीक्षक,

(अजहर अली)
कर अधीक्षक,

18/2/10
(दिनेश शर्मा)
नगर अभियन्ता

(हर्षवर्धन सिंह)
उप नगर अधिकारी

18/2/10

अनुमोदित
18.2.10.

(i) पक्का भवन, आर० सी० सी० छत या आर० बी० छत सहित ❑
(ii) अन्य पक्का भवन ❑
(iii) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं हैं। ❑

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है
(i) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ❑
(ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ❑
(iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ❑

टिप्पणी— कृपया उपर्युक्त (एक), (दो) या (तीन) के खाने में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें।

[illegible] है या किराये पर है, कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें।

टिप्पणी— यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे "खाली" उल्लिखित किया जायेगा।

छ. भवन के निर्माण का वर्ष .....

सत्यापन

मैं, एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है ठीक और पूर्ण हैं।

दिनांक ----------
अनुप्रमाणक साक्षी
हस्ताक्षर ----------
नाम ----------
पिता/माता का नाम ----------
पूरा पता ----------

हस्ताक्षर ----------
स्थायी पता ----------

अभिस्वीकृति

जिस व्यक्ति से प्रपत्र "ख" प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिया गया है—

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम .....
(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम .....
(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या .....
(चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता .....
(पाँच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता .....
(छः) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता .....

दिनांक ----------

हस्ताक्षर ----------
नाम ----------
पदनाम ----------

आज्ञा से,
जे० एस० मिश्र,
सचिव।

व्यक्तिगत टिप्पणी

नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियाँ दाखिल करने के लिये न्यूनतम 15 दिन का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों का बारह भिन्न भिन्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर बारंबार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में, यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिये प्राप्त आपत्तियाँ रहेंगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं मुख्य नगर अधिकारी द्वारा या मुख्य नगर अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या निर्दिष्ट व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाये। आपत्तियों को बण्डलवार विनिश्चित किया जायेगा।

4-ख. खण्ड (क) के अधीन आपत्तियों के विनिश्चित किये जाने पर मुख्य नगर अधिकारी, ऐसे नगर में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में, यथास्थिति बोर्ड के भीतर भवनों के प्रत्येक समूह के लिये कारपेट एरिया के प्रतिवर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिये क्षेत्रफल के प्रतिवर्ग फुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक लागू दर को अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात यह अन्तिम हो जायेगी।

5. भवनों और भूमि की सूची—मुख्य नगर अधिकारी, नगर के भीतर अवस्थित भवनों या भूखण्डों या दोनों की एक सूची तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे—

(क) सम्पत्ति का समूह,

(ख) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्टि द्वारा, जो पहचान के लिये पर्याप्त हो, सम्पत्ति का अभिधान;

(ग) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए कि यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या यह किराये पर है। यदि किराये पर है तो अध्यासी का नाम।

(घ) (एक) भवन या भूमि के समूह के लिये प्रतिवर्गफुट किराये की न्यूनतम मासिक दर;
(दो) भवन का कारपेट एरिया या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों;
(तीन) भवन निर्माण का वर्ष।
(चार) भवन निर्माण की प्रकृति

(ङ) उस पर निर्धारित कर की धनराशि,
(एक) सामान्य कर
(दो) जलकर
(तीन) सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर
(चार) स्वच्छता कर
(पाँच) कुल धनराशि

6. कर की गणना—मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सामान्य कर, जल कर, जल निस्सारण कर, और स्वच्छता कर की गणना करेगा उसके बाद वह, यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को एक बिल प्रस्तुत करेगा जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा, जब तक अधिसूचित बैंक में कर का भुगतान करना होगा। यदि ऐसे दिनांक तक कर की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा 221-क में यथा उल्लिखित ब्याज देय होगा।

7. कर का स्वनिर्धारण—किसी आवासिक भवन के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिये मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर की स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ अधिसूचित बैंक में जमा कर सकता है।

8. शास्ति—(1) निगम, यथास्थिति भवन या भूमि के प्रस्तुत कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफलों के विवरण या स्वकर निर्धारण के विवरणों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत विवरणों की यदा-कदा जाँच करेगी और भवन के कारपेट एरिया के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाने की दशा में दो सप्ताह के भीतर, यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न नोटिस में विनिर्दिष्ट तथा या तथ्यों को छुपाने के लिये उस पर एक हजार रुपये से अनाधिक की शास्ति आरोपित की जाये।

(2) यथास्थिति स्वामी या अध्यासी द्वारा दिये जाने वाले किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जाँच, जैसी आवश्यक समझी जाये, करने के पश्चात निगम एक हजार रुपये से अनाधिक की शास्ति आरोपित कर सकता है और सम्पत्ति कर की धनराशि के साथ उसे वसूल किये जाने का आदेश दे सकता है।

प्रपत्र—"क"

(नियम 7 देखिये)

सम्पत्ति का स्वः-निर्धारण प्रपत्र

(अधिनियम की धारा 207-क)

क. (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम.....
(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या.....
(चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....
(पाँच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता.....
(छः) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....

ख. निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा.....
(एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....
(दो) समस्त बालकनी, कारीडर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....
(तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....

टिप्पणी—स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग. भवन का कारपेट एरिया—
= ख (एक) + 1/2 ख (दो) + 1/4 ख (तीन)

घ. (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में).....
(दो) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में).....

ङ. (क) भवन अवस्थित है
(i) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
(ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
(iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति
(i) पक्का भवन, आर० सी० सी० छत या आर० बी० छत सहित ☐
(ii) अन्य पक्का भवन ☐
(iii) कच्चा भवन अर्थात [illegible] ☐

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है

(i) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

टिप्पणी— कृपया उपयुक्त (एक), (दो) या (तीन) के खाने में जो भी सही हो उसमें सही का निशाल लगायें।

च. भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें।

टिप्पणी— यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे "खाली" उल्लिखित किया जायेगा।

छ. भवन के निर्माण का वर्ष .....

ज. (एक) मुख्य नगर अधिकारी द्वारा भवन के लिये निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर रुपये .....प्रति वर्ग फुट।

(दो) मुख्य नगर अधिकारी द्वारा भूमि के लिये निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो रुपये.....प्रति वर्ग फुट।

झ. (एक) भवन का वार्षिक मूल्य = 12 × मुख्य नगर अधिकारी निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर × भवन का कारपेट एरिया = 12 × ज (एक) × ग (दो) भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = 12 × मुख्य नगर अधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर × भूमि का क्षेत्रफल = 12 × ज (दो) × घ (दो)

(एक) स्वामी द्वारा अध्यासित होने की दशा में भवन का मूल्य, धारा 174 (2) (क) में यथा उल्लिखित छूट देने के पश्चात।

(दो) किराये पर होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य, धारा 174 (2) (ख) में यथा उल्लिखित वृद्धि करने के पश्चात।

ट. (i) भवन का सामान्य कर = (में यथा अवधारित वार्षिक मूल्य) × सामान्य कर दर/100

(ii) भवन का जल कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य × की जलकर दर/100

(iii) भवन का जल निस्सारण कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य × की जल निस्सारण दर/100

(iv) भवन का स्वच्छता कर में यथा अवधारित वार्षिक मूल्य × स्वच्छता कर की दर/100

ठ. भूमि पर सामान्य कर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = झ (दो) में यथा उल्लिखित वार्षिक मूल्य × सामान्य कर दर/100

ड. मुख्य नगर अधिकारी द्वारा कर जमा करने के लिये निर्धारित नियत दिनांक .....

ढ. जमा किये गये कर का विवरण

क्रम सं०	कर	राशि	दिनांक	चालान संख्या	बैंक का नाम
1	सामान्य कर				
2	जल कर				
3	जल निस्सारण कर				
4	स्वच्छता कर				

सत्यापन

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि स्वामी [illegible] प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, ठीक और पूर्ण हैं।

हस्ताक्षर

स्थायी पता

दिनांक

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर ----------

नाम ----------

पिता-माता का नाम ----------

पूरा पता ----------

प्रपत्र "ख"

भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिये

क. (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम .....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम .....

(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या .....

(चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता .....

(पाँच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता .....

(छः) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता .....

ख. निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा .....

(एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....

(दो) समस्त बालकनी, कारीडर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....

(तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....

टिप्पणी— स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग. भवन का कारपेट एरिया—

= ख (एक) + 1/2 ख (दो) + 1/4 ख (तीन)

घ. (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में).....

(दो) भूमि का क्षेत्रफल यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में).....

ङ. (क) भवन अवस्थित है

(i) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(ii) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(iii) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000[1]

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—2 सन् 1959) की धारा 174, 207-क, 221-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं जिसे उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या—1763-नौ-9-1999-63-ज/95 टी० सी०, दिनांक 16.6.1999 के अधीन पहले प्रकाशित किया जा चुका है।

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ**—यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 कही जायेगी।

(2) उत्तर प्रदेश में नगर निगम पर प्रवृत्त होगी लेकिन इसके ऐसे क्षेत्र को, जिसे पिछले दस वर्ष के भीतर नगर में सम्मिलित किया गया हो और ऐसा भवन जो 30 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर निर्मित किया गया हो, या जिसका कारपेट एरिया पन्द्रह वर्गमीटर तक हो छोड़कर उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगम पर, यदि ऐसे भवन के स्वामी के स्वामित्व में नगर में कोई अन्य भवन नहीं है, लागू होगी।

(3) यह इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ**—इस नियमावली में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(ख) "भवनों का समूह" का तात्पर्य नियम 4 के अधीन उल्लिखित भवनों के समूह से है;

(ग) "भू समूह" का तात्पर्य नियम 4 के अधीन उल्लिखित भूमि के समूह से अधिनियम, 1959 से है;

(घ) "कच्चा भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है ऐसे भवन से है जो पक्का भवन नहीं है;

(ङ) "अधिसूचित बैंक" का तात्पर्य मुख्य नगर अधिकारी द्वारा स्व: निर्धारण विवरण के साथ कर की धनराशि को जमा करने के लिए अधिसूचित बैंक या बैंकों से है,

(च) "सम्पत्ति" का तात्पर्य है यथास्थिति, किसी भवन या भूमि या दोनों से है,

(छ) "पक्का भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से जिसकी दीवार ईंट या पत्थर या ऐसी ही किसी अन्य सामग्री से निर्मित हो, से है;

(ज) "स्व-निर्धारण विवरण" का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र "क" में दाखिल किये जाने वाले स्व:निर्धारण विवरण से है।

3. **भवन या भूखण्ड का कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल का विवरण**—(1) मुख्य नगर अधिकारी, समाचार-पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके सम्पत्ति करके भुगतान के लिये मुख्यत: दायी स्वामी या अध्यासी से इन नियमावली से संलग्न प्रपत्र "ख" में यथास्थिति भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के संबंध मे प्रत्येक वर्ष, एक विवरण और अन्य दोनों को इस उद्देश्य से उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(2) मुख्य नगर अधिकारी, सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिये प्रपत्र "ख" में विवरण प्रस्तुत करने के लिये नगर के विभिन्न वार्डों के लिये विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।

(4) जब कभी भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्रफल या दोनों में कोई परिवर्धन या कमी की जाती है तो इसके तीस मास के भीतर यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी के लिए प्रपत्र "ख" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

4. (1) मुख्य नगर अधिकारी अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का वार्ड वार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन विभिन्न समूह के नगरों में सम्पत्ति की स्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात्—

(क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग;

(ख) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाला मार्ग;

(ग) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाला मार्ग।

(2) मुख्य नगर अधिकारी अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा—

(क) पक्का भवन आर० सी० सी० छत या आर० बी० छत सहित;

(ख) अन्य पक्का भवन; या

(ग) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो कि खण्ड (क) और (ख) में आच्छादित नहीं है।

(3) मुख्य नगर अधिकारी तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को नौ विभिन्न समूह की अधिकतम संख्या में और सभी रिक्त भू-खण्डों के मामलों में तीन विभिन्न समूह की अधिकतम संख्या में व्यवस्थित संख्या में व्यवस्थित करेगा—

(क) भवन के मामले में निम्नलिखित नौ समूह होंगे—

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर० सी० सी० छत सहित पक्का भवन।

(दो) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर० सी० सी० छत सहित पक्का भवन।

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित पक्का भवन, आर० सी० सी० छत सहित।

(चार) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(पाँच) 12 मीटर से 24 मीटर अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(छ:) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(सात) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(आठ) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(नौ) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(ख) भूमि के मामले में निम्नलिखित तीन समूह होंगे—

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

4-क. मुख्य नगर अधिकारी, वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार, यथास्थिति, भवनों के प्रत्येक

अधिनियम & नियमावली

(2) राज्य सरकार [निगम] को किसी आरोपित किये गए कर की दर को बढ़ाने, परिष्कृत करने अथवा परिवर्तित करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त [निगम] कर को आदेशानुसार बढ़ायेगी, परिष्कृत करेगी अथवा परिवर्तित कर देगी।

(3) यदि [निगम] उपधारा (1) अथवा (2) के अधीन दिए गये आदेश का पालन न कर सके तो राज्य सरकार कर को आरोपित करने, बढ़ाने परिष्कृत करने अथवा परिवर्तित करने के लिये उपयुक्त आज्ञा दे सकती है और तदुपरान्त राज्य सरकार की आज्ञा उसी प्रकार प्रवर्तन में आयेगी मानो यह [निगम] द्वारा यथावत पारित संकल्प हो।

सम्पत्ति करों का निर्धारण और लगाया जाना

207. निर्धारण-सूची का तैयार किया जाना—मुख्य नगराधिकारी[1] [समय-समय पर नगर या उसके किसी भाग] सभी भवनों या भूमियों अथवा दोनों की निर्धारण सूची तैयार करायेगा, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा—

(क) सड़क या मोहल्ले का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो;

(ख) सम्पत्ति का नाम (designation), या तो नाम से अथवा संख्या से जो पहचान के लिये पर्याप्त हो;

(ग) स्वामी और अध्यासी के, यदि ज्ञात हों, नाम;

(घ) वार्षिक किराये का मूल्य अथवा वार्षिक मूल्य निर्धारित करने वाले अन्य विवरण; तथा

(ङ) उन पर निर्धारित की गई कर की धनराशि।

[2][''207-क. स्व-निर्धारित सम्पत्ति कर जमा करने का विकल्प—इस अधिनियम में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, किसी आवासिक भवन का स्वामी, या अध्यासी जो ऐसे भवन के संबंध में कर का भुगतान करने के लिये मुख्यतः दायी हो, अपने द्वारा देय सम्पत्ति कर की धनराशि से संबंधित अपने दायित्व का निर्धारण प्रत्येक वर्ष स्वयं कर सकता है और ऐसा करने में वह धारा 174 के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार भवन का वार्षिक मूल्य स्वयं अवधारित कर सकता है और अपने द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को ऐसी रीति से ऐसे प्रपत्र में ऐसे स्व-निर्धारण विवरण के साथ, जैसा विहित किया जाय, जमा कर सकता है।''

208. सूची का प्रकाशन—[सब सम्पूर्ण नगर या [3][उसके किसी भाग] के लिये निर्धारण सूची, जिसमें धारा 207 के खण्ड (क) से (ङ) तक के ब्योरे दिये हों, तैयार हो जाय तब][1] मुख्य नगराधिकारी उस स्थान के संबंध में सार्वजनिक नोटिस देगा जहां पर [उक्त सूची][1] अथवा उसकी प्रतिलिपि का निरीक्षण किया जा सकेगा और [उक्त सूची][2] में उल्लिखित सम्पत्ति का स्वामी अथवा अध्यासी होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, और उसका अभिकर्ता [उक्त सूची][1] का निरीक्षण कर सकेगा और बिना कोई शुल्क दिये उससे अवतरण (extract) भी ले सकेगा।

209. सूची की प्रविष्टियों पर आपत्तियाँ—(1) साथ ही मुख्य नगराधिकारी इसके कम से कम एक मास पश्चात् ऐसे दिनांक का सार्वजनिक नोटिस देगा जब कि कार्यकारिणी समिति [धारा 208 में उल्लिखित सूची में दर्ज][4] मूल्यांकनों तथा निर्धारणों (valuations and assessments) पर विचार प्रारम्भ करेगी और ऐसे सभी मामलों में, जिनमें किसी सम्पत्ति पर प्रथम बार निर्धारण किया गया हो, अथवा उसके निर्धारण में वृद्धि की गई हो वह ऐसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी को भी, यदि ज्ञात हों, उसका नोटिस देगी।

(2) मूल्यांकन (valuation) तथा निर्धारण के संबंध में सभी आपत्तियां नोटिस में निश्चित किये गये दिनांक से पूर्व, मुख्य नगराधिकारी के पास लिखित प्रार्थना-पत्र के रूप में की जायेंगी, जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया जायेगा जिनके आधार पर मूल्यांकन तथा निर्धारण पर आपत्ति की गयी हो और इस प्रकार दिये गये समस्त प्रार्थना-पत्रों का पंजीयन (registration) मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये रखी गयी पंजी (book) में किया जायेगा।

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 17 सन् 1999 द्वारा धारा 207-क बढ़ाया गया।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 3, 1987 द्वारा बदला गया।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 8, 1970 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(35)

नायाब तहसीलदार/नगर आयुक्त महो0

दिनांक–08/06/2016 को मा0मेयर महोदय द्वारा समीक्षा बैठक की गई जिसमें वित्तीय वर्ष 2016–17 का भवन कर वर्ष 2014–15 व 2015–16 की निर्धारित दरों के आधार पर जमा किए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर मा0 कार्यकारिणी के सम्मुख रखे जाने के मौखिक निर्देश दिए गए थे।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत लागू) की धारा 211 व सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के अनुसार प्रत्येक 2 वर्षों में नयी निर्धारण सूची तैयार/दरों के पुर्नरीक्षण करने का प्रावधान है। चूंकि पूर्व में वर्ष 2014–15 में कर की दरें निर्धारित की गई थी और नियमानुसार वर्ष 2016–17 हेतु दरों का पुर्नरीक्षण/नयी निर्धारण सूची तैयार की जानी है। अधिनियम की धारा 174(ख) के अन्तर्गत कारपेट एरिया दरों के निर्धारित करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित है।

उक्त हेतु पूर्व में दि0–19/03/2016 को 3 तकनीकी परीक्षक व 5 मा0पार्षद सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसकी बैठक 2 बार दि0–02/05/2016 व 31/05/2016 को सम्पन्न हो चुकी है, जिसमें वर्तमान तक कोई सहमति नहीं बन पायी है, एवं इसमें समय लगने की सम्भावना है। यह भी संज्ञान में आया है, कि शासन स्तर पर दरों के पुर्नरीक्षण अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

चूंकि वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रथम 2 माह व्यतीत हो चुके हैं, इन दरों का पुर्नरीक्षण नहीं हो पाया है। यदि आप सहमत हो तो दरों के पुर्नरीक्षण होने तक पूर्व दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 का भवन कर जमा करवाने और दरों के पुर्नरीक्षणोपरान्त भवन कर को समायोजित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान करना चाहें।

9.6.16

09/06/2016 9.6.16

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून।

(36)

मा0 मेयर महोदय

10/6/16
I/C नगर आयुक्त

कार्यवाहित * 19.6.16

प्रपत्र 'घ'

(नियम–3 देखिए)

अनावासिक भवन के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर निर्धारण प्रपत्र

1– (एक)स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम.....

(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता.....

(चार) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता.....

(पॉच) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

2– भवन या भूमि का विवरण.....

(एक)भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(दो) खुली भूमि या भू–खण्ड का क्षेत्रफल(वर्गफुट में)

(तीन) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

3– अवस्थिति का विवरण–

(क) भवन या भूमि अवस्थित है–

(एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(तीन)12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति

(एक) पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित ☐

(दो) अन्य पक्का भवन, अस्वेस्टोज, फाइबर या टीनशेड ☐

(तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है। ☐

टिप्पणी:–कृपया प्रयोज्य खाने में सही का चिन्ह लगाये

4– भवन निर्माण का वर्ष–.....

5– पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मौहल्ला .....में स्थित भवन सं0.....का स्वामी/अध्यासी एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण है। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम.....

आज्ञा से,

डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 42 आ0श0वि0/557–2016–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

(ख) भूमि का वार्षिक मूल्य–

(एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भूमि हेतु नियत किराये की मासिक दर .....

(दो) नियमावली द्वारा विहित आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक .....

(तीन)भूमि ((एक) × (दो)) के लिए प्राप्त किराये की मासिक दर .....

(चार) भूमि का क्षेत्रफल .....

(पॉच) भूमि का वार्षिक मूल्य = किराये का मासिक दर × आच्छादित क्षेत्रफल × 12 [(तीन) × (चार) × (12)]

(ग) कुल वार्षिक मूल्य = क (पॉच) + ख (पॉच)

7– कर की गणना

(एक) सामान्य कर - $\frac{\text{यथा अवधारित वार्षिक मूल्य} \times \text{सामान्य कर की दर}}{100}$

(दो) अन्य कर (कर का नाम) - $\frac{\text{यथा अवधारित वार्षिक मूल्य} \times \text{कर की दर}}{100}$

8– जमा किये गये कर का विवरण –

क0स0	कर का नाम	कर की धनराशि	चालान/प्राप्ति सं0	दिनांक	बैंक/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6

मैं.....वार्ड.....के मौहल्ला.....में स्थित भवन सं0.....का स्वामी/अध्यासी एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण है। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम.....

प्रपत्र 'ग'
(नियम–7 देखिए)

अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र

1– स्वामी/अध्यासी का विवरण–
(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम.....
(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता.....
(चार) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता0.....
(पॉच) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

2– भवन या भूमि सम्बन्धी ब्यौरा.....
(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल(वर्गफुट में).....
(दो)खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....
(तीन)अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

3– अवस्थिति का विवरण–
(क) भवन या भूमि अवस्थित है–
(एक)24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
(दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति
(एक)पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित ☐
(दो)अन्य पक्का भवन, अस्वेस्टोज, फाइबर या टीनशेड ☐
(तीन) कच्चे भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है। ☐
टिप्पणी:– कृपया प्रयोज्य खाने में सही का निशान लगाये।

4– भवन निर्माण का वर्ष.....

5– पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

6– वार्षिक मूल्य की गणना.....

(क) भवन का वार्षिक मूल्य.....
(एक)नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भवन हेतु नियत किराया का मासिक दर .....
(दो)नियमावली द्वारा विहित आवासिक भवन की दर के संबंध में गुणक .....
(तीन)भवन हेतु प्राप्त किराये का मासिक दर [(एक) × (दो)] .....
(चार) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल.....
(पॉच) भवन का वार्षिक मूल्य = किराये का मासिक दर × आच्छादित क्षेत्रफल × 12 [(तीन) × (चार) × 12)]

क्यों न नोटिस में विनिर्दिष्ट तथा या तथ्यों को छुपाने के लिये उस पर एक हजार रूपये से अनाधिक की शास्ति आरोपित की जाये।

(2) यथास्थिति स्वामी या अध्यासी द्वारा दिये जाने वाले किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच, जैसी आवश्यक समझी जाये, करने के पश्चात् निगम एक हजार रूपये से अनाधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकता है और सम्पत्ति कर की धनराशि के साथ उसे वसूल किये जाने का आदेश दे सकता है।

सप्ताह का कारण बताओं नोटिस जारी करेगा कि क्यों न क्षेत्रफल को छुपाने को अथवा सम्पादक के त्रुटिपूर्ण विवरण से सम्पत्ति कर की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुने के अनधिक की शास्ति अधिरोपित की जायें।

(2) यथास्थिति स्वामी या अध्यासी द्वारा दिये जाने वाले किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच, जैसी आवश्यक समझी जाये, करने के पश्चात् नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो नोटिस के अनुसार देय शास्ति से अधिक न हो अधिरोपित कर सकता है और सम्पत्ति कर की धनराशि के साथ उसे वसूल किये जाने का आदेश दे सकता है।

(3) नियम 3 के उपनियम (1) और (3) के अधीन नियत समय के भीतर अपेक्षित विवरण न प्रस्तुत किये जाने की दशा में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो प्रश्नगत भू–खण्ड के क्षेत्रफल, 50 वर्ग मी0, 200 वर्ग मी0 तक, 400 वर्ग मी0 तक तथा उससे अधिक होने पर क्रमशः 100.00 रूपये, 1000.00 रूपये, 5000.00 रूपये तथा 15000.00 रूपये हो सकती है परन्तु 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति का 5 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा।

नियत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में, नियम 5 के अधीन कर निर्धारण सूची तैयार करते समय नियम 4–क के अधीन प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल दर का उपयोग भी शास्ति के अतिरिक्त किया जायगा।

(4) किसी व्यक्ति द्वारा नियम 3 के उपनियम (4) का उल्लंघन करने की दशा में, सम्पत्ति कर की दुगनी धनराशि अथवा प्रतिदिन 500.00 रूपये की दर से, जो भी कम हो, शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा।

नियम 9. का जोड़ा जाना

9. मूल नियमावली में नियम 8. के पश्चात निम्नलिखित नियम 9. निम्नवत् शीर्षक सहित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात–

नियम 9. शास्ति का प्रशमन. – नियम–8 के उपनियम (1) (3) और (4) के अधीन शास्तियों का प्रशमन नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शास्ति की अधिकतम धनराशि के एक तिहाई से अन्यून तथा आधे से अनाधिक धनराशि पर किया जा सकेगा।

नये प्रपत्र 'ग' और 'घ' का बढाया जाना

10. मूल नियमावली में, प्रपत्र 'ख' के पश्चात् निम्नलिखित नये प्रपत्र "ग" और "घ" बढा दिये जाएंगे, अर्थात:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6. कर की गणना– मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सामान्य कर, जल कर, जल निस्सारण कर, और स्वच्छता कर की गणना करेगा उसके बाद वह, यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को एक बिल प्रस्तुत करेगा जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा, जब तक अधिसूचित बैंक में कर का भुगतान करना होगा। यदि ऐसे दिनांक तक कर की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा–221–क में यथा उल्लिखत ब्याज देय होगा।	6. करों का भुगतान– नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी नियम 4, 4–ग और 5 के अधीन निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान हेतु स्वामी या अध्यासी को बिल भेजेगा जिसमें एक ऐसा दिनॉक निर्दिष्ट होगा, जब तक नगर आयुक्त द्वारा अधिसूचित बैंक या नगर निगम के कार्यालय में कर का भुगतान किया जायेगा। यदि नियत दिनांक तक कर की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा 221–क के अनुसार ब्याज देय होगा। परन्तु यदि सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वकर निर्धारण किया गया है तो कर का भुगतान सार्वजनिक सूचना द्वारा निर्धारित तिथि तक किया जायेगा।
नियम 7. का संशोधन–	7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात
स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
7–कर का स्वनिर्धारण– किसी आवासिक भवन के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ अधिसूचित बैंक में जमा कर सकता है।	7. स्वकर निर्धारण– किसी भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ अधिसूचित बैंक में जमा कर सकता है। नगर आयुक्त स्वकर निर्धारण की यथार्थता सुनिश्चित करने हेतु नगर में अवस्थित सभी भवनों का जी0आई0एस0 आधारित सर्वेक्षण को प्राथमिकता प्रदान करेंगे।
नियम 8. का संशोधन–	8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा एवं उपनियम–2 के बाद उपनियम–3 व 4 जोड़े जायेंगे, अर्थात
स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8. शास्ति– (1) निगम यथास्थिति भवन या भूमि के प्रस्तुत कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफलों के विवरण या स्वकर निर्धारण के विवरणों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत के विवरणों की यदा–कदा जांच करेगी और भवन के कारपेट एरिया के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाने की दशा में दो सप्ताह के भीतर, यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी का इस आशय का कारण बताओं नोटिस जारी करेगा कि	8. शास्ति– (1) नगर आयुक्त यथास्थिति भवन या भूमि के प्रस्तुत कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफलों के विवरण या स्वकर निर्धारण के विवरणों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत के विवरणों की यदा–कदा जांच करायेगा और भवन के कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाने या दरों आदि का त्रुटिपूर्ण विवरण देने की दशा में यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी का इस आशय का दो

(दो) भवन का कारपेट एरिया या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों,
(तीन) भवन निर्माण का वर्ष।
(चार) भवन निर्माण की प्रकृति
(ड) उस पर निर्धारित कर की धनराशि,
(एक) सामान्य कर
(दो) जलकर
(तीन) सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर
(चार) स्वच्छता कर
(पाँच) कुल धनराशि

(ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:–
(एक) सड़क या मोहल्ले, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम,
(दो) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्ट द्वारा जो पहचान के लिए पर्याप्त हो, सम्पत्ति का अभिधान,
(तीन) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए कि यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है यदि किराये पर है तो किरायेदार का नाम,
(चार) भवन या भूमि के समूह के लिए कारपेट एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्र आधारित प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर,
(पाँच) भवन का कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों,
(छः) भवन निर्माण का वर्ष,
(सात) भवन निर्माण की प्रकृति,

(2) स्वकर निर्धारण के संबंध में सूची– ऐसे आवासिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र 'क' पर और अनावासिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र 'ग' पर विहित अवधि के भीतर स्वनिर्धारित कर जमा करा दिया गया हो, उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा परन्तु नियम–5–क के उपबन्ध ऐसे भवनों पर लागू नहीं होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जाँच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्टि विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ नोटिस के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

5– क. सूची का प्रकाशन एवं आपत्तियों की प्राप्ति – (1) जब सम्पूर्ण नगर या उसके किसी भाग की कर निर्धारण सूची तैयार हो जाये तब नगर आयुक्त उस स्थान एव समय के सम्बन्ध में जहां उक्त सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा, नगर में पचिालन वाले दो समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायेगा।

(2) भवन के कारपेट एरिया, आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल की गणना या अन्य प्रविष्टियों तथा छूट आदि के सम्बन्ध में नगर आयुक्त को सम्बोधित सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप में भेजी जायेगी। किराये की मासिक दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी आपत्ति कर्ताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

नियम 6. का संशोधन–

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

(4) स्वनिर्धारण–भवन के विषय में सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और 4–ग के अनुसार कर निर्धारित करते हुए और नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के स्थान पर इस नियमावली के यथास्थिति प्रपत्र 'क' या प्रपत्र 'ग' में सम्पत्ति का विवरण अंकित करते हुए नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित बैंक में नियम 3के उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक यथास्थिति प्रपत्र 'क' या 'ग' और चालन के साथ कर जमा करेगा।

(5) स्वकर निर्धारण में विशेष उपबन्ध– उपनियम(4) के अधीन नियत दिनांक तक स्वनिर्धारण द्वारा सम्पत्ति करो के दायित्व की सीमा, जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाये, से अधिक नहीं होगी।

(6) प्रोत्साहन– (1) नियम 7 के अन्तर्गत भवन स्वामी द्वारा यदि किसी भवन के सम्पत्ति कर की गणना कर नगर निगम द्वारा निर्धारित तिथि के अन्तर्गत कर का एकमुश्त वार्षिक भुगतान किया जाता है तो नगर निगम के वर्तमान उपविधियों में प्राविधानित छूट के अतिरिक्त 5 प्रतिशत की छूट एक बार देय होगी।

(2) नगर निगम की उपविधि में प्राविधानित छूट के अतिरिक्त 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी यदि भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा आनुक्रमी वर्षो के माह अप्रैल में भवन के कर का अग्रिम पूर्ण भुगतान किया जाता है।

नियम– 5 का संशोधन

5. मूल नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, साथ ही नया नियम 5–क जोड़ दिया जायेगा :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5. भवनों और भूमि की सूची– मुख्य नगर अधिकारी, नगर के भीतर अवस्थित भवनों या भूखण्डों या दोनों की एक सूची तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे– (क) सम्पत्ति का समूह (ख) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्ट द्वारा, जो पहचान के लिये पर्याप्त हो, सम्पत्ति का अभिधान, (ग) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए कि यह स्वामी द्वार अध्यासित है या यह किराये पर है। यदि किरायें पर है तो अध्यासी का नाम। (घ) (एक) भवन या भूमि के समूह के लिये प्रतिवर्गफुट	5. कर निर्धारण सूची– (1) सभी भवनों या भूखण्डों या दोनों के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची कर–गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी– (क) भवन और भूमि के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'क', 'ख', 'ग', और 'घ' पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर या (ख) नियत समय के भीतर प्रपत्र यथास्थिति 'क' या 'ख' या 'ग' या 'घ' में सूचनायें न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार

नोटः– (क) पैट्रोल पम्प का जो भूमिगत क्षेत्र या संरचना भूमिगत स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है, कारपेट एरिया की गणना के लिए जोड़ी जायेगी।
(ख) संचार/मोबाईल टॉवर और उसकी सहायक मशीनों के द्वारा आच्छादित किसी प्रकार के क्षेत्र को सम्पत्ति कर की गणना के लिए कारपेट एरिया माना जायेगा।

4–ख. खंड (क) के अधीन आपत्तियों के विनिश्चित किये जाने पर मुख्य नगर अधिकारी ऐसे नगर में पारिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार–पत्रों में, यथास्थिति, वार्ड के भीतर भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया के प्रति वर्गफुट किराये की न्यूनतम मासिक दर या भूमि के प्रत्येक सूमह के लिए क्षेत्रफल के प्रति वर्गफुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक लागू दर को अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् यह अन्तिम हो जायेगी।

4–(ख). न्यूनतम मासिक किराये की दर का प्रकाशन– खंड 4–क के अधीन आपत्तियों के विनिश्चित किये जाने पर नगर आयुक्त ऐसे नगर में पारिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार–पत्रों में, यथास्थिति, वार्ड/वार्ड के मौहल्लेवार के भीतर भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया के प्रति वर्गफुट किराये की न्यूनतम मासिक दर या भूमि के प्रत्येक सूमह के लिए क्षेत्रफल के प्रति वर्गफुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक लागू दर को अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् यह अन्तिम हो जायेगी।

4–(ग) (1). कर निर्धारण– कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा–

(क) (एक) आवासिक भवन के वार्षिक मूल्य की गणना–

कारपेट एरिया × निर्धारित प्रतिइकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल × निर्धारित प्रतिइकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12 × 80 प्रतिशत

(दो) आवासिक भूमि की वार्षिक मूल्य की गणना–

भूमि का क्षेत्रफल × निर्धारित प्रतिइकाई क्षेत्रफल मासिक किराया × 12

(ख) (एक) अनावासिक भवनों की वार्षिक मूल्य की गणना–

आच्छादित क्षेत्रफल × आवासिक भवन की दर के संबंध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की दर × 12

(दो) अनावासिक भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना–

भूमि का क्षेत्रफल × आवासिक भवन की दर के संबंध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक दर × 12

(2) संदेय कर– अधिनियम की धारा 148 के अधीन नियत दरों के अनुसार वार्षिक मूल्य के आधार पर कर संदेय होंगे।

(3) छूट– आवासिक भवनों के वार्षिक मूल्य में छूट अनुमन्य होगी और अधिनियम में विहित उपबन्धों के अनुसार कर संदेय होंगे।

(5)	(क) क्लीनिक (केवल चिकित्सीय परामर्श हेतु उपयोगित)	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का दो गुना
	(ख) अस्पताल/नर्सिंग होम ,पॉलिक्लीनिक, डाइग्नोस्टिक सेन्टर, मेडिकल स्टोर, प्रयोगशालायें, स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि0	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का तीन गुना
(6)	क्रीडा केन्द्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, फिटनेस केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, थियेटर और सिनेमा हॉल	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का दो गुना
(7)	(क) बिना छात्रावास सुविधा वाले स्कूलों, कालेजों एवं शिक्षा केन्द्रों के भवन (सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्व वाले)	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का एक गुना
	(ख) छात्रावास सुविधा वाले स्कूलों, कालेजों एवं शिक्षा केन्द्रों के भवन (सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्व वाले)	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का दो गुना
(8)	पैट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो,	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का दो गुना
(9)	सामुदायिक भवन, विवाह घर, वेडिंग प्वाइन्ट, कल्याण मण्डप, वेयर हाउस, गोदाम, क्लब आदि	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का तीन गुना
(10)	भवन मय मोबाईल टॉवर. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यिक, व्यवसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है।	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का तीन गुना
(11)	औद्योगिक इकाईयां	
	(क) लघु	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का दो गुना
	(ख) मध्यम	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का तीन गुना
	(ग) वृहद	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का पॉच गुना
(12)	समस्त प्रकार के अनावासिक भवन जो उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत न आते हों	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का तीन गुना

(2) अनावासिक भवनों और भूमि की स्थिति में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर उप नियम(1) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणांक होगा, जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है:–

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
(1)	(क) होटल, पेईंग गेस्ट हाउस 10 कमरों तक (बगैर वातानुकूलित)	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का तीन गुना
	(ख) होटल 10 कमरों से अधिक (बगैर वातानुकूलित)	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का चार गुना
	(ग) समस्त होटल/पेईंग गेस्ट हाउस (वातानुकूलित) 3स्टार सुविधा तक	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का पाँच गुना
	(घ) होटल 4स्टार और ऊपर वाले, बार, पब, रेस्टोरेन्ट मयबार और क्लब मयबार।	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का छः गुना
	(ङ) धर्मार्थ धर्मशाला/आश्रम/होटल जहां प्रति कमरा किराया दर 200 रू0 प्रतिदिन या अधिक या जो व्यवसायिक दरों पर विद्युत का उपयोग कर रहें हों।	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का तीन गुना
(2)	मॉल्स	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का छः गुना
(3)	सभी प्रकार के वाणिज्यिक भवन शोरूम, बैंक कार्यालय, कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान, ए0टी0एम0	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का पाँच गुना
(4)	दुकानें/ढाबा/स्टाल	
	(क) 100 वर्गफिट तक	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का दो गुना
	(ख) 100 वर्गफिट से 200 वर्गफिट तक	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का तीन गुना
	(ग) 200 वर्गफिट से 500 वर्गफिट तक	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का चार गुना
	(घ) 500 वर्गफिट से अधिक	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का पाँच गुना
	(ङ) पूर्णतः आवश्यक सेवाऐं व्यवसाय सम्बन्धी स्टाल (दूध, सब्जी–फल, नाई, मोची, साईकिल–रिक्शा/टू व्हीलर मैकेनिक)	उपनियम–1 के अधीन नियत दर का 1.1 गुना

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

4–क. मुख्य नगर अधिकारी वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया की प्रति वर्गफुट न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति वर्गफुट लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर निम्न को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा,–

(एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर और

(दो) ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में वर्तमान किराये की न्यूनतम दरः

नीचे से प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व मुख्य नगर अधिकारी ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियाँ दाखिल करने के लिए न्यूनतम 15 दिन का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों का बारह भिन्न–भिन्न बण्डलो की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में, यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिए प्राप्त आपत्तियाँ रहेंगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं मुख्य नगर अधिकारी द्वारा या मुख्य नगर अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रुप से सुना जाय। आपत्तियों को बण्डलवार विनिश्चित किया जायेगा।

4–(क). न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण–. (1) नगर आयुक्त वार्डवार/वार्ड के मौहल्लेवार के भीतर प्रत्येक चार वर्ष में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर की गणना करेगा और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आवासिक भवन के रुप में दर नियत करेगा,–

(एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर और

(दो) ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दरः

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व नगर आयुक्त ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियाँ दाखिल करने के लिए न्यूनतम 15 दिन का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों का बारह भिन्न–भिन्न बण्डलो की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में, यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिए प्राप्त आपत्तियाँ रहेंगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं नगर आयुक्त द्वारा या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रुप से सुना जाय। आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चय किया जायेगा।

नगर आयुक्त इस नियम के अन्तर्गत निर्धारित मासिक किराया दर को प्रत्येक चार वर्ष की समाप्ति से पूर्व विहित प्राविधानों के अनुसार पुनरीक्षित करना सुनिश्चित करेगा, जिससे नवीन दरों के आधार पर भवन/भूमि के वार्षिक मूल्यांकन को पुनरीक्षित किया जा सके। मासिक किराया दर के पुनरीक्षण में विलम्ब के फलस्वरुप निगम को किसी राजस्व हानि के लिए नगर आयुक्त उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण–कारपेट एरिया के निर्धारण में निहित कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर दरें कारपेट एरिया आधारित दरों का 80 प्रतिशत होगी, जिन्हें स्वकर निर्धारण के लिए माना जायेगा।

तीन विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की स्थिति के अधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात

(क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग,

(ख) 12 मीटर से 24 मीटर तक का चौड़ाई वाला मार्ग,

(ग) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाला मार्ग,

(2) मुख्य नगर अधिकारी, अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा–

(क) पक्का भवन आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित,

(ख) कोई अन्य पक्का भवन, या

(ग) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो खण्ड(क) और खण्ड(ख) से आच्छादित नहीं है।

(3) मुख्य नगर अधिकारी तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को नौ विभिन्न समूहों की अधिकतम संख्या में और सभी रिक्त भूखण्डों के मामलो में तीन विभिन्न समूहों की अधिकतम संख्या में व्यवस्थित संख्या में व्यवस्थित करेगा–

(क) भवन के मामले में निम्नलिखित नौ समूह होंगे–

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(दो) 12मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित पक्का भवन आर0सी0सी0 छत सहित।

(चार) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(पॉच) 12मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(छः) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(सात) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(आठ) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(नौ) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(ख) भूमि के मामलें में निम्नलिखित तीन समूह होगें,

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग

प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की स्थिति के अधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात

(क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग,

(ख) 12 मीटर से 24 मीटर तक का चौड़ाई वाला मार्ग,

(ग) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाला मार्ग,

(2) नगर आयुक्त, अधिनियम की धारा 174 के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा–

(क) पक्का भवन आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित,

(ख) कोई अन्य पक्का भवन, या

(ग) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो खण्ड(क) और खण्ड(ख) से आच्छादित नहीं है।

(3) नगर आयुक्त तदनुसार वार्डवार/वार्ड के मौहल्लेवार में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को नौ विभिन्न समूहों की अधिकतम संख्या में और सभी रिक्त भूखण्डों के मामलो में तीन विभिन्न समूहों की अधिकतम संख्या में व्यवस्थित करेगा –

(क) भवन के मामले में निम्नलिखित नौ समूह होंगे–

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(दो) 12मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित पक्का भवन आर0सी0सी0 छत सहित।

(चार) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(पॉच) 12मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(छः) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(सात) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(आठ) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(नौ) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(ख) भूमि के मामलें में निम्नलिखित तीन समूह होगें,

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

नियम 3. का संशोधन

3. मूल नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 3. के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3. भवन या भूखण्ड का कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्र का विवरण – (1) मुख्य नगर अधिकारी समाचार–पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी से इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र "ख" में यथा स्थिति भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के संबंध में प्रत्येक वर्ष में एक विवरण और अन्य ब्यौरे को इस उद्देश्य से उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।	3. किसी भवन या भूखण्ड का कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्र का विवरण– (1) नगर आयुक्त समाचार– पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी से इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र "ख" और प्रपत्र 'घ' में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्र और अनावासिक भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरण कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।
(2) मुख्य नगर अधिकारी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिए प्रपत्र "ख" में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डों के लिए विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।	(2) नगर आयुक्त सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डों के लिए विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।
(3) जब कभी स्वामी द्वारा अध्यासित भवन को किराये पर दिया गया हो या इसके विपरीत हो, तो इसके तीन मास के भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र "ख" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।	(3) जब कभी स्वामी द्वारा स्व–अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाय या इसके विपरीत हो, तो ऐसा होने के साठ दिन के भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।
(4) जब कभी भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्रफल या दोनों में कोई परिवर्धन या कमी की जाती है तो इसके तीन मास के भीतर, यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी के लिए प्रपत्र "ख" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।	(4) जब किसी भवन में निर्माण या पुनर्निर्माण के फलस्वरुप, आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से , साठ दिन के भीतर यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

नियम 4. का संशोधन

4.मूल नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, साथ ही नया नियम 4–ग निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4. (1) मुख्य नगर अधिकारी अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों के अन्तर्गत न आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का वार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड के भीतर	4. सम्पत्ति का वर्गीकरण– (1) नगर आयुक्त अधिनियम की धारा 174 के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का वार्डवार/वार्ड के मौहल्लेवार वर्गीकरण करेगा और

नियम 1. के उपनियम–2 का संशोधन

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
1 (2) उत्तर प्रदेश में नगर निगम पर प्रवृत्त होगी लेकिन इसके ऐसे क्षेत्र को, जिसे पिछले दस वर्ष के भीतर नगर में सम्मिलित किया गया हो और ऐसा भवन जो 30 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर निर्मित किया गया हो, या जिसका कारपेट एरिया 15 वर्गमीटर तक हो, छोड़कर उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगम पर, यदि ऐसे भवन के स्वामी के स्वामित्व में नगर में कोई अन्य भवन नहीं है, लागू होगी।	1 (2) उत्तराखण्ड में नगर निगम पर प्रवृत्त होगी लेकिन ऐसा आवासीय भवन जो 30 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर निर्मित किया गया हो, या जिसका कारपेट एरिया 15 वर्गमीटर तक हो, छोड़कर उत्तराखण्ड के समस्त नगर निगम पर, यदि ऐसे भवन के स्वामी के स्वामित्व में नगर में कोई अन्य भवन नहीं है, लागू होगी।
नियम 2. का संशोधन	2. मूल नियमावली में नियम 2. में खण्ड (घ) के पश्चात निम्नवत् जोड दिया जायेगा एवं खण्ड (ज) को निम्नवत् प्रतिस्थापित करते हुए खण्ड (झ) से (ड) जोड़ दिया जायेगा:– (घ–1) "अनावासिक भवन" से ऐसे किसी भवन या स्थान या भूमि या भवन या उसके भाग अभिप्रेत है जो अनावासिक हो और जो उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खण्ड (1) के अधीन आच्छादित हो,
(ज) "स्व–निर्धारण विवरण" का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र "क" में दाखिल किये जाने वाले स्व–निर्धारण विवरण से है।	(ज) "स्व–निर्धारण विवरण" का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र "क" व "ग" में दाखिल किये जाने वाले स्व–निर्धारण विवरण से है। (झ) 'कारपेट एरिया' का तात्पर्य अधिनियम 174 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (एक) में निर्दिष्ट कारपेट एरिया से है। (ञ) 'आच्छादित क्षेत्रफल' का तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर जिस पर भवन निर्मित है के प्रत्येक तल आच्छादित क्षेत्र से है; (ट) 'वार्षिक मूल्य' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 174 के अधीन निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है; (ठ) 'मासिक किराया दर' का तात्पर्य नियम 4–ख के अनुसार नगर आयुक्त द्वारा विहित, यथा स्थित, भवनों या भूमि के कारपेट एरिया के प्रति वर्गफुट मासिक किराये से है; (ड.) 'आवासीय भवन' का तात्पर्य उस भवन से है, जिसकी प्रत्येक इकाई उसमें रहने वाले व्यक्ति के अध्यासन में हो, और उसमें ऐसे भवन भी है जिनमें आवासीय उपयोग का प्राविधान हो, किन्तु इसमें व्यावसायिक उद्देश्य से उपयोग के लिए होटल, लाज या किसी अन्य प्रकार के भवन सम्मिलित न

क्रम संख्या–165

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 25 अक्टूबर, 2016 ई0

कार्तिक 03, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग–3

संख्या 1624/IV–3/2016–6(8)/2016

देहरादून, 25 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–174, 207, 207 क, 207 ख, 208, 209, 210, 211, 213, 214 और 221–ख के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पूर्व प्रकाशित अधिसूचना संख्या–1542/IV(3)/2016.06(08)/2016, दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के पश्चात् उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ

1–(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह उत्तराखण्ड के समस्त नगर निगमों पर लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(2) (52)

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास विभाग
संख्याः-1655 IV(3)2016-06(08)/2016
देहरादूनः दिनांक 08 नवम्बर, 2016

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन नियमावली, 2016 की अधिसूचना की 200 प्रतियां संलग्न कर आपकों इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त अधिसूचना को अपने स्तर से समस्त स्थानीय निकायों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

पंजीकृत

पत्रांक–1564/श0वि0नि0/1574– अधि0–संशो0/16/2016

प्रेषक,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांक 15 नवम्बर, 2016

विषयः– उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002), अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 (अनुकूलन एंवं उपान्तरण आदेश 2002), अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 में संशोधन विषयक अधिसूचनाओं का प्रेषण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1627/IV(03)/2016–06(4)/2016टी0सी0 दिनांक 25–10–2016 एवम् पत्र संख्या–1655 IV(03)/2016–06(08)/2016 दिनांक 08–11–2016 के द्वारा प्रेषित अधिसूचना संख्या–239/XXXVI(3)/2016/44(1)/2016 दिनांक 02 अगस्त, 2016, एवम् तत्क्रम में शुद्धिपत्र अधिसूचना संख्या–285/XXXVI(3)/2016/44(1)/2016 दिनांक 12 सितम्बर, 2016 तथा अधिसूचना संख्या–1624/IV(03)/2016–06(8)/2016 दिनांक 25–10–2016 द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की कतिपय धाराओं में संशोधन किया गया है एवम् उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002), अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 में संशोधन किया गया है।

1460(Tax)
29.11.16

अतः उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रतियां अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

755
22.11.16

CMNA/TS(Tax)
को शीघ्र कार्यवाही हेतु।
नगर आयुक्त 22/11

भवदीय,

(सुभाष गुप्ता)
संयुक्त निदेशक,
कृते निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित। 28/11/16

(सुभाष गुप्ता)
संयुक्त निदेशक,
कृते निदेशक।

E-Aryaji

54

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

पत्रांक 132/ST/018 दिनॉक 24/03/18

आदेश

सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा जारी अधिसूचना सं0–624/IV–3/2016–6(8)/2016 देहरादून दिनांक 25.10.2016 के द्वारा संशोधित सम्पत्ति कर नियमावली–2000 के नियम–4 के उपनियम–4 "क" के कम में अप्रैल 2018 से भवन कर के मासिक किराये की दरे 4 वर्षो के लिए निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति गठित कि जाती है:–

1.	श्री नीरज जोशी	अपर नगर आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमति सोनिया पंत	उप नगर आयुक्त	उपाध्यक्ष
3.	श्री वेदप्रकाश बधानी	सहायक अभियन्ता	सदस्य
4.	श्री धर्मेश पैन्यूली	कर अधीक्षक (भवन कर)	सदस्य सचिव
5.	श्रीमति पूनम रावत	कर अधीक्षक (भवन कर)	सचिव
6.	श्री चन्द्रप्रकाश अहूजा	ड्राफ्ट्समैन	सदस्य

150

उपरोक्त समिति प्रत्येक दशा में भवन कर के मासिक किराया दरों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट संस्तुति सहित दिनॉक 30.03.2018 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगी।

नगर आयुक्त,
नगर निगम,दहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. मा0 महापौर महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. समस्त नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

(55)

कार्यालय उप नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

पत्रांक 95/उ0 अनु0भा0/2018 दिनॉक 26.3.18

1. श्री वेदप्रकाश बधानी, सहायक अभियन्ता, नगर निगम देहरादून।
2. श्री धर्मेश पैन्यूली, कर अधीक्षक (भवन कर), नगर निगम देहरादून।
3. श्रीमति पूनम रावत, कर अधीक्षक (भवन कर), नगर निगम देहरादून।
4. श्री चन्द्रप्रकाश अहूजा, ड्राफ्ट्समैन, नगर निगम देहरादून।

नगर आयुक्त महोदय के कार्यालय आदेश सं0–132/एस0टी0/018, दिनॉक 24.03.2018 के द्वारा सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा जारी अधिसूचना सं0–624/IV–3/2016–6(8)/2016 देहरादून दिनांक 25.10.2016 के द्वारा संशोधित सम्पत्ति कर नियमावली–2000 के नियम–4 के उपनियम–4 "क" के क्रम में अप्रैल 2018 से भवन कर के मासिक किराये की दरे 4 वर्षो के लिए निर्धारण हेतु समिति गठित की गयी है, जिसमें आप सदस्य के रूप में नामित है।

अतः उपरोक्तानुसार नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनॉक 26.03.2018 को अपरान्ह 04.00 बजे समिति की बैठक आहूत की जाती है।

उप नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. मा0 महापौर महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त सदस्यों को इस निर्देश के साथ कि बैठक में समस्त सूचनाओं के साथ ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
5. कार्यालय प्रति।

उप नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

(56)

कार्यालय उप नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

पत्रांक 95/कर अनुभाग/2018 दिनॉक 26.3.18

1. श्री वेदप्रकाश बधानी, सहायक अभियन्ता, नगर निगम देहरादून।
2. श्री धर्मेश पैन्यूली, कर अधीक्षक (भवन कर), नगर निगम देहरादून।
3. श्रीमति पूनम रावत, कर अधीक्षक (भवन कर), नगर निगम देहरादून।
4. श्री चन्द्रप्रकाश अहूजा, ड्राफ्ट्समैन, नगर निगम देहरादून।

नगर आयुक्त महोदय के कार्यालय आदेश सं0–132/एस0टी0/018, दिनॉक 24.03.2018 के द्वारा सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा जारी अधिसूचना सं0–624/IV–3/2016–6(8)/2016 देहरादून दिनांक 25.10.2016 के द्वारा संशोधित सम्पत्ति कर नियमावली–2000 के नियम–4 के उपनियम–4 "क" के कम में अप्रैल 2018 से भवन कर के मासिक किराये की दरे 4 वर्षो के लिए निर्धारण हेतु समिति गठित की गयी है, जिसमें आप सदस्य के रूप में नामित है।

अतः उपरोक्तानुसार नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में दिनॉक 26.03.2018 को अपरान्ह 04.00 बजे समिति की बैठक आहूत की जाती है।

उप नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. मा0 महापौर महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त सदस्यों को इस निर्देश के साथ कि बैठक में समस्त सूचनाओं के साथ ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
5. कार्यालय प्रति।

उप नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

57

नगर आयुक्त महोदय

सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा जारी अधिसूचना सं0–624/iv–3/2016–6(8)/2016 देहरादून दिनांक 25.10.2016 के द्वारा संशोधित सम्पत्ति कर नियमावली–2000 के नियम–4 के उपनियम–4 "क" के क्रम में अप्रैल 2018 से भवन कर के मासिक किराये की दरें चार वर्षों के निर्धारण हेतु कार्यालय के पत्रांक संख्या 132/एस0टी0/018 दिनांक 24.03.2018 के द्वारा 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा संशोधित संपत्ति कर नियमावली 2000 एवं नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 का अवलोकन किया गया जिसमें दरों के निर्धारण हेतु निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवासीय भवन के रूप में दर के नियत किए जाने की व्यवस्था दी गई है।

1 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर और

2 ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर।

समिति द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा वर्ष 2014, 2016 व 2018 के नियत सर्किल दर सूची के तुलनात्मक अध्ययन पर पाया गया कि उक्त वर्षो में सर्किल रेट सूची में लगभग 15 से 18 प्रतिशत की वृद्धि की गई है चूंकि वर्ष 2014 में नगर निगम देहरादून द्वारा निर्धारित भवन के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर एवं भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) की दरें अत्यन्त कम थी।

अतः निगम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए व निगम को आर्थिक रूप से सुदृढ बनाने के उद्देश्य से नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत वार्डवार भवन के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर एवं भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) हेतु न्यूनतम मासिक किराए की दर पत्रावली के दाहिनी ओर रक्षित सूची के अनुसार (चूंकि यह दरें वर्ष 2018 से अग्रिम चार वर्षों हेतु निर्धारित होगी) की जानी उचित होगी। उपरोक्त के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से पत्रावली के दाहिनी ओर संलग्न मासिक किराये की दर संस्तुति सहित आदेशार्थ प्रेषित।

31/3/18
चन्द्र प्रकाश आहूजा
ड्रफ्ट्समैन

वेद प्रकाश बधानी
सहायक अभियन्ता

पूनम
कर अधीक्षक

31/3/18
धर्मेश मन्यूली
कर अधीक्षक

31/3/18
(Ved Prakash Madhav)

सोनिया पन्त
उप नगर आयुक्त

31/3/18
नीरज जोशी
अपर नगर आयुक्त

Municipal Corporation Dehradun

Telephone - 0135&2655620, 265352, 2658204
Fax –0135&2651061
Website –www.nagarnigamdehradun.com
E-mail nagar_nigam2008@yahoo.com,nagarnigam.ddn@gmail.com
Toll free – 1800–180–4153, Control Room - 1800–180–4206

सेवा में ,

1 श्री सुशील गुप्ता, मा0 पार्षद, निगम, देहरादून ।
2 श्री विनय कोहली, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।
3 श्रीमती कमली भट्ट, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।
4 श्री भूपेन्द्र कठैत , मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून ।
5 श्रीमती अमिता सिंह, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।

महोदय/महोदया,

वर्तमान में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड़ में यथाप्रवत लागू) की धारा 174 (ख) के अन्तर्गत आवासीय भवनों का कर निर्धारण स्वकर निर्धारण नियमावली 2000 के अन्तर्गत किया जा रहा है जो कि वर्ष 2014 से प्रारम्भ किया गया है तथा नियमानुसार चार वर्ष हेतु मान्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 से अधिनियम/नियमावली के अनुसार किराये की वर्तमान न्यूनतम दरें निर्धारित की जानी है।

उपरोक्त के कम में दिनांक 05/04/2018 को मा0 बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा आपको सदस्य नामित करते हुए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है। उपरोक्त दरों के निर्धारण करने में विचार विमर्श हेतु अपर नगर आयुक्त महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में दिनांक 23.04.18 को प्रातः 11:30 बजे अपर नगर आयुक्त महोदय के कक्ष में बैठक आहूत की गयी है। अतः आप सभी उक्त बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय

कर अधीक्षक
नगर निगम देहरादून

पत्रांक– 107 कर अनु०/2018 दिनांक– 18-04-2018

प्रतिलिपिः–

1 मा0 मेयर महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रोषित ।
2 नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ प्रेषित ।
3 अपर नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ प्रषित।
4 उप नगर आयुक्त महोदया को सूचनार्थ प्रषित।
5 श्री वेद प्रकाश बधानी सहायक अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ प्रषित।
6 श्री धर्मेश पैन्यूली कर अधीक्षक, भवनकर, श्री चन्द्र प्रकाश आहूजा ड्राफ्ट्समैन को इस निर्देश के साथ कि नगर आयुक्त महोदय द्वारा आपको सदस्य नामित किया गया है। अतः निर्धारित तिथि एवं समय पर पत्रावलियों/अभिलेखों सहित उक्त बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

कर अधीक्षक
नगर निगम देहरादून ।

दिनांक 23/04/2018 को भवन कर दरों के पुर्ननिर्धारण हेतु आहूत बैठक में उपस्थिति —

59

ह०

① अपर नगर आयुक्त महो

② उपनगर आयुक्त महो०

③ सहायक अभियन्ता

④ कर अधीक्षक

⑤ ड्राफ्टसमैन

मा० पार्षद गण (उपस्थिति)

ह०

① श्री सुशील गुप्ता

② श्री विनय कोहली 23-4-18

③ श्रीमती कमली सह

④ श्री भूपेन्द्र कठैत — B Singh

⑤ श्रीमती अमिता सिंह —

4

(60)

विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उक्त चौक का नाम "जसवंत सिंह चौक" रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

8. श्री मनमोहन चमोली, सामाजिक कार्यकर्ता के पत्र जिसमें तुन्तोवाला मार्ग को "शहीद जगदम्बा प्रसाद बडौनी मार्ग" किये जाने हेतु लिखा है, पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
9. टिहरी रिहेबिलिटेशन वैलफेयर सोसाईटी द्वारा टिहरी बांध शहरी विस्थापित क्षेत्र, अजबपुर कलां देहरादून का नाम "टिहरी नगर" रखे जाने हेतु लिखा है, पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
10. वार्ड सं0–51 निकट वाणी विहार (जैन प्लाट में) में नई आवासीय कालोनी के निवासियों द्वारा प्रस्तुत पत्र जिसमें आवासीय कालोनी की समिति द्वारा उक्त आवासीय कालोनी का नाम शिवाजी एनक्लेव रखे जाने हेतु लिखा है, पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उक्त कालोनी का नाम शिवाजी एनक्लेव रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
11. संत शिरोमणी गुरू रविदास जी, क्षेत्रीय महासभा, पो0ओ0 माजरा क्षेत्र देहरादून द्वारा वार्ड–77 माजरा सहारनपुर रोड़ देहरादून स्थित चौक का नाम "संत रविदास चौक" करने हेतु लिखा है, पर विचारोपरान्त सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

तत्पश्चात् मा0 महापौर महोदय द्वारा अपरान्ह 1.00 बजे अधिवेशन समाप्ति की घोषणा की गयी।

(विजय कुमार जोगदण्डे)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

(विमोद चमोली)
महापौर
नगर निगम, देहरादून।

3(24) विद्युत अनुभाग द्वारा विद्युत व्यवस्था की मैन्टेनेंस/मरम्मत हेतु स्काई लिफ्टर के क्रय की स्वीकृति हेतु विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

3(25) विद्युत अनुभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या जिसमें नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रकाश व्यवस्था 100 अतिरिक्त पोलों के क्रय एवं लगाने हेतु मै0 सकलानी इलैक्ट्रिकल वर्क्स से पूर्व स्वीकृत दरों पर स्वीकृति हेतु 14वें वित्त अनुदान के अंतर्गत रू0 2303336.00 (जी0एस0टी0 सहित) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है, की स्वीकृति हेतु विचारोपरान्त सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

3(26) मा0 महापौर महोदय की अनुमति से सदन में नगर निगम क्षेत्रांतर्गत निम्नांकित स्थलों/मार्गो/प्रवेश द्वार आदि से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं पत्र प्रस्तुत किये गये जिनपर सदन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. मा0 विधायक श्री खजान दास जी के पत्र दि0 14.12.17 जिसमें श्रीमती गौरा देवी जी के नाम से एम0डी0डी0ए0 पार्क, विधान सभा भवन के पास वाले पार्क अथवा मयूर विहार स्थित शिक्षा विभाग के सामने वाले खाली प्लाट में से किसी एक का नाम "गौरा देवी स्मृति पार्क" रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया है, पर विचार–विमर्श में कहा गया कि श्रीमती गौरा देवी के नाम से विधान सभा भवन के पास पूर्व से ही "गौरा देवी पार्क" स्थित है।
2. मा0 विधायक श्री हरबंस कपूर जी के पत्र जिसमें स्व0 श्री शिव प्रसाद मिश्रा राही, वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके परिवार के निवास वाली सड़क (गली) 74/जे0–ए पंण्डितवाड़ी फेज–2 का नामकरण उनके नाम पर करने एवं सड़क के शुरू में गेट का निर्माण करने हेतु लिखा है, पर विचारोपरान्त सदन द्वारा सर्वसम्मति से मार्ग का नाम "स्व0 शिव प्रसाद मिश्रा राही मार्ग" रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
3. रैस्ट कैम्प वार्ड–39 मौहल्ला कल्याण समिति के पत्र जिसमें अम्बर होटल पैलेस के पास स्थित चौक का नाम गुरू तेग बहादुर जी के सुपुत्र श्री कल्गीधर के नाम से "कल्गीधर चौक" नाम रखे जाने हेतु लिखा गया है, विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
4. वार्ड–42 के निवासियों द्वारा कारगी चौक के नजदीक वार्ड सं0–42 की गली (मौहल्ला) का नामकरण "संस्कृति एनक्लैव" रखे जाने हेतु लिखा गया है पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
5. वार्ड–39 रैस्ट कैम्प के मा0 पार्षद श्री राजकुमार कक्कड़ के पत्र दि0 03.11.17 जिसमें मौहल्ला कल्याण समिति रैस्ट कैम्प के पत्र दि0 25.10.17 के द्वारा निम्नांकित बस्ती एवं कालोनी के नाम रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया है, पर विचार।

   5(1) नई बस्ती सी–ब्लाक का नाम शहीद भरत सिंह नेगी जी (कारगिल शहीद सैनिक) के नाम पर "भरत नगर" रखे जाने हेतु सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

   5(2) मद्रासी कालोनी का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर "शिवाजी नगर" रखे जाने हेतु सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
6. अभियंत्रण अनुभाग द्वारा बल्लीवाला चौक से पंडितवाड़ी तक कांवली रोड़ मार्ग का नाम "शहीद मेजर विवेक गुप्ता मार्ग" रखे जाने हेतु आख्या एवं शासन के पत्र आदि प्रस्तुत किये गये। सदन द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उक्त मार्ग का नाम "शहीद मेजर विवेक गुप्ता मार्ग" रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
7. इन्द्रानगर कालोनीवासी कैप्टन एस0एस0 रावत, मेजर एम0एस0 नेगी एवं एस0एस0 कठैत के पत्र जिसमें इन्द्रा नगर कालोनी के मध्य चौक जहां से इन्द्रानगर फेज–।। जसवंत नगर प्रारम्भ होता है, का नाम "जसवंत सिंह चौक" रखने हेतु तथा एक मूर्ति एवं साईन बोर्ड लगाने हेतु निवेदन किया गया है, पर

द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2009 के अंतर्गत यूजर चार्जेज अपशिष्ठ उत्पादक की श्रेणी/उपशिष्ट के प्रकार के आधार पर प्रतिमाह निर्धारित किये गये हैं तथा 24 श्रेणियां निर्धारित की गयी है। यूजर चार्जेज की शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्युत प्रयोग करने वाले उपयोगकर्ता जिन्हें प्रतिमाह विद्युत बिल विद्युत विभाग द्वारा दिया जाता है उसको नगर निगम की मांग (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2009 यूजर चार्जेज दरों के अनुसार) बिल में जोड़ते हुए वसूली किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर स्वीकृति हेतु शासन को भेजा जाना स्वीकार किया गया। आवश्यकता होने पर जल संस्थान विभाग के भी बिलों में यूजर चार्जेज जोड़कर वसूली की जा सकती है। सदन द्वारा उक्त का भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजने हेतु निर्णय लिया गया।

3(17) मा0 विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ द्वारा अगवत कराया गया कि एम0डी0डी0ए0 कालोनी डालनवाला में टयूबवैल निर्माण का कार्य किया जाना है जिसे स्वीकृति प्रदान कर दी जाये। मा0 महापौर महोदय द्वारा कहा गया कि बिना नगर निगम की सहमति एवं स्वीकृति के स्थल पर टयूबवैल निर्माण का कार्य जल निगम द्वारा प्रारम्भ कर लिया गया, जबकि अमृत योजना के अन्तर्गत उक्त स्थल पर कोई टयूबवैल स्वीकृत नहीं है। भविष्य में अमृत योजना के कार्यो की स्वीकृति के दौरान स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

3(18) जय मॉ संतोषी वेलफेयर एसोसिएशन टैक्सी यूनियन के पत्र दि0 18.01.18 जिसमें निवेदन किया गया कि धनोल्टी विधान सभा के अंतर्गत जौनपुर थत्यूड़ से प्रतिदिन आने वाले टैक्सी वाहन के लिए देहरादून में स्टैण्ड नहीं है जिससे आम जनमानस को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, पर मा0 महापौर महोदय के निर्देश के क्रम में भूमि अनुभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या जिसमें ग्राम किशनपुर डायवर्जन रोड़ पर पेट्रोल पम्प के साथ खसरा नं0–2ख रकवा 0.4370 है किस्म भूमि बंजर श्रेणी–5.3ड नगर निगम के नाम दर्ज कागजात हैं व उक्त भूमि रिक्त पड़ी है। उक्त भूमि में मुख्य मार्ग से खसरा नं0–2 में जाने वाली सड़क के पश्चिम किनारे में रिक्त पड़ी भूमि पर 20 टैक्सी वाहनों के पार्किंग हेतु भूमि निर्धारित करते हुए उपलब्ध कराने एवं रू0 200/– प्रतिवाहन प्रतिदिन किराया लिये जाने की संस्तुति की गयी है, पर विचारोपरान्त सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

3(19) विभाग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि अमृत योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 17–18 में प्रस्तावित रू0 82.26 करोड़ की स्लिप कार्ययोजना/प्रस्ताव शासन को भेजे गये है का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। मा0 पार्षद श्रीमती अमिता सिंह ने कहा कि उनके द्वारा भी अमृत योजना के प्रस्ताव दिये गये थे, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया जाये। मा0 महापौर महोदय द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। सदन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

3(20) मा0 पार्षदगणों द्वारा अपने वार्डो में वार्डवार रू0 15.00 लाख की धनराशि की सीमा तक के निर्माण/विकास कार्य और कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु कहा गया। सदन द्वारा उक्त की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3(21) मा0 पार्षद श्री विनय कोहली द्वारा सदन में रायपुर रोड़ चूना भट्टा के पास नगर निगम की भूमि पर बाउण्ड्री वाल/अवैध कब्जे के सम्बन्ध में प्रकरण संज्ञान में लाया गया। मा0 महापौर महोदय ने सम्बन्धित शिकायत पर नायब तहसीलदार को जांच कर तीन दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये।

3(22) मा0 पार्षद श्री सतीश कश्यप ने कहा कि ब्रहमपुरी में नगर निगम द्वारा निर्मित फ्लैटों के आवंटन की कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिए। मा0 महापौर महोदय ने सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने हेतु निर्देश दिये।

3(23) स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा नगर क्षेत्र विस्तारीकरण के फलस्वरूप सफाई व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार कम्पैक्टर एवं बिन की आपूर्ति हेतु विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

(63)

	पैमाईश करने पर 298.47 वर्गमीटर भूमि पायी गयी है, जिसे वर्ष 1992 के सर्किल रेट पर फ्री–होल्ड करने एवं रजिस्ट्री करने के सम्बन्ध में विषय नगर निगम बोर्ड व शासन के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है, पर विचार।	
3(10)	मा0 पार्षद श्री भूपेन्द्र कठैत द्वारा अवगत कराया गया है कि राजपुर रोड़ पर पानी की टंकी के पास पूर्व में लीज पर दी गयी भूमि किसी के द्वारा विक्रय की जा रही है, जिसकी जांच करायी जाये।	मा0 महापौर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त भूमि तत्कालीन बोर्ड द्वारा लीज पर दी गयी होगी। भूमि अनुभाग जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3(11)	विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास 2022, सभी घटकों में रू0 299.02 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृतार्थ सदन में प्रस्तुत की गयी।	विचारोपरान्त सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

3(12) मा0 पार्षद श्री विनय कोहली द्वारा माधोराम क्वार्टर, रायपुर रोड़ परिसर में स्थित क्वार्टरों को फ्रीहोल्ड करने के सम्बन्ध में मा0 महापौर महोदय की अनुमति से प्रकरण पर सदन में चर्चा की गयी। सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाये।

3(13) अमृत योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो के सम्बन्ध में सदन में चर्चा हुयी। मा0 पार्षदगणों ने कहा कि जल निगम के कार्यो की गुणवत्ता के सम्बन्ध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इसलिए थर्ड पार्टी से जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये। सदन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

3(14) भवन कर की रिपोर्ट के क्रम में मा0 महापौर महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वित्तीय वर्ष भवन कर की आय लगभग रू0 12 करोड़ 55 लाख थी जो इस वित्तीय वर्ष में लगभग रू0 18.50 करोड़ हो चुकी है तथा रू0 10 करोड़ की डिमाण्ड अवशेष है। इस प्रकार लगभग रू0 28 करोड़ का राजस्व नगर निगम को प्राप्त होगा तथा अगले वित्तीय वर्ष में यह आय रू0 40 करोड़ तक पहुँच जायेगी। मा0 महापौर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि स्वकर निर्धारण नियमावली के अन्तर्गत 04 वर्ष के उपरान्त नई दरों का निर्धारण किया जाना है। पूर्व में निर्धारित दरों में कुछ क्षेत्रों में विरोधाभास पाया गया था इसलिए दरों के निर्धारण हेतु अधिकारियों के साथ–साथ मा0 सभासदों की विधान सभावार एक समिति गठित की जाती है, जो अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगी। समिति में मा0 पार्षद श्री सुशील गुप्ता, श्री भूपेन्द्र कठैत, श्रीमती अमिता सिंह, श्री विनय कोहली एवं श्रीमती कमली भट्ट को सदस्य नामित किया गया। सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

3(15) मा0 महापौर महोदय की अनुमति से विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसमें संशोधित सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के नियम–7 में सम्पत्ति कर के जी0आई0एस0 आधारित सर्वेक्षण को प्राथमिकता प्रदान करने के सम्बन्ध में उपबंध दिये गये हैं, के अनुसार नगर निगम देहरादून में जी0आई0एस0 आधारित सम्पत्ति कर एवं मल्टीपर्पज हाउस होल्ड सर्वे टैक्नीकल हैडहोल्डिंग के सहयोग से मूल्यांकन डिजाईन एवं टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

3(16) विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसमें नगर निगम देहरादून नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2009 के अंतर्गत यूजर चार्जेज (सेवा शुल्क) की वसूली विद्युत विभाग/अन्य विभाग से विद्युत बिल/जल के बिल आदि के साथ लिये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है। संज्ञान में लाया गया कि नगर निगम

	है। प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये जिसमें सरकार/मा0 मंत्रीमण्डल/मा0 विधायकों को भी सम्मान एवं धन्यवाद प्रेषित किया जाये।	गये।
3(5)	स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा नगर निगम के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रिहैबिलेट, अपग्रेड, ऑपरेट, मैनेज एवं ट्रांसफर (RUOMT) पर चेन्नई एम0एस0डबलू प्रा0लि0 (L_1) के अनुमोदन हेतु विभागीय संस्तुति पर विचार।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। कन्सेशन एग्रीमेंट हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया।
3(6)	विभाग द्वारा सदन में अवगत कराया गया कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में कूड़ा नियंत्रण हेतु कूड़ा ढलाव (ट्रांसफर यार्ड) बी0ओ0टी0 के आधार पर बनाने हेतु निविदा स्वीकृत की गयी थी जिसमें सम्बन्धित फर्म द्वारा 32 चिन्हित स्थलों में से मात्र एक ही स्थल पर ढलाव का निर्माण किया गया किन्तु उसका समुचित उपयोग जनहित में नहीं हो पा रहा है जिस कारण उक्त ढलाव को भी ध्वस्त किये जाने का निर्णय लिया गया था व अन्य 31 चिन्हित स्थलों पर निर्माण के दौरान विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया। उक्त निविदा निरस्त करने एवं पैसेफिक हिल एपार्टमेंट मसूरी डायवर्जन रोड़ पर निर्मित एक ढलाव को ध्वस्त करने सम्बन्धी विभागीय संस्तुति पर विचार।	सदन द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निविदा निरस्त करने तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा जमा करायी गयी धनराशि रू0 14.40 लाख वापस किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
3(7)	मा0 पार्षद श्रीमती अनीता देवी ने कहा कि सहारनपुर रोड़ लाल पुल पर निर्मित रैन बसेरा के कोने पर बागडिये रह रहे है उनकी अन्यत्र व्यवस्था करायी जाये।	मा0 महापौर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में पूर्व में भी भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिये गये थे। सम्बन्धित अधिकारियों को पुनः निर्देश दिये गये कि भूमि चिन्हित कर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3(8)	मा0 पार्षद श्री सतीश कश्यप द्वारा मा0 महापौर महोदय की अनुमति से ब्रहमपुरी में निर्मित 56 फ्लैट के आबंटन हेतु विषय सदन के समक्ष रखा गया।	निर्णय लिया गया कि शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा जाये।
3(9)	भूमि अनुभाग की आख्या दि0 28.02.18 जिसमें मौ0 शाहिद पुत्र श्री हाजी तौफिक अहमद, 6 नया नगर देहरादून के प्रार्थना पत्र दि0 22.03.18 के द्वारा भण्डारी बाग में नगर निगम स्लाटर हाउस के पास आबंटित भूमि को फ्री–होल्ड किये जाने के अनुरोध के क्रम में श्री शाहिद को पूर्व में नगर पालिका द्वारा 188.12 वर्गमीटर भूमि लीज पर आबंटित की गयी थी। वर्तमान समय पर	सर्वसम्मति से स्वीकृति हेतु शासन को भेजने हेतु निर्णय लिया गया।

	प्लान संलग्न किया गया है, के क्रम में स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु विचार।	
3(2)	सदन में चर्चा में अवगत कराया गया कि पूर्व में नगर निगम द्वारा आबंटित दुकानों को धर्मपुर क्षेत्र में फ्री–होल्ड किया गया था किन्तु धर्मपुर में अग्रवाल बेकर्स के सामने स्थित नगर निगम की कुछ दुकानें फ्री–होल्ड नहीं हो पायी हैं।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी तथा प्रकरण शासन को भेजने हेतु निर्देश दिये गये।
3(3)	अमृत मिशन के अन्तर्गत स्टार्म वाटर ड्रेनेज सम्बन्धित घटक में देहरादून अनुराग नर्सरी कांवली रोड़ ड्रेनेज पाईप लाईन का कार्य वर्ष 2015–16 में स्वीकृत योजना के कार्य स्थल पर विवाद होने के कारण उक्त योजना निरस्त किये जाने तथा पानी के बहाव को प्राकृतिक बहाव के अनुरूप निर्माण की अनुमति पर विचार।	अमृत मिशन के अन्तर्गत जल निगम द्वारा प्रस्तावित स्टार्म वाटर ड्रेनेज सम्बन्धित घटक में देहरादून अनुराग नर्सरी कांवली रोड़ ड्रेनेज पाईप लाईन का कार्य रू0 48 लाख की स्वीकृत हुई जिसमें जल निगम द्वारा प्राकृतिक बहाव के अनुरूप नाले का निर्माण प्रस्तावित नही किया गया था जिस पर सम्बन्धित क्षेत्र के मा0 विधायक एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा प्राकृतिक बहाव के विपरीत नाला निर्माण किये जाने पर आपत्ति/विरोध किया गया तथा यह कहा गया कि प्राकृतिक बहाव के विपरीत नाला निर्माण किये जाने पर जल–भराव की स्थिति उत्पन्न होगी एवं यह सुझाव दिया गया कि प्राकृतिक बहाव के अनुसार नाला निर्माण किया जाए, जिसके क्रम में मा0 महापौर महोदय द्वारा पत्रांक 574/मे0का0/17 दिनांक 04.09.17 द्वारा यह स्पष्ट करते हुए कि योजना स्थल पर विवाद होने के कारण योजना को निरस्त करने की संस्तुति की गयी। उक्त के परिपेक्ष में निगम अधिवेशन में विचारोपरान्त पूर्व में स्वीकृतस्टॉम वाटर ड्रेनेज सम्बन्धित घटक में देहरादून अनुराग नर्सरी कांवली रोड़ ड्रेनेज पाईप लाईन के कार्य को निरस्त करने एवं उक्त स्थल पर पानी निकासी की व्यवस्था पूर्व में नाले के प्राकृतिक बहाव से अनुरूप नाला निर्माण करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया।
3(4)	मा0 महापौर महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी है कि नव सम्मिलित क्षेत्रों में आगामी 10 वर्षों तक भवन कर में छूट रहेगी, जिसका सदन सम्मान करता है तथा सरकार का धन्यवाद करता	सदन द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा नगर निगम में नव सम्मिलित बाह्य क्षेत्रों में भवन एवं सम्पत्ति कर आगामी 10 वर्ष तक न लगाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी तथा प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु निर्देश दिये

(66)

मा0 महापौर महोदय की अनुमति से सदन की कार्यवाही पूर्वान्ह 11.30 बजे प्रारम्भ की गयी। मा0 महापौर श्री विनोद चमोली द्वारा सदन में उपस्थित रायपुर विधान सभा क्षेत्र के मा0 विधायक श्री उमेश शर्मा (काऊ) एवं सभी मा0 पार्षदों का स्वागत किया गया। मा0 महापौर महोदय ने अपने सम्बोधन में कहा कि पार्षदों एवं अधिकारियों की इच्छा थी कि नवनिर्मित सभागार में नगर निगम अधिवेशन आहूत किया जाये, सभी की भावनाओं के अनुरूप आज हम सभी इस नवनिर्वाचित सभाकक्ष में उपस्थित है। इस नये सभागार में नये माहौल के अन्तर्गत मैं समस्त मा0 विधायकगणों, पार्षदगणों एवं अधिकारियों का विगत 10 साल के कार्यकाल के दौरान जनहित एवं नगर हित के कार्यो में सहयोग करने एवं सम्मान देने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। सम्भवतः यह नगर निगम बोर्ड की अन्तिम बैठक होगी, मैं सभी का पुनः हृदय की गहराईयों से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों के सहयोग से ही हम शहर में विकास एवं जन सुविधा के कार्य एवं कई बड़ी योजनाएं सम्पादित करा पाये हैं।

तदोपरान्त मा0 महापौर महोदय द्वारा अधिवेशन की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। नगर आयुक्त श्री विजय कुमार जोगदण्डे द्वारा मा0 महापौर महोदय, मा0 विधायक रायपुर श्री उमेश शर्मा काऊ एवं मा0 पार्षदगणों का सदन में स्वागत किया गया तथा निगम अधिवेशन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। एजेण्डा बिन्दु–1 पर गत अधिवेशन की कार्यवाही की पुष्टि हेतु सदन में पढ़ा गया। मा0 विधायक रायपुर श्री उमेश शर्मा ने कहा कि पूर्व कार्यवाही के अन्तर्गत डॉ0 विजेन्द्र पाल द्वारा उठाये गये बिन्दु के क्रम में भविष्य में यदि कोई अनियमितता आती है, तो पार्षद भागीदार नहीं होने चाहिए क्योंकि पार्षद आगे चुनाव लड़ने जा रहे हैं।

मा0 महापौर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि नगर निगम द्वारा मलिन बस्तियों में करारोपण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है तदोपरान्त सर्वसम्मति से सदन द्वारा विगत निगम अधिवेशन की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

प्र0सं0–1	गत नगर निगम अधिवेशन की कार्यवाही की पुष्टि।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।
प्र0सं0–2	मा0 महापौर द्वारा निगम की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदत्त स्वीकृतियों का अनुमोदन प्रदान करना।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से मा0 महापौर महोदय द्वारा प्रदत्त समस्त स्वीकृतियों का अनुमोदन प्रदान किया गया।
प्र0सं0–3	नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–91 के अन्तर्गत प्राप्त पत्र/प्रस्तुत विषय जो मा0 महापौर महोदय की अनुमति से सदन में प्रस्तुत किये गये, पर सदन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–	
3(1)	मा0 महापौर महोदय की अनुमति से महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल हास्पिटल एवं एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा अस्पताल निर्माण हेतु 2 बीघा भूमि आबंटित किये जाने के अनुरोध के क्रम में भूमि अनुभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या जिसमें ग्राम इंदरपुर में अखिल गढ़वाल सभा को आबंटित भूमि के पश्चिम दिशा में खसरा नं0–38 मि0 में 1279.37 वर्गमी0 भूमि रिक्त पड़ी है जो राजस्व अभिलेखों में बंजर श्रेणी के रूप में अंकित है। उक्त भूमि को नगर निगम बोर्ड/शासन की अनुमति के उपरान्त महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल हास्पिटल एवं एजुकेशनल ट्रस्ट को अस्पताल के निर्माण हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है एवं भूमि का साईट	सदन द्वारा सर्वसम्मति से निःशुल्क 1279.37 वर्गमी0 भूमि दिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी तथा प्रकरण शासन को स्वीकृति हेतु भेजने के निर्देश दिये गये।

(67)

नगर निगम अधिवेशन जो मा0 महापौर महोदय, श्री विनोद चमोली जी की अध्यक्षता में दिनांक 05.04.18 को सम्पन्न हुआ, का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. श्री उमेश शर्मा, मा0 विधायक, पदेन सदस्य
2. श्रीमती रोशन बाला, मा0 पार्षद
3. श्रीमती नीतू वाल्मीकि, मा0 पार्षद
4. श्रीमती दया जोशी, मा0 पार्षद
5. श्री भूपेन्द्र सिंह कठैत, मा0 पार्षद
6. श्रीमती उषा, मा0 पार्षद
7. श्रीमती रानी कौर, मा0 पार्षद
8. श्री विनय कोहली, मा0 पार्षद
9. श्री अजय सोनकर, मा0 पार्षद
10. श्रीमती सविता ओबराय, मा0 पार्षद
11. श्री विपिन कुमार चंचल, मा0 पार्षद
12. श्रीमती तृप्ता जाटव, मा0 पार्षद
13. श्री राकेश मंजखोला, मा0 पार्षद
14. श्री संजीव कुमार मलहोत्रा, मा0 पार्षद
15. श्रीमती कमली भट्ट, मा0 पार्षद
16. श्रीमती वर्षा बड़ोनी, मा0 पार्षद
17. श्री सुशील कुमार, मा0 पार्षद
18. श्रीमती बीना उनियाल, मा0 पार्षद
19. श्रीमती नीरू भट्ट, मा0 पार्षद
20. श्री मनमोहन धनई, मा0 पार्षद
21. श्रीमती सोनू उनियाल, मा0 पार्षद
22. श्री राजकुमार कक्कड़, मा0 पार्षद
23. श्री सुशील कुमार गुप्ता, मा0 पार्षद
24. श्रीमती अमिता देवी, मा0 पार्षद
25. श्री महिपाल धीमान, मा0 पार्षद
26. श्री सतीश कश्यप, मा0 पार्षद
27. श्री नीरज सेठी, मा0 पार्षद
28. श्रीमती गुलिस्ता अंसारी, मा0 पार्षद
29. श्रीमती मीरा कठैत, मा0 पार्षद
30. श्री अंजू बिष्ट, मा0 पार्षद
31. श्रीमती अमिता सिंह, मा0 पार्षद
32. श्रीमती अनिता सिंह, मा0 पार्षद
33. श्रीमती नेहा गुप्ता, मा0 पार्षद
34. श्रीमती शारदा गुप्ता, मा0 पार्षद

	नगर	द0में– यमुना कालोनी बाउण्डी छोटी बिन्दाल का सत्यविहार की सड़क पू0में– छोटी बिन्दाल आशिंक प0में– विजय पार्क सड़क तथा शांति विहार से विजय पार्क एक्सटेंशन को मिलाने वाली सड़क	देवसुमन नगर, मलिन बस्ती, आदर्श विहार महेन्द्र विहार दीपलोक मित्रलोक शांति नगर (आंशिक)	
59	बल्लूपुर	उ0में– कौलागढ़ रोड द0में– चकरौता रोड पू0में– कौलागढ़ चकरौता रोड जक्शन प0में– एफ0आर0आई0 बाउण्ड्री	कौलागढ़ रोड, राजेन्द्र नगर वी ब्लॉक, आनन्द विहार, नरेन्द्र विहार, गांधी नगर, कैलाशपुरी अल्कापुरी, रामहिवार वनस्थली	अनारक्षित
60	कौलागढ़	उ0में– कैन्ट सीमा द0में– एफ0आर0आई0 बाउण्डी पू0में– राजेन्द्र नगर के पास कैनाल रोड प0में– टौन्स नदी	बजावाला, प्रेमपुर माफी, कोलौगढ़ शान्ति विहार, सायल कन्जर्वेशन कालोनी,	अनारक्षित

आज्ञा से,

शत्रुघ्न सिंह
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 39 आ0 श0 वि0 / 503–2007–100+200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

		पू0में– बिन्दाल नदी एवं क्लेमनटाउन कैन्ट सीमा प0में– सहारनपुर रोड एवं ग्राम सेवला खुर्द की सीमा	भट्टा, गुप्ता स्टोर	
48	इन्द्रापुरम	उ0में– इंजीनियर एन्कलेव की मुख्य सड़क तथा मिलन विहार से लालपुल को जाने वाली सड़क द0में– जी0एम0एस0 रोड व सेवला कलां रोड पू0में– सहारनपुर रोड, कैनाल रोड प0में– नगर निगम निरंजनपुर ग्राम की सीमा तथा इन्दिरा नगर	शास्त्री नगर, इंजीनियर एन्कलेव आंशिक, निरंजपुर, नया पुरवा, मिलन विहार, इन्दिरा पुरम, केशव विहार	पिछड़ी जाति (महिला)
49	द्रोणपुरी	उ0में– कांवली रोड द0में– मिलन विहार रोड, न्यू पटेल नगर से होकर लाल पुल तक पू0में– बिन्दाल नदी प0में– जी0एम0एस0 रोड	द्रोणपुरी, अंकितपुरम, काली मंदिर, दत्ता एन्कलेव, चन्द्र शेखर आजाद नगर, न्यू पटेलनगर	अनारक्षित
50	कांवली	उ0में–कांवली रोड द0में– इंजीनियर एन्कलेव की मुख्य सड़क पू0में– जी0एम0एस0 रोड प0में– अनुराग नर्सरी से शास्त्री नगर को जाने वाला नाला	कांवली गांव, कालिन्दी एन्कलेव, गंगा विहार, उत्सव विहार, अरावली एन्कलेव, ब्योमप्रस्थ, इंजीनियर एन्कलेव आंशिक, शास्त्री नगर आंशिक	महिला
51	इन्द्रा नगर	उ0में– कांवली रोड, बसंत विहार एवं इन्द्रा नगर कालोनी की सड़क द0में– आई0टी0बी0सी0 पू0में– शास्त्री नगर तथा नाला प0में– नगर निगम सीमा	इन्दिरा नगर कालोनी, जल निगम कालोनी, संचार कालोनी	अनारक्षित
52	बसन्त बिहार	उ0में– चकरौता रोड, एफ0आर0आई0 द0में– बसंत विहार व इन्दिरा कालोनी के बीच की सड़क पू0में– महारानी बाग रोड व इन्दिरा कालानी व बसंत विहार के बीच की सड़क प0में– आई0एम0ए0 की बाउण्ड्री	बसंत विहार, बसंत विहार एन्कलेव आर्शीवाद एन्कलेव महारानी बाग, मूड़गांव, पंडित वाड़ी	अनारक्षित
53	मोहित नगर	उ0में– चकरौता रोड द0में– कांवली रोड पू0में– विजय पार्क एक्टसटेंशन रोडे प0में– महारानी बाग रोड	विजय पार्क, विजय पार्क एक्टसटेंशन विवेक विहार न्यू कालोनी मोहित नगर, नेहरू एन्कलेव	महिला

54	पटेल नगर (पश्चिम)	उ0में– सरस्वती सोनी मार्ग द0में– लालपुल पू0में– सहारनपुर रोड प0में– सरस्तवी सोनी मार्ग से ढाल होते हुए गुरू रोड पुरानी चुंगी तक तत्पश्चात् गुरू रोड होते हुए पार्क रोड की अगली सड़क तक, तत्पश्चात् हिन्दुस्तान बल्ब फैक्ट्री के पास गांधी ग्राम होते हुए बिन्दाल नदी तक पुनः बिन्दाल नदी के साथ–साथ लालपुल तक	पश्चिमी पटेल नगर मलिन बस्ती पटेल नगर, संजय कालोनी, गुरू रोड, पार्क रोड, नेशनल रोड, केशव रोड	अनारक्षित
	गांधी ग्राम	उ0में– नेहरू पुरम व श्री हरिसिंह की दुकान वाली गली द0में– पूर्व पार्षद श्री जयपाल के आगे वाली सड़क व संजय कॉलोनी की सड़क पू0में– सरस्वती सोनी मार्ग के ढाल वाली सड़क, पार्क रोड पुरानी चुंगी तक पार्क रोड पूर्व की ओर अगली सड़क प0में– बिन्दाल नदी	गांधी ग्राम, गुरू रोड आंशिक, महिला आश्रम	पिछड़ी जाति
	यमुना कालोनी	उ0में– चकरौता रोड द0में– यमुना कालोनी बाउण्डी एवं ईदगाह से यमुना कालोनी गेट को जाने वाली सड़क पू0में– यमुना कालोनी की बाउण्डी, चकरौता रोड से कुम्हार मण्डी ईदगाह को जाने वाली सड़क प0में– छोटी बिन्दाल आंशिक एवं यमुना कॉलोनी की बाउण्डी	यमुना कालोनी, सैयद मौहल्ला, कुम्हार मण्डी, पी0डब्लू0 डी0 क्वार्टर	अनारक्षित
57	गोविन्दगढ़	उ0में– चकरौता रोड एवं बिन्दाला खाला द0में– कांवली रोड पू0में– बिन्दाल नदी प0में– विजय पार्क एक्सटेंशन वाली सड़क, बिन्दाल नदी से शांति विहार होकर विजय एक्सटेंशन तक सड़क	गोविन्द गढ़, प्रकाश नगर, आजार कालोनी, बैंक कालोनी, टीचर्स कालोनी, पी0एण्ड टी0 कालोनी, शांति विहार आंशिक, राजीव नगर, श्रीरामपुरम कालोनी, विजय पार्क एक्सटेंशन गायत्री विहार	अनारक्षित
58	श्रीदेव सुमन	उ0में–चकरौता रोड	सत्य विहार, हेमकुंज श्री	महिला

		पू0में– रिस्पना नदी तथा नेहरू कालोनी सी0 ब्लौक की मुख्य सड़क, प0में– धर्मपुर नेयी बस्ती नाला,	कालोनी ए0बी0सी0एंव आई0 ब्लौक,	
35	दीप नगर	उ0में– हरिद्वार बाईपास रोड़ तथा रेलवे कासिंग से रिस्पना नदी तक रेलवे लाईन, द0में– अजबपुर एंव केदारपुर में नगर निगम की सीमा, पू0में– रिस्पना नदी, प0में– सरस्वती विहार नाला,	कदारपुर, अजबपुर खुर्द आंशिक, दीप नगर बंगाली कोठी, टी0एच0डी0सी0 कालोनी,	महिला
36	अजबपुर	उ0में– हरिद्वार रोड़, द0में– हरिद्वार बाईपास रोड़ तथा रेलवे कासिंग से रिस्पना नदी तक रेलवे लाईन, पू0में– रिस्पना नदी, प0में– मोथरावाला रोड़,	अजबपुर गांव, आदर्श विहार,पुष्प विहार, प्रगति विहार, चन्द्रसिंह गढ़वाली मार्ग,विष्णुपुरी कुम्हार मौ0,बैंक कालोनी,	अनारक्षित
37	माता मन्दिर रोड़	उ0में– रेसकोर्स रोड़, द0में– हरिद्वार बाईपास रोड़, पू0में– मोथरावाला रोड़, प0में– रेसकोर्स बी0 ब्लाक नाला	सुमन नगर, माता मन्दिर रोड,,अजबपुर ग्राम, हरिजन बस्ती,सरस्वती विहार,	अनारक्षित
38	रेस कोर्स(दक्षिण)	उ0में– धर्मपुर कैनाल रोड द0में– बी0 ब्लॉक सी0 ब्लाक के नाले व रेलवे लाईन का जक्शन पू0में– ए0 व बी0 ब्लॉक नाला प0में– सी0 ब्लॉक के पास पुलिस लाईन की बाउण्ड्री	रेसकोर्स मलिन बस्ती ए ब्लॉक,बी ब्लॉक तथा पुलिस लाईन आफिसर्स कालोनी रेसकोर्स कालोनी	अनारक्षित
39	रैस्ट कैम्प	उ0में– गांधी रोड व कैनाल रोड द0में– नाला जक्शन सी ब्लॉक एवं रेलवे लाईन पू0में– चन्द्र नगर रोड एवं सी ब्लॉक पर पुलिस लाईन की बाउण्डरी प0में–रेलवे लाईन	त्यागी रोड, रेस्टकैम्प, लोहियापुरम, मद्रासी कालोनी, रेसकोर्स सी ब्लॉक, रेलवे कालोनी, आई0डी0एच0 कालोनी	अनारक्षित
40	रीठा मण्डी	उ0में– लक्कड मण्डी रोड द0में– रीठा मण्डी भण्डारी बाग को मिलाने वाली सड़क तथा रीठा मण्डी सड़क व नहर का क्रासिंग पू0में– रेलवे लाईन प0में–नाला एवं भण्डारी बाग की सड़क जो श्री राकेश मोहन गुप्ता के	मुस्लिम कालोनी, बन्दर वाली गली, रीठामण्डी, (आंशिक) रेलवे क्वार्टर	पिछड़ी जाति

		मकान के सामने से निकलती है।		
41	लक्खी बाग	उ0में– गांधी रोड़, कावली रोड द0में– भण्डारी बाग रोड पू0में– श्री राकेश मोहन गुप्ता के सामने वाली सड़क तथा मुस्लिम कालोनी नाला एवं रेलवे लाईन प0में– सहारनपुर रोड एवं इन्द्रेश नगर नाला	लक्खीबाग, खदरी मौहल्ला, रामनगर लक्कड मण्डी, दरभंगा कालोनी, भण्डारी बाग ब्लॉक 3	अनारक्षित
42	कारगी	उ0में– रेलवे लाईन एवं रीठा मण्डी रोड द0में– कारगी से नगर निगम की सीमा, पू0में– नाला रेसकोर्स सरस्वती विहार से निकलने वाला प0में– श्रीराम स्कूल से रीठा मण्डी को मिलाने वाली सड़क पथरी बाग रोड, नाला तथा बिन्दाल नदी	रीठा मण्डी, सिंघल मण्डी, पथरी बाग, विद्या विहार, टी0एच0डी0सी0 कालोनी तथा कारगी गांव	पिछड़ी जाति
43	पटेल नगर(पूरब)	उ0में– उत्तर में भण्डारी बाग रोड द0में– पथरी बाग से पटेल नगर को जाने वाली सड़क, नाला एवं बिन्दाल नदी पू0में– पथरी बाग रोड प0में– सहारनपुर रोड	भण्डारी बाग ब्लॉक 1 एवं 2 पथरी बाग (आंशिक) पूर्वी पटेलनगर, सहारनपुर रोड	पिछड़ी जाति (महिला)
44	चमनपुरी	उ0में– लालपुल द0में– इन्दिरा गांधी मार्ग एवं महबूब कालोनी गली पू0में– बिन्दाल नदी प0में– सहारनपुर रोड	ब्लमपुरी, ग्रीनपार्क, इन्दिरा गांधी मार्ग, लोहिया कालोनी, महबूब कालोनी, चमनपुरी	पिछड़ी जाति
45	निरंजनपुर	उ0में– जी0एम0एस0 रोड द0में– जुयाल मार्ग व सेवला रोड पू0में– महबूब नगर प0में– जी0एम0एस0 रोड (कैनाल रोड)	इन्दिरा गांधी मार्ग, कश्मीरी कालोनी, अशोक इन्कलेव नेहरू विहार चमन विहार	अनारक्षित
46	माजरा	उ0में– ब्राहमण वाला सड़क, महबूब कालोनी गली एवं सेवला रोड द0में– सहारनपुर–हरिद्वार बाईपास एवं सेवला खुर्द की सड़क पू0में– बिन्दाल नदी प0में– सेवला कलां से नगर निगम की सीमा तक	ब्राहमणवाला, माजरा, शक्ति कालोनी, बैंक कालोनी,	पिछड़ी जाति
47	टर्नर रोड़	उ0में– सहारनपुर–हरिद्वार बाईपास रोड द0में– नगर निगम की सीमा	आजाद कालोनी, मन्दिर मार्ग, टर्नर रोड, ओगल	अनारक्षित

		से एम0डी0डी0ए0 कालोनी से जाने वाली सड़क,तथा गांधी ग्राम से हरीसिंह की दुकान से नदी तक जाने वाली गली, पू0में– कांवली रोड़ खाला तथा सहारनपुर रोड़, प0में– बिन्दाल नदी,	सरस्वती सोनी मार्ग, केशव रोड़, गांधी ग्राम, तथा नेहरू पुरम,	
23	धामावाला	उ0में– अमृतकौर रोड़ एवं सिन्धी हलवाई की दुकान, सरदीमल्ल बाजार, द0में– गांधी रोड़ एंव आर्य समाज रोड़, पू0में– गांधी रोड़, प0में– मोती बाजार रोड़ एंव पल्टन बाजार रोड़,	धामावाला, राजारोड़, दर्शनीगेट, इनामुल्ला बिल्डिंग, डिस्पेंसरी रोड़, पल्टन बाजार, नहर वाली गली, मोती बाजार आंशिक,	महिला
24	झण्डा मौहल्ला	उ0में– मोती बाजार चौक से सीढ़ियां होते हुये मन्नूगंज चौक तक सड़क एंव आर्य समाज रोड़, द0में– गांधी रोड़ एंव कांवली रोड़, पू0में– मोती बाजार रोड़, पल्टन बाजार रोड़, प0में– मन्नूगंज एंव खुड़बुड़ा खाला,	झण्डा मोहल्ला, मालियान मौहल्ला, दर्शनी गेट, पीपलमण्डी, आखाड़ा मौहल्ला, माती बाजार,मन्नूगंज आंशिक,	अनारक्षित
25	डालनवाला (उत्तर)	उ0में– रायपुर रोड़, द0में– इन्दर रोड़, पू0में– रिस्पना नदी तथा लक्ष्मी रोड़, प0में– ई0सी0रोड़,	रायपुर रोड़, कर्जन रोड़, चन्दर रोड़ मलिन बस्ती, ई0सी0रोड़ सर्वे क्वार्टरस, सरकुलर रोड़, इन्दर रोड़, लक्ष्मी रोड़,	महिला
26	डालनवाला (पूरब)	उ0में– सरमुलर रोड़ से रिस्पना नदी पर बने पुल पर जाने वाली सड़क, द0में– धर्मपुर कैनाल रोड़, बलबीर रोड़ आंशिक, मोहिनी रोड़, पू0में– रिस्पना नदी, प0में– लक्ष्मीरोड़, नया गांव रोड़, बलबीर रोड़ नयी बस्ती की ढ़ांग,	ब्लबीर रोड़ नयी बस्ती, संजय कालोनी, प्रीतम रोड़ नयी बस्ती, पूरन बस्ती, इन्दर रोड़ नयी बस्ती, गांधी बस्ती, चन्दर रोड़ गैस गोदाम के पीछे की बस्ती, चन्दर रोड़ से मोहिनी रोड़ तक सड़कें आंशिक,	अनु0जाति महिला
27	डालनवाला (दक्षिण)	उ0में– इन्दर रोड़,माहिनीरोड़, बलबीर रोड़, द0में– धर्मपुर कैनाल रोड़, पू0में– लक्ष्मी रोड़, नया गांव रोड़ तथा बलबीर रोड़ से धर्मपुर कैनाल	इन्दर रोड़,प्रीतम रोड़, मोहिनी रोड़, बलबीर रोड़, तेग बहादुर रोड़, कर्जन रोड़, सरकुलर रोड़, नया गांव, माडल कालोनी,	अनारक्षित

		तक नयी बस्ती की ढांग, प0में– ई0सी0रोड़, हरिद्वार रोड़,		
28	अधोईवाला (उत्तर)	उ0में– सहत्रधारा रोड पर मयूर बिहार पुल तथा नालापानी रोड़, द0में– रायपुर रोड़, पू0में– मयूर विहार से रायपुर रोड़ तक का नाला,, प0में– सहत्रधारा रोड़ एंव रिस्पना नदी,	सहत्रधारा रोड़, सुमन पुरी, अधोई वाला ग्राम, बैंक कालोनी, केवल विहार, भेलाराम कालोनी,विकास लेन, प्रगति विहार,	महिला
29	अधोईवाला (दक्षिण)	उ0में– रायपुर रोड़, द0में– रिस्पना एंव तपोवन नदी का जंक्शन, पू0में– डील, शान्ति विहार, तथा तपोवन नदी, प0में– रिस्पना नदी,	अधोईवाला, आजाद नगर, आदर्श विहार आर0के0पुरम ई0डी0डी0ए0कालोनी,	अनारक्षित
30	भगत सिंह कालोनी	उ0में– नगर निगम की सीमा,, द0में– मोहिनी रोड़ रैफल होम की बाउण्ड्री, पू0में– नगर निगम की सीमा तथा खाला, प0में– अधाई वाला दक्षिण वार्ड की सीमा तथा रिस्पना नदी,	भगत सिंह कालेनी, वाणी विहार, शान्ति विहार,	महिला
31	राजीव नगर	उ0में– मोहिनी रोड़ रैफल होम की बाउण्ड्री, द0में– रेलवे लाईन, पू0में– नगर निगम की सीमा पर खाला, प0में– रिस्पना नदी, तथा विधान सभा मार्ग रेलवे लाईन तक,	बदीश कालोनी, अपर राजीव नगर, राजीव नगर, दिव्या विहार, शान्ति विहार, हरिद्वार रोड़, शास्त्री नगर शाह नगर, डिफेन्स कालोनी आंशिक,	अनारक्षित
32	डिफेन्स कालोनी	उ0में– रेलवे लाईन तथा हरिद्वार रोड़, द0में– इन्दरपुर नाला, पू0में– शास्त्री नगर नाला एंव विधान सभा मार्ग, प0में– रिस्पना नदी,	डिफेन्स कालोनी, टी0एच0डी0सी0 क्वार्टरस, इन्दर पुर, केदार पुरम,शिवलोक कालोनी, शिवनगर, गोरखपुर गांव,	अनारक्षित
33	नेहरू कालोनी	उ0में– आई ब्लाक रोड़, द0में– हरिद्वार रोड़, पू0में– रिस्पना नदी, प0में– नेहरू कालोनी सी0ब्लौक के सामने मुख्य सड़क,	नहरू कालोनी डी0ई0 एफ0जी0एच0 रिस्पना नगर संचार विहार निर्माण विहार,	महिला
34	धर्मपुर	उ0में– कैनाल रोड़, द0में– हरिद्वार रोड़, रेसकोर्स रोड़	धर्मपुर नयी बस्ती, धर्मपुर, पुरानी नेहरू कालोनी, नेहरू	अनारक्षित

		प०में– चुक्खू वाला खाला,	रोड़, सुभाष रोड़, राजपुर रोड़, ऐस्टलेहाल, ईशकृपा रोड़,	
13	चुक्खुवाला	उ०में– नेशविला रोड़, द०में– चकराता रोड़, पू०में– ओमकार रोड़ एंव कुम्हार मौ०सड़क कृष्णा टाकीज तक, प०में– खाला,	चुक्खूवाला, नेशविलारोड़ आ० टैगौर विला, कुम्हार मौ०, ओल्ड कनाट प्लेस, पो० औ० कालोनी,	महिला
14	इन्द्रा कालोनी	उ०में– दस्ताना फैक्ट्री से बिन्दाल नदी को मिलाने वाली सड़क व गली द०में– चक्खूवाला खाला, पू०में– नैशविला रोड से गढ़वाल सभा की सड़क एंव नाला एवं काली मन्दिर मार्ग तथा डंगवाल मार्ग, प०में– बिन्दाल नदी,	इन्दिरा कालोनी, भोर का तारा, नवविहार, खटीक मौहल्ला,	अनु०जाति
15	घण्टाघर	उ०में– नेशविला रोड़,न्यू सर्वे रोड़, द०में– क्रास रोड़ अमृत कौर रोड़, सरनीमल्ल बाजार,कालिका मन्दिर रोड़ एंव चकराता रोड़, पू०में– ई०सी०रोड़, पटेलरोड़, प०में– ओमकार रोड़, कुम्हार मौ० कृष्णा टाकीज तक, हैरिस लेन,	ओमकार रोड़,चुक्खूवाला, सी०पी०डब्लू०डी०कालोनी, घोसी गली, फालतू लाईन, पल्टन बाजार हैरिस लेन,	महिला
16	रेसकोर्स(उत्तर)	उ०में– चन्दर नगर गांधी आश्रम रोड़, रेसकोर्स चौक तक एंव हरिद्वार रोड़, द०में– धर्मपुर कैनाल रोड़, पू०में– हरिद्वार रोड़, प०में– चन्दर नगर रोड़, तथा रेसकोर्स रोड़ आ०	रेस कोर्स चन्दर नगर बाल्मीकी बस्ती, आराघर, कलिंगा कालोनी,	महिला
17	एम०के०पी०	उ०में– कास रोड़ एंव न्यू रोड़ आ० द०में– चन्दर नगर गांधी आश्रम रोड़ रेसकोर्स चौक तक, पू०में– ई०सी० रोड़, रेसकोर्स रोड़, प०में– गांधी रोड़, पटेल रोड़,	न्यू रोड़, सुभाष रोड़, फालतू लाईन आ० कौन्वेन्ट रोड़ आ० नया नगर, कलालों वाली गली, हरिद्वार रोड़, चन्दर नगर आ० गंगा विहार, सचदैवा कालोनी, ई०सी०रोड़, शिवालिक पुरम,	अनारक्षित
18	कालिका मन्दिर मार्ग	उ०में– चकराता रोड़ कालिका मन्दिर मार्ग, द०में– मोती बाजार चौक से सीढ़ियां	लूनिया मौहल्ला चकराता रोड़, कनाट प्लेस, मोती बाजार मन्नूगंज, डांडीपुरआ०	अनारक्षित

		होते हुए मन्नूगंज नाले तक सड़क, पू०में– हैरिस लेन, मोती बाजार, प०में– बिन्दाल पुल एंव सिन्दोरिया हनुमान मन्दिर के सामने की सड़क डांडीपुर होते हुये मन्नूगंज नाले तक,		
19	तिलक रोड़	उ०में– कालिका मन्दिर मार्ग, एंव चकराता रोड़, द०में– खुड़बुड़ा खाले में काली मन्दिर से पीपल के पेड़ के पास स्थित मन्दिर तक तथा ठाकुर बीर सिंह के मकान के सामने वाली गली तथा गुरू रामराय स्कूल को जाने वाली सड़क, पू०में– मन्नूगंज नाला एंव नाले से डांडीपुर होकर सिन्दोरिया हनुमान मन्दिर के सामने निकलने वाली सड़क, प०में– बिन्दाल नदी,	खुड़बुड़ा, तिलक रोड़, आनन्द चौक, डांडीपुर, फौरेस्ट कालोनी लीची बाग, गुजराती बस्ती,	अनारक्षित
20	खुड़बुड़ा	उ०में– खुड़बुड़ा खाले में काली मन्दिर से पीपल के पेड़ के पास स्थित मन्दिर तक तथा ठाकुर बीर सिंह के मकान के सामने वाली गली तथा गुरू रामराय स्कूल को जाने वाली सड़क, द०में– कांवली रोड़ एंव बिन्दाल रोड़ से गोविन्दगढ़ को जाने वाली सड़क, पू०में– खुड़बुड़ा नाला, प०में– बिन्दाल नदी, एंव जादोराम क्वार्टर के सामने की सड़क,	खुड़बुड़ा, भाटड़ा बस्ती, कुम्हार मौ०, खुड़बुड़ा,	महिला
21	शिवाजी मार्ग	उ०में– बिन्दाल रोड़ से गोविन्दगढ़ को जाने वाली सड़क, द०में– कांवली रोड़ पू०मे– जादोराम क्वाटर्स के सामने की सड़क प०में– बिन्दाल नदी,	छबीलबाग, कब्रिस्तान कालोनी, भाटड़ा मौ० शिवलोक कालोनी, अमरूद वालाबाग,	अनु०जाति(महिला)
22	इन्द्रेश नगर	उ०में– कांवली रोड़, द०में– सरस्वती सोनी मार्ग,महिला आश्रम	कांवली रोड़ इन्द्रेश नगर, जटिया मौ० मालवीय रोड़,	अनु०जाति

नगर निगम देहरादून के कक्षों की सीमायें तथा आरक्षण की स्थिति

कक्ष संख्या	कक्ष का नाम	कक्ष की सीमायें	कक्ष में सम्मिलित मौहल्लो के नाम	आरक्षण का वर्ग
01	राजपुर	उ0में– शहंशाही आश्रम के पीछे नदी द0में– इन्द्रबाबा मार्ग एंव मसूरी बाई पास पू0में– रिस्पना प0में– बिन्दाल नदी एंव नगर निगम की सीमा	ओल्ड राजपुर, सत्याण मौहल्ला,विरगिखाली, राजपुर रोड़ सुमन कालोनी, प्लीजेण्टवैल,किशनपुर, कशमीरी कालोनी	पिछडी जाति (महिला)
02	सहत्रधारा रोड	उ0में– धौरण गांव एंव नगर निगम की उत्तरी सीमा द0में– नालापानी रोड पू0में– सहत्रधारा रोड़,आशिक व नगर निगम की सीमा, प0में– रिस्पना नदी,	सहत्रधारा रोड आशिक, धौरण गांव,सोधी वाली,चिड़ौवाली, कण्डोली, राजीव नगर, महर्षि नगर, मयूर विहार,	अनु0जाति (महिला)
03	जाखन	उ0में– इन्द्रबाबा मार्ग एंव मसूरी बाईपास द0में– मिलिट्री एंव बाडी गार्ड रोड़ पू0में– रिस्पना नदी प0में– बिन्दाल नदी,	किशनपुर,इन्दर बाबा मार्ग, कैनाल रोड़, जाखन, दून विहार, बापू नगर, विवेक विहार कालोनी, मलिन बस्ती,बाडी गार्ड	अनारक्षित
04	हाथी बड़कला	उ0में– मिलिट्री फार्म द0में– न्यू कैण्ट रोड़ पू0में– राजपुर रोड़ प0में– बिन्दाल नदी,	सालावाला, चन्द्रलोक, बृजलोक,हाथी बड़कला गांव, हाथी बड़कला स्टेट, न्यू कैण्ट रोड़,	अनारक्षित
05	आर्य नगर	उ0में– बाडी गार्ड रोड़, द0में– दिलाराम बाजार रोड़, मानसिंह वाला,डी0एल0रोड़ पुलिस चौकी के सामने वाली सड़क, पू0में– रिस्पना नदी,डी0एल0 रोड आ0, सेवक आश्रम रोड़, प0में– राजपुर रोड़ एंव ओल्ड सर्वे रोड़,	एकता विहार, आर्य नगर आर्य नगर मलिन बस्ती, सेवक आश्रम रोड़, राजपुर रोड़,	अनारक्षित
06	डोभालवाला	उ0में– न्यू कैंट रोड; द0में– बिन्दाल खाला पू0में– न्यू कैन्ट रोड से आने वाला खाला प0में– कालीदास रोड, नैशविला रोड, गढ़वाल सभा वाली सड़क एवं नाला एवं डंगवाल रोड एवं काली मन्दि रोड	अहीर मण्डी कालीदास रोड़, डोभालवाला गांव, नेशविला रोड़,	महिला
07	विजय कालोनी	उ0में– न्यू कैण्ट रोड़, द0में– दस्ताना फैक्ट्री से नदी को मिलाने वाली सड़क, पू0में– कालीदास रोड एंव नेशविलारोड़, प0में– बिन्दाल नदी,	विजय कालोनी, शक्ति कालोनी, पथरिया पीर, नीकण्ठ विहार, बद्रनाथ कालोनी, इन्दिरा कालोनी, आशिक कालीदास रोड़ न्यू कैण्ट रोड़,	अनारक्षित
08	कृष्ण नगर	उ0में– आर0आई0एम0सी0, बाउण्ड्री एंव कैण्ट सीमा, द0में– कौलागढ़ रोड़, चकराता रोड़, पू0में– बिन्दाल नदी, प0में– कैनाल रोड़,राजेन्द्र नगर,	राजेन्द्र नगर, सिरमौर मार्ग, कृष्ण नगर, शैयद मौहल्ला उत्तर, मालरोड़,	अनारक्षित
09	डी0एल0रोड़	उ0में– रिस्पना नदी एंव पुलिस चौकी, डी0एल0 रोड़ के सामने वाली सड़क, द0में– नालापानी रोड एंव पानी की टंकी के पास से निकलने वाली गली जो सेवक आश्रम रोड़ पर मिलती है, पू0में– सेवक आश्रम रोड एंव डी0एल0 रोड़, प0में– रिस्पना नदी,	डी0एल0रोड़, नालापानी रोड़, अम्बेडकर नगर, सेवक आश्रम रोड़,	अनु0जाति
10	रिस्पना	उ0में– नालापानी रोड़, द0में– रायपुर रोड़, पू0में– रिस्पना नदी, प0में– सीमेंट रोड़, एंव गुरूद्वारा रोड़,	रिस्पना, अघोईवाला, नालापानी रोड़, ओल्ड डालनवाला,	अनु0जाति
11	करनपुर	उ0में– डी0एल0रोड पर पानी की टंकी से निकलकर सेवक आश्रम रोड़ पर मिलने वाली गली, द0में– रायपुर रोड़, पू0में– सीमेंट रोड़,गुरूद्वारा रोड़ प0में– ई0सी0 रोड़एंव आ0सेवक आश्रम रोड़,डी0एल0रोड़ आ0	मानसिंह वाला, बंगाली मौहल्ला करनपुर ओल्ड डालनवाला,मन्दिर मार्ग गुरूद्वारा रोड़,	अनारक्षित
12	बकरालवाला	उ0में– न्यू कैण्ट रोड़ दिलाराम बाजार रोड़, द0में– नेशविला रोड़ एंव न्यू सर्वे रोड़, पू0में– ओल्ड सर्वे रोड़, बंगाली लाइब्रेरी रोड़ एंव ई0सी0रोड़,	परसोली वाला, ग्रीनवैली, बकरालवाला, ओल्ड सर्वे रोड़, दिलाराम बाजार, पुराना सेल टैक्स कालोनी, बेनी बाजार, इनकम टैक्स	अनारक्षित

क्रम संख्या–188

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 12 अक्टूबर, 2007 ई0
आश्विन 20, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास विभाग

संख्या 391/IV–श0वि0–07–01 (नि0)/07
देहरादून, 12 अक्टूबर, 2007

अधिसूचना

प0 आ0–160

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उ0 प्र0 अ0 सं0–02, सन् 1959) की धारा 32 की उपधारा 01 एवं 03 सपठित उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन नियमावली, 1994 तथा तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या 3837/09–09–2000–81ज लखनऊ, दिनांक 05 सितम्बर, 2000 द्वारा संशोधित) के नियम 04 एवं 05 एवं उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों एवं पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994] अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002 के नियम–07 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, नगर निगम, देहरादून के निगम क्षेत्र में, कक्षों के परिसीमन एवं आरक्षण के आदेश विषयक पूर्व प्रकाशित प्रारूप आदेश की अधिसूचना सं0 214/V–श0वि0–07–01 (नि0)/07, दिनांक 21 सितम्बर, 2007 पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण के उपरान्त प्रारूप आदेश में निम्नलिखित संशोधन करते हुए संलग्न सूची के अनुसार परिसीमन एवं आरक्षण करते हैं।

proper reasons, shall be liable to be punished with fine which may extend to an amount equal to double of the assessed general tax or Rs. 500.00 per day of the delay whichever is less.

(3) The Municipal Commissioner may compound the proposed penalty under Sub-section (2)."

dment in n 221-B

14. In Section 221(B) of the Principal Act, in sub-section (2), for the words "one thousand" the words "five thousand" shall be substituted.

dment in n 222

15. In Section 222 of the Principal Act, in sub-section (2), for the figure "500" the figure "5000" shall be substituted.

dment in n 550

16. In Section 550 of the Principal Act-

(a) In clause (a) for the words "five hundred" the words "five thousand" shall be substituted.

(b) In clause (a) for the word "twenty" the words "two hundred" shall be substituted.

(c) In clause (b) for the word "twenty" the words " two hundred" shall be substituted

By Order,

R. C. KHULBE,
Principal Secretary.

प्रदेश किया

2— अनावा अपना तथा क के कार धाराओं कर सक वृद्धि हो

3— ए

पी०एस०यू० (अ

(76)

Amendment in Section 174

3. In Section 174, in sub-section(1)-

(a) In clause (a) of the Principal Act the following clause shall be substituted namely-

(A)"In case of railway stations, colleges, schools, hotels, factories, commercial buildings and other non-residential buildings, twelve times the values arrived at on multiplying with multiplier to be fixed by riles in the monthly rate of rent per square foot of residential buildings fixed under clause (b) with the covered area of the building or open area of the land or both, as the case may be"

(b) In clause (b) of the Principal Act, for the words "two years", the word " Four years" shall be substituted.

Amendment in Section 177

4. In Section 177, in clause (b) of the Principal Act, the following clause shall be substituted namely.

177 '(b).buildings and lands or portions thereof solely occupied and used for public worship."

Substitution of Section 207

5. In Section 207 of the Principal Act the following section shall be substituted, namely-

"207. **Preparation of assessment list-** The Municipal Commissioner shall cause area wise rental rates and an assessment list in the city or part thereof to be prepared from time to time, in accordance with the manner prescribed in the rules".

Amendment in Section 207-(A)

6. In section 207-(A) of the Prinicpal Act, the word "residential" shall be omitted.

Addition of new Section 207-B.

7. After Section 207(A) of the Principal Act, the following new Section 207(B) shall be added.namely-

"207(B) **Submission of the details of houses or lands for assessment of tax.-**

(i) For the purposes of annual rental value, the owner or the occupier of every house or land shall submit a property return upto a date as may be prescribed.

(ii) Any person failing to submit the return to in Sub-section (1) without proper reasons shall be liable to pay penalty as may be prescribed.

(iii) The penalty reffered to in Sub-section (2) may be compounded by the Municipal Commissioner."

Substitution of Section 208

8. In Section 208 of the Principal Act the following section shall be substituted namely-

"208.**Publication of list-** The Municipal Commissioner shall publish the list prepared

under section 207 in accordance with the manner prescribed in the rules."

Substitution of Section 209

9. In Section 209 of the Principal Act the following section shall be substituted namely-

"209. **Objections on proposed rates and list.-** The Municipal Commissioner or an officer authorised by him in this behalf shall dispose off the objections in accordance with the manners prescribed in the rules".

Amendment in Section 210

10. In Section 210, for sub-section (1) of the Principal Act the following section shall be substituted, namely-

" 210(1). The Municipal Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, shall authenticate by his signature the area wise rental rates and the assessment list of the city or any part thereof, as the case may be."

Amendment in Section 211

11. In Section 211 of the Principal Act, in sub-section (1), for the words "two years" the words " four years" shall be substituted.

Amendment in Section 213

12. In Section 213 of the Principal Act-

(a) In sub-section (1), for the words "Executive Committee or its any sub-committee appointed in this behalf " the words "The Municipal Commissioner or an officer authorised by him in this behalf " shall be substituted.

(b) In sub-section (1), in the proviso, for the words "Executive Committee or sub-committee" the words "The Municipal Commissioner or an officer authorised by him in this behalf " shall be substituted.

Substitution of Section 214

13. In Section 214 of the Principal Act the following section shall be substituted namely-

"214. **Obligation to supply information for purpose of amendment-**

(1) When any building is constructed or reconstructed or any addition is made thereto by an owner or occupier and the covered area exceeds by more than 25 per cent then it shall be compulsory for him to submit its information to the Municipal Commissioner within sixty days of the date of completion or date of occupation whichever is earlier, in the prescribed form.

(2) The owners or occupiers, who do not submit information referred to in Sub-section (1) without

No. 239/XXXVI(3)/2016/44(1)/2016
Dated Dehradun, August 02, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand (The Uttarpradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Amendment) Bill, 2016'** (Adhiniyam Sankhya 16 of 2016).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 28 July, 2016.

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ADHINIVYAM, 1959) (AMENDMEND) ACT, 2016

(Uttarakhand Act no. 16 of 2016)

[It is here by enacted in the sixty seventh year of the Republic of India as follows]

To further amend The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam,1959 (Adaptation And Modification Order2007)

An

Act

Short title-

1. (1) This bill may be called the The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam,1959) (Amendment) bill, 2016.
(2) It shall come into force at once.

General Amendment of Uttar Pradesh Act No. II of 1959

2. In The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam,1959) hereinafter referred to as the Principal Act, where ever the expression " Mukhya Nagar Adhikari", "Apar Mukhya Nagar Adhikari", "Upa Nagar Adikari", "Sahayak Nagar Adhikari", " Nagar Pramukh". " Up Nagar Pramukh", Sabhasad and Sabasads, occur it shall be read as "Municipal Commissioner", "Municipal Commissioner","Additional Municipal Commissioner", "Deputy Municipal Commissioner" "Assistant Municipal Commissioner", "Mayor". " Deputy Mayor", " Corporator" and 'Corporators."

उद्देश्य और कारणों का कथन

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में लागू अनावासिक भवनों पर स्वकर निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है।

2— प्रस्तावित संशोधन के होने से उत्तराखण्ड राज्य की स्थानीय नगरीय निकायों में अनावासिक भवनों पर स्वकर निर्धारण करने के पश्चात् आय में बढ़ोतरी होगी, सम्पत्ति स्वामी अपना अनावासिक भवन कर स्वयं आंकलित कर सकेंगे व कर अदा करने के लिये प्रेरित होगें तथा कर निर्धारण पारदर्शी एवं तर्कसंगत होगा। विगत् वर्षों में सर्किल रेट में असमान्य वृद्धि होने के कारण सर्किल रेट के आधार पर आंकलित अनावासिक भवन कर अत्यधिक हो रहा था, उक्त धाराओं में संशोधन करने के उपरान्त सम्पत्ति स्वामी अपना अनावासिक भवन कर स्वयं आंकलित कर सकेंगे। जिससे जन सामान्य का असंतोष कम होगा एवं स्थानीय नागर निकायों की आय में वृद्धि होगी।

3— उक्त विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

प्रीतम सिंह पंवार
मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 विधायी/410—2016—100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

धारा 211 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 211 की उपधारा (1) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिया जायेगा।

धारा 213 का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा–213 में

(क) उपधारा (1) में शब्द "कार्यकारिणी समिति अथवा एतदर्थ नियुक्त की गई उसकी कोई उप–समिति" के स्थान पर "नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी" रख दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (1) के परन्तुक में शब्द "कार्यकारिणी समिति या उप–समिति" के स्थान पर "नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी" रख दिया जायेगा।

धारा 214 का प्रतिस्थापन

13. मूल अधिनियम की धारा 214 के स्थान पर निम्न धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्–

"214. संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता– (1) जब किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा उसमें कोई विस्तार उसके स्वामी या अध्यासी द्वारा किया जाये और आच्छादित क्षेत्रफल 25 प्रतिशत से अधिक हो जाये, तो वह समापन के दिनांक के अथवा अध्यासन के दिनांक से जो भी पहले हो, साठ दिन के भीतर नगर आयुक्त को उसकी सूचना विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से देगा।

(2) ऐसे स्वामी या अध्यासी, जो बिना उचित कारण के उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत नहीं करते हैं, ऐसे जुर्माने से, जो निर्धारित सामान्य कर के दोगुना के बराबर की धनराशि या 500 रू0 प्रतिदिन जो भी कम हो, तक हो सकता है, दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

(3) नगर आयुक्त उपधारा (2) के अधीन प्रस्तावित शास्ति का प्रशमन कर सकेगा।"

14. मूल अधिनियम की धारा 221 (ख) की उपधारा (2) में शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" रख दिया जायेगा।

15. मूल अधिनियम की धारा 222 की उपधारा (2) में अंक "500" के स्थान पर अंक "5000" रख दिया जायेगा।

16. मूल अधिनियम की धारा 550 में

(क) खण्ड (क) में शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" रख दिया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) में शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "दो सौ" रख दिया जायेगा।

(ग) खण्ड (ख) में शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "दो सौ" रख दिया जायेगा।

आज्ञा से,

आर0सी0 खुल्बे,
प्रमुख सचिव।

धारा 207 का प्रतिस्थापन

5. मूल अधिनियम की धारा 207 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् –

"**207. निर्धारण सूची का तैयार किया जाना–** नगर आयुक्त समय-समय पर नियमावली में विहित रीति से नगर या उसके किसी भाग का क्षेत्रवार किराया दर और निर्धारण सूची तैयार करायेगा"

धारा 207 (क) का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 207 (क) में "आवासिक" शब्द हटा दिया जायेगा।

धारा 207 (ख) का जोड़ा जाना

7. मूल अधिनियम की धारा 207(क) के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

207 (ख). कर निर्धारण के लिये भवनों या भूमियों का विवरण प्रस्तुत किया जाना–

(एक) वार्षिक किराये के मूल्य के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी ऐसे दिनांक तक जैसा विहित किया जाये एक सम्पत्ति विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(दो) कोई व्यक्ति जो बिना उचित कारणों के उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहा हो, वह ऐसी शास्ति जो विहित की जाये, भुगतान करने का दायी होगा।

(तीन)उपधारा (2) में निर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन नगर आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

8. मूल अधिनियम की धारा 208 के स्थान पर निम्न धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्–

"**208. सूची का प्रकाशन–** नगर आयुक्त धारा 207 के अधीन तैयार की गई सूची का नियमावली में विहित रीति के अनुसार प्रकाशन करेगा।"

9. मूल अधिनियम की धारा 209 के स्थान पर निम्न धारा रख दिया जायेगा–

"**209. सूची की प्रविष्टियों पर आपत्तियां–** नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी, नियमावली में विहित रीति के अनुसार आपत्तियों का निपटारा करेगा।"

10. मूल अधिनियम की धारा 210 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्न धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्–

10. (1) "नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी यथास्थिति, नगर या उसके किसी भाग की क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा।"

(82)
(18)

क्रम संख्या–116

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 02 अगस्त, 2016 ई0

श्रावण 11, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 239/XXXVI(3)/2016/44(1)/2016

देहरादून, 02 अगस्त, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2016'** पर दिनांक 28 जुलाई, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 16 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2016)

[भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश; 2007) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

संक्षिप्त नाम–

1. (1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) विधेयक 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–02 1959 का सामान्य संशोधन

2.उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है में जहां–2 शब्द "मुख्य नगर अधिकारी", "अपर मुख्य नगर अधिकारी", "उप नगर अधिकारी", "सहायक नगर अधिकारी", "नगर प्रमुख", "उप नगर प्रमुख", "सभासद" और सभासदों आया हो, वहां क्रमशः शब्द "नगर आयुक्त", "अपर नगर आयुक्त", "उप नगर आयुक्त", "सहायक नगर आयुक्त", "महापौर", "उप महापौर", "पार्षद" और "पार्षदों" के रूप में पढ़ा जायेगा।

धारा 174 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्न खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा;
अर्थात्

(क)"रेलवे स्टेशनों, कॉलेजों, स्कूलों, होटलों कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में, नियम द्वारा निश्चित की गयी यथा स्थिति, भवन के आच्छादित क्षेत्र या भूमि के खुले क्षेत्र या दोनों के साथ खण्ड (ख) के अधीन नियत आवासिक भवनों के प्रति वर्ग फुट किराये की मासिक दर में गुणांक से गुणा करने पर प्राप्त का 12 गुना मूल्य "।

(ख) खण्ड (ख) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिया जायेगा।

धारा 177 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 177 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्न खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्
अर्थात् –

177 (ख)"उन भवनों और भूमियों या उसके ऐसे भाग के, जो केवल सार्वजनिक उपासना के लिए प्रयुक्त हो।"

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

84

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 12 सितम्बर, 2016 ई0

भाद्रपद 21, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 285/XXXVI(3)/2016/44(1) 2016

देहरादून, 12 सितम्बर, 2016

शुद्धिपत्र
(Corrigendum)

विधायी परिशिष्ट भाग–1 खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम) के राजपत्र में प्रकाशित विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0 239/XXXVI(3)/ 2016/44(1)/2016, दिनांक 02 अगस्त, 2016 की धारा 1 की उपधारा (1) में "इस विधेयक का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) विधेयक 2016 है, के स्थान पर "इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।" पढ़ा जाय।

रमेश चन्द्र खुल्वे,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 विधायी/488–2016–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
96	नवादा	पूरब	ग्राम माजरी माफी, सरकारी जंगल	ग्राम हरीपुर, नवादा, बद्रीपुर सम्पूर्ण क्षेत्र
		पश्चिम	ग्राम अजबपुर कला, शाह नगर	
		उत्तर	सीमा नत्थनपुर	
		दक्षिण	सरकारी जंगल	
97	हर्रावाला	पूरब	सीमा ग्राम बालावाला, नकरौंदा	ग्राम हर्रावाला, ग्राम कुआंवाला सम्पूर्ण क्षेत्र
		पश्चिम	सरकारी जंगल	
		उत्तर	ग्राम मियांवाला	
		दक्षिण	सीमा सरकारी जंगल	
98	बालावाला	पूरब	सौंग नदी	ग्राम बालावाला आंशिक (जनगणना ब्लाक 270, 271, 272, 273 एवं 274 कुल जनसंख्या 3075 को छोड़ते हुये)
		पश्चिम	सीमा ग्राम तुनवाला, मियांवाला, हर्रावाला	
		उत्तर	ग्राम नथुआवाला	
		दक्षिण	सीमा ग्राम कुआंवाला, नकरौंदा	
99	नकरौंदा	पूरब	सौंग नदी	ग्राम बालावाला आंशिक, (जनगणना ब्लाक 270, 271, 272, 273 एवं 274 कुल जनसंख्या 3075 को सामिल करते हुये) व सम्पूर्ण ग्राम नकरौंदा
		पश्चिम	सीमा बालावाला	
		उत्तर	सीमा बालावाला	
		दक्षिण	ग्राम कुआंवाला	
100	नथुआवाला	पूरब	सौंग नदी	सम्पूर्ण ग्राम नथुआवाला
		पश्चिम	सीमा ग्राम तुन वाला	
		उत्तर	रायपुर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज	
		दक्षिण	सीमा ग्राम बालावाला	

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
91	चन्द्रबनी	पूरब	सेवलाखुर्द	ग्राम चन्द्रबनी सम्पूर्ण
		पश्चिम	अरकेडिया ग्रांट, मेहूवाला माफी	
		उत्तर	मेहूवाला माफी, पित्थूवाला	
		दक्षिण	मोहब्बेवाला, चन्द्रबनी खालसा	
92	आरकेडिया–1	पूरब	मिट्ठी भेड़ी, रांघड़वाला	केहरी, इस्मित नगर, श्याम पुर, राघव विहार, पिताम्बर पुर, मोहनपुर, चायबाग आंशिक क्षेत्र एवं अन्य, ग्राम मिट्ठीभेड़ी आंशिक निकट चकराता रोड ट्रेकर स्टैंड (कैण्ट क्षेत्र को छोड़ते हुये)
		पश्चिम	ईस्ट होप टाउन	
		उत्तर	टौंस नदी, ठाकुरपुर	
		दक्षिण	अम्बीवाला	
93	आरकेडिया–2	पूरब	मेहूवाला, हरभजवाला	बनिया वाला, गोरखपुर, सरस्वती विहार, बढोवाला, तेलपुर, चाय बाग (आंशिक) ग्राम मिट्ठीभेड़ी आंशिक निकट आई.एम.ए. एवं अन्य
		पश्चिम	पीताम्बर पुर, श्यामपुर	
		उत्तर	रांघड़वाला, पंडितवाड़ी	
		दक्षिण	आसन नदी	
94	नत्थनपुर –1	पूरब	रिंग रोड	शास्त्री नगर नाला से हरिद्वार रोड से जोगी वाला चौक, रिंग रोड–नेहरू ग्राम को जाने वाली सड़क से उपर ई.बी. 2,3,4,5,6,7,8,
		पश्चिम	अजबपुर कला, धरमपुर	
		उत्तर	ग्राम रायपुर	
		दक्षिण	हरिद्वार रोड	
95	नत्थनपुर –2	पूरब	रायपुर	ग्राम नत्थनपुर का जोगी वाला चौक से हरिद्वार रोड़ को रिंग रोड से नीचे का भाग
		पश्चिम	रिंग रोड	
		उत्तर	रिंग रोड	
		दक्षिण	माजरीमाफी	

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
86	सेवला कला	पूरब	सहारनपुर रोड, माजरा	हिल्टन स्कूल क्षेत्र, सेवला चाक क्षेत्र, मिलन केन्द्र क्षेत्र, सैण्ट ज्युज कालेज क्षेत्र, इन्द्रप्रस्थ, रोहिणी, दून एन्कलेव, आस्था एन्कलेव, प्रकाश लोक एवं अन्य (चन्द्रबनी रोड से पित्थूवाला के मध्य का क्षेत्र छोड़ते हुये)
		पश्चिम	पित्थूवाला	
		उत्तर	निरंजनपुर	
		दक्षिण	सेवलाखुर्द	
87	पित्थूवाला	पूरब	सहारनपुर रोड	सेवला खुर्द, ट्रांसपोर्ट नगर, एम.डी.डी.ए. आफिस क्षेत्र, काल सेण्टर, पित्थूवाला एवं सेवला कला आंशिक ((चन्द्रबनी रोड से पित्थूवाला के मध्य का सेवला कला क्षेत्र जोड़ते हुये) बन विहार (मेहूवाला)
		पश्चिम	मेहूवालामाफी, चन्द्रबनी	
		उत्तर	सेवलाकला	
		दक्षिण	मोहब्बेवाला सीमा	
88	मेहूवाला	पूरब	आई.टी.बी.पी. नाला, पुरानी सीमा नगर निगम, पित्थूवाला	घिसरपट्टी, पंचायतघर क्षेत्र, बड़ी मस्जिद क्षेत्र, नई कालोनी, कैलासपुर रोड, रहमान का भट्टा क्षेत्र एवं अन्य
		पश्चिम	हरभजवाला, मेहूवाला –2	
		उत्तर	हरबंसवाला, ऋषिनगर	
		दक्षिण	आसन नदी	
89	हरभज वाला	पूरब	मेहूवाला–1, ऋषिबिहार रोड, घिसरपट्टी	लक्ष्मण गढी, नीलवाला, चौहान गली, पाल मोहल्ला, ऋषि विहार, हरबंशवाला (आंशिक) तुन्तोवाला, साहनी फार्म, जंगलात चौकी, तेलपुर चौक, गैस गोदाम एवं अन्य, हरभजवाला
		पश्चिम	चन्द्रबनी, आरकेडिया	
		उत्तर	आरकेडिया, नगर निगम सीमा	
		दक्षिण	आसन नदी, चन्द्रवनी	
90	मोहब्बेवाला	पूरब	सीमा भारूवाला, मोरूवाला	चन्द्रबनी खालसा, चन्द्रबनी ग्रांट, मोहब्बेवाला, आशा रोडी, भारूवाला ग्रांण्ट का जालीगांव को जोड़ते हुये
		पश्चिम	ग्राम चन्द्रबनी	
		उत्तर	चन्द्रबनी, भारूवाला, माजरा	
		दक्षिण	सीमा सरकारी जंगल	

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
81	रेसकोर्स (द.)	पूरब	बी0–ब्लॉक नाला	रेसकोर्स आंशिक, पुलिस लाईन क्षेत्र, आफिर्सस कालोनी,ए0 ब्लाक सी0 ब्लॉक बस्ती, बी0 ब्लॉक बस्ती, धरमपुर आंशिक एवं अन्य
		पश्चिम	सी0 ब्लॉक मलिन बस्ती	
		उत्तर	रेसकार्स कैनाल रोड	
		दक्षिण	रेलवे लाईन	
82	दीप नगर	पूरब	रेलवे लाईन	दीपनगर, राम नगर, सृष्टि विहार आंशिक, नारी निकेतन, रेलवे कालोनी एवं अन्य
		पश्चिम	दून यूनिवर्सिटी रोड	
		उत्तर	सृष्टि विहार नाला हरिद्वार बाईपास	
		दक्षिण	रिस्पना नदी	
83	केदारपुर	पूरब	सृष्टि विहार नाला सॉलिटियर होटल	चाणक्यपुरी, टिहरी कालोनी, बंगाली कोठी, शान्ति विहार, कुज विहार, मधुर विहार, महादेव रेजीडेन्सी, विष्णुपुरम एवं अन्य
		पश्चिम	ग्राम बंजारोवाला की सीमा / कुजविहार नाला	
		उत्तर	हरिद्वार रोड	
		दक्षिण	दून यूनिवर्सिटी रोड व ग्राम मोथरोवाला की सीमा	
84	बंजारोवाला	पूरब	ग्राम अजबपुर खुर्द	ग्राम बंजारावाला, कसाई मौहल्ला, कनैहया विहार, कार्यालय सतकर्ता विभाग, शांति विहार, टी0एच0डी0सी0 कालोनी एवं अन्य
		पश्चिम	कैन्ट क्लेमेन्टाउन/बिन्दाल	
		उत्तर	हरिद्वार बाईपास	
		दक्षिण	सीमा क्लेमन्टाउन/केदारपुर	
85	मोथरोवाला	पूरब	नदी रिस्पना, सरकारी जंगल	ग्राम मोथरोवाला के विष्णुपुरम क्षेत्र एवं कैण्ट क्षेत्र को छोड़ते हुये शेष सम्पूर्ण ग्राम सम्पूर्ण क्षेत्र, ग्राम केदारपुर का दून यूनिवर्सिटी क्षेत्र एवं अन्य
		पश्चिम	क्लेमेण्टाउन, सरकारी जंगल	
		उत्तर	दीपनगर पुल नारी निकेतन, सीमा ग्राम केदारपुर	
		दक्षिण	सरकारी जंगल	

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
76	निरंजनपुर	पूरब	राजीव जुयाल मार्ग	रूचिपुरा, ब्राहमणवाला, शक्ति विहार, अमन विहार, सब्जी मण्डी, चमन विहार, आई.टी.आई, ओलिम्पस स्कूल, महावीर एन्कलेव,बसुन्धरा विहार, कश्मीरी कालोनी, दशमेशपुरी, अशोक एन्कलेव, शिवा एन्कलेव, नेहरू विहार एवं अन्य
		पश्चिम	जी.एम.एस. लिंक रोड	
		उत्तर	इन्दिरा गांधी मार्ग	
		दक्षिण	कैपीटल ग्रीन बिल्डिंग से पहले राजीव जुयाल मार्ग से शक्ति विहार की सीमा होते हुये सहारनपुर रोड पर हाउस नं0–132 ए0आर0भारद्वाज के मकान तक	
77	माजरा	पूरब	राजीव जुयाल मार्ग	माजरा, इन्द्रलोक विहार, आजाद कालोनी क्षेत्र आंशिक, प्रीत एन्कलेव, बड़ी मस्जिद क्षेत्र, गंगोत्री विहार, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स, पावर हाउस एवं अन्य
		पश्चिम	ग्राम सेवलाकलां की सीमा	
		उत्तर	कैपीटल ग्रीन बिल्डिंग से पहले राजीव जुयाल मार्ग से शक्ति विहार की सीमा होते हुये सहारनपुर रोड पर हाउस नं0–132 ए0आर0भारद्वाज के मकान तक एवं सहारपुर रोड, ग्राम सेवला की सीमा	
		दक्षिण	हरिद्वार बाईपास, राजाराम मोहनराय एकेडमी एवं सेवला कलां की सीमा मूलचन्द एन्क्लेव को छोड़ कर टर्नर रोड	
78	टर्नर रोड	पूरब	कैन्ट सीमा व आजाद कालोनी टर्नर रोड सडक	आई0एस0बी0टी0 क्षेत्र, आजाद कालोनी आंशिक, ओगल भट्टा, मूलचंद एन्क्लेव एम0डी0डी0ए0 कालोनी, टर्नर रोड लेन0–1 से 24 तक का क्षेत्र, राणा रोड, सुभाषनगर रोड का उत्तरी क्षेत्र, आशिमा विहार एवं अन्य
		पश्चिम	सहारनपुर रोड	
		उत्तर	हरिद्वार बाईपास रोड़	
		दक्षिण	सुभाष नगर रोड	
79	भारूवाला ग्रान्ट	पूरब	कैन्ट की सीमा	भारूवाला ग्रांण्ट (जालीगांव को छोड़ते हुये), ग्राफिक इरा रोड, पशु चिकित्सालय रोड, बैल रोड क्षेत्र एवं अन्य
		पश्चिम	सहारनपुर रोड / ग्राम मोहब्बेवाला की सीमा व जाली गांव तक	
		उत्तर	सुभाष नगर रोड कैन्ट सीमा तक	
		दक्षिण	भारूवाला ग्रान्ट की सीमा	
80	रैस्टकैम्प	पूरब	चन्दर नगर रोड,	त्यागी रोड, चन्दर नगर निगम कालोनी, रैस्ट कैम्प त्यागी रोड क्षेत्र कुष्ठ आश्रम, मद्रासी कालोनी, रेलवे कालोनी, आई.डी.एच. कालोनी, लोहियापुरम् एम0डी0डी0ए0 कालोनी एवं अन्य
		पश्चिम	रेलवे लाईन	
		उत्तर	गांधी रोड एवं हरिद्वार रोड	
		दक्षिण	सी0 ब्लॉक रेसकोर्स बस्ती कुष्ठ आश्रम से	

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
71	पटेलनगर पूर्वी	पूरब	पथरी बाग रोड	विश्वकर्मा कालोनी, पथरी बाग आंशिक क्षेत्र, मेडीकल कालेज, स्लाटर हाउस क्षेत्र, पटेलनगर ईस्ट, रामगढिया मोहल्ला, टेलीफोन एक्सचेंज, पटेलनगर इन्डस्ट्रियल एरिया आंशिक एवं अन्य
		पश्चिम	सहारनपुर रोड	
		उत्तर	भण्डारी बाग रोड	
		दक्षिण	इन्द्रेश हास्पिटल रोड	
72	देहरा खास	पूरब	टी.एच.डी.सी. मुख्य सड़क व टी.एच.डी.सी. की बाउंड्री व कारगी रोड का भाग	पटेल नगर इन्डस्ट्रियल एरिया आंशिक, देहराखास टी. एच.डी.सी. कालोनी क्षेत्र, थाना पटेलनगर क्षेत्र, साईंबाबा एन्कलेव, आशिर्वाद एन्कलेव, कारगी मंदिर हरिद्वार रोड एवं अन्य
		पश्चिम	बिन्दाल नदी व सहारनपुर रोड लाल पुल	
		उत्तर	इन्द्रेश हास्पिटल रोड टी.एच.डी.सी. गेट से लालपुल तक	
		दक्षिण	हरिद्वार बाईपास	
73	विद्याविहार	पूरब	रेलवे लाइन व सरस्वती विहार नाला	सिंगल मण्डी, एस.जी.आर.आर. कालेज, पाम सिटी पथरी बाग आंशिक क्षेत्र, नारायण विहार, विद्याविहार, आदर्श विहार, समृद्धि विहार, बहुगुणा कालोनी एवं अन्य
		पश्चिम	टी.एच.डी.सी. की बाउंड्री व समृद्धि विहार नाला	
		उत्तर	रेलवे लाइन	
		दक्षिण	हरिद्वार रोड	
74	ब्रहम पुरी	पूरब	बिन्दाल रिवर, ब्रहमपुरी आंतरिक सड़क	ब्रहमपुरी आंशिक, चमनपुरी, पुलिस चौकी, जी.आर.डी. एकेडमी, ग्रीन पार्क, इन्दिरागांधी रोड आंशिक, प्रीत विहार, नगर निगम कालोनी, काला ग्राउंड एवं अन्य
		पश्चिम	सहारनपुर रोड	
		उत्तर	लाल पुल व नदी बिन्दाल	
		दक्षिण	इन्दिरा गांधी मार्ग व डा0 पोखरियाल की दुकान वाली लेन	
75	लोहिया नगर	पूरब	बिन्दाल नदी	ब्रहम पुरी आंशिक (पीपल का पेड़ मंदिर क्षेत्र) महबूब कालोनी, शर्मा कालोनी एवं अन्य
		पश्चिम	राजीव जुयाल मार्ग सामुदायिक केन्द्र,	
		उत्तर	डा0 पोखरियाल की दुकान वाली लेन व नाला	
		दक्षिण	हरिद्वार रोड	

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
66	रायपुर	पूरब	मालदेवता रोड, नेहरू ग्राम रोड, गूलरघाटी रोड,	ग्राम रायपुर के वार्ड सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,(ओली गांव, केशरवाला, पाल मोहल्ला, हरजन मोहल्ला, बैष्णव विहार, लक्ष्मी नारायण पुरम, एवं अन्य)
		पश्चिम	दुलहनी नदी	
		उत्तर	सीमा ग्राम बझेत	
		दक्षिण	ग्राम चकतुनवाला एवं सीमा धरमपुर केनाल रोड	
67	मोहकमपुर	पूरब	ग्राम मियांवाला	ग्राम मोहकमपुर कला, मोहकमपुर खुर्द, माजरी माफी
		पश्चिम	ग्राम बद्रीपुर, हरिपुर	
		उत्तर	ग्राम नत्थनपुर, रायपुर	
		दक्षिण	सीमा ग्राम हरिपुर, सरकारी जंगल	
68	चकतुनवाला मियांवाला	पूरब	सीमा ग्राम नथुवावाला, बालावाला	ग्राम मियांवाला सम्पूर्ण वार्ड 1–13, चकतुनवाला वार्ड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ग्राम रायपुर का वार्ड 15, ग्राम नेहरूग्राम का वार्ड 6 (बोगनविला कालोनी, नलीवाला, सिद्ध विहार, गुरू विहार, मियांवाला चौक, हरिओम कालोनी, देवपुरम कालोनी, हरियाली एन्कलेव, बिष्णुपुरम, सरस्वती पुरम, बद्रीश विहार, आनन्द विहार बनस्थली पुरम एवं अन्य)
		पश्चिम	नेहरू ग्राम रोड, मोहकमपुर	
		उत्तर	तुनवाला रोड / सिंचाई विभाग कार्यालय	
		दक्षिण	नाला, जंगल	
69	रीठा मण्डी	पूरब	रेलवे स्टेशन	मुस्लिम कालोनी, लक्कड़ मंडी, रीठा मंण्डी, रेलवे क्वार्टर्स एवं एन्य
		पश्चिम	गउ घाट, लक्खीबाग नाला	
		उत्तर	रेलवे स्टेशन बाउंड्री	
		दक्षिण	ब्लाक–3 भण्डारी बाग आर.एन.शर्मा के घर से होते हुये पथरीबाग रोड तक	
70	लक्खी बाग	पूरब	मुस्लिम कालोनी वार्ड व आर.एन.शर्मा के घर से लोअर रेलवे कालोनी तक	लक्खी बाग, खदरी मोहल्ला, आढत बाजार आंशिक, रामनगर, शिवराम स्कूल, भण्डारी बाग ब्लाक –3, रीठामण्डी आंशिक, रेलवे कालोनी प0, एस.जी.आर.आर. हास्टल, शम्सानघाट, एवं अन्य
		पश्चिम	खदरी मोहल्ला नाला व सहारनपुर रोड	
		उत्तर	आढत बाजार रोड व कांबली रोड	
		दक्षिण	भण्डारी बाग रोड पथरी बाग सड़क तक	

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
61	आमवाला तरला	पूरब	ग्राम सोंधोवाली मानसिंह, हटवालगांव, ग्राम ननूरखेड़ा	ग्राम आमवाला तरला (सहस्त्रधारा रोड के पश्चिम मे आमवाला तरला के शालिनी पब्लिक स्कूल व अरण्य विहार, अमृत विहार को छोड़ते हुये) ऋषि नगर, राजीव नगर आंशिक, अपोलो स्कूल तक, (अधोईवाला आंशिक को सम्मिलित करते हुये) एवं अन्य
		पश्चिम	नदी रिस्पना	
		उत्तर	ग्राम कण्डोली, डांडा लखौंड मय चक	
		दक्षिण	नाला पानी रोड व चक रायपुर	
62	ननूरखेड़ा	पूरब	सीमा हर्चावाला, रायपुर	ग्राम ननूरखेड़ा, सुन्दरवाला सम्पूण क्षेत्र (सपेरा बस्ती, नानकसर गुरूद्वारा व आसपास का क्षेत्र एवं अन्य)
		पश्चिम	आमवाला तरला	
		उत्तर	ग्राम हटवाल गांव	
		दक्षिण	रायपुर व चक रायपुर	
63	लाडपुर	पूरब	दुलहनी नाला	ग्राम लाडपुर व चक रायपुर के वार्ड सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 एव 15 (वर्णित वार्डों के समस्त मोहल्ले)
		पश्चिम	ग्राम ननूरखेड़ा, वार्ड 51–बाणी विहार	
		उत्तर	ग्राम सुन्दरवाला	
		दक्षिण	ग्राम रायपुर	
64	नेहरू ग्राम	पूरब	नाला	ग्राम नेहरूग्राम वार्ड 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 (बन विभाग किददू वाला, बालाजी मंदिर, पाली गांव, सरकारी अस्पताल/मजार का क्षेत्र, मयूर विहार, गुरू रामराय पब्लिक स्कूल, सतपाल महाराज नर्सरी, लोअर गढवाली कालोनी एवं अन्य)
		पश्चिम	नेहरूग्राम रोड	
		उत्तर	बांखाला रोड, नाला	
		दक्षिण	नाला सीमा ग्राम नत्थनपुर	
65	डोभाल चौक	पूरब	दुल्हनी नदी व नेहरूग्राम रोड	ग्राम नेहरूग्राम के वार्ड– 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15 (आदर्श कालोनी, अपर गढ़वाली कालोनी, लोअर गढवाली कालोनी, किददूवाला आंशिक भाग, अपर नेहरूग्राम, बालाजी मंदिर की अपोजिट साइड, गंरूरामराय इंटर कालेज के पीछे का मोहल्ला, इंडियन एकेडमी इंटर कालेज के आस–पास, रूद्रक्ष कालोनी एवं अन्य)
		पश्चिम	बन भूमि जंगलात साल व रिंग रोड	
		उत्तर	सीमा ग्राम लाडपुर, जंगल साल	
		दक्षिण	नाला व सीमा ग्राम नत्थनपुर	

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
56	धरमपुर	पूरब	सी ब्लाक रोड कस्टम आफिस	नेहरू कालोनी– ए ब्लाक, बी एवं सी ब्लाक ओल्ड नेहरू कालोनी, 24–धरमपुर आंशिक, आई ब्लाक आंशिक एवं अन्य
		पश्चिम	हरिद्वार रोड व 24–धरमपुर नाला	
		उत्तर	धरमपुर कैनाल रोड	
		दक्षिण	हरिद्वार रोड	
57	नेहरू कालोनी	पूरब	रिस्पना नदी	नेहरू कालेनी–आई ब्लाक आंशिक, जी ब्लाक, डी ब्लाक, विदेश संचार कालोनी एवं अन्य
		पश्चिम	सी ब्लाक रोड कस्टम आफिस	
		उत्तर	धरमपुर कैनाल रोड	
		दक्षिण	हरिद्वार रोड	
58	डिफेन्स कालोनी शास्त्रीनगर	पूरब	हरिद्वार रोड से बद्रीपुर–इन्द्रपुर खाला	शास्त्री नगर, फेण्ड्स कालेनी, डिफेंस कालोनी, इन्दरपुर बस स्टैंड एवं अन्य
		पश्चिम	विधानसभा, एम.डी.डी.ए कालोनी सीमा	
		उत्तर	हरिद्वार रोड	
		दक्षिण	इन्दरपुर–बद्रीपुर खाला	
59	गुजराडा मानसिंह	पूरब	नदी वाल्दी	ग्राम तरला नागल, किरसाली, कालागांव, गुजराड़ा मानसिंह, भण्डारी वाला मय चक, गुजरमी, जगातखाना, डांडा धोरण, डांडा खुदानेवाला, ग्राम चालंग, खुरावां, सौंधोवाली धोरण, नागल हटनाला, कुल्हान करनपुर, कुल्हान मान सिंह, मरूठा
		पश्चिम	नदी रिस्पना, ग्राम ढाकपट्टी, किशनपुर, धोरण खास	
		उत्तर	सीमा ग्राम चामासारी,	
		दक्षिण	सीमा ग्राम डांडा लखोण्ड, अस्थल	
60	डांडा लखौंड	पूरब	नदी ग्राम टिब्बा नाला पानी	ग्राम डांडा लखौंड मय चक, डांडा नूरीवाला, आमवाला उपरला, हटवाल गांव, आमवाला करणपुर, आमवाला मंझला, मंगलूवाला, सोंधो वाली मानसिंह व डांडा धोरण (आंशिक) सहस्त्रधारा रोड के पश्चिम मे आमवाला तरला के शालिनी पब्लिक स्कूल व अरण्य विहार, अमृत विहार को सम्मिलित करते हुये हुये)
		पश्चिम	सीमा धोरण खास, कण्डोली, ब्रहमावाला	
		उत्तर	डांडा धोरण	
		दक्षिण	सीमा आमवाला तरला, ननूरखेड़ा	

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
51	वाणी विहार	पूरब	शिवलोक कालोनी रोड/ढांग	बाणी विहार, शांति विहार, शिव लोक, रामनगर, जैन प्लाट, समाज कल्याण कार्यालय, प्रा0वि0 वाणी विहार (ग्राम सभा लाडपुर के वार्ड सं. 10, 11, 12, 13) एवं अन्य
		पश्चिम	छोटी रिस्पना नदी, डील कालोनी	
		उत्तर	रायपुर रोड	
		दक्षिण	रोटरी कुष्ठाश्रम रोड	
52	अजबपुर सरस्वती विहार	पूरब	रेलवे लाइन, रिस्पना	सरस्वती विहार सम्पूर्ण क्षेत्र, कुकरेजा इंस्टीट्यूट, एकता विहार, बहुगुणा कालोनी, श्रम विभाग रोड, बैंक कालोनी अजबपुर एवं अन्य
		पश्चिम	नाला	
		उत्तर	रेलवे लाइन	
		दक्षिण	हरिद्वार बाइपास	
53	माता मंन्दिर रोड	पूरब	मोथरोवाला सडक	सुमन नगर, माता मंदिर क्षेत्र, ओम विहार आंशिक, एवं अन्य
		पश्चिम	सुमननगर नाला	
		उत्तर	रेसकोर्स रोड	
		दक्षिण	रेलवे लाइन	
54	चन्द्र सिंह गढवाली अजबपुर	पूरब	रिस्पना,	सपेरा बस्ती, प्रगति बिहार आंशिक,रेवती नर्सिंग होम, बिधायक निवास, दूरदर्शन केन्द्र क्षेत्र प्रगति विहार आंशिक, मोथरोवाला रोड आंशिक, भुइयां मंदिर क्षेत्र, प्रकाश विहार आंशिक, आनन्द विहार, द्रोणपुरी, साकेत कालोनी आंशिक, गडरिया मोहल्ला, अजबपुर आंशिक एवं अन्य
		पश्चिम	मोथरोवाला सडक	
		उत्तर	हरिद्वार रोड	
		दक्षिण	रेलवे लाइन	
55	शिवनगर एम0डी0डी0ए0 नया वार्ड	पूरब	रिस्पना पुल से गोरखपुर चौक मुख्य मार्ग से डिफेन्स कालोनी के शिवनगर एम0डी0डी0ए0 कालोनी केदारपुरम	विधान सभा, नगर निगम कार्यालय, शिवनगर एम0डी0डी0ए0 कालोनी, ए.बी.सी. सैण्टर, कांजी हाउस, THDC कालोनी एवं अन्य
		पश्चिम	नदी रिस्पना	
		उत्तर	रिस्पना पुल	
		दक्षिण	केदारपुरम आंशिक।	

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
46	अधोईवाला	पूरब	खाला, आमवाला तरला	चूना भट्टा, विकास लोक लेन 1, 2, 3, सुमनपुरी, कानन कुंज, आर.के पुरम, तरला अधोईवाला, केवल विहार एवं अन्य
		पश्चिम	रिस्पना नदी	
		उत्तर	नाला पानी रोड, एकता विहार रोड	
		दक्षिण	रायपुर रोड	
47	चन्दर रोड एम.डी. डी.ए कालोनी	पूरब	उत्तरांचल कालोनी, एम.डी.डी.ए–एल.आई.जी मध्य रोड	चन्दर रोड एम.डी.डी.ए कालोनी, पंचपुरी, चूना भट्टा, मस्जिद क्षेत्र, दिव्य विहार आंशिक, प्रगति विहार आंशिक एवं अन्य
		पश्चिम	रिस्पना नदी	
		उत्तर	पानी की टंकी रोड, अजंता एन्कलेव होते हुये प्रगतिवहार	
		दक्षिण	रिस्पना नदी	
48	बद्रीश कालोनी	पूरब	भगत सिंह कालोनी का जंगल शाल, कुष्ठ आश्रम, बद्रीश कालोनी के पिछला पूर्वी खाला व जंगल अम्बीवाला गुरूद्वारा के सामने वाली पानी की टंकी।	बद्रीश कालोनी, अपर राजीव नगर, रोटरी कुष्टाश्रम एवं अन्य
		पश्चिम	नदी रिस्पना मोहनी रोड़ तक।	
		उत्तर	पूर्व वार्ड 30 का भाग, कुष्ठाश्रम	
		दक्षिण	रिस्पना पुल से अम्बीवाला गुरूद्वारा।	
49	भगत सिंह कालोनी	पूरब	भगत सिंह कालोनी सड़क, शांति विहार व नदी डील की सीमा	आजाद नगर, आदर्श विहार कालोनी, अजंता एन्कलेव आंशिक रक्षा पुरम, आंचल डेयरी, प्रगति विहार आंशिक, कुष्टाश्रम, उत्तरांचल कालोनी (MDDA कालोनी पुल से नीचे), भगत सिंह कालोनी(मस्जिद वाला भाग) एवं अन्य
		पश्चिम	रिस्पना नदी, एम.डी.डी.ए कालोनी–एल.आई.जी मध्य	
		उत्तर	रायपुर रोड	
		दक्षिण	मोहिनी रोड पुल, प्रगति विहार रोड, पानी की टंकी	
50	राजीव नगर	पूरब	अम्बीवाले खाले तक पुरानी नगर निगम सीमा।	लोअर राजीव नगर, सारथी विहार, दिव्य विहार, बद्रीश कालोनी, शिवपुरी, रैफल होम उत्तरांचल विहार एवं अन्य
		पश्चिम	नदी रिस्पना	
		उत्तर	धरमपुर कैनाल रिंग रोड	
		दक्षिण	हरिद्वार रोड़	

95

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
41	इन्द्रापुरम्	पूरब	बिन्दाल नदी व सहारनपुर रोड	इन्द्रापुरम्, एम0डी0डी0ए0 कालोनी, इंजीनियर्स एनक्लेव का आंशिक भाग गढ़वाली कालोनी, साईं लोक, आदित्य शायर, सनपार्क होटल, एफ0सी0आई0 गोदाम, मोहित विहार, केशव विहार, महादेव विहार मिलन विहार आंशिक, सचिवालय कालोनी एवं अन्य
		पश्चिम	मच्छीतालाब, आई0टी0बी0पी0, शास्त्रीनगर खाला	
		उत्तर	इन्जीनियर्स एनक्लेव एवं मिलन विहार सड़क	
		दक्षिण	नगर निगम की पूर्व सीमा	
42	कांवली	पूरब	जी.एम.एस. रोड	व्योमप्रस्थ, कांवली ग्राम, कालिंदी एन्कलेव, चित्रकुट एन्कलेव, हिलब्यू आंशिक, खादी ग्रामोद्योग, UPCL आफिस, द्वारिका पुरी, व्योमप्रस्थ, शास्त्री नगर खाला आंशिक एवं अन्य
		पश्चिम	शास्त्री नगर खाला	
		उत्तर	कंवली रोड	
		दक्षिण	इन्जीनियर्स एनक्लेव मध्य सड़क	
43	द्रोणपुरी	पूरब	बिन्दाल नदी	दत्ता एनक्लेव, सत्तोवाली घाटी, अलकनन्दा एनक्लेव, श्यामभवी रोड, कालीमन्दिर क्षेत्र, न्यू पटेल नगर एवं अन्य
		पश्चिम	जी0एम0एस0रोड	
		उत्तर	कांवली रोड,	
		दक्षिण	मिलन विहार सड़क	
44	पटेलनगर प0	पूरब	सहारनपुर रोड	पटेलनगर प0, विजय रतूड़ी मार्ग, गुरू रोड, सरस्वती सोनी रोड आंशिक, संजय कालोनी एवं अन्य
		पश्चिम	बिन्दाल	
		उत्तर	सरस्वती सोनी मार्ग/पार्क रोड	
		दक्षिण	बिन्दाल	
45	गांधीग्राम	पूरब	पार्क रोड	गांधीग्राम, पार्क रोड आंशिक, कल्याण आश्रम एवं अन्य
		पश्चिम	बिन्दाल	
		उत्तर	एम0डी0डी0ए0 कालोनी	
		दक्षिण	संजय कालोनी	

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
36	विजयपार्क	पूरब	वार्ड 58 सीमा	विजय पार्क,विजयपार्क एक्सटेंशन, विवेक विहार पाकेट–1, 2, वाडिया न्यू कालोनी, सिदार्थ एनक्लेव, शिवालिक एनक्लेव मोहित नगर सेन्ट एनमेरी स्कूल, महारानी बाग आंशिक एवं अन्य
		पश्चिम	महारानी बाग सड़क	
		उत्तर	चकराता रोड	
		दक्षिण	कांवली रोड	
37	बसंत विहार	पूरब	महारानी बाग सडक/जी0एम0एस0 रोड	वनस्थली, दर्गा विहार, महारानी बाग आंशिक, राजविहार, बसंत विहार फेज–1, आर्शिवाद एनक्लेव, इन्दिरागांधी फारेस्ट एकेडमी, एवं अन्य
		पश्चिम	पण्डितवाणी कांवाली रोड	
		उत्तर	चकराता रोड	
		दक्षिण	कांवली रोड/इन्द्रानगर बसंत विहार सड़क	
38	पण्डितवाड़ी	पूरब	इन्द्रानगर बसंत विहार सीमा	बसंत विहार फेज–2 आंशिक, भूड़ गांव, धरता वाला, सिदार्थ एनक्लेव, रांगड़ वाला चौकी क्षेत्र, पंडितवाड़ी पुलिस चौकी, हरवंशवाला आंशिक (पुराना नगर निगम क्षेत्र) एवं अन्य
		पश्चिम	आई0एम0ए0 सीमा/कैन्ट सीमा	
		उत्तर	कांवली रोड व चकराता रोड	
		दक्षिण	चाय बाग	
39	इन्द्रानगर	पूरब	शास्त्रीनगर खाला	इन्द्रानगर फेज–1, एशियन स्कूल क्षेत्र, इन्द्रानगर फेज–2 पुलिस चौकी , शास्त्रीनगर खाला आंशिक, मलिक चौक, सुभाष पार्क एवं अन्य
		पश्चिम	बसंत विहार	
		उत्तर	कांवली रोड	
		दक्षिण	संचार विहर, स्टेट बैंक गेस्ट हाउस, AWHO लाइन	
40	सीमाद्वार	पूरब	शास्त्रीनगर खाला/मच्छीतालाब, आई0टी0बी0पी0 कालोनी	इन्द्रानगर फेज–2 का भाग, शास्त्रीनगर खाला आंशिक, कच्छी मौहल्ला, मच्छीतालाब, आई0टी0बी0पी0, जल निगम कालोली, सी.बी.आई कालोनी, आडिट कालोनी, जनता क्वार्टर्स एवं अन्य
		पश्चिम	वन क्षेत्र	
		उत्तर	संचार विहर, स्टेट बैंक गेस्ट हाउस, AWHO लाइन	
		दक्षिण	नगर निगम की पूर्व सीमा	

97

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
31	कौलागढ़	पूरब	कौलागढ़ कैनाल	कौलागढ, बाजावाला, चूना भट्टा, नौटियाल मौहल्ला, अरण्य विहार, गंगा विहार, अंकित विहार, ए0जी0 कालोनी एवं अन्य
		पश्चिम	टौंस नदी	
		उत्तर	कैन्ट बोर्ड सीमा	
		दक्षिण	एफ0आर0आई0	
32	बल्लूपुर	पूरब	चकराता रोड	बल्लूपुर, कमला नगर, आनन्द विहार, गांधी नगर, कैलाशपुरी, राजेन्द्र नगर ईस्ट गली नं0–1,3,5,7,9,11, ओ0एन0जी0सी0 कालोनी दक्षिणी, राम विहार, अलका पुरी, कैलाश पुरी, बन विहार, फ्रेण्ड्स कालोनी, उद्दी वाला, एवं अन्य
		पश्चिम	जी0एम0एस0रोड एवं कौलागढ़ कैनाल	
		उत्तर	कौलागढ़ रोड एवं कैन्ट बोर्ड सीमा	
		दक्षिण	चकराता रोड / एफ.आर.आई.	
33	यमुना कालोनी	पूरब	बिन्दाल नदी	सैयद मौहल्ला आंशिक, यमुना कालोनी, ईदगाह सड़क से बिन्दाल खुड़बुड़ा पुल का उत्तरी भाग, लो0नि0वि0क्वार्टर्स एवं कुम्हार मण्डी एवं अन्य
		पश्चिम	छोटी बिंदाल नदी / यमुना कालोनी बाउन्ड्री	
		उत्तर	चकराता रोड	
		दक्षिण	यमुना कालोनी बाउन्ड्री व ईदगाह खुड़बुड़ा रोड	
34	गोविन्दगढ़	पूरब	बिन्दाल नदी	गोविन्दगढ़, टीचर्स कालोनी, शान्ति विहार, श्रीरामपुरम्, बिन्दाल कालोनी आंशिक, प्रकाश नगर एवं अन्य
		पश्चिम	विजयपार्क एक्सटेंशन	
		उत्तर	ईदगाह रोड एंव यमुना कालोनी	
		दक्षिण	कांवली रोड	
35	श्रीदेव सुमन नगर	पूरब	यमुना कालोनी/छोटी बिन्दाल	दीपलोक, मित्रलोक, श्रीदेव सुमन नगर, राजीव नगर आंशिक, आदर्श विहार, आकाशदीप एवं अन्य
		पश्चिम	विजयपार्क एक्सटेंशन	
		उत्तर	चकराता रोड	
		दक्षिण	शान्तिविहार	

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
26	धामावाला	पूरब	कचहरी रोड, गांधी रोड	डिस्पैन्सरी रोड आंशिक क्षेत्र, इनामुल्ला बिल्डिंग, नया नगर, राजा रोड क्षेत्र आंशिक, धामावाला, मोती बाजार आंशिक, कोतवाली एवं अन्य
		पश्चिम	मोती बाजार रोड	
		उत्तर	न्यू रोड	
		दक्षिण	गांधी रोड/राजा रोड	
27	झण्डा मोहल्ला	पूरब	मोती बाजार रोड/पल्टन बाजार रोड/जैन कालोनी मार्ग	कश्मीरी क्वाटर, मोती बाजार आंशिक, सब्जीमण्डी, रामलीला बाजार, झण्डा बाजार, जैन कालोनी, दर्शनी गेट, अखाड़ा मोहल्ला, मन्नूगंज आंशिक, मालियान मोहल्ला, पीपल मंण्डी, बाबू गंज, हनुमान चौक एवं अन्य
		पश्चिम	नाला/कांवली रोड	
		उत्तर	नाला/मन्नूगंज रोड	
		दक्षिण	आढ़त बाजार रोड	
28	डालनवाला उत्तर	पूरब	रिस्पना नदी	सर्वे आफ इण्डिया, कोरोनेशन अस्पताल, म्यूनिस्पल रोड, नेमी रोड, इन्दर रोड आंशिक, लक्ष्मी रोड आंशिक, सर्कुलर रोड आंशिक, गांधी बस्ती एवं अन्य
		पश्चिम	ई.सी. रोड	
		उत्तर	रायपुर रोड	
		दक्षिण	इन्दर रोड/नेमि रोड	
29	डालनवाला पूरब	पूरब	रिस्पना नदी	इन्दर रोड बस्ती आंशिक, चन्दर रोड बस्ती, संजय कालोनी, पूरन बस्ती, बलबीर रोड बस्ती, मोहिनी रोड आंशिक एवं अन्य
		पश्चिम	नया गांव रोड	
		उत्तर	नेमी रोड/पूरन बस्ती	
		दक्षिण	धर्मपुर कैनाल रोड	
30	डालनवाला दक्षिण	पूरब	पूरन बस्ती, नया गांव रोड इन्दर रोड बस्ती	इन्दर रोड आंशिक, कैनाल रोड आंशिक, मोहिनी रोड, बलबीर रोड, तेगबहादुर रोड, प्रीतम रोड, माडल कालोनी एवं अन्य
		पश्चिम	ई.सी. रोड, हरिद्वार रोड	
		उत्तर	इन्दर रोड/नेमी रोड	
		दक्षिण	धर्मपुर कैनाल रोड	

	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
	रेसकोर्स (उ.)	पूरब	हरिद्वार रोड/कैनाल रोड	आराघर आंशिक, रेसकोर्स आंशिक, गांधी आश्रम क्षेत्र, चन्दर नगर आंशिक, नन्ही दुनिया स्कूल एवं अन्य
		पश्चिम	चन्दर नगर रोड,	
		उत्तर	हरिद्वार रोड/रेसकोर्स चौक / गांधी आश्रम रोड	
		दक्षिण	कैनाल रोड/बन्नू स्कूल रोड	
	एम0के0पी0	पूरब	ई.सी. रोड/रेसकोर्स रोड	परेडग्राउन्ड, पटेल रोड, नगर निगम, दून अस्पताल, सुभाष रोड, रोडवेज वर्कशॉप, रेसकोर्स आंशिक, चन्दर नगर आंशिक, ई.सी. रोड आंशिक, सुभाष रोड, महादेवी कन्या पाठसाला, कचहरी परिषर, हरिद्वार रोड आंशिक, कास रोड एवं अन्य
		पश्चिम	कचहरी रोड/ डिस्पेंसरी रोड, राजपुर रोड, चन्दर नगर रोड	
		उत्तर	लैन्सडाउन रोड, परेडग्राउन्ड	
		दक्षिण	गांधी आश्रम चन्दर नगर रोड/सूरी चौक	
	तिलक रोड	पूरब	नाला	फारेस्ट कालोनी, आनन्द चौक, खुड़बुड़ा गुजराती बस्ती, बिन्दाल रोड आंशिक क्षेत्र एवं अन्य
		पश्चिम	बिन्दाल नदी, वार्ड 21 की सीमा	
		उत्तर	अंसारी मार्ग, चकराता रोड	
		दक्षिण	एस0जी0आर0आर0 गर्ल्स कालेज व पुलिस चौकी खुडबुडा	
	खुड़बुडा	पूरब	नाला,	बिन्दाल रोड आंशिक, पीर की मांड़ी खुडबुड़ा आंशिक, राम प्यारी इन्टर कालेज, ऋषि आश्रम, भाटड़ा बस्ती आंशिक एवं अन्य
		पश्चिम	बिन्दाल रिवर, छबीलबाग	
		उत्तर	पुलिस चौकी खुड़बुडा सड़क, गुजराती बस्ती	
		दक्षिण	कांवली रोड	
24	शिवाजी मार्ग	पूरब	छबीलबाग खुड़बुडा रोड	छबीलबाग आंशिक, भाटरा बस्ती आंशिक, शिवकालोनी, कामेट बल्ब फैक्ट्री, आंशिक खुड़बुड़ा क्षेत्र एवं अन्य
		पश्चिम	बिन्दाल रिवर	
		उत्तर	खुड़बुड़ा रोड	
		दक्षिण	कांवली रोड	
25	इन्द्रेश नगर	पूरब	नाला	जटिया मौहल्ला, मालवीय रोड, सरस्वती सोनी मार्ग आंशिक, एम0डी0डी0ए0 क्वाटर, पी0डी0 टन्डन रोड, केशव रोड आंशिक, हिन्दू नेशनल कालेज, महन्त रोड एवं अन्य
		पश्चिम	बिन्दाल रिवर	
		उत्तर	कांवली रोड	
		दक्षिण	सरस्वती सोनी मार्ग	

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
15	करनपुर	पूरब	डी.एल.रोड/गुरूद्वारा रोड	डी0ए0वी0 कालेज, डी0बी0एस0 कालेज, विष्णुरोड क्षेत्र, करनपुर, ओल्ड आबकारी रोड क्षेत्र, इनकम टैक्स सुभाष रोड आंशिक, दून क्लब, ओल्ड डालनवाला आंशिक 21–ई.सी.रोड एवं अन्य
		पश्चिम	ई0सी0 रोड व सुभाष रोड	
		उत्तर	पुरानी पानी की टंकी/विष्णुरोड/इनकम टैक्स आफिस	
		दक्षिण	परेडग्राउन्ड/ रायपुर रोड	
16	बकरालवाला	पूरब	ई.सी. रोड, ओल्ड सर्वे रोड व सुभाष रोड	वाटर वर्क्स, सेल टैक्स कालोनी, सचिवालय, हिमालियन अपार्टमेण्ट, ग्रीन वैली कालोनी, सी.एन.आई. स्कूल क्षेत्र, ईश कृपा रोड, बकरालवाला, बेनी बाजार, सैण्ट जोसेफ स्कूल, एस्लेहाल, कांग्रेस भवन, यूनिवर्सल पेट्रोल पंप, छायादीप सिनेमा व चर्च, धारा चौकी एवं अन्य
		पश्चिम	नाला व ओंकार रोड	
		उत्तर	न्यू कैण्ट रोड, ओल्ड सर्वे रोड	
		दक्षिण	ओंकार रोड आंशिक, नेश्विला रोड	
17	चुक्खूवाला	पूरब	ओंकार रोड, कृष्णा पैलेस रोड	चक्खुवाला, टैगोर विला, पी0एन0टी0 कालोनी, कुम्हार मोहल्ला एवं अन्य
		पश्चिम	बिन्दाल नदी, नाला	
		उत्तर	नेश्विला रोड	
		दक्षिण	चकरौता रोड	
18	इन्दिरा कालोनी	पूरब	गढ़वाल सभा रोड, नाला	गढ़वाल सभा क्षेत्र आंशिक, नव विहार, खटीक मोहल्ला, इन्दिराकालोनी, भोर का तारा एवं अन्य
		पश्चिम	बिन्दाल नदी	
		उत्तर	इन्दिरा कालोनी रोड	
		दक्षिण	नाला, बिन्दाल नदी	
19	घंटाघर कालिका मन्दिर	पूरब	डिस्पैन्सरी रोड, राजपुर रोड	चुक्खुवाला आंशिक, पल्टन बाजार, घोसीगली आंशिक, लुनिया मौहल्ला, कालिका मन्दिर, कनाट प्लेस आंशिक, अंसारी रोड आंशिक, मन्नूगंज आंशिक एवं अन्य
		पश्चिम	कृष्णा पैलेस सिनेमा, चकरौता रोड/कनाट प्लेस	
		उत्तर	ओंकार रोड व चकराता रोड	
		दक्षिण	अन्सारी मार्ग / मन्नूगंज/सरनीमल बाजार रोड	

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
10	डोभालवाला	पूरब	राजपुर रोड व नाला/ग्रीन वैली	कालीदास रोड का भाग, डोभालवाला, नेस्विला रोड आंशिक, डंगवाल रोड एवं अन्य
		पश्चिम	कालीदास रोड	
		उत्तर	न्यू कैण्ट रोड	
		दक्षिण	खटीक मोहल्ला/ नाला	
11	बिजय कालोनी	पूरब	कालीदास रोड	कालीदास रोड का भाग, शक्ति विहार विजय कालोनी, पथरियापीर, नीलकंठ विहार, बद्रीनाथ कालोनी एवं अन्य
		पश्चिम	बिंदाल नदी	
		उत्तर	न्यू कैण्ट रोड	
		दक्षिण	इंद्रा कालोनी	
12	किशन नगर	पूरब	छोटी बिंदाल नदी व कैन्ट सीमा	सैयद् मौहल्ला उत्तर, माल रोड, किशन नगर, किशन नगर एक्सटेंशन, लोहार वाला, सिरमौर मार्ग, राजेन्द्र नगर लेन – 10, 8, 4, 6, 2 ओ0एन0जी0सी0 उत्तरी कालोनी, दुर्गा वाड़ी एवं अन्य
		पश्चिम	गढ़ी कैनाल रोड	
		उत्तर	RIMC बाउंड्री वाल/कैन्ट सीमा	
		दक्षिण	चकराता रोड / कौलागढ रोड	
13	डी.एल.रोड	पूरब	रिस्पना नदी	चैतन्य मठ, नालापानी, सेवक आश्रम क्षेत्र आंशिक, अम्बेडकर कालोनी एवं अन्य
		पश्चिम	सेवक आश्रम रोड	
		उत्तर	नदी रिस्पना	
		दक्षिण	नाला पानी रोड	
14	रिस्पना	पूरब	रिस्पना नदी	अधोईवाला आंशिक, चुग कालोनी, वर्कशाप वाली गली, खटीक मोहल्ला, सिगलीगर मोहल्ला, ओल्ड डालनवाला आंशिक एवं अन्य
		पश्चिम	गुरूद्वारा रोड	
		उत्तर	नाला पानी रोड	
		दक्षिण	रायपुर रोड	

क्रम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
5	धोरण खास	पूरब	सहस्त्रधारा रोड	सहस्त्रधारा रोड आंशिक, धोरण गांव, सौंधीवाली, राजेश्वर नगर, चिड़ोवाली, कण्डोली, मयूरविहार, राजीव नगर आंशिक, उप्पल टावर एवं अन्य
		पश्चिम	रिस्पना नदी	
		उत्तर	धोरण ग्राम की सीमा	
		दक्षिण	अपोलो स्कूल, राजीवनगर कण्डोली सड़क	
6	दून विहार	पूरब	राजपुर रोड व कैनाल रोड	बालविकास केन्द्र, इन्दर बाबा मार्ग आंशिक, कोचर कालोनी, दून विहार, आवास विकास कालोनी, असंल कालोनी, विवेक विहार जाखन, बापू नगर, जोहड़ी रोड, भागीरथीपुरम्मां आनन्दमई आश्रम क्षेत्र एवं अन्य
		पश्चिम	बिन्दाल नदी	
		उत्तर	बाल विकास केन्द्र नाला, डाइवर्जन रोड	
		दक्षिण	सैनिक फार्म	
7	जाखन	पूरब	रिस्पना नदी	जाखन पूर्वी क्षेत्र, ब्लाइंड स्कूल, बॉडीगार्ड क्षेत्र, आनंद विहार, इंदरबाबा मार्ग आंशिक, बाला सुंदरी मंदिर क्षेत्र, इन्द्र लोक कालोनी, प्रेसिडेन्ट बाडीगार्ड एवं अन्य
		पश्चिम	राजपुर रोड	
		उत्तर	इन्दर बाबा मार्ग, धोरण रोड	
		दक्षिण	बाडीगार्ड रोड	
8	सालावाला	पूरब	राजपुर रोड	सैनिक फार्म, सालावाला, न्यू कैण्ट रोड आंशिक, बृज लोक, चन्द्रलोक कालोनी, हाथीबड़कला आंशिक एवं अन्य
		पश्चिम	सर्वे स्टेट	
		उत्तर	मिलिट्री फार्म की सीमा	
		दक्षिण	न्यू कैण्ट रोड	
9	आर्य नगर	पूरब	रिस्पना नदी व सेवक आश्रम रोड	एकता विहार, साकेत कालोनी, आर्यनगर, सेवक आश्रम रोड आंशिक, अरविन्द मार्ग आंशिक, मानसिंह वाला आंशिक एवं अन्य
		पश्चिम	राजपुर रोड/ ओल्ड सर्वे रोड	
		उत्तर	ग्राम कण्डोली रोड	
		दक्षिण	मानसिंहवाला रोड	

नगर निगम देहरादून के वार्ड परिसीमन प्रस्ताव के अनन्तिम प्रकाशन के पश्चात प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त विवरण

कम सं	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा		वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
		दिशा	विवरण	
1	मालसी	पूरब	नगर निगम पुरानी सीमा ग्राम डुंगाल गावं, थानी गांव, ढाकपट्टी, किशनपुर	1–खाला गांव, 2–भण्डार गांव, 3–डोम गांव, कुठालगांव, बगरालगांव, किरसाली गांव, दानियों का डाण्डा, मक्का वाला, सिनोला, मालसी,
		पश्चिम	सीमा ग्राम क्योरकुली, पुगुल गांव, सेलान गांव, बामन गांव, गुनियाल गांव, सिनोलीवाला,	
		उत्तर	सीमा झड़ीपानी	
		दक्षिण	सीमा ग्राम जोहड़ी	
2	बिजयपुर	पूरब	हाथीबड़कला सालावाला, मिलेट्री फार्म/कैन्ट ऐरिया,	जोहड़ी, बिजयपुर हाथीबड़कला, बिजयपुर गोपीवाला, हाथीबड़कला का सर्वे स्टेट
		पश्चिम	खाला	
		उत्तर	ग्राम सिनोला,	
		दक्षिण	कैन्ट ऐरिया	
3	रांझावाला	पूरब	सौंग नदी व ग्राम नथुआवाला की सीमा	ग्राम रायपुर के वार्ड सं. 10, 11, 12, 13, 14 एवं गाम चकतुनवाला के 1, 2, 10, 11, 12, 13 (जंगलात चैकपोस्ट के समप क्षेत्र, दो सौ बीघा कालोनी, स्पोर्टस कालेज, मारूति विहार, रायपुर खादर, साइग्रेस अकादमी कालेज के समीप मोहल्ले, न्यू कालोनी रांझावाला एवं अन्य)
		पश्चिम	मालदेवता रोड, नेहरू ग्राम रोड, गूलरघाटी रोड, रायपुर–मियांवाला कैनाल रोड	
		उत्तर	ग्राम बझेत	
		दक्षिण	ग्राम चकतुनवाला	
4	राजपुर	पूरब	रिस्पना नदी	शहनशाही आश्रम, बीरगिर वाली, डाईवर्जन रोड, ढाक पट्टी, काठबंगला, थानीगांव, पुलिस कालोनी, ओल्ड राजपुर, सत्यान मोहल्ला, सुमन नगर, प्लीजेंट वैली एवं अन्य
		पश्चिम	बिन्दाल नदी	
		उत्तर	मसूरी सीमा	
		दक्षिण	डायवर्जन रोड, बाल विकास केन्द्र	

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–3
संख्या– /IV(3)/2018-11(6निर्वा)/2017
देहरादूनः दिनांक 19 जनवरी, 2018

अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) की धारा–32 की उपधारा 1 एवं 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर निगम देहरादून क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैः–

(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उक्त नगर निगम क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 में उल्लिखित किया गया हैं।

संलग्नकः अनुसूची–1

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या– (1)/IV(3)/2018-11(6निर्वा)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50–50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव।

संख्या 217– (2) IV(3)/2018-11(6 निर्वा)/2017,तद्दिनांक
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
6. जिलाधिकरी, देहरादून।
7. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
8. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव।

29	अधोईवाला द0द	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
30	भगत सिंह का0	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
31	राजीव नगर	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
32	डिफेन्स कालोनी	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
33	नेहरू कालोनी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
34	धर्मपुर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
35	दीप नगर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
36	अजबपुर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
37	माता मन्दिर मार्ग	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
38	रेसकोर्स द0	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
39	रेस्ट कैम्प	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
40	रीठा मंडी	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
41	लक्खी बाग	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
42	कारगी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
43	पटेल नगर पूर्व	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
44	ब्रह्मपुरी	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
45	निरजंनपुर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
46	माजरा	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
47	टर्नर रोड	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
48	इन्द्रिापुरम	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
49	द्रोणपुरी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
50	कार्वली	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
51	इन्द्रानगर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
52	वसन्त विहार	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
53	मोहित नगर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
54	पटेल नगर (पश्चिम)	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
55	गांधी ग्राम	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
56	यमुना कालोनी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
57	गोविन्दगढ	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
58	श्रीदेव सुमन नगर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
59	बल्लूपुर	2.10	2.45	2.80	1.40	1:75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
60	कौलागढ	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24

31/3/18 31/3/18 TS(Mtn) 31/3/18 31/3/18

अपर मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत प्रस्तावित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (रूपए प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) एंव भूखण्ड हेतु क्षेत्रफल(रूपए प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) दर (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक)

वार्ड सं0	वार्ड का नाम	पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
		12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
1	राजपुर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
2	सइस्त्रधारा रोड	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
3	जाखन	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
4	हाथीबडकला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
5	आर्यनगर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
6	डोभालवाला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
7	विजय कालोनी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
8	किशन नगर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
9	डी0 एल0 रोड0	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
10	रिस्पना	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
11	करनपुर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
12	बकरालवाला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
13	चुक्खुवाला	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
14	इन्द्रा कालोनी	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
15	घंटाघर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
16	रेस्कोर्स उत्तर	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
17	एम0 के0 पी0	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
18	कालिका माता मन्दिर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
19	तिलक रोड	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
20	खुडबुडा	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
21	शिवाजी मार्ग	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
22	इन्द्रेश नगर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
23	धामावाला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
24	झण्डा मौहल्ला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
25	डालनवाला उ0	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
26	डालनवाला पू0	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
27	डालनवाला द0	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
28	अधोईवाला उ0	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24

54	पटेल नगर प0	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.10	.15	.20
55	गांधीग्राम	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.60	.75	1.10	.08	.10	.15
56	यमुना कालोनी	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25
57	गोविंद गढ़	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.10	.15	.20
58	श्रीदेव सुमन नगर	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.60	.75	1.10	.08	.10	.15
59	बल्लूपुर	2.25	2.60	3.00	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	.15	.25	.30
60	कौलागढ़	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25

नोटः–

1– रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम 1972 के अधीन आने वाले भवनों पर उत्तराखण्ड नगर निगम अधिनियम 1950 के प्राविधान अनुसार करों की देयता अब किरायेदार की होगी।

2– स्वअध्यासित भवन यदि 10 वर्ष तक पुराना है तो आंगणित वार्षिक मूल्याकंन से 25 प्रतिशत कम, 10 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम पुराने भवन पर 32.05 प्रतिशत तथा 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों पर 40 प्रतिशत कम वार्षिक निर्धारण माना जायेगा।

3– किराये पर उठाये गये आवासीय भवनों में यदि भवन 10 वर्ष पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक, 10 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम पुराना है तो **12.5** प्रतिशत अधिक, यदि भवन 20 वर्ष से अधिक पुराना है तो उसका वार्षिक मूल्य उपधारा (1) के खण्ड (ख) के आधिन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

4– स्वकर निर्धारण के निमित्त प्रपत्र "क" और "ख" में प्रत्येक कर दाता को सूचना भरकर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

हरक सिंह रावत
मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

प्रतिलिपिः– सम्पादक,.....को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन आगामी अंक में करते हुये दो प्रति नगरनिगम देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करे, तथा भुगतान हेतु बिल भी प्रस्तुत करे।

मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

14	इन्द्रा कालोनी	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.60	.75	1.10	.08	.10	.15
15	घंटाघर	2.25	2.60	3.00	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	0.25	.30
16	रेसकोर्स उत्तर	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.10	.15	.20
17	एम0के0पी0	2.25	2.60	3.00	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	.15	.25	.30
18	कालिका माता मन्दिर	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25
19	तिलक रोड़	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25
20	खुड़बुड़ा	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.10	.15	.20
21	शिवाजी मार्ग	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.60	.75	1.10	.08	.10	.15
22	इन्द्रेश नगर	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.08	.10	.15
23	धामावाला	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	0.75	1.50	1.90	0.15	0.20	0.25
24	झण्डा मौहल्ला	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	0.75	1.50	1.90	0.15	0.20	0.25
25	डालनवाला उ0	2.25	2.60	3.00	1.90	2.25	2.25	1.50	1.90	2.25	.15	.25	.30
26	डालनवाला पू0	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.10	.15	.20
27	डालनवाला द0	2.25	2.60	3.00	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	.15	0.20	.025
28	अधोईवाला उ0	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25
29	अधोईवाला द0	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	1.50	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25
30	भगत सिंह का0	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.90	.60	.75	1.10	.08	.10	.15
31	राजीव नगर	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.10	.15	.20
32	डिफेंस कालोनी	2.25	2.60	3.00	1.90	2.25	2.25	1.50	1.90	2.25	.15	.25	.30
33	नेहरू कालोनी	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25
34	धर्मपुर	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25
35	दीप नगर	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.60	.75	1.10	.08	.10	.15
36	अजबपुर	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25
37	माता मन्दिर मार्ग	1.90	2.25	2.25	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25
38	रेसकोर्स द0	2.25	2.60	3.00	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	.15	.25	.30
39	रेस्ट कैम्प	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25
40	रीठा मंडी	1.50	1.90	1.90	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.10	.15	.20
41	लक्खी बाग	1.50	1.90	1.90	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.10	.15	.20
42	कारगी	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25
43	पटेल नगर पूर्व	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.60	.75	1.10	.08	.10	.15
44	ब्रहमपुरी	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.60	.75	1.10	.08	.10	.15
45	निरंजनपुर	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.60	.75	1.10	08	.10	.15
46	माजरा	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25
47	टर्नर रोड़	2.25	2.60	3.00	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	.15	.25	.30
48	इन्दिरापुरम्	1.90	2.25	2.60	1.50	1.50	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25
49	द्रोणपुरी	1.90	2.25	2.60	1.50	1.50	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25
50	कांवली	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.10	.15	.20
51	इन्दिरा नगर	2.25	2.60	3.00	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	.15	.25	.30
52	बसंत विहार	2.25	2.60	3.00	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	.15	.25	.30
53	मोहित नगर	2.25	2.60	3.00	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	.15	.25	.30

नगर निगम, देहरादून ।
प्रेस विज्ञप्ति

पत्रांकः– 378/ST/014 दिनांकः– 18/09/014

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तरप्रदेश सरकार ने 74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप भवन कर में एकरूपता लाने हेतु नगर निगम में सम्पत्ति कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ बनाते हेतु नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा –174(ख) के अन्तर्गत आवासीय भवनों पर भू–खण्डों पर सम्पत्तिकर लगाने हेतु स्वकर निर्धारण की प्रक्रिया नगर निगम सम्पत्तिकर नियमावली, 2000, नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 1435/9–9–2000–63ज/954–टीसी, दिनांक 22 अप्रैल 2000 के क्रम में पत्रांक सं0 47/स्टैनो/2010 दिनांक 10.2.2010 के द्वारा प्रकाशित दरों के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु गठित समिति द्वारा दी गयी आख्या के आधार पर समस्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए आक्षेपों का विनिश्चय किया जा चुका है।

अतएव मैं हरक सिंह रावत मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम दे0 दून, नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली में दिये गये मानकों के अनुसार क्षेत्र विशेष में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के 60 वार्डों में वार्डवार प्रतिवर्ग फुट कारपेट एरिया, किराये की न्यूनतम मासिक दर तथा भूमि के प्रत्येक समूह के लिये क्षेत्रफल के प्रतिवर्ग फुट पर किराये की प्रयोज्य अन्तिम रूप से न्यूनतम मासिक दर निर्धारित करता हूँ। यह सम्पूर्ण व्यवस्था ऐसे भवन जो 30 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर निर्मित किये गये हों या जिसका कारपेट एरिया 15 वर्गमीटर तक हो पर लागू नहीं होगी परन्तू ऐसे भवन स्वामी के स्वामित्व में देहरादून नगर में कोई अन्य भवन न हो, कर निर्धारण हेतु आवासीय भवनों को अन्तिम रूप से निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

निर्धारित दर

समस्त वार्डों के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह)

वार्ड सं0	वार्ड कानाम	पक्का भवन, आर0सी0सी0, आर0बी0 छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
		12 मी0 से कम चौड़ी सड़क	12 से 24 मी0 चौड़ी सड़क	24 मी0 से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी0 से कम चौड़ी सड़क	12 से 24 मी0 चौड़ी सड़क	24 मी0 से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी0 से कम चौड़ी सड़क	12 से 24 मी0 चौड़ी सड़क	24 मी0 से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी0 से कम चौड़ी सड़क	12 से 24 मी0 चौड़ी सड़क	24 मी0 से अधिक चौड़ी सड़क
1	राजपुर	2.25	2.60	3.00	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	0.25	.30
2	सहस्त्रधारा रोड़	2.25	2.60	3.00	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	0.25	.30
3	जाखन	2.25	2.60	3.00	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	0.25	.30
4.	हाथीबडकला	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	.75	1.10	1.50	.15	.20	.25
5	आर्यनगर	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	.75	1.10	1.50	.15	.20	.25
6	डोभालवाला	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	.75	1.10	1.50	.15	.20	.25
7	विजय कालोनी	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	.75	1.10	1.50	.15	.20	.25
8.	किशन नगर	2.25	2.60	3.00	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.25	.30
9.	डी0एल0रोड़	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.10	.15	.20
10	रिस्पना	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.60	.75	1.10	.08	.10	.15
11	करनपुर	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.60	.75	1.10	.08	.10	.15
12	बकरालवाला	1.90	2.25	2.60	1.50	1.90	2.25	1.10	1.50	1.90	.15	.20	.25
13	चुक्खुवाला	1.10	1.50	1.90	.75	1.10	1.50	.60	.75	1.10	.08	.10	.15

कार्यालय नगर निगम देहरादून

हिन्दुस्तान स.पत्र - 19/7/2018

पत्रांक: 187

दिनांक 18.07.2018

प्रेस विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सरकार के साधारण गजट सं. 239/XXVI/2016 दिनांक 02.08.2016 एवं तत्क्रम में शुद्धिपत्र अधिसूचना सं. 285/XXVI(3)/2016/44(1)/2016 दिनांक 12 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की संशोधित धारा 174 "ख" अधिसूचना संख्या 1624/IV(03)/2016-06(8)/2016 के अन्तर्गत संशोधित उत्तर प्रदेश सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के नियम 4 के उपनियम 4 "क" के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत वार्डवार/वार्ड के मौहल्लेवार प्रत्येक चार वर्षों में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए न्यूनतम मासिक किराए की दर या भूमि कि प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर निर्धारित की जानी है। अतएव मैं विजय कुमार जोगदण्डे नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून, नगर निगम अधिनियम 1959, में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-2022 तक चार वर्षों हेतु (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत 60 वार्डो में) न्यूनतम मासिक किराए की दर अनन्तिम रूप से निर्धारित करता हूँ।

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) एवं भूमि के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर।

वार्ड सं.	वार्ड का नाम	पक्का भवन, आर.सी.सी., आर.बी. छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवसीय भूखण्ड जिसमें भवन न बना हो		
		12 मी.से कम चौडी सडक	12 से 24 मी. चौड़ी सडक	24 मी.से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी. से कम चौड़ी सडक	12 से 24 मी. चौडी सडक	24 मी.से से अधिक चौड़ी सडक	12 मी. से कम चौड़ी सडक	12 से 24 मी. चौड़ी सडक	24 मी.से अधिक चौड़ी सडक	12 मी. से कम चौड़ी सडक	12 से 24 मी. चौड़ी सडक	24 मी.से अधिक चौड़ी सडक
1	राजपुर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
2	सहस्त्रधारा रोड	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
3	जाखन	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
4	हाथी बडकला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
5	आर्य नगर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
6	डोभालवाला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
7	विजय कालोनी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
8	कृष्ण नगर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
9	डी.एल. रोड	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
10	रिस्पना	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
11	करनपुर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
12	बकरालवाला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
13	चुक्खुवाला	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
14	इन्द्राकालोनी	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
15	धंटाघर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
16	रेसकोर्स (उत्तर)	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
17	एम.के.पी.	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
18	कालिका मन्दिर मार्ग	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
19	तिलक रोड	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
20	खुडबुड़ा	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
21	शिवाजी मार्ग	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
22	इन्द्रेश नगर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
23	धामावाला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
24	झण्डा मौहल्ला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
25	डालनवाला (उत्तर)	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
26	डालनवाला (पूरब)	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
27	डालनवाला (दक्षिण)	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
28	अधोईवाला (उत्तर)	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
29	अधोईवाला (दक्षिण)	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
30	भगत सिंह कालोनी	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
31	राजीव नगर	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
32	डिफैन्स कालोनी	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
33	नेहरू कालोनी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
34	धर्मपुर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
35	दीपनगर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
36	अजबपुर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
37	माता मन्दिर रोड	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
38	रेसकोर्स (दक्षिण)	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
39	रैस्ट कैम्प	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
40	रीठा मण्डी	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
41	लक्खी बाग	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
42	कारगी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
43	पटेल नगर (पूरब)	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
44	ब्रहमपुरी	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
45	निरंजनपुर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
46	माजरा	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
47	टर्नर रोड	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
48	इन्द्रापुरम	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
49	द्रोणपुरी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
50	कांवली	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
51	इन्द्र नगर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
52	बसन्त विहार	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
53	मोहित नगर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
54	पटेल नगर (पश्चिम)	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
55	गांधी ग्राम	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
56	यमुना कालोनी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
57	गोविन्दगढ	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
58	श्रीदेव सुमन नगर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
59	बल्लूपुर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
60	कौलागढ़	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24

अतः नगर निगम देहरादून की अधिसूचित क्षेत्र की परिधि (नवीन सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर) में आने वाले सामान्य जनता या जिस पर इस अधिरोपित कर का प्रभाव पडने वाला है उनसे आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते है। लिखित आपत्तियां एवं सुझाव इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को सम्बोधित करते हुए नगर निगम भवन कर अनुभाग कार्यालय 1 पटेल रोड निकट दून अस्पताल देहरादून में प्रातः 10.00 से सायं 05.00 बजे तक प्राप्त कराए जा सकते है। नियत तिथि तक प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचारोपरान्त क्षेत्रवार निर्धारण हेतु मासिक किराया दरों पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा।

विजय कुमार जोगदण्डे
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून

को शिक्षा विभाग
स्वयं देखेगा एवं
प्रशासन इस मामले में
कोई प्रतिक्रिया नहीं

सकता

वाल

र कक्षा 12 की आयशा
सम्मानित किया। इस
मामि गंगे परियोजना के
। बताया कि नमामि गंगे
में पांच पांच पौधे रोपे
क्ष्य रखा गया है। इस
के उददेश्य गंगा नदी
साथ साथ विद्यालयों में
कर पर्यावरण को
किया जाना है। इस
ना ग्राम प्रधान शोभा
प्रधान सरिता रतूड़ी,
देश कंडवाल, मंडल
नान, कमलेश भंडारी,
म सिंह नेगी, अमित
मोली आदि थे।

नाम

त्थे

पेत दबोचा

लिक के साथ दुराचार
रहे आरोपी को पुलिस
ो कोर्ट में पेश किया,
गया है। जानकारी के
को दी गई तहरीर में
को सेलाकुई आई हुई
पुत्र उदयवीर मैनपुरी
दोस्ती प्यार में बदल
ने अपने गांव ले गया।
आरोपी ने उसके साथ
और बाद में उसे
बात किसी को बताने
मिकी दी थी। पुलिस
उलाफ मुकदमा दर्ज
लिस ने आरोपी को
कर न्यायालय में

बाद उसके पांच बैंक
बताया कि नौकरी के
नेगी अपनी पत्नी के
ट कोर्स करवाने का

ा पालन

नींद

ष्ट्रीय सहारा ने इस
मुखता से प्रकाशित
लेते हुए विभागीय
को बुलाकर नियमों
गायी और निर्माण

कार्यालय नगर निगम देहरादून

पत्रांक: 187

दिनांक 18.07.2018

प्रेस विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सरकार के साधारण गजट सं. 239/XXVI/2016 दिनांक 02.08.2016 एवं तत्क्रम में शुद्धिपत्र अधिसूचना सं. 285/XXVI(3)/2016/44(1)/2016 दिनांक 12 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की संशोधित धारा 174 "ख" अधिसूचना संख्या 1624/IV(03)/2016-06(8)/2016 के अन्तर्गत संशोधित उत्तर प्रदेश सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के नियम 4 के उपनियम 4 "क" के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत वार्डवार/वार्ड के मौहल्लेवार प्रत्येक चार वर्षो में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए न्यूनतम मासिक किराए की दर या भूमि कि प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर निर्धारित की जानी है। अतएव मैं विजय कुमार जोगदण्डे नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून, नगर निगम अधिनियम 1959, में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-2022 तक चार वर्षो हेतु (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत 60 वार्डो में) न्यूनतम मासिक किराए की दर अनन्तिम रूप से निर्धारित करता हूँ।

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) एवं भूमि के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर।

वार्ड सं.	वार्ड का नाम	पक्का भवन, आर.सी.सी., आर.बी. छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवसीय भूखण्ड जिसमें भवन न बना हो		
		12 मी.से कम चौड़ी सड़क	12 से 24 मी. चौड़ी सड़क	24 मी.से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी. से कम चौड़ी सड़क	12 से 24 मी. चौड़ी सड़क	24 मी.से से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी. से कम चौड़ी सड़क	12 से 24 मी. चौड़ी सड़क	24 मी.से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी. से कम चौड़ी सड़क	12 से 24 मी. चौड़ी सड़क	24 मी.से अधिक चौड़ी सड़क
1	राजपुर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
2	सहस्त्रधारा रोड	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
3	जाखन	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
4	हाथी बड़कला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
5	आर्य नगर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
6	डोभालवाला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
7	विजय कालोनी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
8	कृष्ण नगर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
9	डी.एल. रोड	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
10	रिस्पना	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
11	करनपुर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
12	वकरालिवाली	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
13	चुक्खुवाला	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
14	इन्द्राकालोनी	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
15	घंटाघर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
16	रेसकोर्स (उत्तर)	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
17	एम.के.पी.	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
18	कालिका मन्दिर मार्ग	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
19	तिलक रोड	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
20	खुड़बुड़ा	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
21	शिवाजी मार्ग	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
22	इन्द्रेश नगर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
23	धामावाला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
24	झण्डा मौहल्ला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
25	डालनवाला (उत्तर)	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
26	डालनवाला (पूरब)	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
27	डालनवाला (दक्षिण)	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
28	अधोईवाला (उत्तर)	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
29	अधोईवाला (दक्षिण)	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
30	भगत सिंह कालोनी	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
31	राजीव नगर	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
32	डिफेन्स कालोनी	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
33	नेहरू कालोनी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
34	धर्मपुर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
35	दीपनगर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
36	अजबपुर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
37	माता मन्दिर रोड	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
38	रेसकोर्स (दक्षिण)	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
39	रैस्ट कैम्प	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
40	रीठा मण्डी	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
41	लक्खी बाग	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
42	कारगी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
43	पटेल नगर (पूरब)	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
44	ब्रह्मपुरी	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
45	निरंजनपुर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
46	माजरा	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
47	टर्नर रोड	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
48	इन्द्रापुरम	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
49	द्रोणपुरी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24

2	सहस्त्रधारा रोड	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
3	जाखन	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
4	हाथी बड़कला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
5	आर्य नगर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
6	डोभालवाला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
7	विजय कालोनी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
8	कृष्ण नगर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
9	डी.एल. रोड	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
10	रिस्पना	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
11	करनपुर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
12	बकरालवाला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
13	चुक्खुवाला	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
14	इन्द्राकालोनी	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
15	घंटाघर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
16	रेसकोर्स (उत्तर)	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
17	एम.के.पी.	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
18	कालिका मन्दिर मार्ग	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
19	तिलक रोड	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
20	खुडबुडा	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
21	शिवाजी मार्ग	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
22	इन्द्रेश नगर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
23	धामावाला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
24	झण्डा मौहल्ला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
25	डालनवाला (उत्तर)	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
26	डालनवाला (पूरब)	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
27	डालनवाला (दक्षिण)	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
28	अधोईवाला (उत्तर)	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
29	अधोईवाला (दक्षिण)	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
30	भगत सिंह कालोनी	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
31	राजीव नगर	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
32	डिफेन्स कालोनी	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
33	नेहरू कालोनी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
34	धर्मपुर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
35	दीपनगर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
36	अजबपुर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
37	माता मन्दिर रोड	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
38	रेसकोर्स (दक्षिण)	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
39	रैस्ट कैम्प	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
40	रीठा मण्डी	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
41	लक्खी बाग	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
42	कारगी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
43	पटेल नगर (पूरब)	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
44	ब्रह्मपुरी	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
45	निरंजनपुर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
46	माजरा	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
47	टर्नर रोड	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
48	इन्द्रापुरम	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
49	द्रोणपुरी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
50	कांवली	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
51	इन्द्र नगर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
52	वसन्त विहार	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
53	मोहित नगर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
54	पटेल नगर (पश्चिम)	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
55	गांधी ग्राम	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
56	यमुना कालोनी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
57	गोविन्दगढ़	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
58	श्रीदेव सुमन नगर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
59	वल्लूपुर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
60	कौलागढ़	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24

अतः नगर निगम देहरादून की अधिसूचित क्षेत्र की परिधि (नवीन सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर) में आने वाले सामान्य जनता या जिस पर इस अधिरोपित कर का प्रभाव पड़ने वाला है उनसे आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते है। लिखित आपत्तियां एवं सुझाव इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को सम्बोधित करते हुए नगर निगम भवन कर अनुभाग कार्यालय 1 पटेल रोड निकट दून अस्पताल देहरादून में प्रातः 10.00 से सायं 05.00 बजे तक प्राप्त कराए जा सकते है। नियत तिथि तक प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचारोपरान्त क्षेत्रवार निर्धारण हेतु मासिक किराया दरों पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा।

विजय कुमार जोगदण्डे
आई.ए.एस.

9411395097

HINDUSTAN MEDIA VENTURES LTD.

Regd. Office : Budh Marg, Patna- 800001, Bihar
Phone : +91 612 2223434, Fax : +91 612 2221545
E-Mail : Corporatedept@hindustantimes.com, Website : www.hmvl.in
CIN : L21090BR1918PLC000013
GSTIN : 10AAGCS0920E1Z4

CONTACT OFFICE -5 ASHOK VIHAR
GMS ROAD OPP TO HPL PETROL PUMP
DEHRADUN

112

To

MUKHYA NAGAR ADHIKARI
NAGAR NIGAM
NEAR DOON HOSPITAL
DEHRADUN

Agcode : 38330
Client Name : NAAGAR NIGAM
Place of Supply
GSTN

Pub Code : HH
Invoice No. : 1803188066
Bill Date : 19.07.2018
Booking Id : 4712718
R.O.NO. :

Receipt No. :
Receipt Date :
DD/CH No.(if any)
Receipt Amt :

Editions	Insertion No & Date	Page No.	Size Words/Lines W	H	Total Space Sqcm	Colour	Rate Psqcm	Premium (%)	Rebate If any (%)	Amount (in Rs.)
HHDDN960	19.07.2018	6	20.00	30.00	600.00	BW	615.00		22.94%	284,340

Receipt Voucher No.	Box Charges (in Rs.)	0.00
Bill verified 19/7/2018	Gross Amount (in Rs.)	284,340
	Trade Discount (in Rs.)	0.00
	Central Tax	0.00
	State Tax/Union Territory Tax	0.00
	Integrated Tax 5% INR	14,217.00
	CESS	0.00
	Total Amount (incl. Tax)	298,556.96

Amount (In Words) :
Amount Rounded off to nearest Rupee
INR : TWO LAC NINETY EIGHT THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY SEVEN ONLY

E & O E
HINDUSTAN MEDIA VENTURES LIMITED

Authorised Signatory
HINDUSTAN MEDIA VENTURES LIMITED GMS Road, Dehradun

PAN NO.: AAGCS0920E Service Tax No. PTNS00749A

THANK YOU FOR ADVERTISING WITH US

The Cheques/Demand Drafts should be made in favour of HINDUSTAN MEDIA VENTURES LIMITED
ADVERTISEMENT CUTTING/VOUCHER TEAR SHEET ENCLOSED

HINDUSTAN MEDIA VENTURES LIMITED
BANK NAME- State Bank of India
ACCOUNT NUMBER- 30968035522
I.F.S.C. CODE- SBIN0009996
M.I.C.R. CODE-110002201
PAN No.- AAGCS0920E
TIN No.- 05009517277
Mob.- 9690004130
ajay.gosi@hindustan.com

113

सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत 60 वार्डों में (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत) आवासीय भवन कर निर्धारण हेतु न्यूनतम मासिक किराए की अनन्तिम दरों पर हितबद्ध व्यक्तियों से दिनॉक 02.08.2018 तक आपत्तियॉ आमन्त्रित की गई हैं। उक्त दरों का अवलोकन नगर निगम की Official website:-www.nagarnigamdehradun .com पर किया जा सकता है।

अतः इस विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित पुनरीक्षित मासिक किराये की दरों पर कोई आपत्ति हो तो वह दिनॉक 10.08.2018 को सायं–5.00 बजे तक नगर निगम देहरादून के कर अनुभाग में लिखित आपत्ति प्राप्त करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

पत्रांक 359/ST/018 दिनॉक 02/08/018

1. सम्पादक जागरण / अमर उजाला / पायोनियर / ——— को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में निर्धारित प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री मनीष पन्त, आई0टी0 अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को नगर निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु (मुख्यालय, शाखा कार्यालय)/जिलाधिकारी कार्यालय नोटिस बोर्ड/तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड।
4. कार्यालय प्रति।

2/8

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।
2/8/18

O/C

Received
Varun Hakkar
8206037688

Amar Ujala
Dehradun

Received
Amit
02/08/2018

The Pioneer
Dehradun

Sanjith Gupta
03/8/18
I.T.O

Received
Anurag Mishra
Dainik Sagran
02/8/18

(114)

सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत 60 वार्डों में (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत) आवासीय भवन कर निर्धारण हेतु न्यूनतम मासिक किराए की अनन्तिम दरों का प्रकाशन दिनॉक 19.07.2018 को किया गया है, जिसमें हितबद्ध व्यक्तियों से दिनॉक 02.08.2018 तक आपत्तियॉ आमन्त्रित की गई है। उक्त दरों का अवलोकन नगर निगम की Official website:- www.nagarnigamdehradun.com पर किया जा सकता है।

अतः इस विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से पुनः सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित पुनरिक्षित मासिक किराये की दरों पर आपत्ति हो तो वह दिनॉक 02.08.2018 तक नगर निगम देहरादून के कर अनुभाग में लिखित आपत्ति प्राप्त करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

पत्रांक 339/ST/018 दिनॉक 27/7/2018

1. सम्पादक जागरण / ——— को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में निर्धारित प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री मनीष पन्त, आई0टी0 अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को नगर निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु (मुख्यालय, शाखा कार्यालय)/जिलाधिकारी कार्यालय नोटिस बोर्ड/तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड।
4. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।
27/7

JAGRAN PRAKASHAN LTD. GSTIN: 05AAACJ3404A1ZH
PLOT [illegible] PATEL NAGAR, DEHRADUN

JAGRAN PRAKASHAN LTD.

दैनिक जागरण

Jagran

TAX INVOICE

Regd Office : 2, SARVODAYA NAGAR, KANPUR - 208005

विज्ञापनदाता कोड	290069 DDN	बीजक संख्या	बीजक तिथि
विज्ञापनदाता का नाम		DD1807000211	29/07/2018
NAGAR NIGAM		प्रोडक्ट	विज्ञापन माह
GSTIN: N/A		SOCIAL ADVERTI	JULY
		आदेश क्रमांक	आदेश तिथि
DEHRADUN NAGAR NIGAM	GST STATE:05-UTTRANCHAL	339	27-JUL-18

विज्ञापन संख्या	प्रकाशन तिथि	आकार	दर	भुगतान तिथि	अन्य विवरण
	28-JUL-18	6X8 Pr.Sq- 48 Pr.Sq-	928.85	44584.80	DISPLAY CLR
Sale of advertisement print space SAC-9983			TOTAL AMOUNT		44584.80

नोट: 1. सभी प्रकार के भुगतान रेखांकित चेक द्वारा JAGRAN PRAKASHAN LTD. के नाम भेजें।
2. यदि भुगतान राशि सात दिनों के अन्दर प्राप्त नहीं होती है तो 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

TAXABLE AMOUNT	44584.80
SGST TAX @ 2.5% SGST AMOUNT	1115.00
CGST TAX @ 2.5% CGST AMOUNT	1115.00
IGST TAX @ 0% IGST AMOUNT	0.00
NET BILL AMT(ROUNDED TO RS)	46815.00

JAGRAN PRAKASHAN LTD.
14070518

(लेखा विभाग)

GSTIN: 05AAACJ3404A1ZH

AMAN COMPUTER FORMS, KANPUR

(116)

सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत 60 वार्डों में (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत) आवासीय भवन कर निर्धारण हेतु न्यूनतम मासिक किराए की अनन्तिम दरों पर हितबद्ध व्यक्तियों से दिनॉक 02.08.2018 तक आपत्तियाँ आमन्त्रित की गई हैं। उक्त दरों का अवलोकन नगर निगम की Official website:-www.nagarnigamdehradun .com पर किया जा सकता है।

अतः इस विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित पुनरीक्षित मासिक किराये की दरों पर कोई आपत्ति हो तो वह दिनॉक 10.08.2018 को सायं–5.00 बजे तक नगर निगम देहरादून के कर अनुभाग में लिखित आपत्ति प्राप्त करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

पत्रांक 359/ST/018 दिनॉक 02/08/018

1. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला/पायोनियर/X .....को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में निर्धारित प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री मनीष पन्त, आई0टी0 अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को नगर निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु (मुख्यालय, शाखा कार्यालय)/जिलाधिकारी कार्यालय नोटिस बोर्ड/तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड।
4. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून। 2/8/18

announcement too across the city to make the people aware of the ban enforced, the officers of the corporation claimed.

mercial and passenger vehicles businesses in the domestic market. While Tata Motors will maintain cautious optipassenger vehicles in July 2018 was 4,971 units compared to 3,441 units last year, a growth of 44 per cent.

...val: Kaushik plants tree

go all-out to make the mission behind the celebration of the festival successful. "We would plant trees to make our colony green. Uttarakhand and the people living here are known for their love for trees. Some of the great movements charged with the mission of environmental conservation originated in the State.

It is, thus, our duty to contribute to the mission with which the festival is celebrated. However, it is not enough to confine the plantation mission to the celebration of a festival. It must continue all the year round to help our posterity to live healthy life," said a



resident of the colony.

The Minister said that the drive must turn into a movement in which the people of all walks of life should participate. "It is our duty too," he said.

Min launches panic button for women's safety

PNS ■ DEHRADUN

The Minister of State for women and child welfare Rekha Arya started a panic button app, meant to ensure the safety of women, on Thursday. This would be connected with the mobile GPS which would help the police department to trace the location. This has been launched as a pilot project in the State, she said.

A great step towards women's safety

It is learnt that the panic button is one which will be connected to the mobile application (app) of android phones. It is handy to even fit in the mobile key ring.

The app will be linked to the GPS system which will be able to trace the location of the phone call. However, the phone must have the internet access. The app will also have 12 registered mobile links which will have the number of police and family members. In 30 seconds after the button is pressed, a message of danger would reach all the contacts linked in the application. If the button is pressed mistakenly the message can be cancelled within 30 seconds.

Currently, the button is available in Amazon shopping application. The Government will look forward to lower the rate to reach it to the common people.



godowns in the hills later this month."

He, further, said that they are particularly concerned about places like Kimadi and Kalsi. "The roads get blocked after it rains heavily. It thus turns difficult to transport rations. This time, we sent the stocks much in advance. So there is no problem of ration in the remote areas in the hills. The next consignment of the ration would be transported around the third or last week of August," he said.

Asked about the steps being taken to ensure that the rations stacked in the godowns do not become stale, Kumar said, "We have taken enough of steps to keep the grains fresh in the godowns. Segregation and pest control along with other scientific methods are being used to ensure that the people receive good quality grains."

...भियन्ता (दक्षिण) – उत्तराखण्ड जल संस्थान,

...रभाष (कार्यालय) – 0135-2742028 फैक्स – 0135-2746137

.../2018-19 दिनांक : 02 अगस्त, 2018

"जीवन संचय"

...ल्प कालीन निविदा सूचना

...ल संस्थान की ओर से जलकल देहरादून के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु ... हैं जो कि दिनांक **17.08.2018** की अपरान्ह 3.30 बजे तक कार्य दिवसों में ... हैं। यह निविदाएं दिनांक **18.08.2018** (यदि वर्णित तिथि को अवकाश हो तो ... तक विभाग में जमा करायी जा सकेंगी विभाग को प्राप्त निविदाएं, उसी दिन ... /उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

...रण	धरोहर राशि ₹	निविदा मूल्य (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	कार्य की अवधि	ठेकेदार की न्यूनतम श्रेणी
...ड़ पर पाईप लाईन कार्य।	8000.00	500.00	दो माह	न्यूनतम डी–श्रेणी।
... पाईप लाईन कार्य।	6000.00	500.00	दो माह	न्यूनतम डी–श्रेणी।
...लोनी में पाईप लाईन कार्य।	10200.00	500.00	दो माह	न्यूनतम डी–श्रेणी।
..., 75 एच.पी. 50 हर्टज् फेस, ... 250 एम क्राम्पटन / ...र्य।	8500.00	500.00	एक माह	निर्माता / अधिकृत वितरक

...हेतु केवल वर्णित कार्य हेतु ठेकेदार/फर्म का पंजीकरण शाखान्तर्गत/विभाग में ...ी–शाखान्तर्गत, सी श्रेणी–वृत्त कार्यालय नगर, बी श्रेणी–महाप्रबन्धक

...ता/अधिकृत वितरक द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकता है।

...दा स्वीकार नहीं की जायेगी।

...फर्ता कार्य दिवस में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

...विचार नहीं किया जायेगा तथा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं ... एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

...ती एफ.डी.आर./सी.डी.आर./पेय आर्डर/डाकघर बचत पत्र आदि अधिशासी ...ा संस्थान, 32 राजपुर रोड, देहरादून के पक्ष में बन्धक होनी आवश्यक है।

...र होंगी।

...था कार्य का नाम लिखना अनिवार्य है।

...00.00 का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर ₹ 1.00 के रसीद टिकट पर हस्ताक्षर एवं

अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण)
उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।

कार्यालय नगर निगम देहरादून

पत्रांक– 359/ST/2018 दिनांक – 02/08/2018

सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत 60 वार्डो में (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत) आवासीय भवन कर निर्धारण हेतु न्यूनतम मासिक किराए की अनन्तिम दरों पर हितबद्ध व्यक्तियों से दिनांक 02.08.2018 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गई है। उक्त दरों का अवलोकन नगर निगम की Official website:- www.nagarnigamdehradun.com पर किया जा सकता है।

अतः इस विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित पुनरीक्षित मासिक किराये की दरों पर कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10.08.2018 को सांय 5.00 बजे तक नगर निगम देहरादून के कर अनुभाग में लिखित आपत्ति प्राप्त करा सकतें हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

...is merely for reference and must not be taken as having authority of or binding in any way on the writers, editors, publishers, and printers and sellers who do not owe any responsibility for any ...ourt and forums in Delhi/New Delhi only. Readers are advised and requested to verify and seek appropriate advice to satisfy themselves about the veracity of any kind of advertisement before ...advertisers of the products & services and shall not be made responsible for any kind of loss, consequences and further product-related damages on such advertisements.

...d printed at Amar Ujala Publications Ltd, Shed No -2 & C-7/5, Patel Nagar Co-Operative Industrial Area, Dehradun, Uttarakhand, Editor: Chandan Mitra. AIR SURCHARGE of ...hadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002, Phone: 011-40110455, Communication Office: F-31, Sector 6, NOIDA, Gautam Budh Nagar-201301, U.P. Phone: 0120-4879800

118

UNIGATE GENERAL MEDIA PVT LTD

The Pioneer

2/2, Lakshmi Road (Near Himani Gas Service), Dalanwala, Dehradun-248001
Tel: 0135-2713111, 09045057787 (M), E-Mail: pioneerdoon@gmail.com, Web : www.pioneeredge.in

ADVERTISEMENT BILL

To,

MUNICIPAL COMMISSIONER
NAGAR NIGAM
DEHRADUN
PH: 0135-2714074
Cust. GST No: 0
RO Received from UTTARAKHAND

Invoice No	Invoice Date
1808PDUN04489	6-Aug-18
RO/Letter No.	No-359/2018
RO/Order Date	2-Aug-18
HSN/SAC No	998363

DOCKET NO	EDITION(S)		CLIENT / CAPTION	CLR/B/W	NATURE OF AD
04489	DOON		NAGAR NIGAM DOON (Tax)	B/W	Display/Classified

Date of Insertion(s)	No of Insertion	Dimension in CMs (H) x	(W)	Total Area/ Words in Sqcm	Rate per Sqcm/Words	Total Charges
3-Aug-18	1	6	8	48	96.00	4608

	Total Taxable Amount in ₹		4608
CHEQUE/DRAFT BE ISSUED IN FAVOUR OF UNIGATE GENERAL MEDIA PVT. LTD. PAYABLE AT DEHRADUN	SGST	2.50%	115
	CGST	2.50%	115
	IGST	0.00%	0
	Net Payable Amount in ₹		4838

In Words : Rupees Four Thousand Eight Hundred & Thirty Eight Only

Cheque / Draft may please be made in favour of UNIGATE GENERAL MEDIA PVT LTD

PAN NO: AABCU4111E Co.GST No: 05AABCU4111E2ZY

CIN No: U74900DL2012PTC231369

Terms & Conditions:-

1. *Remittances should be made by crossed cheque/draft payable at Dehradun*
2. *Interest @18% to be charged if bill is not paid within 15 days. Accredited AD agencies may pay as per INS rules.*
3. *Subject to jurisdiction of New Delhi /Delhi courts only.*
4. *All amounts have been rounded to the nearest rupee.*

E-PAYMENT DETAIL

A/C NO: 50200020378074
BANK: HDFC BANK LTD
RTGS / NEFT IFSC: HDFC0004365
MICR CODE: 110240457
BRANCH ADDRESS:
SHIVPURI, MAIN ROAD
GEETA COLONY, NEW DELHI-110051

TS (Tax)

Checked By

THE PIONEER DEHRADUN 0135-2713111 Unigate General Media Pvt. Ltd.

08/08

नगर आयुक्त

556 (Tax)
10/08/18

For Unigate General Media Pvt Ltd

Authorised Signatory
Tel: 0135-2713111, 09045057787 (M)

Encl. Voucher Tear Sheet of The Pioneer Newspaper

554
7.8.18

JAGRAN PRAKASHAN LTD GSTIN: 05AAACJ3404A1ZH
PLOT NO. [illegible] PATEL NAGAR, DEHRADUN

JAGRAN PRAKASHAN LTD.

दैनिक जागरण

(120)

Jagran

TAX INVOICE

Regd Office : 2, SARVODAYA NAGAR, KANPUR - 208005

विज्ञापनदाता कोड	290069 DDN	बीजक संख्या	बीजक तिथि
विज्ञापनदाता का नाम		DD1808000034	05/08/2018
NAGAR NIGAM		प्रोडक्ट	विज्ञापन माह
GSTIN: N/A		SOCIAL ADVERTI	AUGUST
		आदेश क्रमांक	आदेश तिथि
DEHRADUN NAGAR NIGAM	T STATE:05-UTTRANCHAL 359		02-AUG-18

विज्ञापन संख्या	प्रकाशन तिथि	आकार	दर	भुगतान तिथि	अन्य विवरण
	03-AUG-	6X8 Pr.Sq- 48 Pr.Sq-	928.85	44584.80	TENDER DDN E
Sale of advertisement p		t space SAC-9983		TOTAL AMOUNT	44584.80

नोटः 1. सभी प्रकार के भुगतान रेखांकित चेक द्वारा JAGRAN PRAKASHAN LTD. के नाम भेजें।
2. यदि भुगतान राशि सात दिनों के अन्दर प्राप्त नहीं होती है तो 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

TAXABLE AMOUNT	44584.80
SGST TAX @ 2.5% SGST AMOUNT	1115.00
CGST TAX @ 2.5% CGST AMOUNT	1115.00
IGST TAX @ 0% IGST AMOUNT	.00
NET BILL AMT(ROUNDED TO RS)	46815.00

JAGRAN PRAKASHAN L
14070725

(लेखा विभाग)
PAN AAACJ3404A

AMAN COMPUTER FORMS, KANPUR

(12)

शूटर बंदी पंकज फिर बने डीएफओ

गैंगस्टर ने दून फ्लैट, मुकदमा

नाम बदलकर वर्ष 2010 में खरीदा था फ्लैट, झारखंड के इंस्पेक्टर की शिकायत पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज



मालसी स्थित राजपुर रेजीडेंसी में वर्ष 2010 में खरीदा गया फ्लैट भी शामिल है।

यह फ्लैट उसने अपना नाम अजीत सिंह दिखाकर खरीदा है। उस दौरान अखिलेश ने अजीत सिंह के नाम से सभी दस्तावेज रजिस्ट्री कार्यालय में जमा कराए थे। एसएसआई अशोक राठौर ने बताया कि गैंगस्टर अखिलेश निवासी जमशेदपुर के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना आदि आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वर्तमान में अखिलेश जिला कारागार जमशेदपुर में बंद है।

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। हाईकोर्ट की ओर से शासन के आदेश को निरस्त करने के बाद पंकज कुमार को एक बार फिर अल्मोड़ा के डीएफओ की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जबकि पंकज कुमार की जगह स्थानांतरित किए गए डीएफओ प्रवीण कुमार को वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी भेजा गया गया है। अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

पिछले दिनों शासन ने बिना सिविल सर्विसेज बोर्ड की अनुमति के ही अल्मोड़ा के डीएफओ पंकज कुमार को स्थानांतरित कर प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। उनकी जगह प्रवीण कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस आदेश के खिलाफ डीएफओ पंकज कुमार ने हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्थानांतरण को आईएफएस कैडर नियमों के खिलाफ पाते हुए आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया था। लेकिन अदालत का आदेश लेकर डीएफओ पंकज कुमार जब अल्मोड़ा पहुंचे तो डीएफओ प्रवीण कुमार ने उन्हें शासन के आदेशों का हवाला देते हुए चार्ज देने से इनकार दिया। हालांकि, बृहस्पतिवार को इस संबंध में अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह की ओर से आदेश जारी कर दिए। इसके मुताबिक, डीएफओ पंकज कुमार को दोबारा उसी पद पर स्थानांतरित कर दिया गया जबकि डीएफओ प्रवीण कुमार को वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी भेजा गया है।

अल्मोड़ा डीएफओ प्रकरण में बैकफुट पर शासन, वन विभाग

अमर उजाला में प्रकाशित खबर।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून

सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत 60 वार्डों में (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत) आवासीय भवन कर निर्धारण हेतु न्यूनतम मासिक किराए की अन्तिम दरों पर हितबद्ध व्यक्तियों से दिनांक 02.08.2018 तक आपत्तियाँ आमन्त्रित की गई हैं। उक्त दरों का अवलोकन नगर निगम की Official website- www.nagarnigamdehradun.com पर किया जा सकता है।

अतः इस विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित पुनर्निर्धारित मासिक किराये की दरों पर कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10.08.2018 को सांय 5.00 बजे तक नगर निगम देहरादून के कर अनुभाग में लिखित अपत्ति प्राप्त करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

में मारपीट

क्ष से नहीं हुई शिकायत

दुकानों में तोड़फोड़, एक युवक के सिर पर लोहे की रॉड से वार की भी सूचना

बल को मौके पर बुला लिया गया। पुलिस आने के बाद दोनों पक्ष शांत हो गए। इस बीच कुछ नेताओं की आवाजाही भी घटनास्थल पर लगी रही। पुलिस और नेताओं के हस्तक्षेप से विवाद शांत हो गया।

एसएसआई अशोक कुमार राठौर ने बताया कि किसी पक्ष से तहरीर नहीं दी गई है। कुछ लोगों के हस्तक्षेप से दोनों पक्षों में समझौते की बात भी सामने आ रही है। हालांकि, देर रात तक न तो मामले में कार्रवाई हुई और न ही

हिमालयन हॉस्पिटल SRHU
(स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की एक इकाई)



72वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में

हिमालयन अस्पताल द्वारा
2 अगस्त से 9 अगस्त, 2018 के दौरान सभी मरीजों के लिए अभूतपूर्व विशेष छूटकारा

1. सभी ओपीडी में परामर्श मुफ्त (कोई पंजीकरण शुल्क नहीं)
2. जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए विशेष प्रावधान
   - एडमिशन, बेड व भोजन पूरी तरह मुफ्त।
   - एमआरआई-₹2500/- सीटी स्कैन ₹1000/- व अल्ट्रासाउण्ड- ₹250 के अलावा एक्स-रे व सभी खून की जांच पूर्णतः मुफ्त
   - ऑपरेशन, सिजेरियन, डिलीवरी, एन्डोस्कोपी, ईसीजी, ईकोकार्डियोग्राफी इत्यादि मुफ्त
3. जनरल वार्ड के प्रत्येक मरीज को केयरल रियायती दरों की दवाइयों का खर्च देय होगा।

24 घंटे आपातकालीन सेवाएं

oice

AMAR UJALA PUBLICATIONS LTD.

SHED NO.-2, , PATEL NAGAR INDUSTRIAL ESTATE, DEHRADUN, UTTARAKHAND, 248401
Regd.Off. :1101, 11th Floor, Antriksha Bhawan, 22 Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place, New Delhi-110001
Tel:011-23736873, Fax:011-41516166, Email:response@amarujala.com, Website:www.amarujala.com

122

Bill To : **NAGAR NIGAM** ,(Dehradun), ,Dehradun-	**Tax Invoice** : **UK-I-1819-055610**
GSTIN : Not Available / **TAN** : MRTN00369F / **PAN** : Not Available	Invoice Date : 16-Aug-2018
State/UT : UTTARAKHAND **State Code** : 05	RO No : 959
Client/Ag: NAGAR NIGAM, [DEHRADUN] 0	RO Date : 02-Aug-2018
	Insertion : 1
	Tone : BW
	Premium :
	Publication : AMAR UJALA
	Booking No : DDE1201800000142
	Referance ID : D-DDN-18080339
	Ad Type : GOVT.COMMERCIAL DISPLAY
Retainer :	Key No. :
Product : NOTICES / **Brand** : Not Available	

Edition	DOP	Advt. Size (HXW)	Area (In Sqcm.)	Rate	Amount
AU-DDN	03-Aug-2018	5x10	50	1575.00	78,750.00

Bill verified
23/8/18

Less : Special Disc		35.00%	27,562.50
Total			51,187.50
Pre GST Amount			51,187.50
	Add : CGST	2.50%	1,279.69
	Add : SGST	2.50%	1,279.69
			53,746.88

Invoice Amount

Rupees Fifty Three Thousand Seven Hundred Forty Six And Eighty Eight Paise Only

for AMAR UJALA PUBLICATIONS LTD.

Shed No-2, Patel Nagar.

PAN : AADCA0275H / CIN : U22121DL2001PLC159705
GSTIN : 05AADCA0275H1Z2 / SAC CODE : 9983

Terms & Conditions:
1. Please make payment by cheque/DD/RTGS/NEFT in favour of "AMAR UJALA PUBLICATIONS LTD.".
   Details for RTGS/NEFT: A/C No.: 02250330000182 /IFSC: HDFC0000225 /Bank: HDFC BANK
   In case of NEFT/RTGS, please send the payment confirmation with invoice details on ddn-ufc@ddn.amarujala.com.
2. In case of delayed payment, interest @ 18% per month will be charged.
3. All disputes shall be under the jurisdictions of MEERUT court.
4. Amar Ujala Publications Ltd. reserve the right to change terms and conditions without notice.

Company Name - Amar Ujala Publication Ltd.
Bank Name- HDFC Bank Ltd.
Branch Add. 56, Rajpur Road, Dehradun-248001
Current A/c No. 022503300[illegible]2
RTGS.NEFT C[illegible]0225
Tin No. 05[illegible]

(123)

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

पत्रांक 137/कर अनु0शा0/2018 दिनॉक 17.08.2018

आदेश

कार्यालय आदेश सं0–132/एस0टी0/018, दिनॉक 24.03.2018 के द्वारा भवन कर के मासिक किराये की दरें 4 वर्षो के लिए निर्धारण हेतु समिति गठित की गयी थी। समिति की रिपोर्ट दिनॉक 31.03.2018 के आधार पर प्रशासक महोदय के अनुमोदन दिनॉक 17.07.2018 के उपरान्त भवन कर के मासिक किराये की दरों का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से कराते हुए 15 दिवस के भीतर आपत्ति एवं सुझाव नगर निगम में प्राप्त कराने हेतु दिनॉक 19.07.2018 को किया गया, पुनः दिनांक 28.07.2018 व दिनांक 03.08.2018 को समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन किया गया जिसका समय दिनॉक 10.08.2018 को पूर्ण हो गया है। प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव की सुनवाई हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती हैः–

1.	श्री नीरज जोशी,	अपर नगर आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सोनिया पंत	उप नगर आयुक्त	उपाध्यक्ष
3.	श्री वेद प्रकाश बधानी	सहायक अभियन्ता	सदस्य
4.	श्रीमती पूनम रावत	कर अधीक्षक भवन कर	सदस्य सचिव
5.	श्री धर्मेश पैन्यूली	कर अधीक्षक भवन कर	सदस्य
6.	श्री चन्द्र प्रकाश आहूजा	ड्राफ्ट्समैन	सदस्य

उपरोक्त समिति आपत्ति एवं सुझावों की सुनवाई करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रत्येक दशा में 20 दिन के अन्दर संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

नगर आयुक्त,
नगर निगम
देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. प्रशासक/जिलाधिकारी, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समिति के सदस्यो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कार्यालय प्रति।

17/8

नगर आयुक्त,
नगर निगम
देहरादून।

(124)

जिला मुख्यालय पर तथा शेष नागर निकायों की संबंधित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी। जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों की मतगणना जिला मुख्यालय पर तथा शेष नागर निकायों की संबंधित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उनके द्वारा पदाभिहित किये गये समस्त निकायों के संबंधित निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त कार्यक्रम का अपने जिले तथा निकायों के क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगे तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों तथा निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः–875/रा0नि0आ0–3/1379/2013 तद्दिनांक।(ई0मेल0)

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सामान्य निर्वाचन हेतु नागर निकायों में निवास करने वाले राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्धनिकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों /कारीगरों/मजदूरों हेतु मतदान दिवस दिनांक **18 नवम्बर, 2018** को अवकाश घोषित करने का कष्ट करें।
7. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. आयुक्त, कुमांयूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल,पौड़ी।
11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय) उत्तराखण्ड।
12. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी(स्था0नि0)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
16. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी/ दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
17. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को **दिनांक 15 अक्टूबर, 2018** के असाधारण गजट में प्रकाशित कर 25 (पच्चीस) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
18. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
19. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
15/10/18
(रोशन लाल)
सचिव।

125

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

पत्रांक : / रा.नि.आ. /20

दिनांक 20

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या–875/रा0नि0आ0–3/1379/2013 देहरादून, दिनांक 15, अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243–यक तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या– 2902/VI(3)/2018–11 (3 निर्वा0)/2017 दिनांक 15.10.2018 के क्रम में एतद्द्वारा राज्य के समस्त जनपदों की **नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों (नगर पालिका परिषद, बाजपुर, श्रीनगर तथा नगर पंचायत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, सेलाकुई एवं भतरौजखान को छोड़कर)** के **सदस्यों** तथा उनके **अध्यक्षों** का निर्वाचन निम्नलिखित विवरणानुसार एवं विर्निदिष्ट समय–सारिणी के अनुसार मतपत्रों (गूढ़शलाका) द्वारा कराये जाने का निर्देश देता हूँ।

यदि किन्हीं नागर निकायों के संबंध में मा0 न्यायालयों के अन्यथा कोई आदेश हों तो तद्नुसार मा0 न्यायालयों के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
20 अक्टूबर, 2018 एवं 22, 23 अक्टूबर, 2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	25 अक्टूबर, 2018 एवं 26 अक्टूबर, 2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	27 अक्टूबर, 2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)	29 अक्टूबर, 2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18 नवम्बर, 2018 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	20 नवम्बर, 2018 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की संबंधित नागर स्थानीय निकायों के पदों/स्थानों पर सामान्य निर्वाचन–2018 हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना **दिनांक 16 अक्टूबर, 2018** को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा।

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा नाम निर्देशन पत्रों की वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) द्वारा जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों की

क्रमशः.....2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास ,रिंग रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135 - 2670457 , 2670998
टैलीफैक्स : 0135 - 2670920 , 2678945
ई - मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

सड़कों का होगा सौंदर्यीकरण

मुख्य सचिव ने गढ़वाल कमिश्नर को विस्तृत कार्ययोजना के लिए लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, देहरादून: शासन ने हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमणमुक्त जमीन का उपयोग और सड़क सौंदर्यीकरण योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए गढ़वाल कमिश्नर को सभी विभागों के साथ बैठक कर 10 अगस्त तक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।

हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम क्षेत्र की सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, नाली और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अब तक हुई कार्रवाई में शहर की कई सड़कें अतिक्रमणमुक्त कराई गई, जिसके बाद सड़कों की चौड़ाई बढ़ गई है। दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने, फुटपाथ, नाली, यूटीलिटी डक्ट का निर्माण, ऑन रोड पार्किंग, वेंडर जोन, बस स्टॉपेज, फुलवारी समेत अन्य सौंदर्यीकरण का काम होना है। लोक निर्माण विभाग पहले ही सड़क सुधार को 55 करोड़ की योजनाएं बना चुका है।

अब एमडीडीए, नगर निगम, बिजली समेत अन्य विभागों को भी अपनी-अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा गया है। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने गढ़वाल कमिश्नर को निर्देश दिए कि वह 10 अगस्त से पहले सभी विभागों के साथ समन्वय बैठक कर उनकी कार्ययोजना प्रस्तुत करने करें ताकि सड़क सुधार और सौंदर्यीकरण की योजनाओं पर तेजी से काम किया जा सके।

राजपुर रोड पर 43 अतिक्रमण किए ध्वस्त: हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत टास्क फोर्स ने शुक्रवार को राजपुर रोड में 43 अतिक्रमण ध्वस्त किए। इस दौरान शहर के तीन जोन में चिह्नीकरण करते हुए 90 नए अतिक्रमण पर लाल निशान लगाए गए। हालांकि बारिश के चलते दोपहर बाद कार्रवाई प्रभावित रही। नगर निगम क्षेत्र में सड़क, फुटपाथ, नाली और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। शुक्रवार को एसडीएम प्रत्यूष सिंह और बृजेश तिवारी के नेतृत्व में राजपुर रोड स्थित देहरादून जू से कुठालगेट के बीच 43 अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। इसके अलावा शहर के लालपुल से कारगी चौक के बीच इंदिरेश अस्पताल रोड, बंजारावाला रोड आदि में सीमांकन का कार्य जारी रहा। इस दौरान 90 नए अतिक्रमण पर लाल निशान लगाए गए। अब तक 5481 अतिक्रमण चिह्नित और 3047 ध्वस्त किए गए। डीएम एसए मुरुगेशन ने बताया कि बारिश के चलते दोपहर बाद अभियान प्रभावित रहा है।

कहां कितनी बढ़ी चौड़ाई

प्रिंस चौक से कोहली अस्पताल	14 मीटर
कोहली अस्पताल से रेस कोर्स चौक	18 मीटर
रेस कोर्स से सीएमआइ अस्पताल	13 मीटर
सीएमआइ से आराघर अग्रवाल बेकरी	12 से 16 मीटर
अग्रवाल बेकरी से रेवती नर्सिंग होम तक	12-16 मीटर
रेवती नर्सिंग होम से रिस्पना पुल तक	18-22 मीटर
सर्वे चौक से चूना भट्टा पुल तक	10-16 मीटर
चूना भट्टा पुल से डील तक	24 मीटर
आराघर से नैनी बेकरी तक	18-22 मीटर
नैनी बेकरी से बहल चौक तक	18 मीटर
बहल चौक से दिलाराम चौक तक	18-24 मीटर
सर्वे चौक से करनपुर बाजार तक	8-12 मीटर

.. बड़े अतिक्रमण पर निगाह फेर रहे अधिकारी

देहरादून: हाई कोर्ट के आदेश पर दून में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में पक्षपात के आरोप तेज होने लगे हैं। कनॉट पैलेस निवासी एक व्यक्ति ने यमुना कॉलोनी स्थित ऑटो मोबाइल के शोरूम व बेकरी पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर एमडीडीए उपाध्यक्ष को शिकायत भेजी गई। शुक्रवार को भेजी गई शिकायत में कनॉट पैलेस निवासी आशीष चौहान ने कहा कि शहरभर में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि अधिकारी प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण पर नरमी बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि यमुना कॉलोनी में एक ऑटोमोबाइल कंपनी का शोरूम आवासीय भूमि व आवासीय नक्शे पर चल रहा है। जबकि हाई कोर्ट ने ऐसे निर्माण को तत्काल सील करने को कहा है। शोरूम के वाहन भी सड़क पर ही पार्क रहते हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने एमडीडीए उपाध्यक्ष से तत्काल प्रभाव से शोरूम को सील करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि इस दिशा में कार्रवाई नहीं की गई तो उन्हें मजबूरी में उच्च न्यायालय में शिकायत करने को बाध्य होना पड़ेगा। शिकायतकर्ता चौहान ने शहर के अन्य हिस्सों में भी प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण पर भी समान रूप से कार्रवाई की मांग उठाई। (जासं)

मलिन बस्तियों पर सरकार ने टेक दिए हैं घुटने : मैड

जागरण संवाददाता, देहरादून: मेकिंग ए डिफ्रेंस बाई बीइंग द डिफ्रेंस (मैड) ने रिस्पना पुनर्जीवन की दिशा में सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अभिजय नेगी ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री रिस्पना नदी के पुनर्जीवन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ रिस्पना व बिंदाल नदी की भूमि पर किए गए कब्जों को बचाने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है। इसे संस्था ने मलिन बस्ती वोट बैंक के आगे घुटने टेकने वाला कदम भी करार दिया। उन्होंने हाई कार्ट में अध्यादेश को चुनौती देने की भी बात कही।

शुक्रवार को जारी प्रेस बयान में अभिजय नेगी ने कहा कि पहले तो सरकार मलिन बस्तियों के अतिक्रमण के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और जब यहां से कार्रवाई को पुख्ता तरीके और टाइम लाइन के भीतर करने के आदेश जारी किए गए तो नया खेल शुरू कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कुछ विधायकों और छुटभैया नेताओं के दबाव में ही अध्यादेश लाने का निर्णय लिया। जबकि, हाईकोर्ट का आदेश अभी भी प्रभावी है।

वहीं, मैड का मानना है कि शहर के ज्यादातर लोग इस निर्णय से खफा हैं और अगामी चुनावों में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता सीधे तौर पर जवाब मांग रही है कि जब नक्शे पास होने पर भी उनके इंच-इंचभर तक के अतिक्रमण को भी नहीं बख्शा गया तो नदियों पर किए गए कब्जों पर यह रहम क्यों किया जा रहा है। संस्था ने एलान किया कि वह चंद नेतागणों की घटिया स्वार्थपरक राजनीति के खिलाफ छात्रों को साथ लेकर सड़कों पर उतरेंगी।

आज यहां हटेगा अतिक्रमण

जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने बताया कि शुक्रवार को धर्मपुर सब्जी मंडी से छह नंबर पुलिया के बीच अभियान चलेगा। हालांकि कांग्रेस के जुलूस-प्रदर्शन के चलते फोर्स की कमी है। ऐसे में अभियान दोपहर बाद चलेगा। इसके अलावा सात टीमें शहर में लाल निशान लगाने का कार्य जारी रखेंगी। (जासं)

एसीडीटी, गैस, बदहज्मी, कब्ज, पेट फूलने में दे तुरंत राहत
टेक्नोफार्म का आयुर्वेदिक हाजमावर्धक
गैस्टेक
टेबलेट • सीरप
खट्टी डकार में लाभदायक
TECHNOPHARM (P) LTD. Ph.: 0512-2312203

कार्यालय नगर निगम देहरादून

सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत 60 वार्डों में (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत) आवासीय भवन कर निर्धारण हेतु न्यूनतम मासिक किराए की अनन्तिम दरों का प्रकाशन दिनांक 19.07.2018 को किया गया है, जिसमें हितबद्ध व्यक्तियों से दिनांक 02.08.2018 तक आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। उक्त दरों का अवलोकन नगर निगम की Official website:- www.nagarnigamdehradun.com पर किया जा सकता है।

अतः इस विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से पुनः सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित पुनरिक्षित मासिक किराये की दरों पर आपत्ति हो तो वह दिनांक 02.8.2018 तक नगर निगम देहरादून के कर अनुभाग में लिखित आपत्ति प्राप्त करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून

127

सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत 60 वार्डों में (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत) आवासीय भवन कर निर्धारण हेतु न्यूनतम मासिक किराए की अनन्तिम दरों का प्रकाशन दिनॉक 19.07.2018 को किया गया है, जिसमें हितबद्ध व्यक्तियों से दिनॉक 02.08.2018 तक आपत्तियॉ आमन्त्रित की गई है। उक्त दरों का अवलोकन नगर निगम की Official website:- www.nagarnigamdehradun.com पर किया जा सकता है।

अतः इस विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से पुनः सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित पुनरिक्षित मासिक किराये की दरों पर आपत्ति हो तो वह दिनॉक 02.08.2018 तक नगर निगम देहरादून के कर अनुभाग में लिखित आपत्ति प्राप्त करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

पत्रांक 339/ST/018 दैनिक

दिनॉक 27/7/2018

1. सम्पादक जागरण / —को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में निर्धारित प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री मनीष पन्त, आई0टी0 अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को नगर निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु (मुख्यालय, शाखा कार्यालय)/जिलाधिकारी कार्यालय नोटिस बोर्ड/तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड।
4. कार्यालय प्रति।

27/7

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

Municipal Corporation Dehradun

Telephone - 0135&2655620, 265352, 2658204
Fax –0135&2651061
Website –www.nagarnigamdehradun.com
E-mail nagar_nigam2008@yahoo.com,nagarnigam.ddn@gmail.com
Toll free – 1800–180–4153, Control Room - 1800–180–4206

128

सेवा में ,

1 श्री सुशील गुप्ता, मा0 पार्षद, निगम, देहरादून ।
2 श्री विनय कोहली, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।
3 श्रीमती कमली भट्ट, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।
4 श्री भूपेन्द्र कठैत , मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून ।
5 श्रीमती अमिता सिंह, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।

महोदय/महोदया,

वर्तमान में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड़ में यथाप्रवत लागू) की धारा 174 (ख) के अन्तर्गत आवासीय भवनों का कर निर्धारण स्वकर निर्धारण नियमावली 2000 के अन्तर्गत किया जा रहा है जो कि वर्ष 2014 से प्रारम्भ किया गया है तथा नियमानुसार चार वर्ष हेतु मान्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 से अधिनियम/नियमावली के अनुसार किराये की वर्तमान न्यूनतम दरें निर्धारित की जानी है।

उपरोक्त के क्रम में. दिनांक 05/04/2018 को मा0 बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा आपको सदस्य नामित करते हुए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है। उपरोक्त दरों के निर्धारण करने में विचार विमर्श हेतु अपर नगर आयुक्त महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 23.04.18 को प्रातः 11:30 बजे अपर नगर आयुक्त महोदय के कक्ष में बैठक आहूत की गयी है। अतः आप सभी उक्त बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय

कर अधीक्षक
नगर निगम देहरादून

पत्रांक–107/कर अनु0/2018 दिनांक– 18-04-2018

प्रतिलिपिः–

1 मा0 मेयर महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रोषित ।
2 नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ प्रेषित ।
3 अपर नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ प्रषित।
4 उप नगर आयुक्त महोदया को सूचनार्थ प्रषित।
5 श्री वेद प्रकाश बधानी सहायक अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ प्रषित।
6 श्री धर्मेश पैन्यूली कर अधीक्षक, भवनकर, श्री चन्द्र प्रकाश आहूजा ड्राफ्ट्समैन को इस निर्देश के साथ कि नगर आयुक्त महोदय द्वारा आपको सदस्य नामित किया गया है। अतः निर्धारित तिथि एवं समय पर पत्रावलियों/अभिलेखों सहित उक्त बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

कर अधीक्षक
नगर निगम देहरादून ।

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
170	60	श्री विनोद जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता	कौलागढ़, देहरादून– 9012076693	महोदय, कौलागढ़ वार्ड को नगर निगम में शामिल हुए करीब 15 वर्ष हो गये हैं, लेकिन विकास की दृष्टि से ये वार्ड काफी पिछड़ा हुआ है, पिछले 15 वर्षों में नगर निगम कौलागढ़ वार्ड–60 के पंचायत घर का जीर्णोद्धार तक नही कर पाया है, पूरे वार्ड की नालियां क्षतिग्रस्त हैं, जगह–जगह जल भराव होने की वजह से वार्ड की जनता को काफी परेशानी है, अधिकतर स्ट्रीट लाईटें खराब पड़ी हैं, सफाई का बुरा हाल है। हर घर तक न कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पहुंचती है, न रिक्शा । अतः निवेदन है कि कौलागढ वार्ड–60 का हाउस टैक्स न बढ़ाया जाय।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओ को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

कर अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादन

पृष्ठ सं 1–44
अवलोकन हेतु
अनुमोदित
10/12

130

क०स	वार्ड नं०	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
168	59	श्री जितेन्द्र स्वरूप	41/1 राजेन्द्र नगर, गली नं0–7, कौलागढ़ रोड	Sir, I read in the news paper dt. 4-8-18 that perspon who have objection by increase of house tax can submit their objection by 10 aug 2018 to Dharmesh Panauli Tax Officer of nagar nigam, Dehradun. In View of above Iam submitting my objection for the increase of house tax 5 years WEF 2014 to 2019] that my house no is 270/128 Kaulagarh road ward n0-59 in dehradun. (2) that the house tax on my house in 1994 was rs. 540/-. (3) That the tax was increased to Rs. 700/-. (5) That my house was billed for 2013-14 for Rs. 700/- after my apeal to the Authorites (6) That during 2015-16 THE House tax was Assessed On the basis oof plinth area and age of the construction. (7) That the plinth area was assessed by the engineer-in - charge as 960 Sq. Yard. (8) that my house iss on Kaulagarh road in ward no 59 (9) that now the house tax has been assessed as Rs. 1728/- ie an increase of 248% since1994. (10) That have paid the said money to the tax authorities for my house no 270/270 kaulagarh road ward n0-59 for financial yesr 2015-16 & 2016-1.(11) that in cities like delhi, mumbai, Madras & calcutta the house tax is bassed on the basis of plinth area age of the building and the same system should be adapted by dehradun nagar Palika, Sir Further to my above submission I may State as under:- that Iam a retired employee and any further increase in house tax will burden my expenses I do not grt any pension from my employee. That I get a sum of Rs. 1583/- From LIC as interest paid by them on the deposit given to them in the past when I was serving in a company. that I do not have any tenant loiving in my house to supplement my income. hat our lane was supposed to be 60 feet wide but now only 30 feet is remaning it seems that unsocial element has grabbed the 30 feet road for their use. that there is no drainage on the road resulting in the rain water in lane n0-7 comes in my compound. that there is no proper sanitation in the area. under the circumstance there is no cause for the increase of house tax as a matter of fact it is the responsbility of the area parshad to take ump the problems of the area to the higher authorities and find out a solution to the problem faced by the residence and make the area in a living condition. am confident that my apeal shall be considered sympathetically and there should be no increase of house tax in ward no-59 because all sr.citizen of this area having a meger income for their living.	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व मे उनका भवन कर 708 से बढकर 1642 रू हुआ था। सडक का पानी घरों के अन्दर आ रहा है। भवन कर को 10 से 15 प्रतिशत से अधिक न बढाया जाए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर मे दिए जाने वाली सेवाओं एव मूलभूत सुविधाओ को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरे निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
169	59	श्री मोहनसिंह रावत	64 राम विहार, बल्लुपुर रोड़,	महोदय, समाचार पत्रो के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमश 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह है जो कि किसी प्रकार से न्यायोचित नही है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 मं बढ़ाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधायें जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नहीं है। 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नही है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवं आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय मे फैसला ले।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एवं मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

क्र0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
166	59	गजेन्द्र सिंह जस्सल	396 / 332 बल्लुपुर ग्राम, 90 / 1 फैंडस कालोनी–941014 8555	Sir, with due respect I state that my house tax was re-assesed on 20-08-15 at the first camp organised by your team in our ward no- 59 and was increased from Rs. 600/- tk Rs. 1185/- almost 100%. Our 6 mts. Lane is not having regular sweper and not having door to door wast collection facility and in creasing of house tax by 40% as proposed by your is to high after three financial years and unjustified. I agree that periodical increaseis needed 15 keep up the pace I dont have any tenant also. it is there fore requested that increase be made by 10 to 15% after every 5 yrs.	आपत्तिकर्ता स्वय उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व मे उनका भवन कर 800 से बढकर 1185 रू हुआ था। सडक 8 मीटर से कम चौडा है एंव कूडा वाहन नियमित नही आता है। बारिश का पानी घरों के अन्दर आ रहा है। भवन कर मे 10 से 15 प्रतिशत की बढोत्तरी की जा सकती है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरे निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
167	59	श्री जे0पी0 कुकरेजा	368 / 305 / 1 बल्लुंपुर ग्राम–9969220021	महोदय, निवेदन यह है कि मै अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने मकान जो कि 1989–90 में बना था, रह रहा हूँ, तबसे इसमे कोई भी तब्दीली अथवा अतिरिक्त निर्माण नहीं किया गया है। इस मकान का भवन कर 2014 तक रू. 362.50 था एवं 2015 मे इसको बढ़कार रू. 1096.00 कर दिया गया जो कि लगभग तीन गुना कर दिया गया है। मैं इस पुराने एवं जीर्ण मकान में रिटायरमेंट के बाद रहा रहा हूँ, इसमे कोई किरायेदार भी नही है मै एक छोटी पेंशन में अपने परिवार का मुश्किल से निर्वाह करता हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे भवन कर को कम करने की कृपा करें।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर मे दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

क्र0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
161	58	श्री आर0पी0 तिवारी	मित्रलोक कॉलोनी, बल्लुपुर रोड	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर क्रमशः 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह है जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 मे बढ़ाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधाये जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नहीं है। 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नही है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
162	58	श्री एस0पी0 भट्ट	49 मित्रलोक कॉलोनी	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर क्रमशः 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह है जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 मे बढ़ाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधायें जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नहीं है। 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नहीं है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय मे वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
163	59	श्री जे0सी0 आहूजा	121 बल्लुपुर रोड़, फैंडस कॉलोनी	Sir, with due respect that I have paid House tax with increase rate on dt. 20.8.15 at your camp in Ballupur, naw after three years of increase rate og house tax again you are increasing house tax, request you not to increased house tax.	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि रिवाइज टैक्स 2015–16 से लगा है तथा 40 प्रतिशत की छूट नही मिली है, सड़क की सफाई हेतु कोई नही आता। भवन कर में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
164	59	श्री राज कुमार दुआ	29 अलकापुरी, बल्लुपुर रोड़–9760228365	महोदय, निवेदन यह है कि हमें समाचार पत्र द्वारा ज्ञात हुआ है कि भवन कर में बहुत अधिक संशोधन हुआ है तथा यह संशोधन पहले पांच वर्ष में होता था जो कि अब दो वर्ष मे किया गया है, यह दोनों ही बाते विचारणीय है। कृपया भवन कर बहुत अधिक बढ़ाया न जाए ।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मेरा टैक्स 1800 रू है तथा मै ओ0एन0जी0सी0 से सेवानिवृत्त हूँ भवन कर न बढ़ाया जाए। भवन कर में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
165	59	श्री कुलभूषण दुआ	19 अलकापुरी, बल्लुपुर रोड़–7983034214	महोदय, निवेदन यह है कि हमें समाचार पत्र द्वारा ज्ञात हुआ है कि भवन कर में बहुत अधिक संशोधन हुआ है तथा यह संशोधन पहले पांच वर्ष में होता था जो कि अब दो वर्ष में किया गया है, यह दोनों ही बाते विचारणीय है। कृपया भवन कर बहुत अधिक बढ़ाया न जाए ।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर न बढ़ाया जाए। *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून

उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

क०स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
156	57	इंदरजीत कौर	84/1 गोविन्द गढ़, गुरूद्वारा चौक	महोदय, समाचार पत्रो के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमशः 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह है जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 मे बढ़ाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधायें जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नहीं है। 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नही है, परन्तु पहले सुविधाये दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष मे टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्वि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी वृद्वि को तत्काल वापिस ले एव आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय मे वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
157	57	श्री खुशीराम शर्मा	128 टीचर्स कॉलोनी,देहरादून	महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी ने जब भवन निर्माण किया था, उस समय प्रार्थी भी नगर पालिका कर्मचारी था। 2– गत वर्ष नगर निगम के नोटिस के आधार पर प्रार्थी ने मय भूमि मूल्य सहित भूमि की रजिस्ट्री सहित करा ली थी, जिस पर लगभग एक लाख पिचत्तर हजार रूप्ये व्यय हुए थे। 3– प्रार्थी का भवन लगभग 44–45 वर्ष पुराना हो चुका है साथ ही प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी (83–84 वर्ष) में आता है। अतः उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थी के भवन कर में वृद्वि न की जाय प्रार्थी पर महती कृपा होगी।	श्री खुशीराम शर्मा के प्रतिनिधि श्री संजय शर्मा उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनका भवन 40 से 50 वर्ष पुराना है, सफाईकर्मी नियमित नही आता है। लाइटे भी खराब है। भवन कर में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
158	58	हरजीत कौर	95 मित्रलोक कॉलोनी, बल्लुपुर रोड़	महोदय, समाचार पत्रो के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमशः 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह है जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 मे बढ़ाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधायें जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नहीं है। 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नही है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्वि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी वृद्वि को तत्काल वापिस लें एव आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
159	58	श्री विजय बहादुर तिवारी	मित्रलोक कॉलोनी, बल्लुपुर रोड़	महोदय, समाचार पत्रो के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमशः 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह है जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 मे बढ़ाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधायें जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नहीं है। 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नहीं है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्वि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी वृद्वि को तत्काल वापिस लें एव आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला ले।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
160	58	श्री अनुराग गुप्ता	9/1–4 मित्रलोक कॉलोनी, बल्लुपुर रोड़	महोदय, समाचार पत्रो के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमशः 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह है जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 मे बढ़ाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधायें जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नहीं है। 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नही लगाया गया है, जिस पर हमें कोई-एतराज नही है, परन्तु पहले सुविधाये दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्वि को तत्काल वापिस ले एव आगामी वृद्वि को तत्काल वापिस लें एव आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

क्र0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
152	55	श्री जगदीश धीमान, पूर्व पार्षद, नगर निगम	50 / 13 न्यूपार्क रोड़,देहरादून– 9997308750	महोदय, हमारे संज्ञान में आया है कि नगर निगम द्वारा आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों पर 40 प्रतिशत भवन कर की वृद्धि प्रस्तावित की गयी है, जो की अनुचित है, चूंकि पहले से ही करों की दरें काफी ज्यादा हैं। दून के नागरिकों पर पहले से ही करों का बोझ काफी ज्यादा है तथा निगम द्वारा वर्तमान दरों में 40 प्रतिशत कर वृद्धि पूर्ण रूप से अव्यवहारिक होगी, नागरिकों पर इस कर वृद्धि से भारी बोझ और बढ़ जायेगा तथा जल संस्थान का भी कर स्वतः बढ़ जायेगा, जिससे दूनवासियों की कमर टूट जायेगी। अतः आग्रह है कि भवन कर की प्रस्तावित 40 प्रतिशत वृद्धि वापस पूर्ण से लेने का कष्ट कीजियेगा, यह आप अवगत हैं कि निगम द्वारा करों के सापेक्ष नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं का ह्रास हुआ है, सफाई–व्यवस्था डोर–टू–डोर कूड़े का उठान एवं विकास कार्य शिथिल हो चुके हैं, ऐसे में कर वृद्धि न्यायोचित नहीं होगी।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वार्ड 55 मे 80 प्रतिशत मलिन बस्ती क्षेत्र है पूर्व मे टैक्स ज्यादा है 40 से 60 प्रतिशत की वृद्धि वर्तमान में बिल्कुल न की जाए। सुविधाए नही है, वार्डो में एक जैसी कालोनी में एक प्रकार के रेट होने चाहिए। विकास कार्य नही हो रहे है एंव कूडा उठान हेतु डोर–टू–डोर व्यवस्था ध्वस्त है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय मे वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
153	55	श्री जगदीश धीमान, पूर्व पार्षद, नगर निगम	50 / 18 न्यूपार्क रोड,देहरादून– 9997308750	महोदय, हमारे संज्ञान में आया है कि नगर निगम द्वारा आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों पर 40 प्रतिशत भवन कर की वृद्धि प्रस्तावित की गयी है, जो की अनुचित है, चूंकि पहले से ही करों की दरें काफी ज्यादा हैं। दून के नागरिकों पर पहले से ही करों का बोझ काफी ज्यादा है तथा निगम द्वारा वर्तमान दरों में 40 प्रतिशत कर वृद्धि पूर्ण रूप से अव्यवहारिक होगी, नागरिकों पर इस कर वृद्धि से भारी बोझ और बढ़ जायेगा तथा जल संस्थान का भी कर स्वतः बढ़ जायेगा, जिससे दूनवासियों की कमर टूट जायेगी। अतः आग्रह है कि भवन कर की प्रस्तावित 40 प्रतिशत वृद्धि वापस पूर्ण से लेने का कष्ट कीजियेगा, यह आप अवगत है कि निगम द्वारा करों के सापेक्ष नागरिको को दी जाने वाली सुविधाओं का ह्रास हुआ है, सफाई–व्यवस्था डोर–टू–डोर कूड़े का उठान एवं विकास कार्य शिथिल हो चुके है, ऐसे मे कर वृद्धि न्यायोचित नही होगी।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वार्ड 55 मे 80 प्रतिशत मलिन बस्ती क्षेत्र है पूर्व में टैक्स ज्यादा है 40 से 60 प्रतिशत की वृद्धि वर्तमान में बिल्कुल न की जाए। सुविधाए नही है, वार्डो में एक जैसी कालोनी मे एक प्रकार के रेट होने चाहिए। विकास कार्य नही हो रहे है एंव कूडा उठान हेतु डोर–टू–डोर व्यवस्था ध्वस्त है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
154	56	श्री सचिन गुप्ता, पूर्व पार्षद	14 चकराता रोड़– 7060277445	महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि वार्ड नं0–56 यमुना कालोनी के अंतर्गत दो मलिन बस्ती ईदगाह, कुम्हार मंडी व सैयद मौहल्ला आदि क्षेत्र आता है। वर्तमान में उक्त क्षेत्रों में कच्चे–पक्के मकान बने हैं व रोजाना मजदूरी–ध्याड़ी करने वाले परिवार रहते हैं। पूर्व मे नगर निगम द्वारा आवास कर रू. 1.25 निर्धारित किया था, जो कि क्षेत्र के अनुसार बहुत अधिक था पूर्व में यह कहा गया था कि नये रेट तय करते समय इसको कम कर दिया जाएगा, परन्तु वर्तमान मे प्रस्तावित दरें 1.75 तय की गई हैं, जो कि बहुत अधिक है। अतः वर्तमान में वार्ड की स्थिति को देखते हुए भवन कर दरे पूर्व की भांति करने का कष्ट करें।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर 2015–16 में लगने के कारण 2019 मे रिवाइज होना चाहिए। ईद गाह, कुम्हारमण्डी, सैयद मौहल्ला आदि मलिन बस्ती है श्रीदेवसुमन नगर में 75 पैसा है जबकि वही श्रेणी होने के बावजूद 1.25 का रेट है। 6 फीट की गलिया है। पूर्व में आश्वासन दिया गया था कि भवन कर कम हो जाएगा एंव सुविधाएँ नही दी जा रही है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
155	57	श्री इन्तजार अहमद	177 / 85 / 20 श्रीरामपुरम कॉलोनी, कांवली, प्रथम कांवली रोड़	महोदय, निवेदन यह है कि मेरे पास श्री रामपुरम कांवली रोड, देहरादून में एक प्लाट (20 फिट / 40 फिट) है, जिसमे दो कमरे– बरामदा–कीचन–लेट्रिन–बाथरूम व सहन है। सहन में पेड़–पौधे उगे हैं। अवगत कराना है कि मैं उक्त आवासीय भवन का 01.04.2016 से रू0 259 / – सालाना टैक्स अदा करता चला आ रहा हूँ। अब आपके द्वारा इस टैक्स को 40 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जा रहा है, जिसे इस मंहगाई के दौर में वहन करना सम्भव नही है। अतः प्रार्थना है कि उक्त टैक्स 40 प्रतिशत न बढ़ाया जाय तथा इसको यथावत रखा जाये।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मेरा भवन पुराना तथा खस्ताहाल है जो कि रहने लायक नही है पूरा पानी पीछे के मकान से घर के अन्दर आ जाता है। भवन कर को 10 प्रतिशत बढाया जाए। *प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया। संलग्न सूची के अनुसार वार्ड में दरों को कम करते हुए वार्ड वार दरों की संस्तुति की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून

उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

क्र0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
147	54	श्री चेतन सूरी	57 गांधी ग्राम–9719120955	महोदय, मुझे विदित हुआ है कि हाउस टैक्स पर बढ़ोतरी हो रही है जो कि मै देने में असमर्थ हूँ, इस मकान में मेरे माता–पिता जो कि वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं, जिनकी आयु क्रमशः 74 साल एवं 67 वर्ष है। इस मकान में कोई भी नया निर्माण नही किया गया है, और न ही कोई किरायेदार रहता है, पहले ही हाउस टैक्स में काफी वृद्धि की जा चुकी है, और बढ़ोतरी देने में असमर्थ है। अतः निवेदन है कि हाउस टैक्स में कोई बढ़ोतरी न की जाय।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर मे 5 प्रतिशत की वृद्धि की जानी उचित होगी। *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राकधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
148	54	श्रीमती अनीता सिंह, पूर्व पार्षद–वार्ड –54	पश्चिमी पटेल नगर–9411780078	महोदय, गत वर्षो में हमारे वार्ड मे कारपेट कवर एरिया में टैक्स बढाकर लिया गया था, हमने तब भी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर कार्यवाही नहीं हुई थी, और अब पुनः संशोधन कर के 40 प्रतिशत की दर से हाउस टैक्स बढाया जा रहा है, जो कि गलत है, जबकि पटेल नगर मे लालपुल से लेकर संजय कॉलोनी लाअर गुरू रोड नदी किनारे बस्ती एरिया है, जहां पर अधिकतर गरीब लोग निवास करते हैं, 2014 के बाद अब 2018 में इन लोगों से टैक्स लिया गया है। अतः निवेदन है कि भवन कर अपर मीडियम के हिसाब से बढ़ाया जाय, तथा लाल पुल नदी किनारे का टैक्स अभी भी नहीं लिया गया है, जानकारी देने का कष्ट करें।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पटेलनगर पूर्वी में कर नही बढाया गया जबकि पश्चिमी पटेलनगर में दरों को बढाया गया है उसे कम किया जाए जबकि लाल पुल से सजय कालोनी तक पूर्ण मलिन बस्ती है। *प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया। संलग्न सूची के अनुसार वार्ड में दरों को कम करते हुए वार्ड वार दरों की संस्तुति की जाती है।*
149	54	महमूदा एवं श्री अरूण भारत	62/1 गुरू रोड़	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर क्रमशः 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह है जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नही है। वर्ष 2015 मे कुछ जगह 2016 मे बढाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधायें जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नही है। 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नही लगाया गया है, जिस पर हमे कोई एतराज नही है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्दि को तत्काल वापिस ले एवं आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राकधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
150	55	श्री त्रिभुवन प्रसाद तिवारी	80 पार्क रोड़,–9897229869	महोदय, प्रार्थी का मकान 12 फिट चौड़ी गली में स्थित है, प्रार्थी ने कोई भी नया निर्माण नही कराया गया है। प्रार्थी ने कोई किरायेदार भी नहीं रखा है। प्रार्थी 75 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक है। उपरोक्त सभी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये प्रार्थी का भवन कर नहीं बढाया जाय।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मेरा भवन 82 वर्ष पुराना है तथा मार्ग की चौडाई 12 फीट है। भवन कर मे 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राकधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
151	55	श्रीमती चन्द्रकान्ता तिवारी	80/1 पार्क रोड़–9897229869	महोदय, प्रार्थी का मकान 12 फिट चौड़ी गली में स्थित है, प्रार्थी ने कोई भी नया निर्माण नहीं कराया गया है। प्रार्थी ने कोई किरायेदार भी नहीं रखा है। प्रार्थी के मकान पर टीन–चददर की छत है।प्रार्थी 72 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक है। उपरोक्त सभी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये प्रार्थी का भवन कर नहीं बढाया जाय।	आपत्तिकर्त्ता श्रीमती चन्द्रकान्ता तिवारी के प्रतिनिधि श्री त्रिभुवन प्रसाद तिवारी उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वे 82 वर्ष के वृद्ध है उनके यहा मार्ग की चौडाई 12 फीट है। उनका सुझाव है कि भवन कर 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राकधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

क०स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
142	53	सुषमा यादव	315/6–ए, इन्द्रा विहार, कौलागढ़ रोड़– 8755978293	महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थिनी सुषमा यादव पत्नी श्री राजकुमार यादव के लिए 40 प्रतिशत कर बहुत ज्यादा है, चूंकि प्रार्थिनी के पति को कोई रोजगार नही है, जिसके कारण प्रार्थिनी को इतना बढ़ा हुआ टैक्स देने में आपत्ति है और प्रार्थिनी इतना टैक्स देने में असमर्थ है। अतः निवेदन है कि प्रार्थिनी को पूर्व के दर से ही टैक्स भुगतान करने की अनुमति प्रदान करें।	आपत्तिकर्त्ता श्रीमती सुषमा यादव के प्रतिनिधि श्री राजकुमार उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनका भवन कर पहले की बहुत ज्यादा है जो कि 2083 है। भवन कर को 10 से 15 प्रतिशत तक बढाया जा सकता है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
143	53	श्री अशोक कुमार रामपाल	721/3 बल्लुपुर रोड़	Objection against rate of House tax. This is to inform you that i am a owner of house no 721@3 Ballupur road. Previously my house tax is 972 Rs and as per new rate list my house tax is going to be 1360.80. It is my request that difference will be approximatly 400/ increse in this 4 years. You are requested to consider and resonable may be incresed. Thank you.	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मोहित नगर में 1.50 रू की दर है जबकि इसके सामने वार्ड 59 में 0.75 पैसा की दर है जो कि उचित नही है। भवन कर में 15 प्रतिशत की बढोत्तरी की जानी उचित होगी। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
144	54	कनिका सभरवाल/ नीलम	37 नेशनल रोड़,लक्ष्मण चौक–8979458586	Dear sir, we have come to know that Nagar Nigam proposing increse in House Tax. Please note that we are not getting any facilities, the roads are in very bad condition, water drainage very poor, no street light etc. Moreover we have not kept any tenant and no new construction made by us. You are requested to consider our objection and need not to increse th house tax of my house. Thank you.	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि सडके टूटी हुई है। पार्किंग की समस्या है। भवन कर को इस समय बढाना उचित नही है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
145	54	श्री रविन्द्र सभरवाल	37 नेशनल रोड़,लक्ष्मण चौक–8979458586	Dear sir, we have come to know that Nagar Nigam proposing increse in House Tax. Please note that we are not getting any facilities, the roads are in very bad condition, water drainage very poor, no street light etc. Moreover we have not kept any tenant and no new construction made by us. You are requested to consider our objection and need not to increse th house tax of my house. Thank you.	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर न बढाया जाए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
146	54	श्रीमती अमरजीत कौर	64/1 नेशनल रोड़, लक्ष्मण चौक–9897884215	महोदय, सूत्रों से ज्ञात हुआ कि हाउस टैक्स 40 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। मैं उसके विरोध में आपत्ति दर्ज करना चाहता हूँ, जिससे मेरे ऊपर अनावश्क रूप से बोझ ना पड़े, मेरी सम्पत्ति का विवरण निम्न है:– 1– 64/1 नेशनल लक्ष्मण चौक– रू0 1882.00 भवन कर, 2– 70/24/5 सहारनपुर रोड़–रू0 688.00 भवन कर, 3– 70/24/5 सहारनपुर रोड़–रू0 1548.00 भवन कर, उपरोक्त सम्पत्ति मेरी पत्नी श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी श्री हरदीप सिंह के नाम से दर्ज है। अतः निवेदन है कि भवन कर के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादन

क०स	वार्ड नं०	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
137	52	श्री कमलेश रोहिला	11/12 आर्शीवाद इन्क्लेव, चकराता रोड–8476020325 3	महोदय, सम्पत्ति का कर निर्धारण वर्ष–2013–14 में आपके विभाग द्वारा दिनांक 29–11–2014 को रू0 1312/–प्रति वर्ष की दर से निर्धारण किया गया है। आपके विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपरोक्त वर्तमान भवन कर पर 40 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी होने के लिए जारी किया है, जो कि अनुचित है, जबकि आपके विभाग ने उपरोक्त एरिया में मूलभूत सुविधायें जैसे–पानी, सडके, सफाई, कूड़ा उठान/निस्तारण आदि की कोई सुविधा नहीं दी हुई है उसके बावजूद भी आप 40 प्रतिशत की दर से भवन कर भी बढा रहे हैं जो कि अनुचित है व न्यायसंगत नही हैं। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्तमान में भवन कर उचित व न्यायसंगत है। व भवन कर बढ़ाया जाता है तो हम बढ़े हुए कर को देने में असमर्थ होंगे। अतः भवन कर में बढ़ोतरी न की जाय।	आपत्तिकर्ता के प्रतिनिधि श्री राजपाल रोहिला उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न की जाए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
138	52	कमलजीत कौर चावला	561 इन्दिरा नगर, वसन्त विहार	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमशः 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह हैं जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 में बढ़ाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधायें जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नही है। 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नहीं है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
139	53	श्री एन0के0 विरमानी	734 लेन नं0–3 विजय पार्क एक्स0बल्लुपुर रोड़–9997130456	Sir, I submit that Iam paying house tax every year as Rs. 1428/-@1.50 per Sq. Feet corpet area, as per new rate of Rs. 2.10 my house tax lones to Rs. 1988/- there is a differing Rs.(1998-1428) =570 increase of Rs. 570/- in a total of 4 years is an na very much high side, I therefore request that the increase of Rs. 570/- be reduced to the minimum	आपत्तिकर्ता स्वय उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की जानी उचित नही है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
140	53	श्री राजपाल रोहिला व कमलेश रोहिला	11/12 आर्शीवाद इन्क्लेव, चकराता रोड–8476084980	महोदय, सम्पत्ति संख्या–11/12 आर्शीवाद इन्क्लेव चकराता रोड का कर निर्धारण वर्ष 20–3–2017 में हुआ था, जिसका कर निर्धारण आपके विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में रू0 1112.00 का किया गया था, जो कि अत्यधिक है। आपके नगर निगम द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्तमान टैक्स में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गयी है जो कि अनुचित है, हम बढ़ी हुई राशि देने में समर्थ नहीं हैं। वर्तमान में लगाया गया टैक्स उचित है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त टैक्स में कोई बढ़ोतरी न की जाये। हम लगातार टैक्स दे रहे हैं, और भविष्य में भी उपरोक्त टैक्स का समय पर भुगतान करते रहेंगे।	आपत्तिकर्ता स्वय उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न की जाए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
141	53	श्रीमती कमलेश रोहिला	11/12 आर्शीवाद इन्क्लेव, चकराता रोड–8476084980	महोदय, सम्पत्ति संख्या–11/12 आर्शीवाद इन्क्लेव चकराता रोड का कर निर्धारण वर्ष 20–3–2017 में हुआ था, जिसका कर निर्धारण आपके विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में रू0 1112.00 का किया गया था, जो कि अत्यधिक है। आपके नगर निगम द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्तमान टैक्स में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गयी है जो कि अनुचित है, हम बढ़ी हुई राशि देने में समर्थ नहीं हैं। वर्तमान में लगाया गया टैक्स उचित है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त टैक्स में कोई बढ़ोतरी न की जाये। हम लगातार टैक्स दे रहे हैं, और भविष्य में भी उपरोक्त टैक्स का समय पर भुगतान करते रहेंगे।	आपत्तिकर्ता के प्रतिनिधि श्री राजपाल रोहिला उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न की जाए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक, नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
132	50	श्री नरेन्द्र लखेड़ा एवं समस्त निवासीगण	जी0एम0एस0रोड़, –8439392450, 9219860893	महोदय, हम समस्त प्रियदर्शनी इन्क्लेव निवासीगण निम्नलिखित आधार पर गृह कर लगाने का विरोध करते हैं। कालोनी निवासियों को मूलभूत सुविधाओ देना नगर निगम प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, जैसे– सड़क, नालियां, रोड़ साईट, बरसाती पानी की निकासी, सड़क बरसाती पानी की वजह से मलेरिया, डेंगू इत्यादि बीमारियां पैदा हो जाना एवं कालोनी निवासियों द्वारा अतिक्रमण किया जाना आदि समस्याओं के कारण हाउस टैक्स न बढ़ाया जाय। अतः निवेदन है कि प्रस्तावित गृह कर वृद्धि से कालोनी निवासियों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कृपया हमारी आपत्ति को गृहकर पुनर्निर्धारण करते समय ध्यान में रखते हुये ही कोई निर्णय लेने का आदेश पारित करें।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनके क्षेत्र में नाली एंव जलभराव की समस्या है। भवन कर मे केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि की जानी उचित होगी। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरो को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर मे दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय मे वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
133	51	श्री अशोक जीत	669 इन्दिरा नगर, पो0–न्यू फॉरेस्ट	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमशः 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह है जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 में बढ़ाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधायें जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नही है। 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नही है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय, तभी टैक्स बढाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवं आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
134	52	श्री सुशान्त रोहिला	11/1आशीर्वाद एन्कलेव, चकराता रोड़–8218179849	महोदय, भवन कर आपके विभाग द्वारा वर्ष–2015–16 दिनांक 04–10–16 को रू0 837/– प्रति वर्ष की दर से निर्धारण किया गया है। आपके विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपरोक्त वर्तमान भवन कर पर 40 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी होने के लिए जारी किया है, जो कि अनुचित है, जबकि आपके विभाग ने उपरोक्त एरिया में मूलभूत सुविधायें जैसे–पानी, सड़के, सफाई, कूड़ा उठान/निस्तारण आदि की कोई सुविधा नही दी हुई है उसके बावजूद भी आप 40 प्रतिशत की दर से भवन कर भी बढा रहे हैं जो कि अनुचित है व न्यायसंगत नही है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्तमान में भवन कर उचित व न्यायसंगत हैं। व भवन कर बढ़ाया जाता है तो हम बढ़े हुए कर को देने में असमर्थ होंगे। अतः भवन कर में बढ़ोतरी न की जाय।	आपत्तिकर्ता के प्रतिनिधि श्री राजपाल रोहिला उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न की जाए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय मे वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
135	52	श्री राजकुमार दुआ	डी–14,गली नं0–3 बसन्त विहार, एन्कलेव, देहरादून	महोदय, निवेदन यह है कि हमें समाचार पत्र द्वारा ज्ञात हुआ है कि भवन कर में बहुत अधिक संशोधन हुआ हतथा यह संशोधन पहले पांच वर्ष में होता था जो कि अब दो वर्ष में किया गया है, यह दोनों ही बाते विचारणीय है। कृपया भवन कर बहुत अधिक बढाया न जाए तथा यह संशोधन पांच वर्ष में ही किया जाय।	आपत्तिकर्त्ता उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर में वृद्धि 5 वर्ष में ही की जाए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
136	52	श्री सुनील कुमार बिष्ट	119 पंडितवाड़ी, फेज–2, 6397645700	महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि आपके विभाग द्वारा दिनांक 29.07.18 के अखबार हिन्दुस्तान में 40 प्रतिशत भवन कर बढ़ाने हेतु लिखा गया है। महोदय पूर्व में ही भवन कर अधिक आ रहा है, जिससे हमें भवन कर देने में परेशानी हो रही है,यदि अब भवन कर और बढ़ाया जायेगा तो जनहित में ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही भवन कर काफी अधिक आ रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि भवन कर न बढ़ाया जाये, जिससे आमजन को भवन कर की अधिक वृद्धि से परेशानी न हो।	आपत्तिकर्त्ता उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर में वृद्धि न की जाए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून | नगर आयुक्त नगर निगम, देहरादून | सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून | अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून | अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

क्र0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
128	47	श्री सुनील कुमार, एडवाकेट,	पूर्व पार्षद–वार्ड–17 टर्नर रोड–931977939	महोदय, निवेदन है कि वार्ड नं0–47 टर्नर रोड़ नया वार्ड नं0–78 मे हाउस टैक्स रू. 1.5, की दर से निर्धारित था, जो कि पहले से ही अधिक है, जबकि ब्रहमपुरी वार्ड में 0.75 पैसे की दर से निर्धारित है। इसलिए उक्त वार्ड में हाउस टैक्स की दर को बढ़ाया जाना उचित नहीं है, जबकि उक्त वार्ड मे हाउस टैक्स की दर 0.75 पैसे की जानी न्यायोचित होगी। अतः आपसे निवेदन है कि वार्ड नं0–47 नया नं0– 78 टर्नर रोड़ मे हाउस टैक्स की दर बढ़ाई जानी न्यायोचित नहीं है। इस वार्ड में भी ब्रहमपुरी वार्ड के बराबर 0.75 पैसे की दर से कर लगाया जाना उचित होगा।	आपत्तिकर्त्ता स्वंय उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वार्ड में 1.50 की दर होने पर पूर्व मे भी इनके द्वारा आपत्ति दर्ज करायी गई थी। उस समय कहा गया कि बाद में कम किया जाएगा व कर समायोजित किया जाएगा। इनके वार्ड में बस्ती क्षेत्र ओगल भटटा व आजाद कालोनी है पहले ही कर अधिक है । भवन कर में 5 प्रतिशत की बढोत्तरी की जानी उचित होगी। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय मे वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
129	48	मन्जु गुलाटी	म0नं0–25,स्ट्रीट नं0–10,मोती नगर, जी0एम0एस0 रोड़	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमशः 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह है जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 में बढ़ाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधाये जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नहीं है। 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नही है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्वि को तत्काल वापिस ले एवं आगामी वृद्वि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
130	49	आशा कक्कड़	4/10 काली मन्दिर एन्कलेव, जी.एम.एस. रोड़–9760759003	महोदय, प्रार्थिनी हाउस टैक्स बढाये जाने के सम्बन्ध मे निम्न निवेदन करती है:– 1– यह कि प्रार्थिनी 4/10 काली मन्दिर एन्कलेव जी.एम.एस. रोड देहरादून की निवासी है तथा प्रार्थिनी का मकान 28 वर्ष पुराना निर्मित है, प्रार्थिनी के उक्त सम्पत्ति का किराया न बढाया जाय। 2– यह कि प्रार्थिनी की उक्त सम्पत्ति में कोई भी किरायेदार आदि नही है। 3– यह कि प्रार्थिनी ने उक्त सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई नया निमार्ण आदि नहीं करवाया है। 4– यह कि प्रार्थिनी के मकान के बाहर नगर निगम द्वारा कोई भी नाली आदि का निर्माण नही कराया है। 5– यह कि प्रार्थिनी के मकान की मेन गलियों में भी निमार्ण कार्य या नालियां नहीं बनाई गई हैं। 6– यह कि प्रार्थिनी के मकान के बाहर की सड़क के पानी की निकासी नहीं है सारा पानी सड़क पर ही रहता है और उसमें जगह–जगह खड्डे हो रखे हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थिनी के मकान/सम्पत्ति में किसी तरह का हाउस टैक्स नहीं बढाया जाना चाहिये, जो हाउस टैक्स प्रार्थिनी पूर्व से दे रही है वह भी काफी अधिक है, इसलिये महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थिनी के मकान का हाउस टैक्स न बढाया जाये।	आपत्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि श्री सुभाष कक्कड उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर नही बढना चाहिए। *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
131	50	श्री प्यारे लाल मौर्य एवं अन्य सदस्य	6/18 न्यू बसन्त विहार,	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमशः 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह है जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 मे कुछ जगह 2016 मे बढ़ाया गया था, सुविधाओ के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधाये जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नही है। 40 वार्डो मे उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नहीं है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्वि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी वृद्वि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून | कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून | सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून | उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून | अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
123	46	श्री एस0सी0 शर्मा, अध्यक्ष,आ0 क0स0	फेज–2,माजरा,शक्ति विहार–9412050078	महोदय, निवेदन है कि शक्ति विहार, माजरा, देहरादून मे पर्याप्त मूलभूत सुविधाये जैसे कि सीवर लाइन, सफाई–व्यवस्था, बिजली का पर्याप्त रख–रखाव आदि प्रदान नहीं है, जबकि हमारे आस–पास के क्षेत्रों मे ये सभी मूलभूत सुविधायें प्राप्त है, वहा पर फिर भी भवनकर हमारी कालोनी से कम 0.75 पैसे और हमारे यहा 1.25 रूपये के हिसाब से वसूल र हे है,। सूत्रों से पता चला है कि इसमे पुनः बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव हैजो कि किसी भी रूप मे तर्क एवं न्याय संगत नहीं है। पूर्व मे भरी कालोनीवासियो द्वारा भवन कर के विषय में आपत्ति दर्ज करायी गयी थी तथा तत्कालीन मेयर श्री विनोद चमोली जी एवं विधायक जी से भी सम्पर्क स्थापित किया था। वर्ता के दौरान उनके द्वारा भविष्य में भवन कर निर्धारण मे गलती सुधारने हेतु आश्वासन दिया गया था, अब वर्तमान में पुनः बड़ी दरों पर कर निर्धारण किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि भवन कर एवं सीवर लाईन व्यवस्था के सन्दर्भ में विशेष ध्यान कर हम कालोनीवासियों के हित में निर्णय कर कार्यवाही करवाने की कृपा करें।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे क्षेत्र मे 1.25 की दर है जबकि बगल में स्थित कालोनी में 0.75 की दर है। एल0ई0डी0 लाइट एक तिहाई में लगी हुई है, सीवर लाइन नही बिछी हुई है, आवारा कुत्तों की बहुतायत है। भवन कर की दर 1.25 रू से अधिक नही की जाए व साथ ही सफाई व्यवस्था सुचारू रखी जाए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्राधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
124	46	श्री जे0डी0 कुकरेजा	57 शक्ति विहार कॉलोनी,माजरा–9897344088	महोदय, अनुरोध है कि नगर निगम द्वारा गृहकर बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है, इस सम्बन्ध में निम्न निवेदन है:– 1– यह कि जब से निगम बना है तभी से माजरा पिछडे वर्ग हेतु आरक्षित है और अधिकांश आबादी गरीब तबके की है। इस क्षेत्र में ऐसी कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं है। 2– यह कि इस कॉलोनी मे अभी तक सीवर लाईन नहीं डाली गई है। प्रोजक्ट मैनेजर उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमैन्ट विभाग के पत्रांक 614/आर0टी0आई0 दिनांक 33–06–2015 के अनुसार निकट भविष्य मे भी सीवर लाईन डालने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति मे गृह कर बढ़ाना उचित प्रतीत नही होता है। आपसे प्रार्थना है कि इस कॉलोनी में गृह कर न बढ़ाया जाय।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे क्षेत्र मे 1.25 की दर है जबकि बगल में स्थित कालोनी में 0.75 की दर है। एल0ई0डी0 लाइट एक तिहाई मे लगी हुई है, सीवर लाइन नही बिछी हुई है, आवारा कुत्तों की बहुतायत है। भवन कर की दर 1.25 रू से अधिक न बढाया जाए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
125	46	श्री गुलिस्तां अन्सारी, पूर्व पार्षद,	वार्ड–46 माजरा, जामा मस्जिद वाली गली	महोदय, निवेदन है कि मेरे वार्ड–46 में भवन कर रू. 1.50 एवं वार्ड–45 मे भवन कर रू. 0.75 है, जो कि पहले से ही अधिक है। नगर निगम द्वारा भवन कर में वृद्धि की जा रही है, जो कि असंवैधानिक है। भवन कर वृद्धि का अधिकार नगर निगम अधिनियम के तहत निर्वाचित बोर्ड को है, न कि नगर निगम के अधिकारियों, वर्तमान में नगर निगम बोर्ड अवकर्मित है, और वर्तमान में नगर निगम द्वारा नगर निगम का विस्तार किया गया है, जिससे वार्डो का सीमांकन दूसरे वार्डो में मिलाया गया है, जिससे भवन कर की दरों में विभिन्नता आ गयी है। अतः अनुरोध है कि अभी वार्डो के निवासी पूर्ण रूप से मूल सुविधाओं से वंचित हैं। अतः अभी भवन कर में वृद्धि न करें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
126	46	श्री आजाद	प्रीति एन्कलेव, माजरा–9259104826	महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि हमारा वार्ड न0–46 माजरा देहरादून में हाउस टैक्स रू. 1.50 की दर से नगर निगम द्वारा लगाया गया था, इस दौरान भी वार्ड के सभी व्यक्तियों के द्वारा आपत्ति दर्ज करायी गयी थी कि निरंजनपुर वार्ड में हाउस टैक्स कम है और माजरा में ज्यादा, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारा हाउस टैक्स रू. 1.5 से कम दिया जाय, ताकि इसको अदा करने में सभी को आसानी हो जाय, माजरा वार्ड नया है, इससे भी लोगों को ये मुश्किल हो रही है, इसलिए इसमें आप रेट दर कम करके उपभोक्ता को राहत देने की कृपा करें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
127	47	श्री राजपाल रोहिला	1/डी, एमडीडीए कॉलोनी, आईएसबीटी–8476084980	महोदय, सम्पत्ति का कर निर्धारण वर्ष–2016–17 में आपके विभाग द्वारा दिनांक 30.3.2017 को रू0 1264/–प्रति वर्ष की दर से निर्धारण किया गया है। आपके विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपरोक्त वर्तमान भवन कर पर 40 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी होने के लिए जारी किया है, जो कि अनुचित है। अतः हम उपरोक्त टैक्स पर दी जाने वाली टैक्स बढ़ोतरी को देने में असमर्थ हैं। वर्तमान में लगाया गया टैक्स उचित है। अतः निवेदन है कि वर्तमान टैक्स में कोई बढ़ोतरी न की जाय। प्रार्थी स्वंय वरिष्ठ नागरिक व पेंशन प्राप्त नागरिक है।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून | कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून | सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून | उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून | नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
118	44	श्री पुष्प राज भसीन	6 ग्रीनपार्क निरजंनपुर–9410 901702	Sir, it is stated that through news papers I have come to know that municipal corporation is set to increase the house tax by 40%, Iam a sinior citizen above 70 years. And a pensioner without any other income 40% rise in house tax is certainly going to upset my budget, it ia therefore requsted that the house tax may please be raised by 5% only.	आपत्तिकर्त्ता स्वंय उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर में 8 प्रतिशत की बढोत्तरी की जानी उचित होगी। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
119	45	श्रीमती गुरदीप कौर	113 निरंजनपुर–9557 248478	महोदय, प्रार्थिनी को ज्ञात हुआ है कि निगम द्वारा हाउस टैक्स में द40 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है, प्रार्थिनी को हाउस टैक्स बढ़ाने में आपत्ति है। हम लोग आपसे किसी भी तरह की सुविधा लेने में असमर्थ है, जैसे कि हमारी सड़क पर बड़े–बड़े गडढे बिजली की सही प्रकार से सुविधा नालियां आदि प्राप्त नहीं हो रही है, मुझे तो यह जानकर भी आश्चर्य है कि आपके कार्यालय ने ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा। आपसे निवेदन है कि मेरी आपत्ति को स्वीकार करें और हाउस टैक्स में किसी भी प्रकार की वृद्धि न करें। हमने कोई निर्माण कार्य नही किया है और न ही हमारे घर में किरायेदार है।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
120	45	श्रीमती जोगेन्द्र कौर	5ड्8–ए, कश्मीरी कॉलोनी,निरंजनपुर– 989767230	महोदय, प्रार्थिनी को ज्ञात हुआ है कि निगम द्वारा हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है, प्रार्थिनी को हाउस टैक्स बढ़ाने में आपत्ति है। हम लोग आपसे किसी भी तरह की सुविधा लेने में असमर्थ है, जैसे कि हमारी सड़क पर बड़े–बड़े गडढे बिजली की सही प्रकार से सुविधा नालियां आदि प्राप्त नहीं हो रही है, मुझे तो यह जानकर भी आश्चर्य है कि आपके कार्यालय ने ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा। आपसे निवेदन है कि मेरी आपत्ति को स्वीकार करें और हाउस टैक्स में किसी भी प्रकार की वृद्धि न करें। हमने कोई निर्माण कार्य नही किया है और न ही हमारे घर में किरायेदार है।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
121	45	श्री जागीर सिंह	654 कश्मीरी कॉलोनी,निरंजनपुर,– 8218225056	महोदय, प्रार्थिनी को ज्ञात हुआ है कि निगम द्वारा हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है, प्रार्थिनी को हाउस टैक्स बढ़ाने में आपत्ति है। हम लोग आपसे किसी भी तरह की सुविधा लेने में असमर्थ है, जैसे कि हमारी सड़क पर बड़े–बड़े गडढे बिजली की सही प्रकार से सुविधा नालियां आदि प्राप्त नहीं हो रही है, मुझे तो यह जानकर भी आश्चर्य है कि आपके कार्यालय ने ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा। आपसे निवेदन है कि मेरी आपत्ति को स्वीकार करें और हाउस टैक्स में किसी भी प्रकार की वृद्धि न करें। हमने कोई निर्माण कार्य नहीं किया है और न ही हमारे घर में किरायेदार है।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
122	46	श्री एस0डी0 शर्मा	16 महावीर एन्कलेव, माजरा–8006121 200	महोदय, नगर निगम देहरादून द्वारा सभी वार्डों में हाउस टैक्स की दरें 40 फीसदी तक सशोधित करने के प्रस्ताव पर इस कॉलोनी सम्बन्धी निम्न आपत्ति आपके विचारार्थ दर्ज की जाती है। 2– इस कॉलोनी में नाल निर्माण/मरम्मत एवं जल निकासी हेतु संलग्न पत्र दिनांक 24.02.2018 के अनुसार आपके स्तर से अभी कार्रवाई की जानी है। हाल ही में कॉलोनी में नई पेयजल लाइन बिछाने के उ परान्त खोदी गयी सड़क का डामरीकरण भी किया जाना बाकी है, साथ ही कॉलोनी की 30 फुट चौड़ी सड़क के बीचोंबीच अब तक एक तिहाई भाग (लगभग 10 फुट) पर ही डामरीकरण किया गया है, ऐसी दशा में कॉलोनी की सड़क का पूरा डामरीकरण करने तथा कॉलोनी से बाहर के लिए उक्त सन्दर्भित पत्रानुसार जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो जाने पर ही हाउस टैक्स में यथोचित सशोधन करना उचित होगा।	आपत्तिकर्त्ता स्वंय उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मेरा भवन कर 3300 है कालोनी में 30 भवन है जिनमें पानी की निकासी नही है। 20/09/2010 में जिला योजना द्वारा कोई फायदा नही हुआ सडक कालोनी के नाली से उपर बनी है नाली की निकासी सही नही है गलियारा पूरा खुला नही है। ढाल की समस्या है। सडक का डामरी करण नही किया गया है, सडक चौडी की जाए। भवन कर में 20 प्रतिशत की बढोत्तरी की जानी उचित होगी। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून

उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादन

क०स	वार्ड नं०	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
114	43	श्रीमती उषा बडोनी	129/1/144 का भाग, ब्लाक–2, भण्डारी बाग	महोदय, सादर अवगत कराना है कि उक्त भवन का पूर्व में कर निर्धारण कारपेट एरिया के अनुसार किया गया था जो अधिक है। समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि भवन कर का निर्धारण 40 प्रतिशत अधिक कर रहे है, जो बहुत अधिक है। अतः अनुरोध है कि उक्त भवन का कर निर्धारण उपरोक्त ही रखा जाय, ताकि मैं कर का निर्धारण समय से कर सकू।	श्रीमती उषा बडोनी के प्रतिनिधि श्री शकर मणि बडोनी उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मेरा वर्तमान कर 356 रू है। कर मे 5 प्रतिशत की बढोत्तरी की जानी उचित होगी। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय मे वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
115	43	श्री रियाज अहमद	40/4 ब्लाक–3, भण्डारी बाग	महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी 79 भण्डारी बाग–3 में निवास करता है, जो कि श्री युल मोहम्मद पुत्र श्री जहूर अहमद के नाम से दर्ज है। आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी पहले से ही भवन कर अधिक दे रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी का भवन कर और अधिक ना किया जाय।	आपत्तिकर्ता स्वय उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कम से कम 15 प्रतिशत की बढोत्तरी की जा सकती है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर मे दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओ को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
116	43	TALBRO'S FOOD (P) LTD.	ई–6 राजकीय औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर–7017415150	महोदय, निवेदन है कि निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स को 40 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, हमारी आपत्ति के बिन्दु निम्न प्रकार से है:– 1– हमारे क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत व रखरखाव का कार्य निगम द्वारा न किया जाता है अपितु यह कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। 2– 2 वर्ष पूर्व ही यहां करो में लगभग 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी जो कि अत्याधिक अधिक थी व पुनः वृद्धि का कोई आधार नहीं है। 3– क्षेत्र मे सफाई व्यवस्था शून्य है व निगम अपने दायित्व का पालन करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। 4– नालियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बरसात के पानी का निस्तारण नही हो रहा है। क्षेत्र की सभी नालियां चोक हो रखी हैं। सफाई से लेकर मरम्मत का काम नहीं हुआ है। 5– बरसात में कहीं भी मच्छर मारने की दवाईयों का छिड़काव नही हो रहा है, व पूरा क्षेत्र डेंगू जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। यहां के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य भी लगातार खराब हो रहा है। 6– स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का बढावा हो रहा है। 7– कूडा उठाने की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से जगह–जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिस वजह से पूरा क्षेत्र एवं हम नरक का जीवन जीने को मजबूर हैं। अतः अनुरोध है कि वर्तमान स्थिति में कर वृद्धि का कोई आधार नहीं बनता।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
117	43	Sharp Edge Handicrafts	ई–9 राजकीय औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर–9837067869	महोदय, निवेदन है कि निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स को 40 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, हमारी आपत्ति के बिन्दु निम्न प्रकार से है:– 1– हमारे क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत व रखरखाव का कार्य निगम द्वारा न किया जाता है अपितु यह कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। 2– 2 वर्ष पूर्व ही यहां करो में लगभग 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी जो कि अत्याधिक अधिक थी व पुनः वृद्धि का कोई आधार नहीं है। 3– क्षेत्र मे सफाई व्यवस्था शून्य है व निगम अपने दायित्व का पालन करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। 4– नालियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बरसात के पानी का निस्तारण नही हो रहा है। क्षेत्र की सभी नालियां चोक हो रखी हैं। सफाई से लेकर मरम्मत का काम नहीं हुआ है। 5– बरसात में कहीं भी मच्छर मारने की दवाईयों का छिड़काव नहीं हो रहा है, व पूरा क्षेत्र डेंगू जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। यहां के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य भी लगातार खराब हो रहा है। 6– स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था ठीक नही है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का बढ़ावा हो रहा है। 7– कूडा उठाने की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से जगह–जगह कूड़े के ढेर लगे है, जिस वजह से पूरा क्षेत्र एवं हम नरक का जीवन जीने को मजबूर है। अतः अनुरोध है कि वर्तमान स्थिति में कर वृद्धि का कोई आधार नही बनता।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून | कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून | सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून | उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून | अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
109	43	श्रीमती रेखा गुप्ता	59/2, ब्लाक–3, भण्डारी बाग	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि नगर निगम भवन का (हाउस टैक्स) में बढ़ोतरी करने जा रहा है। अतः मुझे इस सम्बन्ध में निम्न आपत्ति है:– 1– सन् 2015–16 से पूर्व मेरे भवन का हाउस टैक्स रू. 137.50 था। 2– सन् 2015–16 में कारपेट एरिया के अनुसार मेरे भवन का कर 389.00 निर्धारित किया गया है जो कि पहले से बहुत अधिक है। 3– मैने अपने भवन मे कोई नया निर्माण नही किया, और ना ही कोई किरायेदार है। अतः सीमित आय होने के कारण मै अधिक कर अदा नही कर सकती, इसलिए न्यूनतम टैक्स बढ़ोतरी करने की कृपा करें।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमने अपने भवन मे कोई नया निर्माण नही किया है अतः भवन कर न बढाया जाए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय मे वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
110	43	श्रीमती यशोदा बडोनी	59/2, ब्लाक–3, भण्डारी बाग	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि नगर निगम भवन का (हाउस टैक्स) में बढ़ोतरी करने जा रहा है। अतः मुझे इस सम्बन्ध में निम्न आपत्ति है:– 1– सन् 2015–16 से पूर्व मेरे भवन का हाउस टैक्स रू. 137.50 था। 2– सन् 2015–16 में कारपेट एरिया के अनुसार मेरे भवन का कर 525.00 निर्धारित किया गया है जो कि पहले से बहुत अधिक है। 3– मैने अपने भवन में कोई नया निर्माण नही किया, और ना ही कोई किरायेदार हैं। अतः सीमित आय होने के कारण मै अधिक कर अदा नही कर सकती, इसलिए न्यूनतम टैक्स बढ़ोतरी करने की कृपा करें।	श्रीमती यशोदा बडोनी के प्रतिनिधि श्री हरीश मोहन उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि नालियों व सफाई की व्यवस्था ठीक नही है। कर मे 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की जानी उचित होगी। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय मे वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
111	43	श्रीमती उर्मिला नौटियाल	133/148, ब्लाक–3, भण्डारी बाग	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि नगर निगम भवन का (हाउस टैक्स) में बढ़ोतरी करने जा रहा है। अतः मुझे इस सम्बन्ध में निम्न आपत्ति है:– 1– सन् 2015–16 से पूर्व मेरे भवन का हाउस टैक्स रू. 275.00 था। 2– सन् 2015–16 में कारपेट एरिया के अनुसार मेरे भवन का कर 370.00 निर्धारित किया गया है जो कि पहले से बहुत अधिक है। 3– मैने अपने भवन में कोई नया निर्माण नही किया, और ना ही कोई किरायेदार हैं। अतः सीमित आय होने के कारण मै अधिक कर अदा नही कर सकती, इसलिए न्यूनतम टैक्स बढ़ोतरी करने की कृपा करें।	श्रीमती उर्मिला नौटियाल के प्रतिनिधि श्री हरीश मोहन उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कर मे कम से कम 4 से 5 प्रतिशत की बढोत्तरी की जानी उचित होगी। *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर मे दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय मे वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
112	43	श्री दिनेश चंद्र डंडरियाल	59/2 भण्डारी बाग–2	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि नगर निगम भवन का (हाउस टैक्स) में बढ़ोतरी करने जा रहा है। अतः मुझे इस सम्बन्ध मे निम्न आपत्ति है:– 1– सन् 2015–16 से पूर्व मेरे भवन का हाउस टैक्स रू. 150.00 था। 2– सन् 2015–16 में कारपेट एरिया के अनुसार मेरे भवन का कर 662.00 निर्धारित किया गया है जो कि पहले से बहुत अधिक है। 3– मैने अपने भवन मे कोई नया निर्माण नहीं किया, और ना ही कोई किरायेदार हैं। अतः सीमित आय होने के कारण मैं अधिक कर अदा नही कर सकती, इसलिए न्यूनतम टैक्स बढ़ोतरी करने की कृपा करें।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्ट्रीट लाइट खराब है। सीवर मेन होल खराब है। नाला सडक में आता है नाला नया बनाया जाए कर मे 5 से 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की जानी उचित होगी। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
113	43	श्रीमती आशा रानी जायसवाल	150/127 भण्डारी बाग–2	महोदय, पूर्व मे भवन का कर निर्धारण कारपेट एरिया के अनुसार कर निर्धारण किया गया था, जो अधिक है। समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि भवन कर का निर्धारण 40 प्रतिशत अधिक कर रहे हैं, जो बहुत अधिक है। अतः अनुरोध है कि उक्त भवन का कर निर्धारण उपरोक्त ही रखा जाय, ताकि मैं कर का निर्धारण समय से कर सकूं।	श्रीमती आशा रानी जायसवाल के प्रतिनिधि श्री अरूण कुमार जायसवाल उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कर मे 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की जानी उचित होगी। *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर को दरो मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता देहरादून

उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
47	13	अशोक कुमार मील, अविनाश कुमार, संजय कुमार	15/3 इन्दिरा कॉलोनी।	महोदय निवेदन है कि आपके द्वारा प्रेस विज्ञप्ति मे मासिक किराया दरें प्रकाशित की गई है जिसमे पूर्व की अपेक्षा 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो कि अत्यधिक होने के कारण भवन स्वामियों पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त वृद्धि 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत किया जाए ताकि भवन कर दाताओं को भवन कर देने में परेशानी का सामना न करना पडे।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओ एव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
48	13	सुरेन्द्र नौटियाल, आशीष कुमार	116/7 चुक्खुवाला।	महोदय निवेदन है कि आपके द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में मासिक किराया दरें प्रकाशित की गई है जिसमे पूर्व की अपेक्षा 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो कि अत्यधिक होने के कारण भवन स्वामियों पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त वृद्धि 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत किया जाए ताकि भवन कर दाताओं को भवन कर देने में परेशानी का सामना न करना पडे।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर मे दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
49	13	सुशील विरमानी	24 चकराता रोड़–9639396551	महोदय विदित हुआ है कि नगर निगम देहरादून द्वारा भविष्य में भवन कर 40 प्रतिशत बढाये जाने का प्रस्ताव है जो कि अत्यधिक है। यदि इतना कर बढाया गया तो आमजन को देना मुश्किल होगा। अतः जन हित में आपसे निवेदन है कि पत्र को आपत्ति मानते हुए भवन कर न बढाये जाने संबंधी कार्यवाही करने का कष्ट करें।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान मे भवन कर 10 प्रतिशत तक बढाया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर मे दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
50	13	संजय कुमार	1/12 चक्खुवाला, देहरादून	विषय आपके द्वारा हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत वृद्धि के संबंध में महोदय जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमश 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रहे हैं जो कि किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। वर्ष 2015 मे कुछ जगह 2016 में बढाया गया था सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधाएं जैसे नाली लाइट सफाई सडक की हालत ठीक नही है 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है। जिस पर हमे कोई एतराज नही है परंतु पहले सुविधाऐं दुरूस्त की जाए तभी टैक्स बढाया जाए यो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो हर 4 वर्ष की बजाए 5 वर्ष में टैक्स बढना चाहिये। आपसे निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवम आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवम आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर मे दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय मे वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
51	15	कुलभूषण दुआ	7–ए, डिस्पैन्सरी रोड–9557303272	विषय भवन कर संशोधन हेतु आपत्ति पत्र। महोदय सविनय निवेदन यह है कि हमे समाचार पत्र द्वारा ज्ञात हुआ है कि भवन कर में बहुत अधिक संशोधन हुआ है तथा यह संशोधन पहले पांच वर्ष में होता था जो कि अब दो वर्ष मे किया गया है यह दोनों ही बातें विचारणीय है। कृपया भवनकर बहुत अधिक न बढाया जाए। तथा यह संशोधन पांच वर्ष मे ही किया जाए।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान मे भवन कर 20 प्रतिशत तक बढाया जाना उचित होगा। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर मे दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून
कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून
सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून
उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादन

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
42	12	श्री बिजेन्द्र पाल सिंह	53/5 राजपुर रोड़– 9997865564	विषय गृहकर बढाने के संबंध में आपत्ति व सुझाव। महोदय 1.वर्तमान में नगर निगम द्वारा गृहकर 40 प्रतिशत से ज्यादा वसूलने की तैयारी की जा रही है जो कि सही नहीं है क्योंकि पिछले चार साल पहले ही किराया पद्धति से हाउस टैक्स हटा कर नगर निगम एक्ट के अनुसार लगाया गया था जो कि लगभग चार से पांच गुना बढाया था अत आपसे निवेदन है कि गृहकर पांच प्रतिशत ही बढाया जाए। 2.मेरा सुझाव है कि इसे भी सडक की चौडाई के अनुसार करके गरीब व मध्यम वर्ग को राहत पहुचाई जानी चाहिए।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि 5 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है 2015.16 में कर लगाया गया था जिसकी दरें 2014.15 में निर्धारित की गई थी सडक की चौडाई के हिसाब से कर लगाया जाए, 0 से 12 मी0 की सडक में कर कम बढाया जाए, 12 से 24 मी0 में अधिक बढाया जाए। *प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया। संलग्न सूची के अनुसार वार्ड में दरों को कम करते हुए वार्ड वार दरों की संस्तुति की जाती है।*
43	12	कृष्णा रस्तोगी	44/35/2 राजीव गांधी मार्ग–9650582220	विषय हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत बढोत्तरी करने के बावत आपत्ति दर्ज करने के संबंध में महोदय दैनिक अखबार हिन्दुस्तान के हिन्दी प्रकरण में हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत बढोत्तरी करने के बावत आपत्ति दर्ज करने के संबंध में मुझे अवगत कराना है। 1. मै 44/35/2 राजीव गांधी मार्ग का निवासी हूं। 2. मेरे द्वारा हाउस टैक्स का नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है। 3.मेरे भवन के सामने सडक 12 मी0 चौडी है तथा सीवर लाइन भी नहीं है। 4. हाउस टैक्स पूर्व में ही 2015 में चार गुना बढाया जा चुका है। 5.मै सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी हूं तथा पेंशन पर ही गुजारा चलता है। सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं अनुरोध करता हूं कि हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत बढोत्तरी करना औचित्य पूर्ण नहीं है।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
44	12	श्री सुनील कुमार गोयल	44/35/1 राजीव गांधी मार्ग–9650582220	विषय हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत बढोत्तरी करने के बावत आपत्ति दर्ज करने के संबंध में महोदय दैनिक अखबार हिन्दुस्तान के हिन्दी प्रकरण में हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत बढोत्तरी करने के बावत आपत्ति दर्ज करने के संबंध में मुझे अवगत कराना है। 1. मै 44/35/1 राजीव गांधी मार्ग का निवासी हूं। 2. मेरे द्वारा हाउस टैक्स का नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है। 3.मेरे भवन के सामने सडक 12 मी0 चौडी है तथा सीवर लाइन भी नहीं है। 4. हाउस टैक्स पूर्व में ही 2015 में चार गुना बढाया जा चुका है। 5.मै सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी हूं तथा पेंशन पर ही गुजारा चलता है। सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं अनुरोध करता हूं कि हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत बढोत्तरी करना औचित्य पूर्ण नही है।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
45	12	श्री रंजीत सिंह एवं अन्य सदस्य	आरती काम्पलेस, नेशविला रोड़	विषय आपके द्वारा हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव के संबंध में महोदय जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमश 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रहे हैं जो कि किसी प्रकार से न्यायोचित नही है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 में बढाया गया था सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधाए जैसे नाली लाइट सफाई सडक की हालत ठीक नही है 40 वार्डों में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है। जिस पर हमें कोई एतराज नही है परंतु पहले सुविधाऐं दुरूस्त की जाए तभी टैक्स बढाया जाए वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो हर 4 वर्ष की बजाए 5 वर्ष में टैक्स बढना चाहिये। आपसे निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवम आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवम आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
46	13	श्री मुकुल मोहन सकलानी	31 नेशविला रोड़– 9412935519	विषय गृह कर का निर्धारण। महोदय हम आपके संज्ञान में निम्नलिखित बातें लाना चाहते है– 1.हमारा उपरोक्त घर लगभग 85 वर्ष पुराना है। 2. हमारे घर का नक्शा सन 12.06.1933 को नगर पालिका देहरादून द्वारा पास किया गया था। 3. घर का गृहकर 01.04.17 से 31.03.18 तक रू0 984 के वार्षिक मूल्यांकन की दर से लिया जा रहा है। 4. घर का विवरण इस प्रकार है– कुल क्षेत्रफल 11592वर्ग फीट निर्मित क्षेत्रफल 2430 वर्ग फीट खुला क्षेत्रफल 9162 वर्ग फीट मै एक लगभग 75 वर्षीय सेवा निवृत वरिष्ठ नागरिक हूं अत उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए वार्षिक गृह कर में वृद्धि न करें जाने का अनुरोध है।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनके घर का क्षेत्रफल कम है उनके द्वारा 2013 में कुछ हिस्सा बेचा गया, जिनका बिल अलग अलग होना चाहिए, जो पहले 562 था जो वर्तमान में 984 हो गया, अधिकतम 40 प्रतिशत की छूट को बढाया जाए जो पुराने भवनों को दी गई है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरो मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून

उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादन

क०स	वार्ड नं०	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
38	12	Mr. virender Kumar	58 खानबन्धु मार्ग–8979552045	58 Khan Bandu Marg Dehradun dt 02-08-2018 Sub- Your Notice in the News paper today for increse in House tax by 40% in ward 12. sir, I had constructed my house in Feb-1983 and I was paying a very nominal house tax. in the year 2004 it was raised to 450/ per year and in the year 2015 to Rs-1143/ per year, wide copies of receipt enclosed. Since I senior citizen (Retired) and i have not made any alteration in my house, I am not in a position to pay proposed 40 % incresed in the house tax. Kindly consider my request sympathehcally. yours faithfully.	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि कर में बढोत्तरी कम होनी चाहिए ओल्ड सर्वे रोड पर कूडादान होना चाहिए एक दिन में कम से कम तीन बार साफ कराया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
39	12	श्री प्रवीन कुमार गुप्ता	44/35 राजीव गांधी मार्ग–1, 7579417787	Subject- Increse in house Tax upto 40% Objection. Reference: Press notice dt. 20.07.2018 in Hindustan in Hindi. Sir I would like to submit following observations/objections for your kind consideration- (1) I am residing at 44@35 Rajeev Marg, 1st Dehradun since 1960. (2) House Tax being paid regularly. (3) Municipal road in front of House is less than 4 meter (around 12 feet) and sever line is not operative on the road in front of my house. (4) Frequency of door to door garbage lifting is very poor and is generally once in 4 days. (5) Drainage are cleaned occasionally. (6) Road condition is not very good and needs attention. (7) House tax was Incresed approximately four times in 2005. (8) I am retired govt. employee with meager amount of pension. (9) Senior citizen may be givin some concession in House tax. I am a senior citizen. It is therefor requested that keeping in view the above,proposed increse in house tax may please be considered sympathetically and status quo may kindly be maintained. Thank you.	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
40	12	श्रीमती चंचल साहनी	59 खानबन्धु मार्ग– 9720006429	Sub- Your Notice in the Newspaper today for Increse In House Tax by 40% in ward 12. Sir my House was constructed in the year 1958 by my father in law and currently I am residing in the house along with my two sons and their families. I am a retired Serior citizen aged 77 years. I was paying very nominal house tax and in the year 1998 it was 118.75 in 2004 it was raised to Rs 350 and in the year 2015 to Rs 2884 (SElf Assessment) which is already an increse of 725%. I have already paid house tax 2018-19/ Since I am a senior citizen and i have made no Alterations to my house, I am not in a position to pay 40 % increse proposed House Tax. Kindly consider my request sympathetically. Yours faithfully.	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनका भवन पुराना है जिसका स्वकर निर्धारण के अंतर्गत कर रू0 2900 हो गया जो कम किया जाना चाहिए। *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
41	12	श्री नन्दन गौतम	69/49 बकरालवाला–78 95416423	महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी का भवनकर 15–06–2015 मे निर्धारित किया गया था जिसके कि प्रपत्र सलग्न है। प्रार्थी सेवानिवृत है प्रार्थी के दो पुत्र है जो कि बेरोजगार है तथा प्रार्थी पेन्शन सक ही अपना गुजारा करता है। प्रार्थी और अधिक भवन की वृद्धि सहन करने मे असमर्थ है। अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थी का भवन कर मे वृद्धि न कर के वर्तमान कर ही रहने दिया जाए। आप की अति कृपा होगी प्रार्थी आपका आभारी रहेगा।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनका 2014 15 में रू0 93 से बढकर 1704 हो गया है, इसमें केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून | कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून | सहायक अभियन्ता देहरादून | उप नगर आयुक्त | अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादन

क०स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
35	11	Mahinder kumar	म0नं0–39 डीएवी कॉलेज रोड़– 7895187098	sub- Objection against the proposal increase in annual House Tax for House No. 38/1, D.A.V. College Road, Dehradun. Sir, With due respect I state the propose increse in House Tax as shown from the Newspaper not accepted to me for the following reasons- 1- That I am in the old age of seventy eight (78) years having no source of income except my meager pension amount. 2. That the accommodation in my house is only for myself and two unmarried dependant daughters and no part of house has never been rented or lease rented. 3- The house is situated on 26ft. 6 inches wide road which take the basis of tax assessment. There is no change in the said road. 4. The house is 3000 sq.ft. area and is more than hundred years old and never been remodified upto this day rather the maintenance cost is very high/ The house thus has actually been depreciated rather than appreciaItion. That the self assessment of the house for fixation of present house tax of Rs. 668/- In view of the above the proposed increse in the present assess value is baseless and absolutly wrong. I would therefore request you not to increse assessment of house tax rather it should be decrese. Due to the fact the house needs regular repair have been maintaining and repair of roofs and walls which have been very much difficult to bear maintenance cost with my meager pension. thanking you.	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में भवन कर में 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की जा सकती है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
36	11	श्री जितेन्द्र मेदीरत्ता	10 बंगाली मौहल्ला, लाईब्रेरी रोड, देहरादून	विषय– आपके द्वारा हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव के सम्बन्ध में । महोदय, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमशः 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रहे है जो कि किसी प्रकार से न्यायोचित नही है वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 में बढाया गया था सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधायें जैसे नाली लाइट सफाई सडक की हालत ठीक नही है 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नही लगाया गया है। जिस पर हमें कोई एतराज नही है परन्तु पहले सुविधाए दुरूस्त करी जाए तभी टैक्स बढाया जाए वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो हर 4 वर्ष की बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढना चाहिए। आपसे निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस ले एंवम नगर निगम के चुनावों के बाद नवनिर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
37	6	श्री रमेश बुटोला	144 / 11 नैशविला रोड़–9837886940	महोदय, विदित हुआ है कि नगर निगम द्वारा 2019 हेतु भवन की निर्धारण की प्रकिया प्रारम्भ की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित आपत्तिया प्रस्तुत की जा रही है– 1– वर्तमान में भवन कर निर्धारण हेतु अलग–अलग वार्डो में सम्पूर्ण वार्ड को आधार मानकर दरों के मानक तय किए गए है जो कि न्यायासंगत नही है। उदाहरण स्वरूप डोभालवाला वार्ड में भवन कर की दरे अधिक है जबकि इन्दिराकालोनी वार्ड में भवन कर की दरें कम है, परिणाम स्वरूप डोभालवाला मार्ग के डंगवाल मार्ग और लोअर डोभालवाला जैसे अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र के बस्ती वासियों को अधिक भवन कर देना पड रहा है, जबकि पॉश एरिया के निवासियों को भवन कर की कम दरों का लाभ प्राप्त हो रहा है। अतः भवन कर हेतु दरों का निर्धारण वार्डो के आधार पर नही बल्कि क्षेत्र के आधार पर किया जाए। 2– भवन कर की दरों में पहले ही पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है तथापि आवश्यक होने की दशा में अधिकत्तम 10 प्रतिशत तक ही वृद्धि की जाए। धन्यवाद।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गये जिसमें कर निर्धारण वार्डवार न कर क्षेत्रवार किया जाए अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाए 2014 में पूर्व की अपेक्षा 400 से 500 प्रतिशत बढाकर कर दिया जा रहा है । शहर में सीनियर सिटिजन अधिक है वह कब तक कर देते रहेंगे सुविधाऐं नही है, आय बढाई जाए, नगर निगम का पैसा निगम में ही खर्च होना चाहिए। जनता द्वारा ही जमा कर से आय 4 करोड से 20 करोड की आय प्राप्त हुई है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
31	11	श्री उमेश कुमार ओबराय	306/243 करनपुर–1,	सविनय निवेदन है कि उपरोक्त मकान का house Tax पहले ही बढा हुआ है। कृपया Tax और न बढायें। आप जानते ही है कि मकान के आस पास सफाई की व्यवस्था भी ठीक नही है। बीमारी का खतरा लगातार बना रहता है। पानी वर्षा में घर के अन्दर आ जाता है। कृपया Tax और न बढायें। धन्यवाद।	आपत्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि श्री विपिन कुमार ओबराय उपस्थित हुएइनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनके क्षेत्र में सफाई कर्मी नियमित नहीं आता माह में एक बार की आता है वार्ड 11 करनपुर में बरसात का पानी मेरे घर में आता है कर मे 5 प्रतिशत से अधिक की बढोत्तरी न की जाए इनका वर्तमान कर रू0 600 है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
32	11	श्री मनमोहन लाल शर्मा	71/52 करनपुर–1,	महोदय, please do not increse tax 71/52 करनपुर प्रथम। सविनय निवेदन है कि हमारा टैक्स पहले ही बढा हुआ है। कृपया और न बढायें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
33	11	श्रीमती सुशीला कुमारी	208/168 करनपुर– 7906988218	विषय– भवन कर निर्धारण के सन्दर्भ में आपत्ति पत्र। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मेरा मकान नं0 208/168 मौहल्ला करनपुर, वार्ड नं0 11 नया वार्ड नं0 15 है। दिनॉक 4–8–2018 को समाचार पत्र में छपे समाचार के अनुसार ज्ञात हुआ है कि 40 प्रतिशत भवन कर बढाने को प्रस्ताव है। इस विषय मे मुझे निवेदन करना है कि वर्ष 2015 में ही भवन कर का मूल्याकन बहुत अधिक हो जाने के कारण काफी टैक्स बढाया जा चुका है अतः और अधिक टैक्स न बढाया जाये। हमारे पास कोई किराएदार नही है। हम मकान में स्वयं रह रहे है। पिछले कर निर्धारण के बाद मकान में न कोई परिवर्तन हुआ है न कोई परिवर्तन किया गया है। मै किसी भी दशा में ज्यादा भवन कर नही दे सकती हूँ। मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मै एक सीनियर सिटीजन हूँ इस कारण आपसे निवेदन करती हूँ कि वार्षिक भवन कर पहले ही के स्तर पर रहने दिया जाये।	आपत्ति कर्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनका भवन 50 से 60 वर्ष पुराना है जो जर्जर अवस्था में है वह 83 वर्ष की वृद्ध महिला हैं जिनको 15 हजार रू0 महीना मिलता है इनका भवनकर 2014 तक 290 रू0 था जो 2015 में बढकर 782/ रू0 हो गया वे सीनियर सिटीजन हैं । जिस कारण भवन कर में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए *प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया। संलग्न सूची के अनुसार वार्ड में दरों को कम करते हुए वार्ड वार दरों की संस्तुति की जाती है।*
34	11	श्रीमती उषा कुमारी, सुबोध कुमार, अर्चना कुमारी	18/18 डी0ए0वी0 कॉलेज रोड़–983737343 6	विषय– भवन मूल्यांकन एंव भवन कर निर्धारण के सन्दर्भ में आपत्ति पत्र। 1– भवन सं0 18/18 डी0 ए0 वी0 कालेज रोड देहरादून। 2– आपत्ति कर्त्ता– उषा कुमारी, सुबोध कुमार, अर्चना कुमारी। 3– वर्तमान मूल्यांकन सन 2015 से 6728 रू वार्षिक। 4– सन 2015 से पूर्व का मूल्यांकन 1800 रू वार्षिक। आपत्ति 1– यह भवन 1916–17 का बना हुआ है अतः इसके रखरखाव पर प्रतिवर्ष काफी मात्रा में व्यय करना पडता है 2– या कि इस मकान में कोई किराएदार नही है पूरा मकान भवन स्वामी कि लिए निवास के काम आता है किसी प्रकार की कोई अर्थिक आय इस मकान से नही है। 3– गत पांच वर्षो से इस भवन मे कोई परिवर्तन नही हुआ है जितना मूल्यांकन 2015 में था उतना ही आज भी है। 4– 31 मार्च 2017 तक सम्पूर्ण भवन का चुकता कर दिया गया है कोई अवशेष नही है। 5– सन 2015 से पूर्व मूल्यांकन केवल 1800 रू0 वार्षिक था जो 2015 में बढाकर 6728 रू0 कर दिया गया जो पहले ही अत्यधिक है। अतः अब मूल्यांकन मे और वृद्धि अनुचित होगी। अतः आपसे प्रार्थना है कि भवन मूल्यांकन एंव भवन कर पूर्वत ही रहने दिया जाये।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनका भवन काफी पुराना है पहले ही 4 गुना कर बढ चुका है इसे 10 प्रतिशत से अधिक न बढाया जाए। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून

उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादन

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
27	9	श्रीमती रश्मि शर्मा	272/209 अंबेडकर मार्ग–9412940779	महोदय, यह कि प्रार्थिनी सम्पत्ति सं0–272/209 अंबेडकर मार्ग–2 देहरादून की स्वामिनी है। प्रार्थिनी को ज्ञात हुआ है कि आपके विभाग द्वारा टैक्स की बढोतरी का प्रस्ताव पारित किया है। प्रार्थिनी आपको अवगत कराना चाहती है कि विभाग द्वारा कुछ वर्ष पूर्व टैक्स की बढोतरी की गई थी तथा वर्तमान में भी प्रार्थिनी काफी अधिक टैक्स भुगतान कर रही है।	आपत्ति कर्ता के प्रतिनिधि श्री अशोक शर्मा उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनका टैक्स पूर्व में 500 रू0 से बढकर रू0 1100 (वर्तमान) हो गया है सफाई का कार्य समुचित रूप से नही किया जा रहा है टैक्स 10 से 15 प्रतिशत तक बढाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओ एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती हैं।
28	9	श्री रवि सक्सेना	अंबेडकर नगर–2, डी0एल0 रोड–9568702022	महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी रवि कुमार सक्सेना निवासी–अंबेडकर नगर–2 डी0एल0 रोड़ देहरादून का निवासी है, प्रार्थी को पता चला है कि नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स 40 प्रतिशत किया जा रहा है, प्रार्थी को इसमें आपत्ति है। अतः प्रार्थना है कि हाउस टैक्स 40 प्रतिशत किया जा रहा है उस टैक्स को 40 प्रतिशत नहीं किया जाना चाहिये।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
29	9	श्री राजेश कुमार	अंबेडकर नगर, डी0एल0 रोड़–9568700214	महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी राजेश कुमार, निवासी–अंबेडकर नगर–2 डी0एल0 रोड़ देहरादून का निवासी है, प्रार्थी को पता चला है कि नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स 40 प्रतिशत किया जा रहा है, प्रार्थी को इसमें आपत्ति है। अतः प्रार्थना है कि हाउस टैक्स 40 प्रतिशत किया जा रहा है उस टैक्स को 40 प्रतिशत नहीं किया जाना चाहिये।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर मे दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय मे वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
30	11	श्री विपिन कुमार ओबराय	259 करनपुर, 307/244 करनपुर–1,	सविनय निवेदन है कि उपरोक्त मकान का house Tax पहले ही बढा हुआ है। कृपया Tax और न बढायें। आप जानते ही है कि मकान के आस पास सफाई की व्यवस्था भी ठीक नही है। बीमारी का खतरा लगातार बना रहता है। पानी वर्षा में घर के अन्दर आ जाता है। कृपया Tax और न बढायें। धन्यवाद।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुये इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनके क्षेत्र में सफाई कर्मी नियमित नहीं आता माह में एक बार की आता है वार्ड 11 करनपुर में बरसात का पानी मेरे घरमें आता है कर मे 5 प्रतिशत से अधिक की बढोत्तरी न की जाए इनका वर्तमान कर रू0 600 है। इस सम्बन्ध में *प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून

उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादन

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
22	8	श्री जे0पी0 बजाज एवं अन्य सदस्य	449 स्ट्रीट नं0–2–ए, राजेन्द्र नगर	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमश: 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह हैं जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 मे बढ़ाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधायें जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नहीं है। 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नहीं है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवं आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवं आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
23	8	श्री विरेन्द्र सिंह	54 राजेन्द्र नगर, कौलागढ़ रोड़	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमश: 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह हैं जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 मं बढ़ाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधायें जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नहीं है। 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नही है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवं आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
24	8	श्रीमती कुलदीप कौर	म0नं0–504 / 483 ,स्ट्रीट नं0–8,लेन नं0–8, राजेन्द्र नगर	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमश: 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह हैं जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 मं बढ़ाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधायें जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नहीं है। 40 वार्डो मे उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नहीं है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष मे टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवं आगामी नगर निगम के चुनावो के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
25	8	श्रीमती चंद्रकांत जोशी एवं अन्य सदस्य	229 / 1 सिरमौर स्टेट मार्ग,कौलागढ़ रोड़, देहरादून	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमश: 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह हैं जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 मं बढ़ाया गया था, सुविधाओ के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधाये जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नहीं है। 40 वार्डो मे उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नहीं है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी नगर निगम के चुनावो के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
26	9	श्री राम अवतार	233 / 3 70 ओल्ड डालनवाला–6396 092	महोदय, निवेदन है कि मैनें हाउस टैक्स की आपत्ति के बारे में पढ़ा है। महोदय मेरा घर सिटीबोर्ड स्कूल के नदी किनारे पड़ता है। यहां क सफाई कर्मचारी सारी गन्दगी लाकर यहा फेंक देते है, जिससे कोई भी किरायेदार यहां पर रह नहीं पाता है। प्रार्थी की हालत को देखते हुये इनका टैक्स माफ किया जाय।	आपत्ति कर्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनका टैक्स वर्तमान में 2000 है जो छूट के बाद 1600 हो जाता है, 10 प्रतिशत तक कर बढ़ाया जा सकता है। सफाई व्यवस्था को सुधारने का सुझाव दिया गया। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अत: प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
17	5	डा0 एम0एस0 नेगी	अध्यक्ष, रेजीडेंटस वैलफेयर एसोसिएशन, राजपुर रोड़	sir, with due regards, we the residents of lane no.2 Saket (76/27-46) Rajpur road (canal road) want to bring to your kind notice that it is in the news of Hindustan news paper of 30.7.18 that the house tax will bo increased by 40% since it was already increased two yrs. back only therefore proposed increase, the house tax by 40% is not understood and highly objectionable. it is requested that the proposed increase in house tax may piz be withdrawn.	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर 40 प्रतिशत वृद्धि पर इन्हे घोर आपत्ति है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरे निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
18	5	श्रीमती मधुलिका सन्धू	52 / 13 राजपुर रोड़, 9411112265	Sir, With reference to Your Proposed increase in the house tax I would like to bring the Following pointw to your notice for your kind consideration. 1- Iam 64 years old and a widow, my late husband did not have any pensionable job, nor did I, 2- I have no financial support from anyone . 3- I have already suffered a massive heart attack after my husbands death and now living on medication. 4- I have limited savings and a house which I have to maintain. 5- with the rising cost of living Iam finding it verey difficult to sustain myself. 6- Last time my house tax was increased three folds and as it is Iam finding difficult to pay. therefore it is my humble request not to increase my house tax any further.	आपत्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनका भवन कर 2011 में 210 रू0 था जो कि वर्तमान में बढकर रू0 1132 हो गया । अभी भवन कर में 20 प्रतिशत की बढोत्तरी की जा सकती है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर मे दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
19	6	श्रीमती कविता पत्नी श्री विल्सन रार्बट	59 डोभालवाला	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमशः 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह है जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 मे बढाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधायें जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नही है। 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है, जिस पर हमे कोई एतराज नहीं है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढाया जाए. वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष मे टैक्स बढना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवं आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर मे दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
20	7	श्री निखिल कुमार	निवर्तमान पार्षद, वार्ड–7 विजय कॉलोनी–9997864586	महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी के वार्ड सं0–7 विजय कॉलोनी में पूर्व में ही कर की दरें ज्यादा थी, क्योंकि इस क्षेत्र में मलिन बस्ती व संकरे क्षेत्र है पर फिर भी काफी कर आरोपित किया गया था, साथ के वार्डो मे कर दर काफी कम है परन्तु वार्ड सं0–7 में दर काफी अधिक थी। पुनः नये प्रकाशित दरों में भी काफी वृद्धि की गई है जो न्यायोचित नहीं है। अतः निवेदन है कि पूर्व की भांति रखी जायें।	आपत्ति कर्ता स्वय उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर मे 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की जा सकती है व मेरे वार्ड में 6 मलिन बस्ती पडती है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
21	8	श्रीमती ममता अरोड़ा	21 / 6 कृष्ण नगर, देहरादून	महोदय, निवेदन है कि अखबार के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि नगर निगम भवन कर की दरें में 40 प्रतिशत वृद्धि करने की तैयारी में है, जो जनहित में बहुत अधिक है। जबकि पहल से ही भवन करों की दरें काफी अधिक है, जो 40 प्रतिशत वृद्धि के पश्चात बहुत अधिक हो जायेगी, जिससे आम जनता पर अधिक वित्तीय भार पड़ेगा। अतः आपसे निवेदन है कि भवन करो की दरों को पूर्व की भांति रहने दिया जाय।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून

उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
15	2	श्री योगेन्द्र कुमार	13 सिद्वार्थ विहार कंडोली,सहस्त्रधारा रोड़–9410352561	महोदय, नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स 40 प्रतिशत बढाने के प्रस्ताव के अनुसार हाउस टैक्स की दरों को तय करने को सड़कों की चौड़ाई को आधार माना गया है। सड़के ही किसी वार्ड में आने–जाने की पहली और बेसिक सुविधा है। वार्ड की सड़कों की गुणवत्ता और उसके दोनों ओर निर्मित नालियों की साफ–सफाई पर ही किसी वार्ड निवासियों तथा निगम की सक्षमता की पहचान भी होती है। वार्डो में खास और आम सभी रहते हैं। कृपया आप नगर आयुक्त हैं। आपके पास भ्रमण की सभी सुविधाये उपलब्ध हैं। अतः आप हाउस टैक्स बढ़ान से पूर्व हर वार्ड का भ्रमण करें और साथ ही आंकलन करें कि पिछल हाउस टैक्स क अनुरूप आपने वार्ड निवासियों को किस प्रकार की कितनी सुविधाये दी हैं, साथ ही यह भी आंकलन करें कि वार्ड में खास एरिया और आम एरिया में दी गई सुवधाओं म भेदभाव क्यों है। महोदय मैं वार्ड सं0– 2 सिद्वार्थ विहार, कंडोली सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून का निवासी हूँ। 2014–15 से सीवर लाईन और 2016–17 से पानी की पाईप लाईन का कार्य यदा कदा चलता रहता है जिसके कारण सड़क टूट–फूटकर 10–12 फीट से कहीं 3–4 फीट तथा कहीं विलुप्त हो गई है और गड्ढे हो गये हैं। कही–कहीं माउंड बनने के कारण चलना मुश्किल हो गया है। नालियां गंदगी से भरी होने के कारण बरसाती पानी का निकास नही होने से पानी उन्हीं टूटी–फूटी सड़कों पर बहता है और आने–जाने वाले लोग गड्ढों में गिरते हैं। जिसके लिए आपके विभाग के चक्कर काट–काटकर भी कोई कार्यवाही नहीं होती। नालियों की सफाई के लिए सम्बन्धित कर्मचारी तरह–तरह के बहाने बनाते हैं। इसी कालोनी के प्रवेश पर ही शायद नगर निगम की लावारिस जमीन पर एक टूटा चूने का भट्टा है, जिसके आस–पास मयूर विहार, राजीव नगर, आर्यनगर कण्डाली के सभी लोग कूड़ा फेंकते है तथा राजीय नगर निवासियों के कई सुअर इस कूड़े के ढेर पर गंदगी इधर–उधर फैलाते रहते हैं, जिस कारण हम लोगों का जीना दूभर हो गया है तथा क्षेत्र में संक्रमणीय रोग फैलने का भय भी उत्पन्न हो गया है। आवासीय कालोनी के बीच में नगर निगम द्वारा कूडाघर बनाने की जिम्मेदारी आपके विभाग की है। अतः आपसे निवेदन है कि वार्ड नं0– 2 सिद्वार्थ विहार के निवासियो के हाउस टैक्स का निर्धारण करने से पूर्व इस वार्ड का भ्रमण करने की कृपा करें, जिससे सच्चाई सामने आ सके, क्योंकि इस कॉलोनी का हर निवासी गृह कर समय से अदा करते हैं तथा उन्हें सड़क, नाली सफाई की व्यवस्था की वंचित रखा जा रहा है। इस कॉलोनी में हाउस टैक्स वृद्वि से पूर्व नगर निगम द्वारा प्रदत्त सुविधाओं पर अवश्य विचार करना चाहिये, तभी हाउस टैक्स की वृद्धि की जाये। हमें हाउस टैक्स की वृद्धि पर घोर आपत्ति है।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पानी सडक पर आ रहा है 2014–15 में सीवर लाइन पडी तो सडक तोड दी गई उनके द्वारा मोबाइल पर फोटो दिखायी गई व कहा गया कि नगर निगम में की जाने वाली शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होती। 2 अगस्त को लाइट की शिकायत की गई लेकिन समाधान का मैसेज आ जाता है, टैक्स की दरें व्यवहारिक होनी चाहिए नालियो की सफाई की जानी चाहिए। इस *सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
16	5	श्री अमरीक सिंह	सचिव, रेजीडेंटस वैलफेयर एसोसिएशन, राजपुर रोड़	Sir. 1- we the residents of lane no-1 Saket Colony, Rajpur road, Dehradun Through our above named Association wish to Object to the proposed increase of 40% in house tax. 2- The Association object the proposed increase in house tax on the grounds mentioned hereunder: (a) that nagar nigam has not improved/ increased any of is services to the tax payer. rather the Quality and FreQuency of Cleaning of Public Places has deteriorated over a period of Time (b) Further that three is no logical reason on Justification of substantial increase in the House tax. (c) The sanitition and hygienic service have gone down. (d) tha the inflation has not increase since last two years so there is no Justification for the increase in the house tax. 3- we therefore request you not to increase the same at all as the Association does not see any reason for ncrease in the house tax. 4- It is also requested that the decision of ncrease of any may please be taken after consultation with the effected people/bodies and should not be taken unilaterally and arbitrarily.	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय मे वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादन

(168)

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
13	2	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	चीडोंवाली पो0–कंडोली, राजपुर रोड़– 9917046170	महोदय, प्राथी वार्ड नं0–2 का निवासी है और प्रार्थी के घर आगे मात्र 15–16 फीट चौड़ी सड़क है और ना ही हमारी सड़क पर नालियां बनी हैं तथा 4–6 महीन के अन्तराल पर दो–तीन सफाई कर्मचारी आते है, जिस कारण घर के सामन की सड़क को हम स्वयं ही साफ करते हैं, यह कि पूर्व में राजपुर रोड एवं सहस्त्रधारा रोड़ के हिसाब से 15 रू0 वर्गफीट के हिसाब से गृह कर लगाया गया था जो कि किसी भी दृष्टि स उचित नहीं है। मात्र नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाईट की सुविधा ही उपलब्ध है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये पूर्व में जो गृह कर लगाया गया था, उसको भी नये असिस्मेंट वर्ष में कम करने की कृपा करें।	आपत्ति कर्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर को पूर्व में लगा है वह भी कम होना चाहिए बिजली खराब है चिडोवाली में बिजली का पोल सडक पर आ गया है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
14	2	श्री विनय कुमार	सचिव,सि.वि.स.आ समिति, 9927118886	महोदय, नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स 40 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव के अनुसार हाउस टैक्स की दरो को तय करन को सड़कों की चौड़ाई को आधार माना गया है। सड़के ही किसी वार्ड में आने–जाने की पहली और बेसिक सुविधा है। वार्ड की सडकों की गुणवत्ता और उसके दोनों ओर निर्मित नालियों की साफ–सफाई पर ही किसी वार्ड निवासियों तथा निगम की सक्षमता की पहचान भी होती है। वार्डो में खास और आम सभी रहते हैं। कृपया आप नगर आयुक्त है। आपके पास भ्रमण की सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। अतः आप हाउस टैक्स बढ़ान से पूर्व हर वार्ड का भ्रमण करें और साथ ही आंकलन करें कि पिछल हाउस टैक्स क अनुरूप आपने वार्ड निवासियों को किस प्रकार की कितनी सुविधायें दी हैं, साथ ही यह भी आंकलन करें कि वार्ड में खास एरिया और आम एरिया में दी गई सुक्षाओं म भेदभाव क्यों है। महोदय मैं वार्ड स0– 2 सिद्वार्थ विहार, कंडोली सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून का निवासी हूं। 2014–15 से सीवर लाईन और 2016–17 से पानी की पाईप लाईन का कार्य यदा कदा चलता रहता है जिसके कारण सडकं टूट–फूटकर 10–12 फीट से कहीं 3–4 फीट तथा कहीं विलुप्त हो गई है और गड्ढे हो गये हैं। कहीं–कहीं माउंड बनने के कारण चलना मुश्किल हो गया है। नालियां गंदगी से भरी होने के कारण बरसाती पानी का निकास नहीं होने से पानी उन्ही टूटी–फूटी सड़कों पर बहता है और आने–जाने वाले लोग गड्ढो में गिरते है। जिसके लिए आपके विभाग के चक्कर काट–काटकर भी कोई कार्यवाही नहीं होती। नालियो की सफाई के लिए सम्बन्धित कर्मचारी तरह–तरह के बहाने बनाते है। इसी कालोनी के प्रवेश पर ही शायद नगर निगम की लावारिस जमीन पर एक टूटा चूने का भट्टा है, जिसके आस–पास मयूर विहार, राजीव नगर, आर्यनगर कण्डाली के सभी लोग कूड़ा फेंकते है तथा राजीव नगर निवासियों के कई सुअर इस कूड़े के ढेर पर गंदगी इधर–उधर फैलाते रहते हैं, जिस कारण हम लोगों का जीना दूभर हो गया है तथा क्षेत्र में संक्रमणीय रोग फैलने का भय भी उत्पन्न हो गया है। आवासीय कालोनी के बीच में नगर निगम द्वारा कूडाघर बनाने की जिम्मेदारी आपके विभाग की है। अतः आपसे निवेदन है कि वार्ड नं0– 2 सिद्वार्थ विहार के निवासियों के हाउस टैक्स का निर्धारण करने से पूर्व इस वार्ड का भ्रमण करने की कृपा करें, जिससे सच्चाई सामने आ सके, क्योंकि इस कॉलोनी का हर निवासी गृह कर समय से अदा करते हैं तथा उन्हें सडक, नाली सफाई की व्यवस्था की वंचित रखा जा रहा है। इस कॉलोनी में हाउस टैक्स वृद्वि से पूर्व नगर निगम द्वारा प्रदत्त सुविधाओं पर अवश्य विचार करना चाहिये, तभी हाउस टैक्स की वृद्धि की जाये। हमें हाउस टैक्स की वृद्धि पर घोर आपत्ति है।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कंडोली का टैक्स राजपुर रोड के हिसाब से है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए । सफाई कर्मचारी महीने में एक बार आते है, सडकें टूटी हुई हैं, पानी के एकत्र होने की समस्या है । *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादन

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
10	2	श्री विरेन्द्र दत्त सकलानी	लेन सं0–5 गोविन्द नगर सहस्त्रधारा मार्ग	महोदय, सादर अवगत कराना है कि हमारी कालोनी गोविन्द नगर, धोरनखास गांव क्षेत्र के एक भूखण्ड पर स्थित है, जिसे स्थापित हुए लगभग 20 वर्ष हो गये है, धोरनखास का हिस्सा होने के कारण इस कालोनी को भी वर्ष–2003 मे नगरीय क्षेत्र मे समायोजित कर लिया गया था। तदुपरान्त इस कालोनी के सभी आवासियों ने एमडीडीए एव नगर निगम के अन्तर्गत अपने भवन मानचित्र कम्पाउन्ड कराये तथा नियमानुसार प्रत्येक भवन स्वामी ने नगर निगम में नियत दरों पर भवन कर जमा कराया है, जबकि सुविधाओं के नाम पर नगर निगम ने घर–घर कूडा उठान की व्यवस्था दी है, जिसमें कूडे की गाड़ी प्रति दिन न आकर सप्ताह एक–दो दिन ही आती है। माह के पहले सप्ताह में जरूर आती है, जब निगम को रू0 50/– लेने होते है, जो कि रू0 40/– से बढ़ा कर रू0 50/– किये गये है। सफाई के नाम निगम की लेबर कालोनी के मुख्य द्वार तक ही सीमित है, रही एमडीडीए की बात उसके पास तो विकास के नाम पर सुविधायें देने को कुछ है ही नहीं, उसकी तो कर लेना ही नियति ह। इसके बावजूद समाचार में प्रकाशित विज्ञप्ति से मालूम हुआ कि नगर निगम ने भवन कर को 40 प्रतिशत और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर जनसाधारण से दिनांक 02 अगस्त, 2018 तक आपत्तियां मागी है। अतः महादय गोविन्दनगर विकास समिति सरकार और नगर निगम प्रशासन से इस 40 प्रतिशत भवन कर वृद्धि के प्रस्ताव का गम्भीरता से विरोध करती है तथा घोर आपत्ति दर्ज करते है।	आपत्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र कुमार उपस्थित उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे क्षेत्र मे सीवर /लाइट/नालियों की व्यवस्था नही है। सफाई की गाडी रोजाना नही आती है। प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
11	2	श्रीमती वीनू भाटिया	लेन–8 राजेश्वर नगर सहस्त्रधारा रोड़–9410321451	Sir,I Have To submit as under that we have constructed afore said house in year 2014 only. Our Corporate area is 1286only and there is no matel road, street high in this have despite repeated pleas to nagar nigam. There is no seweer line in this area and as per lawthe enhaverment can be done only after year 2020.we have already paidhouse tax on 20-4-18 to 31.3.19e 2200/- we are retired senior citizen with no source of income our's is self occupied house. in view of all facts reported above we see no reason to increase House Tax. we hope our plea will be considered and enhavement of house tax be done,	आपत्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि श्री अमरजीत भाटिया उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि सडक, लाईट, नाली की समुचित व्यवस्था नहीं है कूडे का वाहन तीन दिन के अंतराल मे आता है टैक्स व्यवहारिक होना चाहिए स्थल निरीक्षण कर समस्या का समाधान होना चाहिए इसे 5 से 10 प्रतिशत तक बढाया जाना चाहिए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
12	2	श्री अरविन्द डोभाल	अध्यक्ष,धोरण गांव विकास समिति–9634219045	महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन यह है कि धोरण गांव लगभग 150 वर्ष पुराना गांव है तथा वर्ष 2003 में इसका अधिगृहण कर नगर निगम में सम्मिलित किया गया है, गांव के अधिकांश भवन पुराने हैं जो कि मिट्टी पत्थर व टीन के बने है। यह गांव पहले वार्ड नं–2 सहस्त्रधारा वार्ड में आता था। वर्तमान मे यह वार्ड नं0–5 धोरण खास के नाम से जाना जाता है। इस समय भवन कर सहस्त्रधारा रोड़ के 1.50 की दर से निश्चित है जबकि सहस्त्रधारा रोड़ के समान कोई भी सुविधा यहां पर उपलब्ध नही है, इस विषय में निम्नलिखित आपत्तियां है:–1–धोरण गांव सहस्त्रधारा रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है तथा रोड़ की चौडाई 10 फीट है। 2– सम्पूर्ण गांव की आबादी खसरा नं0–113 में लगभग 150 साल से आबाद है। 3– लगभग 50 प्रतिशत मकान पुराने समय क मिट्टी पत्थर व टीन के बने है। 4– गांव में सिविर लाईन की कोई सुविधा नहीं है। 5– वर्तमान में भवन कर रू0 1.50 प्रति वर्गफीट है। जोकि सहस्त्रधारा रोड सुविधा सम्पन्न रोड के समान है। 6– गांव में जलपूर्ति रिस्पना पदी के श्रोत से की जाती है, जो वर्षाकाल में अधिकांश क्षतिग्रस्त हो जाती है। पथ–प्रकाश सुविधा न के बराबर है। 7– सरकारी एवं प्राईवेट,सार्वजनिक वाहनों की कोई भी सुविधा गांव तक उपलब्ध नहीं है तथा ग्रामवासियों का पैदल ही 2 किलोमीटर की दूरी तकय कर सार्वजनिक वाहन सुविधा मिलती है। 8– इस पत्र से पहल भी गांववासियों ने नगर निगम को आपत्ति पत्र भेजा था व व्यक्तिगत रूप से भी नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह भी ज्ञात हुआ है कि भविष्य में भवन कर में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है जबकि वर्तमान में भवन कर रू0 1.5 प्रति वर्गफीट है, भवन कर में उपरोक्त वृद्वि न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि गांव में नगर निगम जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नही है। भवन कर में वृद्वि का गांववासी घोर विरोध करते हैं	आपत्ति कर्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि कर मे बढोत्तरी होनी चाहिए किंतु नगर की उन्नति भी होनी चाहिए बिजली का सामान उपलब्ध नही है 10 फीट चौडी सडक है अतः भवन कर कम होना चाहिए संपत्ति कर नियमावली के अनुसार भवन कर की दरें सडक की चौडाई के अनुसार प्रस्तावित की गई है। भवन कर दरें राजपुर व सहस्त्रधारा की तरह है परन्तु सुविधाए उनके सापेक्ष नही है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

170

क्र०स	वार्ड नं०	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
7	1	श्री एस०पी० नवानी	अध्यक्ष, दूनविहार कॉलोनी समिति,जाखन, 9719444689	महोदय, निगम द्वारा 40 प्रतिशत भवन कर में बढ़ोतरी पूर्वतः एक पक्षीय तथा मनमाने ढंग से की जा रही है, जबकि वर्ष 2015–16 तथा 2017 तक भी स्वय कर निर्धारण की व्यवस्था के अन्तर्गत सभी ने भवन के कवर्ड एरिया के हिसाब से अपना गृह कर अदा कर दिया था, इसमें करीब सभी भवनों का टैक्स दोगुना हो गया था, यह अभी तक चल रहा है। 1– नगर निगम, देहरादून में अभी तक नगर निगम की नियमावली यानी एक्ट नहीं बना है। उत्तर–प्रदेश नगर निगम नियमावली 1959 आदि से ही काम चलाया जा रहा है, जो कि कानूनन नियम के विपरीत है। 2– आपके द्वारा बताया गया कि हर चार (यानी चार वर्ष) में निगम द्वारा भवन कर में वृद्धि हो सकती है, परन्तु कितनी वृद्धि होनी है, यह स्पष्ट नहीं है। यानी वर्ष 2015–16 में टैक्स में वृद्धि हो गई तो अगली वृद्धि वर्ष–2020 में 5 प्रतिशत की दर से होनी चाहिए। 3– भवन कर में वृद्धि की अधिकारिक सूचना दैनिक समाचार–पत्रों में इस बार नहीं दी गई, जो अव्यवहारिक है। यह सूचना समाचार पत्रों में विस्तार से छपनी चाहिये, जो कि नोटिस के रूप में होगी। 4– भवनों की कीमत में Depreciation Value स्वतः ही वार्षिक मूल्यांकन पर निरन्तर घट रही है। अतः भवन की मूल्य में भी भवन कर की गणना करते वक्त ही जोड़ दिया जाये। अतः आपसे निवेदन है कि नगर निगम द्वारा प्रस्तावित भवन कर में बढ़ोतरी आधारहीन है, क्योंकि कॉलोनियों के निमित सुविधाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में पूर्व पार्षदों व पूर्व महापौर तथा अन्य जन प्रतिनिधियों के भी विचार ज्ञात करके निर्णय लेने की कृपा करें।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित उनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवनों की क्षरण दर के हिसाब से छूट नही दी गई , दरों का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों मे नही किया गया है। आंतरिक मार्गों में गन्दगी है, सफाई कर्मी नही आते, स्ट्रीट लाइट नही जलती है, अतिक्रमण चिन्हित नही किया गया है कालोंडी में ओवरहेड टैंक की आवश्यकता है। भवन कर की दरों को 5 से 10 प्रतिशत तक बढाया जा सकता है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
~	1	डा० जे०एम० अग्रवाल	105/10 राजपुर रोड– 9411115055	The last and regular Payment Of House Tax Paid (for 1.4.18 to 31-3-19) was Rs 772 on 27 April 18, vied receipt no.800510 book no 806, 2. it is submitted that iam a retired officer of central Govt.(Age 76 yrs. My wife is 72 yrs.) I am not having any other income except the Pension. 3- it is further submitted that any increase in house Tax will hamper my Financial condition as with my pension. iam fincling it hard to maintain the house, medical expenses transport and taxes level lay the Govt. 4- it is therefore requested that Iam be exempted for any increase in the house tax .	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वे रिटायर्ड अधिकारी है जिनको कम पेन्शन मिल रही है एंव जो दरें वर्तमान मे है वही रखी जाए। नगर निगम की सुविधाए नही है, नाली साफ नही है और कही बनी नही है। सफाईकर्मी नही आते, सडके टूटी है एंव फोगिंग नही हो रही। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
9	2	श्री प्रेम सिंह	44/209 सिद्धार्थ विहार कन्डोली–976020 6640	महोदय, मै सिद्धार्थ विहार कण्डोली का निवासी हू और कई वर्षो से हाउस टैक्स भरता आ रहा हूँ। आपके द्वारा वार्डो मे हाउस टैक्स 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का जो प्रस्ताव चलाया जा रहा है इस सम्बन्ध मे आपत्ति है। इस कॉलानी में नगर निगम द्वारा कोई भी सुविधा नही दी जा रही है, यहां पर आपके द्वारा एक भी सफाई कर्मचारी सड़कों/नालियों की सफाई हेतु नहीं लगाया गया है और न ही मेयर फण्ड से/पार्षद फण्ड से कोई नाली/सड़क आदि को बनवाया गया है। इस कालोनी की सड़कों को बने हुय लगभग 13–14 वर्ष हो गये हैं। जिनकी हालत बहुत खराब है,जगह–जगह पानी भरा रहता है और नालियां न होने के कारण कन्डोली निवासियों का पानी भी सड़कों पर बह रहा है, उचित निकासी नहीं है, जबकि दूसरे मौहल्लों में जगह–जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि यह सडक/नालियां मेयर नगर निगम/पार्षद, नगर निगम के फण्ड से बनवायी गयी है, इस प्रकार नगर निगम केवल टैक्स वसूलने का कार्य कर रहा है। सुविधा कोई नहीं दी जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि सिद्धार्थ विहार कन्डोली का मौका मुआयना कराने की कृपा करें और आवश्यकता को देखते हुये सडक/नालियों का निर्माण नगर निगम फण्ड से कराने की कृपा करे, कृपया जब तक कोई सुविधा नही दी जाती, तब तक हाउस टैक्स न बढ़ाया जाय, पूर्वत की भांति ही टैक्स लिया जाय।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित उनके द्वारा अवगत कराया गया कि सफाई कर्मी नही आता है नालिया नही बनी है कंडोली का पानी सीधे सिद्धार्थ विहार मे आता है जब तक मूलभूत सुविधा नही दी जाती तब तक कर न बढाया जाए मोबाइल पर फोटो द्वारा दिखाया गया कि पानी बह रहा है। विधायक/ नगर निगम द्वारा कोई खर्चा नही किया गया है। वार्ड मे फागिंग नही की गई है। *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

(171)

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
4	1	जगदीश प्रसाद साहू	99/8 ढाकपट्टी, राजपुर	महोदय, आपके पत्र सं0– 138/कर आकलन/18 वार्ड–01 दिनांक 28.8.18 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी एक 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जो राजपुर वार्ड वार्ड नं0–1 के 99–ए,ढाकपट्टी में निवास करता है। 2– यह कि कर निर्धारण के सम्बन्ध में आपको प्रार्थना पत्र दिया था उस सम्बन्ध में तथा आपके उपरोक्त पत्र के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है। 3– यह कि कर निर्धारण के सम्बन्ध मे कुछ लोग ऐसे है, जिनके मकान गिराऊ स्थिति में हैं मरम्मत नहीं कस सकते, घर की पुताई तक नहीं कर सकते है, ऐसे व्यक्तियों के कर निर्धारण में कुछ छूट दी जानी चाहिये। 4– यह कि जो मकान सन 1950 के पहले के बने हैं, सन 2001 में बने है उनको 25 वर्ष के हिसाब से कर में छूट देने की कृपा करें। 5– यह कि जिस प्रकार रेलवे 60 वर्ष से ऊपर के के नागरिकों को किराये में 50 से 60 प्रतिशत छूट देती है। ए0सी0 के किराये, फर्स्ट क्लास के किराये, सेकिंड क्लास के किराये में तथा एक्सप्रेस के किराये में फर्स्ट एक्सप्रेस के किराये में तथा साधारण ट्रेनों के किराये में अन्तर होता है उसी प्रकार आयु के हिसाब से हर 25 वर्ष के 50 वर्ष के और उससे ऊपर के किराये में भी छूट प्रदान करने की कृपा करें। 6– यह कि जिस प्रकार न्यायालय महिलाओं को रजिस्ट्री शुल्क में छूट देती है उसी प्रकार महिलाओं के मकान पर भी छूट का प्राविधान किया जाय। 7– यह कि जिस प्रकार परिवहन निगम की बसों में सीनियर सीटिजन को किराये में राज्य सरकार द्वारा छेट दी जाती है, उसी प्रकार सीनियर सीटिजन के मकान मालिकों को भी छूट दी जाये। 8– यह कि जब आप भवन कर बढ़ा देते हैं तो शहरवासियों का आपके विभाग द्वारा क्या सहूलियत दी जा रही है। टूटी गड्ढे वाली सड़कके टूटी नालियां शहर में जगह–जगह गंदगी के ढेर व बदबू तथा बीमारी पर कृपया ध्यान दें।	आपत्तिकर्ता स्वय उपस्थित उनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन जर्जर स्थिति में है किराएदार नही है भवन कर से मुक्त किया जाए सीनियर सिटिजन होने के कारण। सीवर लाइन नालियों में खोल रखा है कई बार शिकायत दर्ज की गई है लेकिन कोई सुनता नहीं । कर में 30 प्रतिशत की बढोत्तरी की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
5	1	श्री यशवीर आर्य	24/2 कैनाल रोड़ जाखन– 9719111920	महोदय, निवेदन है कि जो भवन कर वर्ष–2015–16 तक रू. 600.00 या उसको वर्ष 2016–17 में 125 प्रतिशत से बढ़कार रू. 1347.00 कर दिया गया, अब दो वर्ष बाद ही उसको और बढ़ाने का क्या औचित्य है, और सुविधाओं के नाम पर क्या दिया जा रहा है। घर से कूड़ा उठाने के रू. 600.00 प्रति वर्ष अलग लिये जा रहे है। मै इस बढोतरी का विरोध करता हूँ।	आपत्तिकर्ता स्वय उपस्थित उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कर में कम से कम बढोत्तरी की जाए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
6	1	दीपक सिंह बगरियाल	205/1 राजपुर रोड़– 9675766237	महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि आपके विभाग द्वारा दिनांक 29.07.18 के अखबार हिन्दुस्तान में 40 प्रतिशत भवन कर बढ़ाने हेतु लिखा गया है। महोदय पूर्व में ही भवन कर अधिक आ रहा है, जिससे हमे भवन कर देने में परेशानी हो रही है,यदि अब भवन कर और बढ़ाया जायेगा तो जनहित में ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही भवन कर काफी अधिक आ रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि भवन कर न बढाया जाये, जिससे आमजन को भवन कर की अधिक वृद्धि से परेशानी न हो।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उपनगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादन

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
1	1	श्री रतन सिंह चौहान	24 जाखन, राजपुर रोड़, 9897326401	महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि आपके विभाग द्वारा दिनांक 29.07.18 के अखबार हिन्दुस्तान में 40 प्रतिशत भवन कर बढ़ाने हेतु लिखा गया है। महोदय पूर्व में ही भवन कर अधिक आ रहा है, जिससे हमें भवन कर देने में परेशानी हो रही है,यदि अब भवन कर और बढ़ाया जायेगा तो जनहित में ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही भवन कर काफी अधिक आ रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि भवन कर न बढ़ाया जाये, जिससे आमजन को भवन कर की अधिक वृद्धि से परेशानी न हो।	श्री रतन सिंह के प्रतिनिधि श्री दीप सिंह चौहान उपस्थित हुए प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि निगम द्वारा कोई सुविधा नही दी जाती जनता सन्तुष्ट नही है, 2014 से पूर्व रू 250 से बढाकर 2014 में 1600 रू कर दिया गया। डोर–टू–डोर कूडा वाहन नही आता है, सडको में गढढे है, रोड/सीवर लाइन नही है टैक्स बढाया जाए लेकिन सुविधाए भी दी जानी चाहिए टैक्स 2 से 3 प्रतिशत बढाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में *प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
2	1	श्री दीप सिंह चौहान	24 जाखन, राजपुर रोड़, 9897326401	महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि आपके विभाग द्वारा दिनांक 29.07.18 के अखबार हिन्दुस्तान में 40 प्रतिशत भवन कर बढ़ाने हेतु लिखा गया है। महोदय पूर्व में ही भवन कर अधिक आ रहा है, जिससे हमें भवन कर देने में परेशानी हो रही है,यदि अब भवन कर और बढ़ाया जायेगा तो जनहित में ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही भवन कर काफी अधिक आ रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि भवन कर न बढ़ाया जाये, जिससे आमजन को भवन कर की अधिक वृद्धि से परेशानी न हो।	श्री दीप सिंह चौहान उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि निगम द्वारा कोई सुविधा नही दी जाती जनता सन्तुष्ट नही है 2014 से पूर्व रू 250 से बढाकर 2014 में 1600 रू कर दिया गया। डोर–टू–डोर कूडा वाहन नही आता है, सडको में गढढे है, रोड/सीवर लाइन नही है टैक्स बढाया जाए लेकिन सुविधाए भी दी जानी चाहिए टैक्स 2 से 3 प्रतिशत बढाया जा सकता है। प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया। संलग्न सूची के अनुसार वार्ड में दरों को कम करते हुए वार्ड वार दरों की संस्तुति की जाती है।
3	1	श्री श्याम कुमार आनन्द	56/21–बी, वैली एन्कलेव कैनाल रौड,जाखन	महोदय, आपके द्वारा समाचार पत्र हिन्दुस्तान दिनांक 31–07–2018 में प्रकाशित भवन कर की अधिकता व आपत्ति हेतु मै आपके संज्ञान में निम्नवत बिन्दु लाना चाहता हूँ– प्रार्थी ने दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को एम0डी0डी0ए0 देहरादून से अपने मकान हेतु एक नक्शा एम0डी0डी0ए0 विभाग के आदेश संख्या–2155/05–06 द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसमें प्रार्थी ने 3 बैडरूम, 1 ड्राईंग रूम, कीचन, स्टोर, पूजा कक्ष क निर्माण करवाया तथा प्रार्थी उक्त भवन मे सन् 2006–07 निवास कर रहा है, परन्तु यह बहुत खेद के साथ कहना पड रहा है कि आपके द्वारा प्रार्थी एक बहुत बड़े भवन कर तथा उससे सम्बन्धित जल मूल्य को देता आ रहा है, जिसकी वार्षिक मूल्यांकन दर प्रतिमाह रु0 15,500.00 की दर से आंकी गई है, जो कि न्यायोचित नही है तथा प्रार्थी इस बारे में कर अधिकारी राजपुर से भी बात कर चुके है तथा अपनी लिखित प्रार्थना भी दे चुके थे, लेकिन कुछ न हो सका, इसी के आधार पर एक बहुत भारी जल मूल्य रु0 2128.00 चार माह की दर से प्रार्थी देता आ रहा है, जबकि हमारे से बड़े–बड़े भवन बड़ी सड़कों व सुख सुविधाओं सहित हमसे बहुत कम कर दे रहे हैं, 1– प्रार्थी का निवास 56/21 बी, वैली इन्क्लेव कैनाल रोड,मौजा–जाखन मे आता है जोकि मात्र 5 मीटर से थोड़ी अधिक चौड़ी सड़क है। 2– यह मुख्य सड़क से काफी दूर पर स्थित रिस्पना नदी के पास है तथागती में रिस्पना बस्ती बसी हुई है, जहां पर हमसे अच्छी सुविधायें दे रखी हैं तथा जल मूल्य व भवन कर भी न के बराबर है। 3– हमारी गली में साज–सफाइ की भी कोई व्यवस्था नहीं है, और न ही नियमित रूप से कूडा उठान वाले आते हैं जबकि पैसा हर माह ले जाते हैं। 4–प्रकाश, पानी की भी कमी हमेशा रहती है तथा जगह–जगह गंदगी पसारी रहती है। 5 सड़क यातायात से (पब्लिक ट्रासपोर्ट) से भी काफी दूर है तथा प्रार्थी का भवन मानचित्र 10–04–2006 को पास हुआ। महोदय से आग्रह है कि प्रार्थी को एक बड़ा भवन कर व जल मूल्य पिछले 12 वर्षों से भरना पड़ रहा है, जबकि उस पर भवन निर्माण की 10 वर्ष की छूट भी नहीं दी जा रही तथा कम चौड़ी सड़क यानि की संकरी सड़क व सुख–सुविधाओं, सफाई से दूर, नदी के समीप व बस्ती से लगता हुआ निवास किसी भी दृष्टि से पॉश कॉलोनी या निवास नही कहलाता, जबकि इसकी वर्तमान दर पॉश कॉलोनी के हिसाब से ली जा रही है जो कि तर्क संगत नहीं है। प्रार्थी से बड़े–बड़े भवन स्वामी बहुत कम टैक्स व जल मूल्य दे रहे हैं, जबकि हमारे साथ यह एक सरासर अन्याय है, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी जो कि नौकरी करता है उसके ऊपर लगाए गए भारी टैक्स को उक्त बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए कटौती की जाए, ताकि प्रार्थी पर डाले गए भारी जल मूल्य रु0 6384/– तथा भवन कर असीसमेंट रु0 15500/– वार्षिक के बोझ से राहत मिल सके व प्रार्थी इसको अदा करने की स्थिति में आ सके। कृपया इस पर निगाह डाली जाए व इसको कम किया जाय।	स्वयं उपस्थित आपत्तिकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पानी का टैक्स भवन कर के हिसाब से ही लिया जाता है रू 2128 आता है हर साल 20 प्रतिशत की दर से बढाते है। 2 कमरे है सीवर की सुविधा नही है नदी के साथ सटा मकान है मलिन बस्ती में टैक्स नही लग रहा है फलैटस पर भी टैक्स नही लग रहा है रोड केवल 5 मीटर है सफाई कर्मचारी व डोर–टू–डोर कूडा वाहन नियमित नही आते। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

भवन कर दरों के सम्बन्ध में आपत्ति सुनवाई रिपोर्ट

क०स	वार्ड नं०	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
106	43	CLIFF CLIMBERS (INDIA) PVT. LTD.	ई–5, राजकीय औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर	महोदय, निवेदन है कि निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स को 40 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, हमारी आपत्ति के बिन्दु निम्न प्रकार से हैः– 1– हमारे क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत व रखरखाव का कार्य निगम द्वारा न किया जाता है अपितु यह कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। 2– 2 वर्ष पूर्व ही यहां करो में लगभग 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी जो कि अत्याधिक अधिक थी व पुनः वृद्धि का कोई आधार नहीं है। 3– क्षेत्र में सफाई व्यवस्था शून्य है व निगम अपने दायित्व का पालन करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। 4– नालियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बरसात के पानी का निस्तारण नही हो रहा है। क्षेत्र की सभी नालियां चोक हो रखी हैं। सफाई से लेकर मरम्मत का काम नहीं हुआ है। 5– बरसात में कहीं भी मच्छर मारने की दवाईयों का छिड़काव नही हो रहा है, व पूरा क्षेत्र डेंगू जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। यहां के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य भी लगातार खराब हो रहा है। 6– स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का बढ़ावा हो रहा है। 7– कूड़ा उठाने की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से जगह–जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिस वजह से पूरा क्षेत्र एवं हम नकर का जीवन जीने को मजबूर हैं। अतः अनुरोध है कि वर्तमान स्थिति में कर वृद्धि का कोई आधार नहीं बनता।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
107	43	श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल	ई–10, राजकीय औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर–9760817110	महोदय, निवेदन है कि निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स को 40 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, हमारी आपत्ति के बिन्दु निम्न प्रकार से हैः– 1– हमारे क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत व रखरखाव का कार्य निगम द्वारा न किया जाता है अपितु यह कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। 2– 2 वर्ष पूर्व ही यहां करो में लगभग 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी जो कि अत्याधिक अधिक थी व पुनः वृद्धि का कोई आधार नही है। 3– क्षेत्र में सफाई व्यवस्था शून्य है व निगम अपने दायित्व का पालन करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। 4– नालियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बरसात के पानी का निस्तारण नहीं हो रहा है। क्षेत्र की सभी नालियां चोक हो रखी हैं। सफाई से लेकर मरम्मत का काम नहीं हुआ है। 5– बरसात में कहीं भी मच्छर मारने की दवाईयों का छिड़काव नहीं हो रहा है, व पूरा क्षेत्र डेंगू जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। यहां के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य भी लगातार खराब हो रहा है। 6– स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का बढ़ावा हो रहा है। 7– कूड़ा उठाने की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से जगह–जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिस वजह से पूरा क्षेत्र एवं हम नकर का जीवन जीने को मजबूर हैं। अतः अनुरोध है कि वर्तमान स्थिति में कर वृद्धि का कोई आधार नहीं बनता।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
108	43	BUSINESS & COMPUTER INDIA	4–बी, राजकीय औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर–9897302060	महोदय, निवेदन है कि निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स को 40 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, हमारी आपत्ति के बिन्दु निम्न प्रकार से हैः– 1– हमारे क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत व रखरखाव का कार्य निगम द्वारा न किया जाता है अपितु यह कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। 2– 2 वर्ष पूर्व ही यहां करो में लगभग 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी जो कि अत्याधिक अधिक थी व पुनः वृद्धि का कोई आधार नहीं है। 3– क्षेत्र में सफाई व्यवस्था शून्य है व निगम अपने दायित्व का पालन करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। 4– नालियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बरसात के पानी का निस्तारण नहीं हो रहा है। क्षेत्र की सभी नालियां चोक हो रखी हैं। सफाई से लेकर मरम्मत का काम नहीं हुआ है। 5– बरसात में कहीं भी मच्छर मारने की दवाईयों का छिड़काव नही हो रहा है, व पूरा क्षेत्र डेंगू जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। यहां के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य भी लगातार खराब हो रहा है। 6– स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था ठीक नही है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का बढ़ावा हो रहा है। 7– कूड़ा उठाने की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से जगह–जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिस वजह से पूरा क्षेत्र एवं हम नरक का जीवन जीने को मजबूर हैं। अतः अनुरोध है कि वर्तमान स्थिति में कर वृद्धि का कोई आधार नहीं बनता।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
103	43	श्री अरूण कुमार नैथानी, अध्यक्ष,	पटेल नगर इंडस्ट्रियल एसो0,पटेल नगर–98370673 79	महोदय, निवेदन है कि निगम क्षेत्र मे हाउस टैक्स को 40 प्रतिशत बढाने का प्रस्ताव किया गया है, हमारी आपत्ति के बिन्दु निम्न प्रकार से हैं:– 1– हमारे क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत व रखरखाव का कार्य निगम द्वारा न किया जाता है अपितु यह कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। 2– 2 वर्ष पूर्व ही यहां करो में लगभग 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी जो कि अत्याधिक अधिक थी व पुनः वृद्धि का कोई आधार नहीं है। 2– क्षेत्र में सफाई व्यवस्था शून्य है व निगम अपने दायित्व का पालन करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। 3– नालियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बरसात के पानी का निस्तारण नहीं हो रहा है। क्षेत्र की सभी नालियां चोक हो रखी हैं। सफाई से लेकर मरम्मत का काम नहीं हुआ है। 4– बरसात में कही भी मच्छर मारने की दवाईयों का छिड़काव नहीं हो रहा है, व पूरा क्षेत्र डेंगू जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। यहां के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य भी लगातार खराब हो रहा है। 5– स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वो का बढावा हो रहा है। 6– कूडा उठाने की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से जगह–जगह कूडे के ढेर लगे हैं, जिस वजह से पूरा क्षेत्र एवं हम नकर का जीवन जीने को मजबूर है। अतः अनुरोध है कि वर्तमान स्थिति में कर वृद्धि का कोई आधार नहीं बनता।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इण्डिस्ट्रीयल एरिया पटेलनगर में उनका व्यवसायिक कर का निर्धारण वर्ष 2016–17 में किया गया है अब इतनी जल्दी कर निर्धारण क्यों किया जा रहा है। हमारे यहां नालियों की सफाई नही हो पा रही है, एल0ई0डी0 खराब हो रखी है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
104	43	श्री राकेश कुमार भाटिया	ई–8 राजकीय औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर–94120537 91	महोदय, निवेदन है कि निगम क्षेत्र मे हाउस टैक्स को 40 प्रतिशत बढाने का प्रस्ताव किया गया है, हमारी आपत्ति के बिन्दु निम्न प्रकार से हैं:– 1– हमारे क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत व रखरखाव का कार्य निगम द्वारा न किया जाता है अपितु यह कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। 2– 2 वर्ष पूर्व ही यहां करो में लगभग 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी जो कि अत्याधिक अधिक थी व पुनः वृद्धि का कोई आधार नहीं है। 3– क्षेत्र में सफाई व्यवस्था शून्य है व निगम अपने दायित्व का पालन करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। 4– नालियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बरसात के पानी का निस्तारण नहीं हो रहा है। क्षेत्र की सभी नालियां चोक हो रखी हैं। सफाई से लेकर मरम्मत का काम नहीं हुआ है। 5– बरसात में कही भी मच्छर मारने की दवाईयों का छिड़काव नहीं हो रहा है, व पूरा क्षेत्र डेंगू जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। यहां के उद्योगो मे काम करने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य भी लगातार खराब हो रहा है। 6– स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का बढावा हो रहा है। 7– कूडा उठाने की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से जगह–जगह कूडे के ढेर लगे हैं, जिस वजह से पूरा क्षेत्र एवं हम नकर का जीवन जीने को मजबूर है। अतः अनुरोध है कि वर्तमान स्थिति में कर वृद्धि का कोई आधार नहीं बनता।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इण्डिस्ट्रीयल एरिया पटेलनगर में उनका व्यवसायिक कर का निर्धारण वर्ष 2016–17 में किया गया है अब इतनी जल्दी कर निर्धारण क्यों किया जा रहा है। हमारे यहां नालियों की सफाई नही हो पा रही है, एल0ई0डी0 खराब हो रखी है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
105	43	श्री अरूण कुमार नैथानी, अध्यक्ष,	ई–14 राज0औद्यो0क्षेत्र, पटेल नगर–98370673 79	महोदय, निवेदन है कि निगम क्षेत्र मे हाउस टैक्स को 40 प्रतिशत बढाने का प्रस्ताव किया गया है, हमारी आपत्ति के बिन्दु निम्न प्रकार से हैं:– 1– हमारे क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत व रखरखाव का कार्य निगम द्वारा न किया जाता है अपितु यह कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। 2– 2 वर्ष पूर्व ही यहां करो में लगभग 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी जो कि अत्याधिक अधिक थी व पुनः वृद्धि का कोई आधार नहीं है। 3– क्षेत्र में सफाई व्यवस्था शून्य है व निगम अपने दायित्व का पालन करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। 4– नालियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बरसात के पानी का निस्तारण नहीं हो रहा है। क्षेत्र की सभी नालियां चोक हो रखी हैं। सफाई से लेकर मरम्मत का काम नहीं हुआ है। 5– बरसात में कही भी मच्छर मारने की दवाईयों का छिड़काव नहीं हो रहा है, व पूरा क्षेत्र डेंगू जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। यहां के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य भी लगातार खराब हो रहा है। 6– स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था ठीक नही है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का बढावा हो रहा है। 7– कूडा उठाने की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से जगह–जगह कूडे के ढेर लगे हैं, जिस वजह से पूरा क्षेत्र एवं हम नकर का जीवन जीने को मजबूर है। अतः अनुरोध है कि वर्तमान स्थिति में कर वृद्धि का कोई आधार नहीं बनता।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इण्डिस्ट्रीयल एरिया पटेलनगर में उनका व्यवसायिक कर का निर्धारण वर्ष 2016–17 में किया गया है अब इतनी जल्दी कर निर्धारण क्यों किया जा रहा है। हमारे यहां नालियों की सफाई नही हो पा रही है, एल0ई0डी0 खराब हो रखी है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून

उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

क०स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
100	43	श्री सुनील जैन	ई–11 राजकीय औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर	महोदय, निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स को 40 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव केवल समय के आधार पर किया गया है जो गलत है व तथ्यों पर आधारित नहीं है। आपत्ति के निम्न बिन्दु है:– 1– हमारे क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत व रखरखाव का कार्य निगम द्वारा न किया जाता है अपितु यह कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। 2– 2 वर्ष पूर्व ही यहां करो मे लगभग 200 प्रतिशत की बढोतरी की थी जो कि अत्याधिक अधिक थी व पुनः वृद्धि का कोई आधार नहीं है। 3– क्षेत्र में सफाई व्यवस्था शून्य है व निगम अपने दायित्व का पालन करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। 4– नालियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बरसात के पानी का निस्तारण नहीं हो रहा है। क्षेत्र की सभी नालिया चोक हो रखी है। सफाई से लेकर मरम्मत का काम नही हुआ है। 5– बरसात में कहीं भी मच्छर मारने की दवाईयों का छिड़काव नहीं हो रहा है, व पूरा क्षेत्र डेंगू जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। यहा के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य भी लगातार खराब हो रहा है। 6– स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का बढ़ावा हो रहा है। 7– कूड़ा उठाने की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से जगह–जगह कूड़े के ढेर लगे है, जिस वजह से पूरा क्षेत्र एवं हम नकर का जीवन जीने को मजबूर हैं। अतः अनुरोध है कि वर्तमान स्थिति में कर वृद्धि का कोई आधार नहीं बनता।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
101	43	बांबे ड्राइविंग स्टेशनरी	2–बी राजकीय औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर	this is response to the proposed hike/ increase in the house tax. I object to the proposed increase due to the following reasons: 1- About 2 Years ago, the house tax rate burden on us had increased manifold under the self assessment schme in our case it had gone up by over 20 times. As such another increase is unjustified and unwarranted. 2- in our area the road infrastructure iis maintained by the industries departments and nagar nigam and is not evenlooking after itsprimary responsbility. i-e of grabage manegment and general cleaniness of the area. even the drains are choked and despite instructions from the chairperson udhyog nmitra nothin has been done. 3- streetlight are vere erratic in functioning and sstill there are dark sports in the area which are an invitation for the unsavoury and anti socil elements. this Suggests that nagar nigam is not discharging its mandatory duties in our area and as such the house tax in its entirety should be waived off leave alone the proposed increase	श्री हेमन्त कोरिच उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कर के पुर्ननिर्धारण की जो व्यवस्था है वह विधि के विरूद्ध है स्वकर निर्धारण तभी किया जाएगा जब निगम लागू करेगा। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
102	43	मीना कोरिच	77/9 सहारनपुर रोड़, औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर	Sir, with reference to the above increase proposed, I would like to oppose the move for the following reasons: 1- Two years ago, under self assessment scheme the house tax was increased by nearly 10 times as such another massive hike is totally unjustified. 2- there ia very negligible contibution by nagar nigam in keeping our area clean and we have to do the job ourselves there are no garbage collectors. the street lights are erratic and the drainage system is non existent even the roads are maintained by other departments. As such the increase is totally arbitrary and uncalled for infact keeping in mind the lack of responsbility displayed by nagar nigam in our area. house tax should be reduced to a minimal amount	श्रीमती मीना कोरिच के प्रतिनिधि श्री हेमन्त कोरिच उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कर के पुर्ननिर्धारण की जो व्यवस्था है वह विधि के विरूद्ध है, स्वकर निर्धारण तभी किया जाएगा जब निगम लागू करेगा। इण्डिस्ट्रीयल एरिया पटेलनगर में उनका व्यवसायिक कर का निर्धारण वर्ष 2016–17 में किया गया है अब इतनी जल्दी कर निर्धारण क्यों किया जा रहा है। हमारे यहा नालियों की सफाई नही हो पा रही है, एल0ई0डी0 खराब हो रखी है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

क०स	वार्ड नं०	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
97	41	के०बी० कम्प्यूटर फार्म्स	डी–5 पटेल नगर औद्योगिक क्षेत्र	महोदय, हाउस टैक्स में बढ़ोतरी हेतु आपत्ति के निम्न बिन्दु है:– 1– क्षेत्र में सफाई व्यवस्था शून्य है व निगम अपने दायित्व से पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः बढ़ोतरी का कोई औचित्य नहीं है। 2– हमारे क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत व रख–रखाव निगम द्वारा नहीं किया जाता है, यह कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। 3– बरसात में कहीं भी मच्छर मारने का छिड़काव नहीं हो रहा है इसलिए पूरा क्षेत्र डेंगू जैसी बीमारियों से जूझ रहा है, यहां के उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। 4– दो वर्ष पूर्व हमारे यहां लगभग हाउस टैक्स में 200: की गई थी जो कि अत्याधिक थी व पुनः बढ़ोतरी का कोई आधार नहीं है। 5– नालियों की स्थिति खराब है बरसात के पानी की निकासी नहीं है, क्षेत्र की सभी नालियां चोक हो रखी हैं, सफाई मरम्मत का काम भी नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में टैक्स बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। 6– स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का बढ़ावा हो रहा है। 7– कूड़ा उठाने की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से जगह–जगह कूड़े के ढेर लगे है, जिस वजह से पूरा क्षेत्र एवं हम नरक का जीवन जीने को मजबूर है। अतः अनुरोध है कि वर्तमान स्थिति में कर वृद्धि का कोई आधार नहीं बनता।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एवं मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
98	41	श्री सुशील गुप्ता निवर्तमान पार्षद	वार्ड नं०–41 लक्खीबाग–9358 125144	महोदय, निवेदन है कि नगर निगम बनने के बाद नगर निगम के संविधान के अनुसार स्वतः कर निर्धारण की पद्धति से भवनों पर कर रोपित किया जाना प्रस्तावित था, परन्तु बमुश्किल वर्ष 2014–15 में तत्कालीन बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सका और निगम क्षेत्र में भवनों पर स्वतः कर निर्धारण की पद्धति से कर रोपित हुआ। उससे पूर्व नगर पालिका के समय में चयनित टैक्स कमेटी ही अपने विवेकानुसार या सर्वेक्षों के आधार पर टैक्स लिया जाता था। पहले तो निगम क्षेत्र की जनता को उस पद्धति से स्वतः कर निर्धारण पद्धति में आने में अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ा और निगम को अपने भवनों का टैक्स अदा किया, जिससे निगम की भवन कर से आय चार करोड़ से छलांग लगाकर सीधे बीस करोड़ तक पहुंच गयी। अब निगम द्वारा इसकी समीक्षा कर टैक्स की दरों में अत्याधिक बढ़ोतरी (40 प्रतिशत तक) किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जोकि न्याय संगत नहीं है और निगम क्षेत्र की जनता इस भारी बोझ को सहन करने की स्थिति में नहीं है। अतः टैक्स की दरों में न्यूनतम वृद्धि की जाय, जैसे 2.5प्रतिशत तक की वृद्धि इस समय उचित होगी। पूर्व में वार्डों में कर की दरें अव्यवहारिक रूप से निर्धारित की गयी है। अब प्रत्येक वार्ड को उसकी आवासीय या व्यवसायक स्थिति को चिन्हत कर, गलियों की चौड़ाई को ध्यान में रखकर दरें निर्धारित की जाय।	आपत्तिकर्ता स्वंय उपस्थित हुए उनके द्वारा कहा गया कि 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जानी अत्यधिक है पूर्व में नगर पालिका में कमेटी होती थी। कमेटी अपने अनुसार तय करती थी, तब जनता को स्वतः कर हेतु तैयार किया गया अत्यधिक बढ़ोत्तरी न कर 25 प्रतिशत वृद्धि कर उनके व्यवहारिक रूप में ढलने का अवसर दिया जाए। उदाहरण स्वरूप लक्खीबाग में गलिया लगभग 4 से 12 फीट तक है केवल पटेल नगर व भण्डारी बाग को छोड़कर तुलनात्मक रूप से लक्खी बाग बेहतर स्थिति में है, लक्खी बाग की दरें पटेलनगर से कम होनी चाहिए। वार्ड 22 इन्द्रेशनगर की दरे रूपया प्रतिवर्गफुट जबकि आवासीय स्थिति कमजोर है उसी वार्ड में ए क्लास की दरें भी बराबर होनी चाहिए। अतः अलग–2 दरें होनी चाहिए। इन्होने 2 से 5 प्रतिशत की वृद्धि पर सहमति व्यक्त की। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एवं मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
99	42	श्री सुशील त्यागी सचिव,सं०नाग० संगठन	टी०एच०डी०सी० कॉलोनी, पथरीबाग–98972 67147	महोदय, अवगत कराना है कि हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द मोदी जी ने सुशासन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे घोषणा की है। हमारा मत है कि निगम की जनहित सार्वजनिक हितों से सम्बंधित कार्य प्रणाली व्यवस्थाये सड़कों की दुर्दशा, सड़कों पर गड्ढे, सड़कों के किनारे थैले कूड़े के ढेर, सड़कों पर फैला सीवर, सड़कों पर मलवों के ढेर, सड़कों की दुर्दशा, फुटपाथों का अभाव, सफाई कार्मिकों की लापरवाही विद्युत खम्बों पर प्रकाश का अभाव, खम्बों पर लगे नेताओं की प्रचार सामग्री, चौराहों पर स्ट्रीट/हाईमास्क/ट्रैफिक लाईटस का अभाव, सड़कों का अतिक्रमण, ड्रेनेज व्यवस्था का अभाव, रिस्पना–बिन्दाल नदी की बस्तियों के घरों से पाइपों द्वारा निकलते शौच मूत्र से बहती धाराओं से व्याप्त बदबू और गंगा में समाती ये धारायें आदि असन्तोष्जनक हैं। इन व्यवस्थाओं/कुव्यवस्थाओं से नागरिको को सुखद अपने शासन का आभास नहीं होता है, इनसे पर्यावरण प्रदूषण का विस्तार हो रहा है, जिनसे जागरूक आम नागरिक मानसिक रूप से कुंठित है, परेशान है। अतः उपरोक्त कुव्यवस्थाओं में जब तक अपेक्षित सुधार का आभास आम नागरिक को नहीं होता, तब तक गृहकर में वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है। निगम कार्यप्रणाली में सुशासन लाये, तभी गृहकर में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि का औचित्य होगा। अतः गृहकर में वृद्धि का प्रस्ताव वापस लिया जाय।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एवं मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
93	34	श्री करन सिंह बिष्ट	38/21 धर्मपुर–1, पुराना–10 – 9410146302	महोदय, मुझे निगम द्वारा प्रस्तावित भवन कर वृद्धि में आपत्ति है, जिसके निम्न कारण हैः– 1–मेरा मकान टूट–गारा मिट्टी निर्मित 80 वर्ष पुराना है। 2–मेरे द्वारा कोई भी नया निमार्ण नहीं किया गया है। 3–मेरा मकान मुख्य सड़के से 40 फीट अन्दर एक 8 फीट की गली में है जो कि दो मकान का साझा रास्ता है। 4–मेरे घर में कोई किरायेदार नही है। 5–मेरी कोई भी पेंशन नहीं है। 6– 64 वर्ष की अवस्था में भी स्कूल के दो पीरिएड पढ़ाकर जीवन–यापन कर रहा हूँ। 7–मेरे पास यहां तक सम्पत्ति के अलावा कोई भी जमीन मकान, वाहन तक भी नहीं है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि कर कृपया मेरा भवन कर में वृद्धि न की जाय।	आपत्ति कर्ता के प्रतिनिधि श्रीमती मंजू बिष्ट उपस्थित हुई जिनके द्वारा कहा गया कि वर्तमान में 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की जानी उचित होगी। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
94	36	श्री सुदामा प्रसाद नवानी	82 धर्मपुर(1) मोथरोवाला मार्ग–8630596375	महोदय, निवेदन है कि निवेदक द्वारा 82 धर्मपुर (प्रथम) मोथरोवाला मार्ग, देहरादून मे विगत 10 वर्श पूर्व से किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य उक्त भवन में नही कराया गया है तथा वर्तमान में सन् 2014 की संशोधित दरों ही गृह कर जमा कराया जा रहा है। वर्ष 2017–18 का गृह कर राशि संशोधित द्वारा सम्बन्धित शाखा कार्यालय चकशाह नगर देहरादून में जमा कराया जा चुका है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का गृह कर में किसी भी प्रकार की वृद्वि न की जाय तथा आगामी वर्षो के लिये छूट प्रदान की जाय।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि 40 प्रतिशत की टैक्स की बढोत्तरी की जानी उचित नही है। धर्मपुर मे पानी निकासी की समस्या है वर्तमान में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जानी उचित होगी। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
95	37	श्री मदन मोहन	61 सुमन नगर, धर्मपुर ।	महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि आपके विभाग द्वारा दिनांक 29.07.18 के अखबार हिन्दुस्तान में 40 प्रतिशत भवन कर बढ़ाने हेतु लिखा गया है। महोदय पूर्व में ही भवन कर अधिक आ रहा है, जिससे हमें भवन कर देने में परेशानी हो रही है,यदि अब भवन कर और बढ़ाया जायेगा तो जनहित में ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही भवन कर काफी अधिक आ रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि भवन कर न बढ़ाया जाये, जिससे आमजन को भवन कर की अधिक वृद्धि से परेशानी न हो।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में कर में 4 से 5 प्रतिशत की वृद्धि की जानी उचित होगी। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
96	41	देव आशीष ड्राइविंग इक्यूपमेंट्स	राजकीय औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर	महोदय, हाउस टैक्स में बढोतरी हेतु आपत्ति के निम्न बिन्दु हैः– 1– क्षेत्र में सफाई व्यवस्था शून्य है व निगम अपने दायित्व से पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः बढोतरी का कोई औचित्य नही है। 2– हमारे क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत व रख–रखाव निगम द्वारा नहीं किया जाता है, यह कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। 3– बरसात में कही भी मच्छर मारने का छिड़काव नहीं हो रहा है इसलिए पूरा क्षेत्र डेंगू जैसी बीमारियों से जूझ रहा है, यहा के उद्योगो में कार्यरत कर्मचारियों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। 4– दो वर्ष पूर्व हमारे यहां लगभग हाउस टैक्स में 200 की गई थी जो कि अत्याधिक थी व पुनः बढ़ोतरी का कोई आधार नही है। 5– नालियों की स्थिति खराब है बरसात के पानी की निकासी नहीं है, क्षेत्र की सभी नालियां चोक हो रखी है, सफाई मरम्मत का काम भी नही हुआ है, ऐसी स्थिति में टैक्स बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। 6– स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का बढ़ावा हो रहा है। 7– कूड़ा उठाने की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से जगह–जगह कूड़े के ढेर लगे है, जिस वजह से पूरा क्षेत्र एवं हम नरक का जीवन जीने को मजबूर हैं। अतः अनुरोध है कि वर्तमान स्थिति में कर वृद्धि का कोई आधार नहीं बनता।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

क्रo सo	वार्ड सं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
88	34	श्रीमती कविता कलसी	ए–61/6 नेहरू कॉलोनी– 9458106539	महोदय, आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि इससे पूर्व में भी हमारे एल0आई0जी0 भवन का कर अन्य भवनों की अपेक्षा (भवन संख्या–ए–61/5,61/7, ए–61/8–9–10 व 11) पहले से ही बढ़ोतरी दर पे जमा होता आ रहा है, जिसकी जानकारी आप नगर–निगम के अभिलेखों में जांच कर पता लगा सकते है। हमारी भवन संख्या–ए–61/6 नेहरू कॉलोनी है जो कि एल0आई0जी0 वन रूम सेट की श्रेणी में है, जबकि भवन संख्या–ए–61/8–9–10 व 11 टू–रूम सेट की श्रेणी में है, जिनका भवन कर लगभग दोगुना है। महोदय चूकि प्रार्थिनी टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित है व प्रार्थिनी के पति की भी 12 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। अर्थात प्रार्थिनी अपने बच्चों का पालन–पोषण बड़ी कठिनाई से कर रही है। अतः पुनः अपील है कि प्रार्थिनी के भवन का कर एल0आई0जी0 भवन कर की श्रेणी में रखकर ही तय करने की कृपा करें।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुई इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनका भवन कर रू0 824 है तथा इनके द्वारा कहा गया कि 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
89	34	श्री ज्ञान चंद विश्नोई	ए–61/7 नेहरू कॉलोनी।	महोदय, निवेदन है कि मेरे भवन संख्या–ए–61/7 नेहरू कॉलोनी देहरादून जो कि एल0आई0जी0 भवन है, का भवन कर अन्य भवनों की अपेक्षा पहले से ही अधिक है जो कि मैं पहले से ही जमा करता आ रहा हूँ, जिसकी जानकारी आप नगर निगम के अभिलेखों से प्राप्त कर सकते है, जबकि मेरा भवन संख्या–ए–61/7 नेहरू कॉलोनी वन–रूम सट की श्रेणी में आता है, जबकि भवन संख्या– ए–61/8–9–10 व 11 टू–रूम सेट की श्रेणी में है, जिनका भवन कर मेरे भवन कर से काफी कम है, जबकि प्रार्थी का भवन कर लगभग दोगुना है। अतः आपसे अपील है कि प्रार्थी का भवन कर एल0आई0जी0 भवन कर की श्रेणी में रखकर ही तय करें।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
90	34	श्रीमती कृष्णा देवी	ए–136 नेहरू कॉलोनी–897911 3365	महोदय, निवेदन है कि नगर निगम द्वारा भवन कर में वृद्धि करना प्रस्तावित है। मै भवन सं0–ए–136 पर निवास कर रही हूँ। भवन आवास विकास परिषद द्वारा आवंटित है। मेरा भवन कर यथावत रहने दिया जाय, आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर मै कर बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं हूँ तथा बढ़ा हुआ कर देने मे असमर्थ हूँ। अतः सप्रार्थना है कि भवन कर न बढ़ाया जाय। भवन दर्बल आय वर्ग मे आवंटित हुआ है।	आपत्तिकर्ता के प्रतिनिधि श्री सजय कुमार उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में कर रू0 80 था जो वर्तमान मे बढकर रू0 542 तक बढ गया है कर मे अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि की जानी उचित होगी। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
91	34	श्री रमाकान्त पाठक	डी–85 नेहरू कॉलोनी–941176 2045	महोदय; समाचार पत्रों मे समाचार आ रहा है कि भवन कर 40 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। मेरे भवन का व्यवसायिक और आवासीय भवन कर 2016–17 मे तीन गुना बढ़ाया गया है। अतः अब भवन कर न बढ़ाया जाय, यिद बढ़ाया भी जाय तो कम से कम बढाया जाय।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जो करारोपण किया गया है वह ही अत्यधिक है अतः वर्तमान में 10 प्रतिशत बढाया जाना उचित होगा। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
92	34	श्री दाताराम देवलाल	ए–177 नेहरू कॉलोनी–875590 1940	महोदय, नगर निगम द्वारा भवन कर में वृद्धि करने की सूचना के सम्बन्ध में प्रार्थी अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर रहा हैं। यह कि भवन आवास–विकास परिषद द्वारा दिया गया है तथा दुर्बल-आय वर्ग श्रेणी का है। यह मकान 38 वर्गमीटर भूखण्ड मे निर्मित है। यह मकान पुराना है। वर्ष 1980 में आवंटित हुआ है। यह कि विगत कर निर्धारण में काफी कर वृद्धि हुई। यह कि कूड़ा उठाने का निगम को रू0 40/– प्रतिमाह देना पड़ता है। यह कि मेरी आय भी कर वृद्धि के सापेक्ष नही है, जिससे अतिरिक्त कर वृद्धि नहीं दे यकता। यह कि मकान मेरे स्वंय के उपयोग में है। अतः प्रार्थना है कि वर्तमान दर में कर वृद्धि नहीं करने की कृपा करें।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान मे जो करारोपण किया गया है वह ही अत्यधिक है, अतः वर्तमान में 1 प्रतिशत बढाया जाना उचित होगा। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून | कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून | सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून | उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून | अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

(150)

क०स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
85	31	श्री मोहन सिंह रावत एवं अन्य पदाधिकारी गण	अपर सारथी विहार कल्या0समिति, अजबपुर डांडा–94115150 55	महोदय, अपर सारथी विहार कल्याण समिति द्वारा बैठक आहूत कर गहनता से विचार–विमर्श किया गया, जिसके सम्बन्ध में निम्न प्रकार निवेदन किया जा रहा है। 1–यह कि इस कल्याण समिति के निवासियों को पानी के लिए समस्याओं से जूझना पड़ता है, मोहल्ले में सुबह पानी आता है, एक घंटे के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। 2–अपर सारथी विहार में सफाई की कोई व्यवस्था विगत 20 वर्ष से नगर निगम द्वारा नही की गई है, 3–4 दिन में एक दिन कूड़ा उठाने वाली गाडी आती है, कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं है। 3–इस समिति के निवासीगणों द्वारा निर्धारित दरों पर भवन कर समय से नगर निगम में जमा किया जा रहा है, किन्तु सड़कों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था निगम द्वारा नहीं की गई है। 4– बरसात के मौसम में मच्छरों का आतंक होता है,जिसके कारण अनेकों बीमारियां उत्पन्न होती है, निगम से फगिंग व दवा छिड़काव कराने की प्रार्थना के बाद भी कार्य नहीं किया गया। 5–सड़कों का खुदान ए0डी0बी0 द्वारा किया गया,किन्तु सड़कों की मरम्मत का कार्य आधा–अधूरा किया गया, जिस कारण सड़कों पर गड्ढे हो गये हैं, कभी भी कोई एक्सीडेंट होने की सम्भावना बनी हुई है। 6–यह मोहल्ला राष्ट्रीय राजमार्ग से एक किमी0 पर स्थित है। भवन स्वामियों को नगर निगम द्वारा कोई विशेष सुविधायें प्रदान नहीं की गई हैं। 7–सभी निवासीगण अल्प आय वर्ग के लोग हैं। उपरोक्त स्थिति में नगर निगम द्वारा भवन कर में इस प्रकार वृद्धि किया जाना जनता पर भार डालना व अन्यायपूर्ण होगा। अतः अनुरोध है कि जनता की परेशानियों को देखते हुए जनता पर और अधिक आर्थिक बोझ न डालते हुए इस आवेदन पत्र पर गौर करने को कष्ट करें।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुई इनके द्वारा अवगत कराया गया कि बरसात में पानी आ जाता है कोई भी सफाई कर्मी नहीं है डोर टू डोर कूडा उठाने हफ्ते में 2 दिन आते हैं फागिंग नही हो पा रही है। सडक में गढढे हो रहे है। 10 प्रतिशत की वृद्धि की जानी उचित होगी। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
86	31	श्री दलबीर सिंह राणा	बद्रीश कॉलोनी, देहरादून–989760 3911	महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि आपके विभाग द्वारा दिनांक 29.07.18 के अखबार हिन्दुस्तान में भवन कर बढाने हेतु लिखा गया है। पूर्व में ही भवन कर अधिक आ रहा है, जिससे हमें भवन कर देने में परेशानी हो रही है। यदि अब भवन कर और बढ़ाया जायेगा तो प्रार्थी पर अधिक भार पड़ेगा। अतः निवेदन है कि भवन कर न बढाया जाय।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि निगम द्वारा किसी प्रकार की सुविधा नही दी जा रही है दो बीघा जमीन पर बने सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल शारदा पब्लिक स्कूल से कोई टैक्स नही लिया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट दिन भर काम कर रही है स्विच नही लगा है। किराएदारी कुछ भवनों में दर्शायी नही गई है। कूडा गाडी हफ्ते में एक–दो बार आती है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
87	32	समस्त क्षेत्रवासी वार्ड नं0–32	वार्ड नं0–32 (सुनीता रावत–85273697 58)	महोदय, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, उसका वार्ड नं0–32 है जो डिफैन्स कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। डिफैंस कॉलोनी और अन्य बस्ती का विषय पहले के पत्रों द्वारा निवेदन कर अन्तर किया गया है, जो संलग्न किया जा रहा है, हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास था कि आप इसमें संशोधन कर प्रश्नगत क्षेत्र के लिए भवन कर इसके अनुरूप तय करेंगे, लेकिन यह अभी तक नही किया गया, इस सम्बन्ध में एक प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मुलाकात भी किया गया था। क्षेत्र की जनता को भवन कर के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न प्रकार की सूचना समाचार पत्रों द्वारा तथा दूरभाष से मिल रही है कि महानगर देहरादन भवन कर बढ़ाने के पक्ष में विचार कर रहा है। क्षेत्र की जनता को विश्वास दिया गया था कि डिफैंस कॉलोनी में जो अन्य क्षेत्र है, उसमें निश्चित अन्तर होगा, इस विषय में क्षेत्र द्वारा जो निवेदन किये गये हैं उससे स्पष्ट जानकारी महानगर देहरादून को मिल गई होगी। कृपया किये गये पत्राचार कर पुनर–अवलोकन करने का कष्ट किया जाय। उक्त क्षेत्र की जनता भवन कर बढाने का विरोध करती है।	प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती सुषमा कुकरेती उपस्थित हुई इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वार्ड 32 डिफेंस कालोनी वार्ड में शिवनगर चकशाहनगर क्षेत्र है जहा पर भी रू0 1.50 की दर हैं जबकि दीपनगर वार्ड में .75 रू है जो कि उचित नहीं है सर्वे कराया जाए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून
कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून
सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून
उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

क0स	वार्ड न0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
82	28	श्री वी0पी0कुकरेती, सचिव,के0ए0 व0वे0सोसाईटी	केवल विहार, सहस्त्रधारा रोड़। 9411137574	महोदय, निवेदन करना है कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आने वाली आबादी को टैक्स वृद्धि के बोझ से लादने से पूर्व निम्न बिन्दुओं का संज्ञान लेने का कष्ट करें। 1–तीन–चार वर्षो के अतराल में ही टैक्स वृद्धि न्यायोचित नही है, क्योंकि (10–12 वर्ष पूर्व) नगर निगम में सम्मिलित किये गये क्षेत्रों में आज भी मूलभूत सुविधाये नगर निगम द्वारा उपलब्ध नही करवाई हैं। 2–सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। 300–350 परिवारों वाली कालोनी की सफाई मात्र 2 दैनिक श्रमिकों से करवाई जा रही है। 3– हमारी कालोनी के जागरूक निवासियों द्वारा स्वंय के खर्चे पर एक सफाई कर्मचारी रखकर सफाई करवायी जा रही है, जो पर्याप्त नहीं है। 4– स्ट्रीट लाईट व्यवस्था प्रायः ठीक नहीं रहती। बार–बार अनुरोध करने के उपरान्त भी व्यवस्था सुचारू होने में 10–15 दिन का समय लग जाता है। 5–कालोनी में सीवर व्यवस्था अभी तक शुरू नहीं की गई है यहां तक कि सीवर लाईन भी नहीं बिछाई गई है। 6–पुराने शहर की अपेक्षा नगर निगम विस्तारीकरण के फलस्वरूप गत वर्षो में नई कालोनियों का पहले ही टैक्स बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। अतः सुझाव है कि नये ग्रामीण क्षेत्र जो नगर निगम के अन्तर्गत लाये जा रहे हैं, इन क्षेत्रों का व्यय भार टैक्स के रूप में आम जनता पर न डालकर व्यापारिक प्रतिष्ठान/हाउस टैक्स जो अभी तक कर नहीं दे रहे है, से वसूल कर निगम राजस्व में वृद्धि कर सकता है।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुई इनके द्वारा अवगत कराया गया कि कालोनी मे नगर निगम से कोई सफाई कर्मी नहीं है, जो है भी वह भी नियमित रूप से नहीं आते इनका कर 2000 रू0 तक आता है इन्हें 40 प्रतिशत छूट का लाभ भी प्राप्त नही हुआ है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
83	31	श्री किशोरी लाल चमोली	बद्रीश कालोनी (धर्मपुर डांडा) 9410505040	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि भविष्य में हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत की वृद्धि होने जा रही है, जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि इतनी अधिक वृद्धि उपभोक्ताओं पर बहुत अधिक भार पड़ेगा, जो कि उचित नहीं ह, पहले ही महगाइ से जनता काफी परेशान है। अतः 40 प्रतिशत अतिरिक्त भार वहन करना उपभोक्ताओं के लिए काफी मुश्किल होगा। अतः हाउस टैक्स यथावत रखने की कृपा करें।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
84	31	श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी	बद्रीश कालोनी रेजि0 वेलफेयर सोसा0 – 9411310305	महोदय, नगर वासियों को हिन्दुस्तान समाचार पत्र दिनाक 20 जुलाई,2018 दून में नगर निगम द्वारा 40 फीसदी हाउस टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव नाम शीर्षक का संज्ञान लेते हुये बद्रीश कालोनी रेजिडेन्टस वेलफेयर सोसायटी ने एक साथ इस अप्रत्याशित 40 प्रतिशत भवन कर बढ़ोतरी पर घोर आपत्ति जताते हुए इस प्रस्तावित बढ़ोतरी को शीघ्र स्थगित किए जाने की मांग करती है। महोदय स्मरण करना है कि वार्ड में एक ओर जहां नगर निगम द्वारा प्रदत्त बुनियादी आधारभूत जनसुविधाओं का भारी अभाव है, क्षेत्र में आज तक एक भी कर्मचारी तक नियुक्त नहीं है, सड़के बदहाल है, नालियों का निर्माण अभी दूर की बात है, तो वही दूसरी ओर इस प्रकार की भारी भरकम टैक्स थोपे जाने के प्रयास से क्षेत्रवासी नगर निगम के प्रति आश्चर्य चकित एवं आकोशित हैं। अतः जनभावनाओं का दृष्टिगत करते हुए वक्त प्रकरण पर पुर्नविचार कर वर्तमान में उक्त प्रस्तावित बढ़ोतरी को स्थगित करने की महत्ति कृपा करेंगे।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुई इनके द्वारा अवगत कराया गया कि बद्रीश कालोनी सबसे बडा वार्ड है, जिसमें न सडक , न बिजली , न नाली सफाई का कार्य होता है। कूडा गाडी हफ्ते मे एक बार आती है। कालोनी से 15 लाख रू0 का टैक्स आता है जबकि रेसकोर्स उत्तर व बद्रीश कालोनी मे दरें एक ही है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरे निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादन

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
78	27	श्री जे0एल0 बहल व श्री दिनेश भंडारी	मॉडल कॉलोनी वेलफेयर सोसा0, आराघर–9412382108	महोदय, निम्न तथ्यों के कारण हम मॉडल कालोनी के समस्त निवासी हाऊस टैक्स बढ़ाये जाने के औचित्य पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हैं। 1–पूर्व में आपके द्वारा लखनऊ व अन्य कवाल टाउन्स के आधार पर देहरादून शहर में हाऊस टैक्स कारपेट एरिया के हिसाब से लगाया गय था, जिस कारण हाऊस टैक्स 5–6 गुणा पूर्व में ही तीन वर्ष पूर्व बढ़ाये गये, जबकि लखनऊ व कवाल टाउन्स में दी जा रही सुविधा के अनुपात में नगर निगम, देहरादून द्वारा लगभग शून्य ही समझा जायेगा। 2–नगर निगम द्वारा न तो सड़कां का ही रख–रखाव भली–भांति किया जा रहा है। जगह–जगह गड्ढे बने हुए है और न ही नालियों का उचित प्रबन्ध है, घरों का कूड़ा उठाने का कार्य भी स्वय द्वारा वहन किया जा रहा है। 3–शहर में आवारा कुत्तों व गन्दगी की भरमार है। 4–कृपया आप अवगत करायेंगे कि ऐसी कौन सी सुविधा नगर निगम द्वारा देहरादून की जनता को प्रदान की है, जिस कारण हाऊस टैक्स बढ़ाये जाने का औचित्य सिद्ध हो सके। 5–स्ट्रीट लाईटें कुछ दिन में जलती है और कुछ रात में जलती है। स्ट्रीट लाईटों तक का रख–रखाव सही नहीं है। अतःउपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अब 40 प्रतिशत हाऊस टैक्स बढ़ाने का काई औचित्य प्रतीत नहीं है। हाऊस टैक्स बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि इसके उपरान्त भी यदि नगर निगम द्वारा हाऊस टैक्स बढ़ाये जाने का प्रयास किया जाता है ता हम कालानीवासी आन्दोलन हेतु भी बाध्य होंगे, जिसकी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नगर निगम एवं उत्तराखण्ड शासन का होगा।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
79	27	श्री जे0एस0 बहल	196 आराघर, देहरादून	I Honld Like to bring to your notice followin Points against increase in house tax recently about 2 yrs. Back the house tax has been increased enormously so much so that even the criteria for house tax was changed. 2. there are no additional facilities provided and even the exceting service are looking in many respects and avilable only after great offorts/cry. 3- no proper system of lifting of Garbages from House (on daily basis) has been effectively made so far. 4- Please also note that mainten once cost in dehradun is much more then other. Please because of Climate reasons. Please consider thease points before taking sany decision in the matter.	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
80	27	श्री नरेन्द्र नारायण कुलश्रेष्ठ	65/22 तेग बहादुर रोड़, लेन नं0–3, 9410139031	महोदय, कुछ दिन पूर्व समाचार पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि नगर निगम द्वारा हाऊस टैक्स में बढोतरी प्रस्तावित है। निवेदन यह है कि मै लगभग79 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हूँ और मेरा 65/22 तेगबहादुररोड़, लेन नं0–3 में एकदो बैडरूम का एक लगभग 33 वर्ष पुराना मकान है। लगभग 3 वर्ष पूर्व ही टैक्स लगभग दोगुना कर दिया गया था, अब फिर से टैक्स में बढ़ोतरी अनुचित है। इस प्रस्तावित बढ़ोतरी पर पुर्नविचार के लिए प्रार्थना है।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
81	28	श्री सुरेश कुमार	02 अधोईवाला (शक्ति विहार)–9368041095	महोदय, मेरा मकान नं0–55–2, अधोईवाला,शक्ति विहार,वार्ड नं0–28 है दि0 04–08–2018 के समाचार पत्र में छपे समाचार के अनुसार ज्ञात हुआ है कि भवन कर 40 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस विषय में निवेदन करता हूँ, जिससे मेरा भवन कर अधिक बढ़ जायेगा, हमार पास कोई किरायेदार नहीं है। हम मकान में स्वंय रहते हैं। भवन में न कोई परिवर्द्धन हुआ है न कोई परिवर्तन किया है मैं किसी भी दशा में ज्यादा भवन कर नहीं दे सकता हूँ, मेरे सामर्थ से बाहर है। अतः निवेदन है कि मेरा भवन कर पहले के स्तर पर रहने दिया जाय।	आपत्तिकर्ता के प्रतिनिधि श्रीमती पूनम उपस्थित हुई इनके द्वारा कहा गया कि कर में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरे निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून | कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून | सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून | उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून | अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादन

153

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
75	25	डा0 महेश भण्डारी, अध्यक्ष,दू0रे 0वे0फन्ट	06 म्युनिसिपल रोड़, डालनवाला, देहरादून	महोदय,रडीडैन्ट वेलफेयर सोसायटियों द्वारा टैक्स वृद्धि में आपत्ति के निम्न बिन्दु हैं– 1– निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था शून्य है व निगम अपने दायित्व का पालन करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। घर–घर से कूडे का उठान लगभग बन्द हो चुका है, व्यवस्था पहले से भी बदतर हो चुकी है। बिना व्यवस्था के टैक्स बढोतरी का कोई औचित्य नही है। 2– निगम क्षेत्र में स्थित निगम की सड़कों की हालत खराब हो चुकी है जगह–जगह जानलेवा गड्ढे सड़कों में है। सड़कों के किनारे उगी घास स्वंय यह वर्णन कर रही है कि इनकी हालत क्या होगी। 3– नालियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बरसात के पानी का निस्तारण नहीं हो रहा है। शहर की सभी नालियां चोक हो रखी है, सफाई से लेकर मरम्मत का काम नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में टैक्स बढाने का कोई औचित्य नहीं है। 4– निगम में बरसात में कहीं भी मच्छर मारने की दवाईयों का छिड़काव नहीं हो रहा है तथा पूरा शहर डेंगू जैसी बीमारियों से जूझ रहा है व पूर्णरूप से बदबूदार जीवन जीने को मजबूर है यहां क शहरवासी। 5– स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था ठीक नहीं है जगह–जगह खराब पड़ी लाईटें क्रिमिनल तत्वों को बढ़ावा दे रही हैं। 6– कूड़े के निस्तारण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जगह–जगह कूड़े के ढेर लगे हुये हैं, व शहरवासी पूर्ण रूप से नरक का जीवन जीने के लिये मजबूर हैं। 7– ट्रफिक सिंगनल जो कि शहर में स्थान–स्थान पर लगे हुये है, में अधिकतर खराब है व काम की स्थिति में नही है। अतः अनुरोध है कि वर्तमान स्थिति में कर वृद्वि का कोई अधिकार नही बनता। कृपया आप कर वृद्वि को स्थगित करने की कृपा करे व शहरवासियों को आपत्ति प्रस्तुत करने का अतिरिक्त समय देने का कष्ट करें।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए उनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर न बढाया जाए। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा आपत्ति के विषय में नगर आयुक्त महोदय से भी मुलाकात करके अपनी बात रखी गई। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
76	26	ज्योति नेगी एवं अन्य सदस्य	19/3 कर्जन रोड़, देहरादून	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमशः 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह है जो कि किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 म बढ़ाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधाये जैसे नाली लाईट सफाई सडक की हालत ठीक नही है। 40 वार्डों में उन पर हाउस टैक्स नही लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नहीं है, परन्तु पहले सुविधाये दुरूस्त करी जाय, तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष मे टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्वि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी वृद्वि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षित किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
77	27	श्री विनोद कुमार अदलखा	59 तेग बहादुर रोड़–1, 9897385094	महोदय, समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि आपक द्वारा सम्पत्ति कर में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, प्रार्थी को यह वृद्धि निम्न कारणों के कारण स्वीकार नही है। 1–मेरे द्वारा इलाहाबाद बैंक से रू.28,00,000 का ऋण लेकर जुलाई, 2016 से भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया गया। 2–भवन का निर्माण कार्य मई 2017 में पूर्ण हुआ। 3– स्वमूल्यांकन के आधार पर मेरे मकान का गृह कर नगर पालिका द्वारा रू. 2840/– निर्धारित किया गया, जिसका भुगतान मेरे द्वारा 10.01.2018 को किया गया। 4–भवन निर्माण नया होने पर वार्षिक मूल्यांकन में मुझे कोई छूट प्रदान नहीं की गयी। 5– पेंशन के अतिरिक्त मेरी आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। बैंक को गृह ऋण की किश्त भी देनी होती है। 6– प्रार्थी इस वृद्धि का भार वहन करने में असमर्थ है। अतः अनुरोध है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपरोक्त कारणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए भवन कर की इस वृद्धि से मुक्त रखने की कृपा करे।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुये इनके द्वारा कहा गया कि टैक्स में कम से कम वृद्धि की जाये। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षित किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादन

क्र0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
70	23	श्री जोगेन्द्र पाल कोहली	483/360 मोती बाजार– (969034210–X)	महोद य, भवन सं0–483/360 मोती बाजार के अंतगत मै आपसे प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि अभी वर्ष 2015 मे आपने मेरे भवन का टैक्स बढ़ाने के लिये कह रहे है मेरा छोटा परिवार है तथा छोटा सा मकान है। अतः मेरी प्रार्थना पर गौर करें तथा टैक्स यथावत रखने की कृपा करे।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनका भवन कर रू0 262 है 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एवं मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
71	23	श्री नीनू सहगल	नेता प्रतिपक्ष,न0निगम, 21 राजपुर रोड़–9927229404	महोदय, निवेदन सहित अवगत कराना है कि उक्त विषय को जनहित में गम्भीरता पूर्वक समाधान हेतु सहयोग करगे, जो अति आवश्यक एवं न्यायपूर्ण होगी। 1– यह कि आपके कार्यालय द्वारा स्वकर प्रणाली किसी क्षेत्र में वर्ष 2015 एवं किसी क्षेत्र मे 2014 से एवं व्यवसायिक कर वर्ष 2016 से लागू थी, इस आधार पर कुछ क्षेत्र में चार वर्ष एवं किसी क्षेत्र मे तीन व व्यवसायिक कर को दो वर्ष हुये, जबकि भवन कर रिवीजन चार वर्ष बाद प्रस्तावित किया गया। 2– स्वकर प्रणाली मे जो पूर्व में दरें निर्धारित की गयी थी, वह पूर्व ही बहुत अधिक है। स्थिति मे 40 प्रतिशत तक दरों में वृद्धि की जानी बहुत अत्याधिक होगी।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एवं मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय मे वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
72	23	श्रीमती कमलेश रोहिला	11/12 आशीर्वाद एन्कलेव चकराता रोड़–9760203253	महोदय, प्रार्थना है कि उपरोक्त भवन का कर निर्धारण वर्ष–2016–17 के लिए आपके विभाग द्वारा रू0 778/– प्रति वर्ष की दर से किया गया है, जिसका भुगतान समयानुसार किया जाता रहा है। आपके विभाग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार वर्तमान कर में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी है, जो कि न्यायसंगत व उचित नही है, इससे भवन वासी पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, और जिसको हम भुगतान करने में सक्षम नहीं है। अतः आपसे प्रार्थना है कि वर्तमान भवन कर पर अतिरिक्त बढोतरी न की जाये, जिससे हम असुविधा हो व जिसे अतिरिक्त व्यय भार न पड़े। प्रार्थिनी वरिष्ठ महिला नागरिक है, जिसका आय का कोई अन्य साधन नहीं है।	आपत्तिकर्ता के प्रतिनिधि श्री राजपाल उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है सेवा निवृत के पश्चात इतना कर देना संभव नही कर के स्थान पर करदाता को बढाया जा सकता है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एवं मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय मे वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
73	23	श्री राजपाल रोहिला	11/12 आशीर्वाद एन्कलेव, चकराता रोड़–8476084980	महोदय, उपरोक्त भवन का कर निर्धारण (संशाधित) वर्ष 2016–17 दिनाक 16–03–2017 को रू. 778/– प्रतिवर्ष की दर से किया गया, जो कि उचित है। आपके कर विभाग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार वर्तमान कर में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी है, जो कि न्यायसंगत व उचित नहीं है, इससे भवन वासी पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, और जिसको हम भुगतान करने मे सक्षम नही है। अतः आपसे प्रार्थना है कि वर्तमान भवन कर पर अतिरिक्त बढ़ोतरी न की जाये, वर्तमान में भवन कर उचित व मान्य है। अतः आपसे निवेदन है कि वर्तमान भवन कर मे बढ़ोतरी न की जाये।	आपत्तिकर्ता श्री राजपाल उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है सेवा निवृत के पश्चात इतना कर देना संभव नही कर के स्थान पर करदाता को बढाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एवं मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
74	23	श्रीमती प्रकाश कपूर एवं अन्य सदस्य	97/9 धामावाला मौहल्ला, नियर–वैष्णों दुर्गा मन्दिर	महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर क्रमश 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रह हैं जो कि किसी प्रकार से न्यायचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 में बढाया गया था, सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधायें जैसे नाली लाईट सफाई सड़क की हालत ठीक नही है। 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नही लगाया गया है, जिस पर हमें कोई एतराज नहीं है, परन्तु पहले सुविधायें दुरूस्त करी जाय,तभी टैक्स बढ़ाया जाए, वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो, हर 4 वर्ष कि बजाय 5 वर्ष में टैक्स बढ़ना चाहिये। निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस लें एवं आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवं आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एवं मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता नगर निगम देहरादून

उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन/अभियुक्ति
65	19	सविता ओबराय पूर्व पार्षद	158 खुडबुड़ा मौहल्ला,	विषय– भवन कर मे प्रस्तावित वृद्धि पर आपत्ति। महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि नगर निगम देहरादून द्वारा भवन कर मे वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। महोदयय, आपके संज्ञान मे लाना है कि अभी पूर्व ही भवन में कर पुर्ननिर्धारण के कारण भवन कर लगभग दो गुना से भी अधिक किये जाने से जनता में काफी रोष है तथा अभी तक पुर्ननिर्धारण का यह कार्य सम्पन्न नहीं हो पाया है। अभी तक भी भवन कर के बिल लोगों के घरों में नहीं पहुंच रहे हैं ? ऐसे मे भवन कर पुनः वृद्धि किया जाना न्यायसंगत नहीं है। महोदय, भवन कर में पुनः वृद्धि किये जाने पर हमें घोर आपत्ति है। हमारा यह भी निवेदन है कि अभी तक जिन भवनों के भवन कर का पुर्ननिर्धारण नहीं हो सका है उन क्षेत्रों में शिविर लगा कर पहले निर्धारण का कार्य पूर्ण किया जाये तथा उसके उपरान्त ही भवन में वृद्धि के विषय में सोचा जाय।	आपत्तिकर्ता के प्रतिनिधि श्री संजीव ओबराय उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वार्ड 19 खुडबुडा में सफाई कर्मी की कमी है। पुराने भवन है। निगम कोई सेवा नही दे रहा है कर कम से कम 5 से 10 प्रतिशत बढाया जाए। *इस सम्बन्ध मे प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर नियम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों मे कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
66	21	श्री राजेन्द्र प्रसाद	498–सी,खुडबुड़ा मौहल्ला,ब्लाक–4/93	महोदय, प्रार्थी का भवन पुराने है और अब भवन कर दोगुना करने का प्रस्ताव है इस प्रकार पुराने भवनो में कम से कम भवन कर लगना चाहिये, और प्रार्थी के घर की गली में न तो नाली बनी है और न ही सीवर लाईन पड़ी हुई है। अतः अनुरोध है कि प्रार्थी के घर की गली मे नाली व सीवर लाईन डलवाने की कृपा करेंगे और भवन कर 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत करने की कृपा करें।	आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनका भवन पुराना है गली में सीवर लाइन व पानी की निकासी हेतु नाली की समुचित व्यवस्था नहीं है कर 20 प्रतिशत तक बढाया जा सकता है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो मे भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओ को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरो में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
67	22	श्री हरीश सेठी	22 मालवीय रोड़, लक्ष्मण चौक, देहरादून	महोदय, इस प्रकार है कि आपके विभाग द्वारा दिनांक 29.07.18 के अखबार हिन्दुस्तान मे 40 प्रतिशत भवन कर बढ़ाने हेतु लिखा गया है। महोदय पूर्व में ही भवन कर अधिक आ रहा है, जिससे हमें भवन कर देने मे परेशानी हो रही है, यदि अब भवन कर और बढ़ाया जायेगा तो जनहित में ठीक नहीं होगा। क्योंकि पूर्व में ही भवन कर अधिक आ रहा है। अतः निवेदन है कि भवन कर न बढाया जाय, जिससे आमजन को भवन कर की अधिक वृद्धि से परेशानी न हो।	आपत्तिकर्ता के प्रतिनिधि श्री ऋषिपाल सिंह उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर मे 20 प्रतिशत की बढोत्तरी की जा सकती है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर मे दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
68	22	श्री परविन्दर कुमार	46 सरस्वती मार्ग– 9752587116	महोदय, इस प्रकार है कि आपके विभाग द्वारा दिनांक 29.07.18 के अखबार हिन्दुस्तान मे 40 प्रतिशत भवन कर बढ़ाने हेतु लिखा गया है। महोदय पूर्व मे ही भवन कर अधिक आ रहा है, जिससे हमे भवन कर देने में परेशानी हो रही है, यदि अब भवन कर और बढ़ाया जायेगा तो जनहित में ठीक नहीं होगा। क्योंकि पूर्व में ही भवन कर अधिक आ रहा है। अतः निवेदन है कि भवन कर न बढाया जाय, जिससे आमजन को भवन कर की अधिक वृद्धि से परेशानी न हो।	आपत्तिकर्ता के प्रतिनिधि श्री ऋषिपाल सिंह उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर मे 20 प्रतिशत की बढोत्तरी की जा सकती है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
69	23	फकीर चन्द मल्होत्रा	301/255 धामावाला।	महोदय, निवेदन है कि हाउस टैक्स रोड के हिसाब से बढाया जा रहा है लेकिन हमारे घर के दरवाजे के पास की सडक तो 6 फीट से भी कम है, हमारा टैक्स पिछले टैक्स कम हो ना चाहिये। कृपया हमारी आपत्ति पर ध्यान देना चाहिये।	आपत्तिकर्ता के प्रतिनिधि श्री गिरीश चन्द उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनका बहुत पुराना भवन है अतः कर मे 5 प्रतिशत की बढोत्तरी की जा सकती है। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
61	18	अंजली सचदेवा व रितुराज सचदेवा		विषय– हाऊस टैक्स वृद्धि पर आपत्ति हेतु। महोदय, विभागीय सूचना एवं हिन्दुस्तान अखबार द्वारा प्रकाशित टैक्स वृद्धि के विरोध में हम गृह स्वामी व गृह स्वामिनी टैक्स की वृद्धि के खिलाफ है व आपत्ति पेश करते हैं। कमाई के किरायेदारी के एवं खस्ताहाल व्यवस्था के रहते यह अनुचित है, साथ ही प्रापर्टी की कीमतों में 30 प्रतिशत तक की गिरावट है तो टैक्स वृद्धि क्यों।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनके वार्ड में गटर का पानी ओवरफलो हो जाता है। सीवर की व्यवस्था नहीं है। पानी टैंकर से मंगाया जाता है। रोजगार कम है अतः 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओ को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
62	19	पवन कुमार गुप्ता		विषय– करवृद्धि न करने के लिए आपत्ति पत्र। महोदय, प्रार्थी 66/3 आनन्द चौक का निवासी है तथा वर्ष–2015–16 में कर में वृद्धि लगभग दोगुना हो गया है, इसलिये आपसे अनुरोध है कि वर्तमान वर्ष में और कर वृद्धि न की जाय।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनका भवन कर 400 से बढकर 851 हो गया है भवनकर में कम से कम वृद्धि की जाए। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओ को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
63	19	अशोक कुमार टूटेजा	43 तिलक रोड,–7895133007	sub- House Tax no 43, Tilak Road dehradun. Sir, With reference to your proposed increse in the house tax, I would like to bring the following points for your kind consideration. (1) I am seventy seven year old retired teachers having no pension what so ever. (2) I have no financial support from my only son who is is hardly able to manage himself with his meager income. (3) My wife is also sevently three years old & is suffering from high blood pressure. (4) With incresing cost of living and routine medical expenses we are finding it difficult to meet our day expences with my private coaching income. (5) I have been regularly paying all my due timly without any delay on my past. I hearby request you to consider my case sympathically and not to increse my house tax treating it as a reward for the dedicated services of a humble teacher to the nation. Thanking you in anticipation.	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि ये प्राइवेट स्कूल के एक रिटायर्ड शिक्षक हैं व बीपीएल कार्ड धारक हैं। इनका पूर्व में कर रू0 120 था जो कि वर्तमान में रू0 496 हो गया है। वर्तमान में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओ को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
64	19	चित्रा गुप्ता संजय अग्रवाल एवं आदि	21 आनन्द चौक, देहरादून	विषय आपके द्वारा हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत वृद्धि के संबंध में। महोदय, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमश 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रहे हैं जो कि किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 में बढाया गया था सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधाएं जैसे नाली लाइट सफाई सडक की हालत ठीक नही है 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है। जिस पर हमें कोई एतराज नही है परंतु पहले सुविधाऐं दुरूस्त की जाए तभी टैक्स बढाया जाए वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो हर 4 वर्ष की बजाए 5 वर्ष में टैक्स बढना चाहिये। आपसे निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवम आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवम आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओ को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

157

क्र0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
57	15	श्री जगमोहन मेंहदीरता एवं 356 ओंकार रोड़ चुक्खुवाला के नागरिक	356 ओंकार रोड़ चुक्खुवाला के नागरिक	विषय आपके द्वारा हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत वृद्धि के संबंध में महोदय जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर क्रमश 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रहे हैं जो कि किसी प्रकार से न्यायोचित नही है। वर्ष 2015 में कुछ जगह 2016 में बढाया गया था सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधाएं जैसे नाली लाइट सफाई सडक की हालत ठीक नहीं है 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है। जिस पर हमें कोई एतराज नही है परंतु पहले सुविधाऐं दुरुस्त की जाए तभी टैक्स बढाया जाए वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो हर 4 वर्ष की बजाए 5 वर्ष में टैक्स बढना चाहिये। आपसे निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवम आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवम आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
58	15	श्री रविन्द्र जुगरान एवं अन्य सदस्यगण	356 ओंकार रोड़, देहरादून	नगर निगम पहले सुविधायें प्रदान करें, फिर 05 वर्ष में 05 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स न बढायें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित।* *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरो को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
59	17	रमेश चंद्र टण्डन		महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि आपके द्वारा भवन कर में वृद्धि को प्रस्ताव किया गया है, और इस सम्बन्ध में आपके द्वारा भवन स्वामियों से सुझाव मांगे गये हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आपके द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व भवन कर की गणना हेतु भवन के नक्शें को आधार बनाया गया था, जिस के फलस्वरूप इमारे भवन कर में लगभग रू0 750/– की वृद्धि हो गयी थी। अब आपके द्वारा पुनः भवन कर में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, जो कि सर्वथा अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है, जिससे हम सहमत नही है। अतः आपसे निवेदन है कि भवन कर में वृद्धि के प्रस्ताव को तुरन्त वापस लिया जाए, और वर्तमान भवन कर ही रहने दिया जाय।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में कर रू0 400 चल रहा था जो कि वर्तमान में 1074 रू0 हो गया है। कोई किराएदार नहीं है। भवन कर में कम से कम वृद्धि की जाए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
60	17	श्री अशोक वर्मा		महोदय, जैसा कि विदित है कि आपके द्वारा भवन कर की बढ़ोतरी हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित कर आपत्तियां मांगी गई है। इसी कम में कृपया मेरी निम्नलिखित आपत्ति दर्ज कर सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें। 1–देहरादून समेत पूरे उत्तराखण्ड की भौगोलिक, व्यापारिक व आर्थिक स्थिति देश के अन्य निगमों के विषयमों से भिन्न है। इस कारण भवन कर मे बढ़ोतरी अनुचित है। 2–आप द्वारा विभिन्न मार्गो की चौड़ाई को आधार मानते हुए भवन कर की दरें बढ़ाई जानी प्रस्तावित है, जबकि ये चौड़ाई समय–समय पर अतिकमण हटाने के कारण बदल भी रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करे।	आपत्तिकर्त्ता स्वयं उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि भवन कर मे 40 प्रतिशत की वृद्धि नही होनी चाहिए तथा नयी दरो का निर्धारण नए निर्वाचित बोर्ड के गठन के पश्चात करना उचित रहेगा एंव कत्तव्यों का पालन एक्ट के अनुरूप होना चाहिए। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षो में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादन

क0स	वार्ड नं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्तिकर्ता का पता	आपत्ति का प्रकार	कथन / अभियुक्ति
52	15	श्री लक्ष्मी दास दुआ	228 / 303 अजमल खां रोड़–9557143496	विषय भवन कर संशोधन हेतु आपत्ति पत्र। महोदय सविनय निवेदन यह है कि हमें समाचार पत्र द्वारा ज्ञात हुआ है कि भवन कर में बहुत अधिक संशोधन हुआ है तथा यह संशोधन पहले पांच वर्ष में होता था जो कि अब दो वर्ष में किया गया है यह दोनों ही बातें विचारणीय है। कृपया भवनकर बहुत अधिक न बढाया जाए। तथा यह संशोधन पांच वर्ष में ही किया जाए।	आपत्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि श्री कुलभूषण दुआ उपस्थित हुए इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में भवन कर 20 प्रतिशत तक बढाया जाना उचित होगा। *इस सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
53	15	अरूण काला	17 / 17 चौधरी विहारी लाल मार्ग–9760759007	विषय भवन कर में प्रस्तावित वृद्धि के विरूद्ध आपत्ति। महोदय नम्र निवेदन है कि प्रार्थी वार्ड संख्या 15 के अंतर्गत स्वास्तिक अपार्टमेंट 17 / 17 चौधरी बिहारी लाल मार्ग देहरादून में द्वितीय तल स्थित भवन का स्वामी है। उक्त भवन मात्र प्रार्थी एवं उसके परिवार के निजी उपयोग में है। पुनः निवेदन है कि प्रार्थी एक सेवा निवृत राजकीय कर्मचारी है। प्रार्थी की आयु 65 वर्ष है। उक्त भवन कर पूर्व से ही काफी अधिक है। भवन कर में किसी भी प्रकार की वृद्धि होने से प्रार्थी पर अनावश्यक रूप से आर्थिक बोझ बढ जाएगा क्योंकि प्रार्थी मात्र पेंशन पर निर्भर है तथा प्रार्थी की आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। अतः अनुरोध प्रार्थना है कि प्रार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए प्रार्थी के भवन कर में किसी प्रकार की भवन कर वृद्धि न की जाए।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
54	15	अनिल सेठी व सुनील सेठी		महोदय, निवेदन यह है कि आपने हाउस टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, यह पहले ही बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है, इसकी फोटोकापी साथ में संलग्न है। कृपया इसको देखकर और कोई भी कर बढ़ाने का कोई भी आदेश पारित न किया जाय।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
55	15	राज देवी, कमला देवी		महोदय निवेदन यह है कि आपने भवन कर बढाने का प्रस्ताव किया है कृपया इस का पहले ही 100 प्रतिशत बढाया गया है इस की फोटो कापी साथ में सलग्न है और विगत 13 वर्ष से मकान बंद पडा है इसलिए आपसे नम्र निवेदन है इसे और न बढाया जाए मकान पुराना है।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर मे दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*
56	15	श्री राजेश गुप्ता एवं ओंकार रोड़ चुक्खुवाला के समस्त नागरिक		विषय आपके द्वारा हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत वृद्धि के संबंध में महोदय जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है आप हाउस टैक्स व खाली प्लाट पर कमश 40 व 60 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रहे है जो कि किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। वर्ष 2015 मे कुछ जगह 2016 में बढाया गया था सुविधाओं के नाम पर नगर निगम कुछ भी सुविधाएं जैसे नाली लाइट सफाई सडक की हालत ठीक नही है 40 वार्डो में उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया गया है। जिस पर हमें कोई एतराज नही है परंतु पहले सुविधाऐं दुरूस्त की जाए तभी टैक्स बढाया जाए वो भी 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो हर 4 वर्ष की बजाए 5 वर्ष में टैक्स बढना चाहिये। आपसे निवेदन है कि आप इस प्रस्तावित वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवम आगामी वृद्धि को तत्काल वापिस ले एवम आगामी नगर निगम के चुनावों के बाद नव निर्वाचित सदस्य इस विषय में फैसला लें।	*आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया चूंकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 'ख' के अन्तर्गत प्रत्येक चार वर्षों में भवन कर की दरों को पुनरीक्षत किए जाने का प्राक्धान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दिए जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भवन कर की दरों में कमी करते हुए संलग्न सूची के अनुसार दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।*

कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून | कर अधीक्षक नगर निगम, देहरादून | सहायक अभिलेखा नगर निगम देहरादून | उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून | अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) एंव भूमि के लिए क्षेत्रफल की प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर।

वार्ड सं0	वार्ड का नाम	पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
		12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
40	रीठा मण्डी	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.12	0.16	0.20
41	लक्खी बाग	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.12	0.16	0.20
42	कारगी	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
43	पटेल नगर (पूरब)	0.90	1.25	1.62	0.60	0.93	1.30	0.48	0.62	0.97	0.12	0.16	0.20
44	ब्रहमपुरी	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.46	0.60	0.93	0.08	0.12	0.16
45	निरजंनपुर	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.46	0.60	0.93	0.08	0.12	0.16
46	माजरा	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
47	टर्नर रोड	1.72	2.10	2.50	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.16	0.24	0.32
48	इन्द्रापुरम	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
49	द्रोणपुरी	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
50	कावंली	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.12	0.16	0.20
51	इन्द्रा नगर	1.72	2.10	2.50	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.16	0.24	0.32
52	बसन्त विहार	1.72	2.10	2.50	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.16	0.24	0.32
53	मोहित नगर	1.72	2.10	2.50	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.16	0.24	0.32
54	पटेल नगर (पश्चिम)	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.12	0.16	0.20
55	गांधी ग्राम	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.46	0.60	0.93	0.08	0.12	0.16
56	यमुना कालोनी	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
57	गोविन्दगढ	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.12	0.16	0.20
58	श्रीदेव सुमन नगर	0.90	1.25	1.62	0.60	0.93	1.30	0.48	0.62	0.97	0.16	0.20	0.24
59	बल्लूपुर	1.72	2.10	2.50	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.16	0.24	0.32
60	कौलागढ	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24

संलग्न– आपत्ति सुनवाई विवरण कुल 44 पृष्ठ।

(चन्द्रप्रकाश आहूजा)
ड्राफ्टसमैन

26/11/18
(धर्मेश पैन्यूली)
कर अधीक्षक

(पूनम रावत)
कर अधीक्षक

(वेद प्रकाश बधानी)
सहायक अभियन्ता

(सोनिया पन्त)
उपनगर आयुक्त

26/11/18
(नीरज जोशी)
अपर नगर आयुक्त

(175)

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) एंव भूमि के लिए क्षेत्रफल की प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर।

वार्ड सं0	वार्ड का नाम	पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
		12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
12	बकरालवाला	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
13	चुक्खुवाला	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.46	0.60	0.93	0.08	0.12	0.16
14	इन्द्रा कालोनी	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.46	0.60	0.93	0.08	0.12	0.16
15	घंटाघर	1.72	2.10	2.50	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.16	0.24	0.32
16	रेस्कोर्स (उत्तर)	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.12	0.16	0.20
17	एम0के0पी0	1.72	2.10	2.50	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.16	0.24	0.32
18	कालिका मन्दिर मार्ग	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
19	तिलक रोड	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
20	खुडबुडा	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.12	0.16	0.20
21	शिवाजी मार्ग	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.46	0.60	0.93	0.08	0.12	0.16
22	इन्द्रेश नगर	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
23	धामावाला	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
24	झण्डा मौहल्ला	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
25	डालनवाला (उत्तर)	1.72	2.10	2.50	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.16	0.24	0.32
26	डालनवाला (पूरब)	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.12	0.16	0.20
27	डालनवाला (दक्षिण)	1.72	2.10	2.50	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.16	0.24	0.32
28	अधोईवाला (उत्तर)	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
29	अधोईवाला (दक्षिण)	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
30	भगत सिंह कालोनी	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.46	0.60	0.93	0.08	0.12	0.16
31	राजीव नगर	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.12	0.16	0.20
32	डिफेन्स कालोनी	1.72	2.10	2.50	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.16	0.24	0.32
33	नेहरू कालोनी	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
34	धर्मपुर	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
35	दीप नगर	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.46	0.60	0.93	0.08	0.12	0.16
36	अजबपुर	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
37	माता मन्दिर रोड	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
38	रेसकोर्स (दक्षिण)	1.72	2.10	2.50	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.16	0.24	0.32
39	रैस्ट कैम्प	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24

26/11/18

(176)

नगर आयुक्त महोदय,

कृपया आपके आदेश सं0 137/कर अनुभाग/2018 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त आदेशों के अनुपालन में भवन कर की मासिक किराया दरों के सम्बन्ध में कुल 170 आपत्तियां प्राप्त हुई उक्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक 29/08/2018, 30/08/2018, 01/09/2018, 04/09/2018 को की गई। कुल 170 आपत्तिकर्त्ताओं में से 106 आपत्तिकर्त्ता स्वंय व प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हुए एंव 64 आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित रहे। उपस्थित आपत्तिकर्त्ताओं की आपत्ति व सुझाव समिति द्वारा सुने गए व अनुपस्थित आपत्तिकर्त्ताओं की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया। अधिकांश आपत्तिकर्त्ताओं द्वारा मूलभूत सुविधाओं यथा सफाई व लाइट आदि में सुधार करने का सुझाव दिया गया व भवन कर में अधिक वृद्धि न करने का आग्रह किया गया है। चूकि उत्तराखण्ड सरकार के साधारण गजट सं0 239/XXVI /2016 दिनांक 02/08/2016 एवं तत्क्रम में शुद्धिपत्र अधिसूचना सं0 285/XXVI(3)/2016/44(1)/2016 दिनांक 12 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की संशोधित धारा 174 "ख" तथा अधिसूचना संख्या के अर्न्तगत संशोधित उत्तर प्रदेश सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के नियम 4 के उपनियम 4 "क" के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत वार्डवार/वार्ड के मौहल्लेवार प्रत्येक चार वर्षो में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए न्यूनतम मासिक किराए की दर या भूमि कि प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर निर्धारित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दी जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–2022 तक चार वर्षो हेतु (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत 60 वार्डो में) निम्नानुसार न्यूनतम मासिक किराए की दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है–

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) एंव भूमि के लिए क्षेत्रफल की प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर।

वार्ड सं0	वार्ड का नाम	पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
		12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौड़ी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
1	राजपुर	1.72	2.10	2.50	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.16	0.24	0.32
2	सइस्त्रधारा रोड	1.72	2.10	2.50	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.16	0.24	0.32
3	जाखन	1.72	2.10	2.50	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.16	0.24	0.32
4	हाथी बडकला	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
5	आर्य नगर	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
6	डोभालवाला	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
7	विजय कालोनी	1.43	1.80	2.18	1.15	1.50	1.87	0.57	0.90	1.25	0.16	0.20	0.24
8	कृष्ण नगर	1.72	2.10	2.50	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.16	0.24	0.32
9	डी0एल0रोड0	1.15	1.50	1.87	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.12	0.16	0.20
10	रिस्पना	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.46	0.60	0.93	0.08	0.12	0.16
11	करनपुर	0.86	1.20	1.56	0.57	0.90	1.25	0.46	0.60	0.93	0.08	0.12	0.16

26/11/18

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) एंव भूमि के लिए क्षेत्रफल की प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर।

वार्ड सं0	वार्ड का नाम	पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
		12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
40	रीठा मण्डी	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
41	लक्खी बाग	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
42	कारगी	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
43	पटेल नगर (पूरब)	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
44	ब्रहमपुरी	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
45	निरजंनपुर	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
46	माजरा	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
47	टर्नर रोड	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
48	इन्द्रिापुरम	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
49	द्रोणपुरी	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
50	कावंली	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
51	इन्द्रा नगर	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
52	बसन्त विहार	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
53	मोहित नगर	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
54	पटेल नगर (पश्चिम)	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
55	गांधी ग्राम	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
56	यमुना कालोनी	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
57	गोविन्दगढ	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
58	श्रीदेव सुमन नगर	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
59	बल्लूपुर	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
60	कौलागढ	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24

संलग्न– आपत्ति सुनवाई विवरण कुल 44 पृष्ठ।

(चन्द्रप्रकाश आहूजा)
ड्राफ्टसमैन

26/11/18
(धर्मेश पैन्यूली)
कर अधीक्षक

(पूनम रावत)
कर अधीक्षक

(वेद प्रकाश बधानी)
सहायक अभियन्ता

(सोनिया पन्त)
उपनगर आयुक्त

(नीरज जोशी)
अपर नगर आयुक्त

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 हेतु स्वीकृत तदनुसार प्रपत्र जारी करें
10.12.2018

(178)

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) एंव भूमि के लिए क्षेत्रफल की प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर।

वार्ड सं0	वार्ड का नाम	पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
		12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
12	बकरालवाला	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
13	चुक्खुवाला	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
14	इन्द्रा कालोनी	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
15	घंटाघर	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
16	रेस्कोर्स (उत्तर)	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
17	एम0के0पी0	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
18	कालिका मन्दिर मार्ग	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
19	तिलक रोड	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
20	खुडबुडा	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
21	शिवाजी मार्ग	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
22	इन्द्रेश नगर	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
23	धामावाला	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
24	झण्डा मौहल्ला	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
25	डालनवाला (उत्तर)	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
26	डालनवाला (पूरब)	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
27	डालनवाला (दक्षिण)	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
28	अधोईवाला (उत्तर)	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
29	अधोईवाला (दक्षिण)	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
30	भगत सिंह कालोनी	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
31	राजीव नगर	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
32	डिफेन्स कालोनी	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
33	नेहरू कालोनी	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
34	धर्मपुर	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
35	दीप नगर	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
36	अजबपुर	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
37	माता मन्दिर रोड	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
38	रेसकोर्स (दक्षिण)	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
39	रैस्ट कैम्प	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24

26/11/18 24/11 10.12.18

नगर आयुक्त महोदय,

कृपया आपके आदेश सं0 137/कर अनुभाग/2018 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त आदेशों के अनुपालन में भवन कर की मासिक किराया दरों के सम्बन्ध में कुल 170 आपत्तियां प्राप्त हुई उक्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक 29/08/2018, 30/08/2018, 01/09/2018, 04/09/2018 को की गई। कुल 170 आपत्तिकर्त्ताओं में से 106 आपत्तिकर्त्ता स्वंय व प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हुए एंव 64 आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित रहे। उपस्थित आपत्तिकर्त्ताओं की आपत्ति व सुझाव समिति द्वारा सुने गए व अनुपस्थित आपत्तिकर्त्ताओं की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया। अधिकांश आपत्तिकर्त्ताओं द्वारा मूलभूत सुविधाओं यथा सफाई व लाइट आदि में सुधार करने का सुझाव दिया गया व भवन कर में अधिक वृद्धि न करने का आग्रह किया गया है। चूकि उत्तराखण्ड सरकार के साधारण गजट सं0 239/XXVI /2016 दिनांक 02/08/2016 एवं तत्क्रम में शुद्धिपत्र अधिसूचना सं0 285/XXVI(3)/2016/44(1)/2016 दिनांक 12 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की संशोधित धारा 174 "ख" तथा अधिसूचना संख्या 1624/IV(03)/2016-06(8)/2016 के अन्तर्गत संशोधित उत्तर प्रदेश सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के नियम 4 के उपनियम 4 "क" के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत वार्डवार/वार्ड के मौहल्लेवार प्रत्येक चार वर्षो में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए न्यूनतम मासिक किराए की दर या भूमि कि प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर निर्धारित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दी जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–2022 तक चार वर्षो हेतु (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत 60 वार्डो में) निम्नानुसार न्यूनतम मासिक किराए की दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है–

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) एंव भूमि के लिए क्षेत्रफल की प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर।

वार्ड सं0	वार्ड का नाम	पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
		12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कन चौडी सडक	12 से 24 मो0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
1	राजपुर	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
2	सइस्त्रधारा रोड	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
3	जाखन	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
4	हाथी बडकला	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
5	आर्य नगर	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
6	डोभालवाला	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
7	विजय कालोनी	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
8	कृष्ण नगर	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
9	डी0एल0रोड0	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
10	रिस्पना	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
11	करनपुर	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16

46	माजरा	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
47	टर्नर रोड	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
48	इन्द्रापुरम	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
49	द्रोणपुरी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
50	कावंली	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
51	इन्द्रा नगर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
52	बसन्त विहार	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
53	मोहित नगर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
54	पटेल नगर (पश्चिम)	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
55	गांधी ग्राम	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
56	यमुना कालोनी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
57	गोविन्दगढ	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
58	श्रीदेव सुमन नगर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
59	बल्लूपुर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
60	कौलागढ	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24

अतः नगर निगम देहरादून की अधिसूचित क्षेत्र की परिधि (नवीन सम्मिलित क्षेत्रों को छोडकर) में आने वाले सामान्य जनता या जिस पर इस अधिरोपित कर का प्रभाव पडने वाला है उनसे आपत्तिया एंव सुझाव आमंत्रित किए जाते है। लिखित आपत्तिया एंव सुझाव इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को सम्बोधित करते हुए नगर निगम भवन कर अनुभाग कार्यालय 1 पटेल रोड निकट दून अस्पताल देहरादून में प्रातः 10:00 से सांय 05:00 बजे तक प्राप्त कराए जा सकते है। नियत तिथि तक प्राप्त आपत्तियों एंव सुझावों पर विचारोपरान्त क्षेत्रवार निर्धारण हेतु मासिक किराया दरों पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा।

18/7/18

(विजय कुमार जोगदण्डे)
आई0 ए0 एस0
नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

प्रतिलिपि– सम्पादक, दैनिक हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, से को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन आगामी अंक में करते हुए दो प्रति नगर निगम, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

18/7/18

(विजय कुमार जोगदण्डे)
आई0 ए0 एस0
नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

O/C PWD Sect. कृ० नगर पालिका से एक प्रति भेजा जाए। 18/7/18

I.T-Officer कृ० निगम website पर upload करें। 19/7/18 I.T. Officer

19/7/18

(181)

11	करनपुर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
12	बकरालवाला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
13	चुक्खुवाला	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
14	इन्द्रा कालोनी	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
15	घंटाघर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
16	रेस्कोर्स (उत्तर)	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
17	एम0के0पी0	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
18	कालिका मन्दिर मार्ग	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
19	तिलक रोड	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
20	खुडबुडा	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
21	शिवाजी मार्ग	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
22	इन्द्रेश नगर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
23	धामावाला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
24	झण्डा मौहल्ला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
25	डालनवाला (उत्तर)	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
26	डालनवाला (पूरब)	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
27	डालनवाला (दक्षिण)	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
28	अधोईवाला (उत्तर)	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
29	अधोईवाला (दक्षिण)	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
30	भगत सिंह कालोनी	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
31	राजीव नगर	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
32	डिफेन्स कालोनी	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
33	नेहरू कालोनी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
34	धर्मपुर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
35	दीप नगर	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
36	अजबपुर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
37	माता मन्दिर रोड	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
38	रेसकोर्स (दक्षिण)	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
39	रैस्ट कैम्प	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
40	रीठा मण्डी	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
41	लक्खी बाग	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
42	कारगी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
43	पटेल नगर (पूरब)	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16
44	ब्रहमपुरी	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16

कार्यालय प्रति

182

कार्यालय नगर निगम देहरादून

प्रेस विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना

पत्रांक– 187 दिनांक–18/07/2018

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सरकार के साधारण गजट सं0 239/XXVI /2016 दिनोंक 02/08/2016 एवं तत्क्रम में शुद्धिपत्र अधिसूचना सं0 285/XXVI(3)/2016/44(1)/2016 दिनोक 12 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की संशोधित धारा 174 "ख" तथा अधिसूचना संख्या 1624/IV(03)/2016-06(8)/2016 के अर्न्तगत संशोधित उत्तर प्रदेश सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के नियम 4 के उपनियम 4 "क" के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत वार्डवार/वार्ड के मौहल्लेवार प्रत्येक चार वर्षो मे एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए न्यूनतम मासिक किराए की दर या भूमि कि प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर निर्धारित की जानी है। अतएव मै विजय कुमार जोगदण्डे नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून, नगर निगम अधिनियम 1959, में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–2022 तक चार वर्षो हेतु (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत 60 वार्डो में) न्यूनतम मासिक किराए की दर अनन्तिम रूप से निर्धारित करता हूँ –

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) एंव भूमि के लिए क्षेत्रफल की प्रति ईकाइ क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर।

वार्ड सं0	वार्ड का नाम	पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
		12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
1	राजपुर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
2	सइस्त्रधारा रोड	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
3	जाखन	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
4	हाथी बडकला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
5	आर्य नगर	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
6	डोभालवाला	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
7	विजय कालोनी	1.75	2.10	2.45	1.40	1.75	2.10	0.80	1.05	1.40	0.16	0.20	0.24
8	कृष्ण नगर	2.10	2.45	2.80	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.16	0.24	0.32
9	डी0एल0रोड0	1.40	1.75	2.10	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.12	0.16	0.20
10	रिस्पना	1.05	1.40	1.75	0.80	1.05	1.40	0.56	0.80	1.05	0.08	0.12	0.16

INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION CABLES
Solutions for Industrial Data Connectivity
• LOW LOSS TRANSMISSION
• HIGHLY FLEXIBLE
• ROBUST DESIGN FOR INDUSTRIAL REQUIREMENTS
SHOP NOW
LAPP

183

दिनांक - 11/12/2018 हिन्दुस्तान जेक

नगर निगम

- देहरादून नगर निगम ने खाली प्लाट पर टैक्स 50 फीसदी तक बढ़ाया
- नगर निगम में नए जोड़े गए 40 वार्डो में लागू नहीं होगा यह आदेश

60 वार्डों में टैक्स की बढ़ी हुई दरें लागू की गई

देहरादून में हाउस टैक्स में 20 फीसदी बढ़ोतरी

झटका

देहरादून | कार्यालय संवाददाता

नगर निगम ने शहर के पुराने 60 वार्डों में हाउस टैक्स में 20 फीसदी बढ़ोतरी की है। ऐसे प्लाट जिन पर भवन नहीं बने हैं, उन पर टैक्स पचास फीसदी तक बढ़ाया है। हाउस टैक्स की बढ़ी हुई दरें बीते एक अप्रैल से लागू कर मानी जाएंगी। नई दरें अगले चार साल तक के लिए निर्धारित की गई हैं।

नगर निगम लंबे समय से हाउस टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। निकाय चुनाव से पहले 40 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया था। लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। चुनाव खत्म होने के बाद फिर से हाउस टैक्स पर कसरत तेज हुई। मेयर सुनील उनियाल गामा से भी हाउस टैक्स को लेकर सुझाव लिया गया। आखिरकार सोमवार को निगम ने नई दरें जारी कर दीं। नई दरों के हिसाब से सालाना सबसे कम टैक्स अदा करने वाले भवन स्वामी के टैक्स में 45 रुपये की और जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं उनके टैक्स में 450 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। टैक्स 20 फीसदी बढ़ाया गया है।



खाली प्लाट का 16 पैसे वर्गफुट रेट

खाली प्लाट जिन पर अभी तक भवन नहीं बने उनका टैक्स 50 फीसदी तक बढ़ाया गया। खाली प्लाटों का अभी तक सालाना टैक्स दस पैसे वर्ग फुट था, जिसे बढ़ाकर 16 पैसे वर्गफुट कर दिया है। नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि हाउस टैक्स की नई दरें सोमवार से लागू मानी जाएंगी। अब भवन और प्लाट स्वामियों को नये दरों के हिसाब से टैक्स देना होगा।

नए वार्डो को नहीं देना होगा टैक्स

नगर निगम का दायरा बढ़ चुका है। सरकार ने 40 नये वार्ड बनाए हैं। इस बार नगर निगम चुनाव भी 100 वार्ड पर हुए। लेकिन हाउस टैक्स अभी पुराने 60 वार्ड के लोगों को ही देना होगा। नये वार्ड के लोगों पर हाउस टैक्स नहीं लगेगा। उनको सरकार ने अलगे दस साल तक हाउट टैक्स में छूट दे रखी है।

ये हैं हाउस टैक्स की नई दरें

जिन क्षेत्रों में हाउस टैक्स पूर्व में 0.6 रुपये प्रति वर्ग फुट था, वहां अब टैक्स बढ़कर 1.80 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया है। जहां 1.25 रुपये था, वह नई दरें 1.50 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया है। इसी तरह जिन क्षेत्र में न्यूनतम टैक्स 75 पैसे था, वहां अब 90 पैसे प्रति वर्ग फुट टैक्स देना होगा। 50 पैसे वर्ग फुट की जगह 60 पैसे और 40 पैसे प्रति वर्ग फुट की जगह 48 पैसे डाइरा-टैक्स के देने होंगे।

ऐसे होगी सालाना टैक्स की गणना

अगर किसी मकान का कारपेट एरिया 200 वर्ग फीट है अगर उस इलाके की हाउस टैक्स की दर 2 रुपये प्रतिमाह है तो मकान की एनुअल रेंटल वैल्यू 4800 रुपये हो जाएगी। जिसका 12.50 फीसदी यानी की 600 रुपये हाउस टैक्स के तौर पर निगम को देने होंगे। हाउस टैक्स बिल मिलने के महीने भर के भीतर टैक्स जमा करने वालों को 12.50 प्रतिशत के बजाए 10 फीसदी के हिसाब से 480 रुपये ही सालाना जमा करने होंगे। ऐसे लोगों को निगम दो फीसदी छूट देता है।

जो जमा कर चुके, उन्हें भी भरना होगा बढ़ा हुआ टैक्स

देहरादून | मुख्य संवाददाता

25 हजार लोगों के अगले बिल में बढ़ा टैक्स जुड़कर आएगा

नगर निगम की हाउस टैक्स की नई दरें एक अप्रैल 2018 से लागू मानी जाएंगी। यह करीब आठ महीने देरी से जारी हुई हैं। ऐसे में जो लोग अपना हाउस टैक्स जमा कर चुके थे, उन्हें भी बढ़ा हुआ टैक्स जमा करना होगा। ऐसे करीब 25 हजार लोगों के अगले बिल में बढ़ा हुआ टैक्स पिछला बकाया के तौर पर जुड़कर आएगा।

देहरादून में हाउस टैक्स बढ़ोतरी को लेकर पिछले बोर्ड में ही निर्णय लिया जा चुका था। इसके लिए पार्षदों की एक कमेटी भी गठित की गई थी। इसमें अधिकतम 40 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इस नए बोर्ड के गठन के बाद जारी किया गया है, लेकिन हाउस टैक्स बढ़ोतरी में नए बोर्ड की किसी तरह की कोई भूमिका नहीं रही। जो कुछ दखल रहा, वह मेयर सुनील उनियाल गामा का रहा और यही वजह रही कि समान रूप से 20 फीसदी की बढ़ोतरी हाउस टैक्स में की गई है। हालांकि आठ महीने देरी से हाउस टैक्स की दरें जारी होने का सीधा नुकसान उन लोगों को है, जो अपना टैक्स समय पर जमा कर चुके हैं। अब उन्हें अप्रैल 2018 से आठ महीने का बढ़ा हुआ टैक्स भी अलग से अगले बिल में चुकाना होगा। सीधे तौर पर निगम को देरी की वजह से टैक्स समय पर देने वाले लोगों को भी अगले बिल में यह बढ़ोतरी चुकानी होगी। ऐसे टैक्स दाताओं की संख्या करीब 25 हजार है, जो इस साल का टैक्स तय समय पर निगम में जमा कर चुके हैं।



शाहरुख की बेटी सुहाना खान की बिकिनी फोटो वायरल, फ्रांस में मना रही हैं छुट्टियां

दिनांक - 11-12-2018 हिन्दुस्तान

184

नगर निगम

- देहरादून नगर निगम ने खाली प्लाट पर टैक्स 50 फीसदी तक बढ़ाया
- नगर निगम में नए जोड़े गए 40 वार्डों में लागू नहीं होगा यह आदेश

60 वार्डों में टैक्स की बढ़ी दरें लागू की गई

देहरादून में हाउस टैक्स में 20 फीसदी बढ़ोतरी

अटका

देहरादून | कार्यालय संवाददाता



खाली प्लाट का 16 पैसे वर्गफुट रेट

नए वार्डों को नहीं देना होगा टैक्स

ये है हाउस टैक्स की नई दरें

ऐसे तोड़ी सरकारी टैक्स की जंजीर

जो जमा कर चुके, उन्हें भी भरना होगा बढ़ा हुआ टैक्स

देहरादून | मुख्य संवाददाता

25 राजधानी देहरादून में आवासीय भवनों के हाउस टैक्स में बढ़ोतरी

जानें कहां कितना देना है अब हाउस टैक्स

गुणाभाग का गणित

देहरादून | कार्यालय संवाददाता

कौन इलाकों में सबसे ज्यादा टैक्स बढ़ा

इन क्षेत्रों में इतना बढ़ा हाउस टैक्स

तड़क की चौड़ाई अलग

शहरों को बड़ा हाउस टैक्स

इन क्षेत्रों में सबसे कम बढ़ा टैक्स

मेयर और पार्षद सम्मानित किए

देहरादून | कार्यालय संवाददाता

गरमाएगी नगर निगम की राजनीति

विश्लेषण

देहरादून | मुख्य संवाददाता

- जिला स्तरीय टैक्स कमेटी के चुने गए सदस्य को कमेटी की कमान सौंपी जाएगी
- चुनाव की घोषणा से पहले टैक्स बढ़ोतरी की खबरें टैक्सपेयर्स को चौंकाएंगी

जाना बोले, हाउस टैक्स में सामान्य बढ़ोतरी की गई

नगर निगम स्थापना दिवस पर नए बोर्ड का सम्मान

देहरादून | कार्यालय संवाददाता

कान की खबरें

दून में आज लगेगा रोजगार मेला

हज यात्रा के लिए कल तक करें आवेदन

पशु कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाएगा

डीएवी और डीबीएट में प्रवक्ताओं की भर्ती

अपने शहर में

- बीएचयू दीक्षांत समारोह में दिखेगा दिवंगत पर्रिकर का जलवा
- पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट 2 अप्रैल से



UPES - a leading multi-disciplinary private university offers specialisation-focused industry-aligned programs. Admissions for 2019 are now open.

UPES-EAT
UPES Engineering Aptitude Test*
Exam Date: 29th April - 5th May, 2019 (CBT)

SPECIALISED B.TECH PROGRAMS ACROSS SECTORS
- Information Technology
- Mechanical
- Oil and Gas
- Aviation and Aerospace
- Power
- Health, Safety and Environment

SCHOLARSHIPS

For Schools of Engineering & Technology and School of Computer Science
94%** combined placements in the year 2018

UPES
UNIVERSITY WITH A PURPOSE





183

कवि सम्मेलन

- मुख्यालय मसूरी देहरा मार्ग स्थित मुनि की रेती के सभागार में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

खेल

- मसूरी गिरिपुट्ट एकेडमी में आयोजित दो दिवसीय मुनिया एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हो गया है।
- क्लब क्रिकेटर्स ऐसोसिएशन ने उत्तराखंड क्रिकेटर्स के हित सुरक्षा फिजियोथैरेपी सप्ताह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में किया।
- दिलाराम क्लब ऐसोसिएशन की ओर से मंगलवार को दिलाराम क्लब में एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा।

एक नजर

दून में रोजगार मेला आज

देहरादून। रोजगार निदेशालय की ओर से मंगलवार को देहरादून मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्यातिथि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल होंगे। कार्यक्रम में 15 कंपनियां भाग लेंगी। इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, पैंटालून, डेटाम, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी एर्गो इंश्योरेंस, टाटा एआइजी जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआइए लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एर्गो

महानगर काँग्रेस कमेटी, देहरादून

लाल चन्द शर्मा
अध्यक्ष

21, राजपुर रोड़, देहरादून।
दूरभाष : 0135-2654000, फैक्स: 0135-2656599,
मो0 9412056550

पत्रांक :.....

दिनांक : 11/1/19

3. नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित किये गये नये क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था, प्रथ प्रकाश व्यवस्था व आपातकालीन निर्माण कार्य की व्यवस्था की जाय।
4. मलिन बस्तियों में पूर्व में लिए गये कर के अनुसार उपभोक्ताओं से पुनः कर संग्रह किया जाय तथा शासनादेश के अनुसार नियमित मलिन बस्तियों पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाय।
5. नये क्षेत्रों में कर्मचारियों की भर्ती शुरू की जाय।
6. वर्तमान नगर निगम देहरादून की बोर्ड बैठक शीघ्र प्रस्तावित की जाय जिसमें महानगर के वार्डों में विकास कार्य प्रगति में आ पायें।
7. प्रत्येक वार्ड में स्वास्थ्य गोल्ड कार्ड के लिए नगर निगम द्वारा कैम्पों का आयोजन किया जाय।
8. नगर निगम द्वारा सोडियम लाइटों के स्थान पर एल.ई.डी. लगाकर पथ प्रकाश की जो व्यवस्था की गई थी वह काफी लचर है तथा लाइटों की मरम्मत न होने के कारण पथ प्रकाश व्यवस्था सुचारू न होने से आधे से अधिक शहर अंधकार में डूबा हुआ है तथा जनता की शिकायत के उपरान्त भी सम्बन्धित कम्पनी मरम्मत कार्य करने में अक्षम है।
9. नगर निगम के समस्त वार्डों में पिछले आठ माह से निर्माण कार्य न होने के कारण व अब भारी वर्षा के चलते सड़कों पर भारी गढ्ढे पड़े हैं तथा सड़कें जगह–जगह टूटी पडी हैं जिससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमराने के साथ ही जीवन क्षति की दुर्घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है। इसे गभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।
10. नगर निगम क्षेत्र में बडे नालों में जलभराव को रोके जाने की व्यवस्था के लिए इस वर्ष कोई विशेष व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण प्रत्येक दिन जलभराव से होने वाले नुकसान का खतरा बढ़ रहा है। अतः बड़े नालों में जलभराव को रोकने के शीघ्र उपाय किये जाने चाहिए।

भवदीय

(लालचन्द शर्मा)

महानगर काँग्रेस कमेटी, देहरादून

लाल चन्द शर्मा
अध्यक्ष

21, राजपुर रोड़, देहरादून।
दूरभाष : 0135-2654000, फैक्स: 0135-2656599,
मो0 9412056550

187

पत्रांक :.....

दिनांक : 11/1/19

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

P.A
Put up on file
d 11/1/19

विषय : भवन कर के प्रस्तावित बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में आपत्ति व सुझाव पत्र।

महोदय,

निवेदन सहित अवगत कराना है कि आपके विभाग द्वारा व समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत भवनकर में पुनः बढोत्तरी का प्रस्ताव किया जा रहा है जो कि जनहित में न्यायोचित नहीं है। लगभग 3 वर्ष पूर्व जो निर्वाचित बोर्ड द्वारा भवन करों में अत्यधिक लगभग 100 प्रतिशत की बढोत्तरी की गई थी सह स्वयं ही अभी तक उन सभी भवन स्वामियों पर एक अत्यधिक बोझ चला आ रहा है जो कि प्रथम बार इस प्रकार की प्रणाली के तहत किया गया है। भवन कर में इसके पश्चात पुनः बढ़ोत्तरी करना बिल्कुल भी न्यायोचित व जनहित में नहीं है तथा कई क्षेत्रों में भवन कर की दरों की भी आपत्तियां व शिकायतें आती रही हैं जिस पर अभी तक कोई भी न्यायोचित कार्रवाई न होने के कारण लोग परेशान हैं। यही नहीं एक ही स्थान की सड़क पर दो दरों पर कर का मापदण्ड समझ से परे हैं जिससे लोग आज की तिथि तक परेशान हैं। पूर्व की भांति अब भवन स्वामियों के बिल भी समय पर नहीं पहुंचते जिससे भवन कर का भुगतान समय पर नहीं हो पाती व छूट का लाभ नहीं मिल पाता है। जो भवन कर पिछले वर्षों में लोगों से प्राप्त किया गया कार्यालय द्वारा उसे भी नियमित रूप से इडेक्सिंग नहीं किया जाता है तथा उसका रिकार्ड न होने से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

अतः हमारी मांग है कि:–

1. इस प्रणाली को सुचारू करवाया जाय तथा जनहित में टैक्स में बढोत्तरी न की जाय।
2. एक सड़क पर दोहरे कर निर्धारण को दुरूस्त किया जाय।

Ajay Kumar
वार्ड नं 69
ISBT

अमित भंडारी
वार्ड नं 56

आनन्द शर्मा पूर्व पार्षद
मोहल्ला पीर वाला वार्ड-56

Rekha Gupta
वार्ड नं -70

Byomkesh
and IC



आक्रोशित ग्रामीणों ने मालदेवता-टिहरी मार्ग पर जाम लगाया • जागरण

हादसों पर भड़के ग्रामीण

आक्रोश

- गुरुवार सुबह मालदेवता-टिहरी मार्ग पर लगाया घंटों जाम
- शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

ी घटनाओं के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने पर थानीय लोगों में आक्रोश है। गुरुवार ो स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर जाम लगा दिया। सूचना चलते ही रायपुर कोतवाली पुलिस ीके पर पहुंची और ग्रामीणों से जाम खोलने की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 15 दिनों के दौरान क्षेत्र में छह हादसे हो चुके हैं। ये हादसे बाहरी लोगों के साथ हुए। मगर पुलिस की ओर से हादसे रोकने को लेकर कार्रवाई नहीं की गई। इसकी शिकायत भी पुलिस से की, मगर कार्रवाई नहीं की गई। काफी देर बाद सिटी मजिस्ट्रेट मनुज गोयल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में बाहरी तत्वों और शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोला।

इवर सुरक्षा की दी जानकारी

लिए मौका



साइबर क्राइम की एसएसपी रिधिम अग्रवाल।

ुद्धा के साथ काम करता है। ऐसे में यहां क कार्मिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति धिक सतर्क होकर काम करने की रूरत है। इस अवसर पर कॉर्पोरेट म्युनिकेशन की प्रमुख प्रीता पंत व्यास, हाप्रबंधक विजय कुमार गुप्ता, अमरेंद्र राहू, डीके गोयल, एसके मित्तल, नीश बड़ोनी आदि उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर निगम देहरादून

सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत 60 वार्डो में (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत) आवासीय भवन कर निर्धारण हेतु न्यूनतम मासिक किराए की अनन्तिम दरों पर हितबद्ध व्यक्तियों से दिनांक 02.08.2018 तक आपत्तियां आमंत्रित की गई है। उक्त दरों का अवलोकन नगर निगम की office website : www.nagarnigamdehradun.com पर किया जा सकता है।

अतः इस विज्ञप्ति /सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित पुनरीक्षित मासिक किराये की दरों पर कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10.08.2018 को सांय 5.00 बजे तक नगर निगम देहरादून के कर अनुभाग में लिखित आपत्ति प्राप्त करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून

रेलवे भर्ती बोर्ड, मुजफ्फरपुर

लीची बगान, मुजफ्फरपुर-842001 (बिहार)

सूचना संख्या–रे0भ0बो0/मुज0/05/2018

प्रतिस्थापन परिणाम

केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या-03/2015 के अंतर्गत अधिसूचित एन.टी.पी.सी.(जी.) पदों गुड्स गार्ड, कोटि संख्या 04 के लिए प्रथम स्तर परीक्षा (सीबीटी) जो दिनांक-28.03.2016 से 05.05.2016 एवं द्वितीय स्तर परीक्षा(सी.बी.टी.) जो दिनांक 17.01.2017 से 19.01.2017 को आयोजित की गयी थी, के आधार पर अस्थायी तौर पर उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं अभ्यर्थिता जाँच दिनांक-28.08.2017 से 01.09.2017 तक एवं अनुपस्थिति अभ्यर्थियों के लिये मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं अभ्यर्थिता जाँच दिनांक- 19.09.2017 को आयोजित की गई थी, जिनका प्रतिस्थापन नामिका रेलवे भर्ती बोर्ड, मुजफ्फरपुर के सूचना पट्ट पर दिनांक 01.08.2018 को प्रकाशित कर दिया गया है।

यह परिणाम रेलवे भर्ती बोर्ड/मुजफ्फरपुर के बेवसाईट www.rrbmuzaffarpur.gov.in पर भी उपलब्ध है।

अध्यक्ष

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल

निविदा आमंत्रण सूचना

सेनानी 08 वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल गौचर, जिला चमोली (उत्तराखण्ड) द्वारा रेलवे, डाक तार विभाग, एम.ई.एस. के लो.नि.विभाग, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत तथा प्राधिकृत डीलर योग्य एवं अनुभवी ठेकेदारों से ई-प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रुपये में.)	धरोहर राशि रुपये में)	कार्य पूर्णता की अवधि
1	Annual Repair and Civil maintenance of Residential, Non residential and Hospital Building at BHQ of 8 th BN, ITB Police Gaucher, Dsstt-Chamoli (UKD)	10,14,411.00	20,500.00	31.03.2019

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अवधि- 01.08.18/1000 बजे से 10.08.18/1600 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि-10.08.2018/1600 बजे तक
बिड खोलने की तिथि व समय- 11.08.18/ 16.30 बजे।
उपरोक्तानुसार दी गई बयाना राशि का मूल्य सेनानी आठवी वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, पत्रालय गौचर, जिला-चमोली (उत्तराखण्ड) के नाम पर रिसिप्ट ट्रेजरी चालान/ किसी राष्ट्रीयकृत पंजिकृत बैंक द्वारा जारी टी.डी.आर./एफ.डी.आर./डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप में जमा की जानी है, जो भारतीय स्टेट बैंक, गौचर में भुगतान हेतु देय होनी चाहिए। सशर्त निविदाये निरस्त समझी जायेगी। निविदा के लिये ई-टेण्डर दस्तावेजों को online के माध्यम से दो कवर में अपलोड किया जायेगा।
प्रथम कवर में धरोहर राशि, वैद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जी.ए.टी व पूर्व में इस प्रकार के पूर्ण किये गये कार्यो का सम्बन्धित विभाग से जारी प्रमाण पत्र की प्रतियां (यदि इस प्रकार के कार्य पूर्ण किये हो) होनी चाहिए। द्वितीय कवर में ठेकेदार द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से Financial बिड भरी जायेगी।
विस्तृत निविदा सूचना/निविदा प्रपत्र / (शुद्धि पत्र यदि कोई हो) आदि सूचनायें भारत सरकार के central public procurement portal (CPPP)की बैब साइट www.cppp.gov.in व www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध है। इस सूचना को बल की बैवसाइट www.itbp.gov.in पर भी देखी जा सकता है।

davp19112/11/0098/1819

सेनानी, 8वीं वाहिनी, भा.ति.सी. पुलिस

धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) एंव भूमि के लिए क्षेत्रफल की प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर।

वार्ड सं0	वार्ड का नाम	पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
		12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
40	रीठा मण्डी	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
41	लक्खी बाग	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
42	कारगी	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
43	पटेल नगर (पूरब)	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
44	ब्रहमपुरी	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
45	निरजंनपुर	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
46	माजरा	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
47	टर्नर रोड	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
48	इन्द्रिापुरम	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
49	द्रोणपुरी	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
50	कार्वली	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
51	इन्द्रा नगर	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
52	बसन्त विहार	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
53	मोहित नगर	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
54	पटेल नगर (पश्चिम)	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
55	गांधी ग्राम	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
56	यमुना कालोनी	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
57	गोविन्दगढ	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
58	श्रीदेव सुमन नगर	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
59	बल्लूपुर	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
60	कौलागढ	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24

संलग्न– आपत्ति सुनवाई विवरण कुल 44 पृष्ठ।

(चन्द्रप्रकाश ओहूजा)
ड्राफ्टसमैन

26/11/18
(धर्मेश पैन्यूली)
कर अधीक्षक

(पूनम रावत)
कर अधीक्षक

(वेद प्रकाश बधानी)
सहायक अभियन्ता

(सोनिया पन्त)
उपनगर आयुक्त

(नीरज जोशी)
अपर नगर आयुक्त

धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) एवं भूमि के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू [illegible]
की दर।

वार्ड सं0	वार्ड का नाम	पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
		12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
12	बकरालवाला	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
13	चुक्खुवाला	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
14	इन्द्रा कालोनी	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
15	घंटाघर	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
16	रेस्कोर्स (उत्तर)	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
17	एम0के0पी0	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
18	कालिका मन्दिर मार्ग	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
19	तिलक रोड	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
20	खुडबुडा	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
21	शिवाजी मार्ग	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
22	इन्द्रेश नगर	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
23	धामावाला	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
24	झण्डा मौहल्ला	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
25	डालनवाला (उत्तर)	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
26	डालनवाला (पूरब)	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
27	डालनवाला (दक्षिण)	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
28	अधोईवाला (उत्तर)	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
29	अधोईवाला (दक्षिण)	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
30	भगत सिंह कालोनी	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
31	राजीव नगर	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
32	डिफेन्स कालोनी	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
33	नेहरू कालोनी	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
34	धर्मपुर	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
35	दीप नगर	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
36	अजबपुर	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
37	माता मन्दिर रोड	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
38	रेसकोर्स (दक्षिण)	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
39	रैस्ट कैम्प	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24

26/11/18

191

नगर आयुक्त महोदय,

कृपया आपके आदेश सं0 137/कर अनुभाग/2018 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त आदेशों के अनुपालन में भवन कर की मासिक किराया दरों के सम्बन्ध में कुल 170 आपत्तियां प्राप्त हुई उक्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक 29/08/2018, 30/08/2018, 01/09/2018, 04/09/2018 को की गई। कुल 170 आपत्तिकर्त्ताओं में से 106 आपत्तिकर्त्ता स्वंय व प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हुए एंव 64 आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित रहे। उपस्थित आपत्तिकर्त्ताओं की आपत्ति व सुझाव समिति द्वारा सुने गए व अनुपस्थित आपत्तिकर्त्ताओं की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया। अधिकांश आपत्तिकर्त्ताओं द्वारा मूलभूत सुविधाओं यथा सफाई व लाइट आदि में सुधार करने का सुझाव दिया गया व भवन कर में अधिक वृद्धि न करने का आग्रह किया गया है। चूकि उत्तराखण्ड सरकार के साधारण गजट सं0 239/XXVI /2016 दिनांक 02/08/2016 एवं तत्कम में शुद्धिपत्र अधिसूचना सं0 285/XXVI(3)/2016/44(1)/2016 दिनांक 12 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की संशोधित धारा 174 "ख" तथा अधिसूचना संख्या के अर्न्तगत संशोधित उत्तर प्रदेश सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के नियम 4 के उपनियम 4 "क" के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत वार्डवार/वार्ड के मौहल्लेवार प्रत्येक चार वर्षो में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए न्यूनतम मासिक किराए की दर या भूमि कि प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर निर्धारित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दी जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–2022 तक चार वर्षो हेतु (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत 60 वार्डो में) निम्नानुसार न्यूनतम मासिक किराए की दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है–

निर्धारित दर समस्त वार्डो के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) एंव भूमि के लिए क्षेत्रफल की प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर।

वार्ड सं0	वार्ड का नाम	पक्का भवन,आर0सी0सी0,आर0बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमे भवन न बना हो		
		12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक	12 मी0 से कम चौडी सडक	12 से 24 मी0 चौडी सडक	24 मी0 से अधिक चौडी सडक
1	राजपुर	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
2	सइस्त्रधारा रोड	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
3	जाखन	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
4	हाथी बडकला	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
5	आर्य नगर	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
6	डोभालवाला	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
7	विजय कालोनी	1.50	1.86	2.24	1.20	1.55	1.92	0.60	0.93	1.28	0.16	0.20	0.24
8	कृष्ण नगर	1.80	2.17	2.56	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.16	0.24	0.32
9	डी0एल0रोड0	1.20	1.55	1.92	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.12	0.16	0.20
10	रिस्पना	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16
11	करनपुर	0.90	1.24	1.60	0.60	0.93	1.28	0.48	0.62	0.96	0.08	0.12	0.16

192

नगर आयुक्त महोदय

कृपया आपके आदेश सं0 137/कर अनुभाग/2018 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त आदेशों के अनुपालन में भवन कर की मासिक किराया दरों के सम्बन्ध में कुल 170 आपत्तियां प्राप्त हुई उक्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक 29/08/2018, 30/08/2018, 01/09/2018, 04/09/2018 को की गई। कुल 170 आपत्तिकर्त्ताओं में से 106 आपत्तिकर्त्ता स्वंय व प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हुए एंव 64 आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित रहे। उपस्थित आपत्तिकर्त्ताओं की आपत्ति व सुझाव समिति द्वारा सुने गए व अनुपस्थित आपत्तिकर्त्ताओं की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया। अधिकांश आपत्तिकर्त्ताओं द्वारा मूलभूत सुविधाओं यथा सफाई व लाइट आदि में सुधार करने का सुझाव दिया गया व भवन कर में अधिक वृद्धि न करने का आग्रह किया गया है। चूकि उत्तराखण्ड सरकार के साधारण गजट सं0 239/XXVI /2016 दिनांक 02/08/2016 एवं तत्क्रम में शुद्धिपत्र अधिसूचना सं0 285/XXVI(3)/2016/44(1)/2016 दिनांक 12 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की संशोधित धारा 174 "ख" तथा अधिसूचना संख्या के अर्न्तगत संशोधित उत्तर प्रदेश सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के नियम 4 के उपनियम 4 "क" के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत वार्डवार/वार्ड के मौहल्लेवार प्रत्येक चार वर्षो में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए न्यूनतम मासिक किराए की दर या भूमि कि प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर निर्धारित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दी जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–2022 तक चार वर्षो हेतु (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत 60 वार्डो में) संलग्न सूची के अनुसार न्यूनतम मासिक किराए की दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।
महोदय समिति की रिपोर्ट अग्रिम आदेशार्थ/निर्देशार्थ प्रेषित है।

26/11/18

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

(1)

सेवा में

नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

विषय– भवन कर की दरो में बढोतरी के विरोध के सम्बन्ध में।

महोदय,

समाचार पत्रो के माध्यम से भवन कर के दरो में बृद्धि में आपके द्वारा जो बैठक की गई उस के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त दरो की बढोतरी के सम्बन्ध में पहले ही समिति के सभी सदस्य अपना विरोध कर चुके है क्योंकि न्याय उचित समाधान नही है पूर्व में भी जो भवन कर की दरें में बढायी गई थी उसके सशोधन हेतु भी हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया था।

अतः आपसे निवेदन है कि जो नई दरें प्रस्तावित की गई उन्हे वापस लिया जाय व पुरानी दरों को सशोधित किया जाना उचित होगा।

778 ans 05.05.16

836 3.5.16

दिनांक– 3–05–2016

भवदीय
समस्त पार्षद
नगर निगम देहरादून।

(1) देवेन्द्र पाल सिंह वार्ड (16)
(2) Ward No 30
(3) अशोक कोहली वार्ड (20)
(4) चरणजीत कौशल वार्ड (57)
(5) Anand Jagi आनन्द त्यागी
6 Neeraj Sethi (45)
7 (वार्ड नं 6 डाकालबाला)
(8) निखिल कुमार (वार्ड नं 6)
(9) चरणजीत कौशल
(10) अजय सिंघल (WARD 57) (वार्ड नं 24)

Vinay Kothi (11)
मनमोहन धनई
Somu Uniyal
Ward 12
AMNA/T.S (Tax)

05/05/16

5.5.16 T.S.

03/05
नगर आयुक्त

नगर मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम देहरादून
05/05/16

भारतीय जनता पार्टी

राजकुमार कक्कड़
पार्षद वार्ड न0 39 , रैस्ट कैम्प,
नगर निगम , देहरादून।
सदस्य : जिला योजना समिति।
सांसद प्रतिनिधि : स्वजल, पेयजल एवं स्वच्छता।

निवास –
112, चन्द्र नगर , देहरादून।
फोन नं. 9837360433, 2621191
E Mail – rajkumarkakkar@gmail.com

पत्रांक 845 AMNA T.S. Tax दिनांक 3/5/2016

सेवा मे,

791 Tax
7.05.16

नगर आयुक्त 05/05 श्रीमान मुख्य नगर अधिकारी
नगरनिगम (दे0 रा)

विषय :- नई टैक्स दरे कई गुना प्रस्तावित किये जाने के सं० मे

महोदय,

टैक्स अनुभाग द्वारा नई दरे प्रस्तावित की गयी है. जो पिछले टैक्स से तीन-चार गुना अधिक है। पहली बार स्वःकर निर्धारण के तहत दरे तय की गयी थी। जिनमे भी पिछले टैक्स की तुलना मे लगभग दुगुना टैक्स क्षेत्र के लोगो को देना पड़ रहा है जिससे क्षेत्रीय लोगो मे रोष व्याप्त है. सुविधाये हमारे द्वारा दी नही जा रही है. टैक्स पिछली दरो से भी नगरनिगम आधी वसूली कर पाया है. टैक्स अनुभाग द्वारा दरे तीन-चार गुना प्रस्तावित किस आधार पर की गयी है. शहरवासी समझ नही पा रहे है. अतः पहले ही दरे दुगुनी से ज्यादा हो चुकी है. इस पर कोई बढ़ोतरी न की जाये। प्रस्तावित दरो को निरस्त कर पिछली दरो पर ही आगामी टैक्स लिया जाये।

861
5.5.16

धन्यवाद
3/5/16

(3)
राजकुमार
विधायक एवं संसदीय सचिव
आवास, राजीव गांधी आवास योजना
(कैबिनेट मंत्री स्तर), उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार

ईमेल : rajkumark022@gmail.com
मो० : 9412075754
कार्यालय : 7, न्यू रोड, देहरादून
दूरभाष : 0135-2717070

पत्रांक 207-1/(S)2016/वि०टा०

सं० 722 / मुख्य सचिव / RS / 2016 दिनांक 03/मई/2016
दिनांक 03/05/2016

मु० MNA वार्ता करायें
04/5/2016

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
सचिवालय, देहरादून।

महोदय,

समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि नगर निगम देहरादून में भवन कर में 03 गुना से अधिक की वृद्धि करने जा रहा है, यह अव्यवहारिक है, अभी तक नगर निगम भवन कर के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं बना सका है तथा सरकार/शासन के साथ नगर निगम का समन्वय न होने के कारण हर समय भवन कर पर विरोध की स्थिति बनी रहती है। भवन कर के लिए सर्वसम्मत नीति बनाई जाए, जिससे जनता के उपर अनावश्यक बोझ न पड़े और निगम को सही राजस्व की प्राप्ति हो सके। अन्य नगर पालिकाओं/नगर निगमों की भॉति देहरादून नगर निगम उक्त सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, ऐसी स्थिति में भवन कर और अधिक बढ़ाया जाना उचित नहीं होगा।

सचिव, शहरी विकास
कृ० इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही अग्रिम कार्य हो।
02 मई 2016
(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन

रिहायसी घरों पर भवन कर आरोपित करते समय स्थल निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति से अवगत होकर ही भवन कर आरोपित किया जाए केवल श्रेणीबद्ध करके भवन कर की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत सूचीबद्ध मलिन बस्तियां हैं जहां अधिकांश बस्तियों में भवन कर लगा हुआ है परन्तु कुछ बस्तियां छूटी हुई हैं तथा कुछ बस्तियों में अनेकों घर छूटे हुए हैं, इसी वित्तीय वर्ष में इन बस्तियों पर भी भवन कर लगा दिया जाए, इससे भी नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होगी।

786 Tax
6.05.16

06/05/16

AMNA/TS(tax)
04/05/16

(राजकुमार)

नगर मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम, देहरादून
06/05/16

(4)

सेवा में

मा0 मेयर
नगर निगम देहरादून।

महोदय,

आपके द्वारा गत दिनांक को गठित आवासीय भवन कर एक्ट के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष बाद भवन कर संशोधित करने हेतू गठित समिति किया गया है उसमें पुराने शहर में 45 वार्ड है उनमें 1 अप्रैल 2015 से आरोपित किया गया है लेकिन अभी दो साल पूरे नही हुए है। अतः उक्त कमेटी का वर्तमान में कोई औचित्य नही है।

अतः आपसे निवेदन है इस कमेटी को भंग कर अगली वित्त वर्ष में कमेटी गठन कर भवन कर संशोधित करें ताकि जनता को राहत मिल सकें।

धन्यवाद।

31/3/16.

- नीनू सहगल, सदस्य
- डा0 विजेन्द्र पाल सिंह, सदस्य

(15)

नायब तहसीलदार /नगर आयुक्त महोदय

महोदय उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवत लागू) की धारा 174 (ख) के अन्तर्गत आवासीय भवनों का कर निर्धारण स्वकर निर्धारण नियमावली 2000 के अन्तर्गत किया जा रहा है जो कि 2014 से प्रारम्भ किया गया है जो कि नियमानुसार दो वर्ष हेतु मान्य है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2015- 16 समाप्ति पर है और 2016-17 से अधिनियम/ नियमावली के अनुसार किराये की वर्तमान न्यूनतम दरें निर्धारित की जानी है। अधिनियम की धारा 174 (ख) के अन्तर्गत कारपेट एरिया दरों के निर्धारित करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित है। कारपेट एरिया दरों के पुर्नरीक्षित करने के संबंध में कार्यकारिणी के प्रस्ताव के उपरान्त दरों का प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की जानी है। दरों के पुनरीक्षित करने के संबंध में माननीय कार्यकारिणी समिति दिनांक 10/2/2016 के प्रस्ताव संख्या से अनुमति प्राप्त की जा चुकी है।

अत उचित होगा कि कारपेट एरिया दरों के निर्धारण हेतु एक कमेटी का गठन कर दिया जाए ताकि दरों का निर्धारण शीघ्र कर करनिर्धारण की कार्यवाही की जा सके।

N.T.
19.3.16

19/03/2016
कर अधीक्षक

नगरनिगम देहरादून

मा मेयर महोदय

कृ कमेटी के सदस्यों को नामित करना चाहें।
तकनीकी परीक्षण हेतु TS (tax) - श्री धर्मेश पैन्यूली,
TS (tax) - कु पूनम रावत व Ex-En - श्री ए. पी. सुंदरियाल
को समिति का सदस्य नामित करना उचित होगा। महोदय,
अग्रिम आदेशार्थ सादर सम्प्रेषित।

19/03/16

(6)

कार्यालय नगर निगम, देहरादून। (A JnNURM City)

(का0– 0135–2714074:फैक्स– 0135–2651060: ई–मेल– nagar_nigam2008@yahoo.com)

पत्रांकः– 13/न॰नि॰दे॰दून/2016 दिनांकः– 28/04/16

सेवा में,

1. श्री नीनू सहगल, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।
2. डा0 विजेन्द्र पाल, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।
3. श्री अजय सिंघल, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।
4. श्री भूपेन्द्र कठैत, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।
5. श्रीमती दया जोशी, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।

महोदय/महोदया,

वर्तमान में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959(उत्तराखण्ड में यथाप्रवत लागू) की धारा 174(ख) के के अन्तर्गत आवासीय भवनों का कर निर्धारण स्वकर निर्धारण नियमावली 2000 के अन्तर्गत किया जा रहा है जो कि वर्ष 2014 से प्रारम्भ किया गया है तथा नियमानुसार दो वर्ष हेतु मान्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 से अधिनियम/नियमावली के अनुसार किराये की वर्तमान न्यूनतम दरें निर्धारित की जानी है।

उपरोक्त के क्रम में मा0 नगर प्रमुख महोदय द्वारा आपको सदस्य नामित करते हुए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है। उपरोक्त दरों के निर्धारण करने में विचार विमर्श हेतु दिनांक 02.05.16 को अपरान्ह 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में बैठक आहूत की गयी है। अतः आप सभी उक्त बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भगवत किशोर मिश्रा)
अपर मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. मा0 मेयर महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री ए0पी0 सुन्दरियाल, अधिशासी अभियन्ता/श्री धर्मेश पैन्यूली एवं कु0 पूनम रावत, कर अधीक्षक, भवनकर को इस निर्देश के साथ कि मा0 मेयर महोदय द्वारा उपरोक्त हेतु तकनीकि परीक्षण हेतु आपको सदस्य नामित किया गया है। अतः निर्धारित तिथि एवं समय पर पत्रावलियों/अभिलेखों सहित उक्त बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम देहरादून।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून। (A JnNURM City)

(का0– 0135–2714074:फैक्स– 0135–2651060: ई–मेल– nagar_nigam2008@yahoo.com)

पत्रांकः– 17/न.नि. दे.दून/2016 दिनांकः– 26/05/16

सेवा में,

1. श्री नीनू सहगल, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।
2. डा0 विजेन्द्र पाल, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।
3. श्री अजय सिंघल, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।
4. श्री भूपेन्द्र कठैत, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।
5. श्रीमती दया जोशी, मा0 पार्षद, नगर निगम, देहरादून।

महोदय/महोदया,

वर्तमान में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959(उत्तराखण्ड में यथाप्रवत लागू) की धारा 174(ख) के अन्तर्गत आवासीय भवनों का कर निर्धारण स्वकर निर्धारण नियमावली 2000 के अन्तर्गत किया जा रहा है जो कि वर्ष 2014 से प्रारम्भ किया गया है तथा नियमानुसार दो वर्ष हेतु मान्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 से अधिनियम/नियमावली के अनुसार किराये की वर्तमान न्यूनतम दरें निर्धारित की जानी है।

उपरोक्त के क्रम में मा0 नगर प्रमुख महोदय द्वारा आपको सदस्य नामित करते हुए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है। उपरोक्त दरों के निर्धारण करने में विचार विमर्श हेतु पूर्व में अपर मुख्य नगर अधिकारी महोदय के कक्ष में दिनांक 02.05.16 को बैठक आहूत की गयी थी। उपरोक्त के सम्बन्ध में पुनः दिनांक 31.05.16 को अपरान्ह 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में बैठक आहूत की जानी है। अतः आप सभी उक्त बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नायब तहसीलदार
नगर निगम देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. मा0 मेयर महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री ए0पी0 सुन्दरियाल, अधिशासी अभियन्ता/श्री धर्मेश पैन्यूली एवं कु0 पूनम रावत, कर अधीक्षक, भवनकर को इस आशय से प्रेषित कि मा0 मेयर महोदय द्वारा उपरोक्त हेतु तकनीकि परीक्षण हेतु आपको सदस्य नामित किया गया है। अतः निर्धारित तिथि एवं समय पर पत्रावलियों/अभिलेखों सहित उक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

नायब तहसीलदार
नगर निगम देहरादून।

(8)

अपर मुख्य नगर अधिकारी

महो० आप अवगत होंगे नगर निगम अधि० 1959 की धारा 174 (ख) के अन्तर्गत आवासीय भवनों का कर निर्धारण स्वकर निर्धारण नियम 2000 के अन्तर्गत वर्ष 2014 से प्रारंभ किया गया जिसकी दरें नियमावली के अन्तर्गत प्रत्येक दो वर्ष के लिए निर्धारण किया जाता है। पूर्व में वर्ष 2014-15 व 2015-16 हेतु किये गये थे. पुनः 2016-17 व 2017-18 हेतु दरों के निर्धारण होना है जिसके लिए मोहल्लेवार दरों की सूची संलग्न है।

कृपया सूची को समिति के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु आख्या प्रस्तुत है:

02/05/2016
TS

2.5.16
कर अधीक्षक
नगर निगम देहरादून

उपस्थिति - मा० पार्षद मण्डल
(1) दया जोशी - वार्ड नं. 3 जाखन
(2) भूपेन्द्र कठैत B Singh
(3) [illegible] 2/5/16

(9)

नगर आयुक्त महो0

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174 (ख) अन्तर्गत आवासीय भवनों का कर निर्धारण सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के अन्तर्गत वर्ष 2014 से प्रारम्भ किया गया। नियमावली के प्रावधानानुसार प्रत्येक 2 वर्ष में न्यूनतम मासिक किराए की दर की गणना/निर्धारण की जानी है। जिस सम्बन्ध में महोदय के निर्देशों के क्रम में प्रस्ताव तैयार कर अपर मुख्य नगर अधिकारी व मा0 पार्षद (समिति सदस्य) के सम्मुख बैठक की गई थी। बैठक में मा0 पार्षदों द्वारा दरों का विरोध व श्रीमती दया जोशी (मा0 पार्षद जाखन) द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे। बैठक उपरान्त अपर मुख्य नगर अधिकारी महोदय द्वारा पुनः बैठक आहूत करने के निर्देश दिए गये थे, किन्तु अपर मुख्य नगर अधिकारी महोदय का अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण बैठक नहीं पा रही है। महोदय निगम हित में दरों के पुर्ननिरीक्षण का कार्य होना आवश्यक है, चूंकि कर अनुभाग के कार्य नायाब तहसीलदार महोदय की देखरेख में सम्पन्न हो रहे है अतः उक्त कार्य हेतु भी नायब तहसीलदार महोदय को नामित करना उचित होगा।

TS (tax).
कृ NT, श्री नरेश नौडियाल को नामित किया जाता है।
26/05/16

26/05/2016

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून।

(10)

नायब तहसीलदार. महोदय आप अवगत होंगे नगर निगम अधि० 1959 की धारा 174(ख) के अंतर्गत आवासीय भवनों का कर निर्धारण स्वकर निर्धारण नियम 2000 के अंतर्गत वर्ष 2014 से प्रारंभ किया गया जिसकी डेर नियमावली के अंतर्गत प्रत्येक दो वर्ष के लिए निर्धारण किया जाता है पूर्व के वर्ष 2014-15 व 2015-16 हेतु किये गये थे पुनः 2016-17 व 2017-18 हेतु दरों के निर्धारण होना है जिसके लिए कोटेल्लेवार दरों की सूची संलग्न है.

कृपया सूची को समिति के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु आख्या प्रस्तुत है

31/5

31/05/16

कर अधीक्षक
नगर निगम देवदत्त

उपस्थिति - मा० पार्षदगण

1.

2.

3.

(IV)

आज दिनॉक 31.05.2016 को भवन कर के सम्बन्ध में आहूत बैठक में मा0 पार्षद/कर्मचारियों की उपस्थितिः-

क0सं0	मा0 पार्षद/कर्मचारी का नाम	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	DR. BIRENDER PAL SINGH	9997865564	
2.	भूपेन्द्र कठैत	9837091955	B Singh
3.	Daya Joshi	9719146615	D Joshi
4.	[illegible]	9837[illegible]268	
5.	NIRU SEHGAL	9927229404	31/5/16
6.	Dharmesh Rawat (T-5)	9411714615	
7.	Poonam Rawat (T-5)	7895666754	
8.	Naresh Nautiyal N.T.	8650922258	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

(12)

दरों के पुर्नरीक्षण सम्बन्धी समिति की बैठक की कार्यवृत

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत लागू) की धारा 174 (ख) के अन्तर्गत आवासीय भवनों का कर निर्धारण सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के अन्तर्गत वर्ष 2014 से प्रारम्भ किया गया था। नियमावली के प्रावधानानुसार प्रत्येक 2 वर्ष मे न्यूनतम मासिक किराए की दर की गणना निर्धारण की जानी है। दरों के पुर्नरीक्षण करने के सम्बन्ध मे माननीय कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक 10/02/2016 को अनुमति प्रदान की जा चुकी है। उक्त के तकनीकी परीक्षण हेतु श्री धर्मेश पैन्यूली व कु0 पूनम रावत (कर अधीक्षक) एवं ई0ई0 श्री ए0पी0 सुन्दरियाल को समिति का सदस्य नामित किया गया था एवं माननीय मेयर महोदय द्वारा मा0 पार्षदगण– श्री नीनू सहगल जी, डॉ0 विजेन्द्रपाल जी, श्री अजय सिंघल जी, श्री भूपेन्द्र कठैत जी एवं श्रीमती दया जोशी जी सहित 5 सदस्यीय समिति गठित की गई थी ।

दिनांक 2/05/2016 को समिति की प्रथम बैठक आहूत की गई थी। बैठक में तकनीकी परीक्षक व मा0 पार्षदगण– श्रीमती दया जोशी जी, श्री भूपेन्द्र कठैत जी एवं श्री अजय सिंघल जी उपस्थित थे। बैठक में मा0 पार्षदगण द्वारा कर की दरों का विरोध एवं श्रीमती दया जोशी (मा0 पार्षद जाखन) द्वारा कुछ सुझाव दिए गए।

सुझावों को प्रस्ताव में सम्मिलित करने के उपरान्त में दिनांक 31/05/2016 की उक्त सम्बन्ध में पुनः बैठक आहूत की गई जिसमें समिति के समस्त सदस्य उपस्थित रहे।

समिति के सदस्यों द्वारा निम्न सुझाव/अनुशंसा की गई –

(1) दरों का निर्धारण वार्ड के भीतर मौहल्लेवार किया जाए।

(2) पूर्व दरों में 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि करते हुए प्रस्तावित की जाए।

(3) मा0 पार्षद श्री नीनू सहगल द्वारा दरों के पुर्नरीक्षण की प्रकिया अक्टूबर–नवम्बर 2016 से शुरू करने एवं इससे पूर्व नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त सम्पतियों को करारोपण के दायरे में लाने का सुझाव दिया गया।

(4) मा0 पार्षद श्री अजय सिंघल एवं श्री भूपेन्द्र कठैत जी द्वारा दरों के पुर्नरीक्षण एवं नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त सम्पत्तियों के करारोपण की कार्यवाही साथ–साथ की जाए के सम्बन्ध में सुझाव दिए गए।

(13)

उप नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/नगर आयुक्त महो0

महोदय कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत लागू) की धारा–174 क व ख के अन्तर्गत वर्तमान मे आवासीय/अनावासीय भवनों का कर निर्धारण सम्पत्ति कर नियमावली 2000 (संशोधित 2016) के अन्तर्गत किया जा रहा है। पूर्व में सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 1611/iv(21)श0–वि0–14–12 (सा0)/10 दिनांक 20 अक्टूबर 2014 के द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–174(2) व नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली 2000 के अनुभान हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में वर्ष 2014 में नगर निगम के 60 वार्डो मे वार्डवार भवन कर हेतु कारपेट एरिया दरें नियमानुसार निर्धारित की गई थी जो कि दाहिनी ओर संलग्न है वर्ष 2014 से वर्तमान तक उन्ही दरों के आधार पर करारोपण की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तराखण्ड सरकार के असाधारण गजट सं0 239/XXXVI/2016/44(1)/2016 दिनांक 02-08-2016 के द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 की कतिपय धाराओं में संशोधन किया गया है जिसकी संशोधित धारा–174 "ख" में आवासीय भवनों के प्रति वर्गफुट किराए की मासिक दर को प्रत्येक चार वर्षो में पुनरीक्षित करने का प्रावधान है (प्रति संलग्न) इसके अतिरिक्त अधिनियम के संशोधन के उपरान्त उत्तराखण्ड सरकार के असाधारण गजट सं0 1624/IV-3/2016-6(8)/2016 दिनांक 25-10-2016 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली 2000 (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश 2002) अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश 2007 में संशोधन किया गया है जिसके नियम 4 के उपनियम 4 "क" में कारपेट एरिया की प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराए की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दरों का निर्धारण प्रत्येक 4 वर्षो में करने का प्रावधान है (नियमावली संलग्न)।

नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों पर करारोपण हेतु वर्ष 2014 से कर गणना हेतु उपरोक्तानुसार दरें निर्धारित की गई थी जिनकी अवधि 31 मार्च 2018 में समाप्त हो रही है। पूर्व में नगर निगम क्षेत्रविस्तार की अधिसूचना जारी की गई थी जिसको वर्तमान में न्यायालय द्वारा निरस्त कर पुनः आपत्तियों के निस्तारण हेतु आदेशित किया गया है। अतः अनुरोध है कि **संशोधित सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के नियम 4 के उपनियम 4 "क" के आधार पर अप्रैल 2018 से 4 वर्षो हेतु मासिक किराया दरों के निर्धारण किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहें।**

प्रथम चरण में दरों के निर्धारण हेतु कमेटी का गठन किया जाना उचित है।।।

कार्यालय 15/3/18
नगर निगम, देहरादून

08/03/18
नगर आयुक्त

15/3/18
उप नगर आयुक्त अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून नगर निगम, देहरादून

Approved, pls depute the committee & probable members :

(14)

सूचना

निगम द्वारा किये जा रहे पूर्णकर
निर्धारण के अनुसार संशोधित मांग
का बिल बाद में प्रेषित किया जायेगा

सूचना

निगम द्वारा किये जा रहे पूर्णकर
निर्धारण के अनुसार संशोधित मांग
का बिल बाद में प्रेषित किया जायेगा

पुनः कर-निर्धारण

सूचना

निगम द्वारा किये जा रहे पूर्णकर
निर्धारण के अनुसार संशोधित मांग
का बिल बाद में प्रेषित किया जायेगा

(2018)

(15)

कर अधीक्षक / उप नगर आयुक्त / अपर नगर आयुक्त / नगर आयुक्त महो0

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत लागू) की धारा 174 "क" व "ख" के अन्तर्गत वर्तमान मे आवासीय / अनावासीय भवनों का कर निर्धारण सम्पत्ति कर नियमावली 2000 (संशोधित 2016) के अन्तर्गत किया जा रहा है। महोदय पूर्व में सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 1611 / iv(21) श0 वि0–14–12 सा0 / 10 दिनांक 20 अक्टूबर 2014 में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–174(2) व नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली 2000 के अनुपालन हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके कम में वर्ष 2014 में 60 वार्डो में वार्डवार भवन कर हेतु कारपेट एरिया दरें नियमानुसार निर्धारित की गई थी, जो कि दाहिनी ओर संलग्न है। वर्ष 2014 से वर्तमान तक उन्ही दरों के आधार पर करारोपण की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तराखण्ड सरकार के असाधारण गजट सं0 239/XXXVI/2016/44(1)/2016 दिनांक 02-08-2016 के अनुसार उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड मे यथाप्रवृत लागू) की कतिपय धाराओं में संशोधन किया गया है जिसकी संशोधित धारा–174 "ख" में आवासीय भवनों के प्रति वर्ग फुट किराए की मासिक दर को प्रत्येक चार वर्षो में पुनरिक्षित किए जाने का प्रावधान है (प्रति संलग्न), जिसके उपरान्त उत्तराखण्ड सरकार के असाधारण गजट सं0 1624/IV-3/2016-6(8)/2016 दिनांक 25-10-2016 से सम्पत्ति कर नियमावली 2000 में संशोधन किये गये जिसके नियम 4 के उपनियम 4 "क" में कारपेट एरिया की प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराए की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू किए जाने का प्रावधान है (नियमावली संलग्न)।

नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों पर करारोपण हेतु वर्ष 2014 से कर गणना हेतु उपरोक्तानुसार दरें निर्धारित की गई थी जिसकी अवधि 31 मार्च 2018 में समाप्त हो चुकी है। दरों के निर्धारण हेतु नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं0 132 / एस0टी0 / 018 दिनांक 24 / 03 / 2018 को 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। समिति द्वारा अपनी आख्या मय दरों के प्रस्तावित कर दिनांक 31 / 03 / 2018 को प्रेषित की गई जिसका संज्ञान लेकर दिनांक 05 / 04 / 2018 को मा0 बोर्ड बैठक में दरों के निर्धारण हेतु मा0 पार्षद गणों की कमेटी गठित की गई है तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कमेटी की संस्तुति के उपरान्त ही दरों का प्रकाशन किया जाए। महोदय वित्तीय वर्ष 2017–18 समाप्त हो चुका है एंव नियमावली के नियम 6 के उपनियम 2 के अनुसार यदि भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा आनुक्रमी वर्षो के माह अप्रैल में भवन कर का अग्रिम पूर्ण भुगतान किया जाता है तो अतिरिक्त 5 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रावधान है, चूकिं दरों के निर्धारण से पूर्व 15 दिवस का समय आपत्ति प्रस्तुत किए जाने एंव उसके उपरान्त नियमानुसार आपत्ति निस्तारण किए जाने की व्यवस्था नियमावली में विहित की गई है। इस दृष्टि से दरों के निर्धारण में समय लगने की प्रबल सम्भावना है एंव वित्तीय वर्ष 2018–19 के भवन कर को अप्रैल माह में जमा करने पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्राप्त करने हेतु भवन कर दाताओं द्वारा अनुरोध किया जा रहा है।

महोदय यदि सहमत हो तो दरों के पुनरीक्षित होने तक पूर्व दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 का भवन कर जमा कराने और पुनःकर निर्धारण के अनुसार संशोधित मॉग का बिल पृथक से प्रेषित किए जाने के आदेश प्रदान करना चाहें।

5.4.18

5/4/18

5/4/18

5/4/18

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

नगर आयुक्त

(16)

उप नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/नगर आयुक्त महोदय

नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 15/03/2018 के अनुसार भवन कर की दरों के निर्धारण हेतु निगम अधिकारियों की समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा दिनांक 31/03/2018 को मासिक किराए की दरों को प्रस्तावित करते हुए संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। महोदय इसके उपरान्त दिनांक 05/04/2018 को मा0 बोर्ड बैठक मे दरो के निर्धारण हेतु मा0 पार्षदगणों की समिति गठित की गई जिसमे श्री सुशील गुप्ता, श्री भूपेन्द्र कठैत, श्रीमती अमिता सिंह, श्री विनय कोहली एंव श्रीमती कमली भट्ट को सदस्य नामित किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी।

उपरोक्त के क्रम मे अवगत कराना है कि मा0 पार्षदगणों की समिति की बैठक दिनांक 23/04/2018 को आहूत की गयी जिसमे कोई निर्णय नही हुआ। दिनांक 03/05/2018 को निगम बोर्ड का विघटन हो चुका है तथा नए बोर्ड के गठन मे समय लगने की सम्भावना है।

चूकि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा जारी अधिसूचना सं0–624/iv–3/2016–6(8)/2016 देहरादून दिनांक 25.10.2016 के द्वारा संशोधित सम्पत्ति कर नियमावली–2000 के नियम–4 के उपनियम–4 "क" के क्रम में अप्रैल 2018 से भवन कर के मासिक किराये की दरों के निर्धारण चार वर्षों हेतु किया जाना है। अतः भवन कर की दरों के निर्धारण हेतु रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

अग्रसारित, आपत्ति दाखिल करने हेतु दो समाचार पत्र में प्रकाशन करना होगा।

02/07/2018
कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

कर अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून

03/07/18
उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

7/7/18
मा. प्रशासक महोदय के अनुमोदन हेतु

अपर मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम, देहरादून

10/7/18
नगर आयुक्त

17/7/18
प्रशासक
नगर निगम, देहरादून

(17)

अपर नगर आयुक्त / नगर आयुक्त महोदय

कृपया अवगत कराना है कि नगर निगम आदेश सं0 187 दिनांक 18 / 07 / 2018 के माध्यम से नगर निगम सीमान्तर्गत वार्डवार / वार्ड के मौहल्लेवार भवनों के प्रत्येक समूह के लिए न्यूनतम मासिक किराए की दरें प्रस्तावित कर दिनांक 19 / 07 / 2018 के समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है जिसमें लिखित आपत्तियों को दाखिल किए जाने हेतु 15 दिन का समय प्रदत्त किया गया है जिसकी अवधि दिनांक 02 / 08 / 2018 को समाप्त हो रही है।

इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त महोदय द्वारा व्यापक जनप्रचार किए जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशन के मौखिक निर्देश दिए गए है।

महोदय सार्वजनिक सूचना प्रकाशन हेतु तैयार कर दाहिनी ओर संलग्न की गई है। कृपया सहमति की दशा में दो समाचार पत्रों में प्रकाशन की अनुमति देना चाहें।

27/7/18

नगर आयुक्त

(18)

अपर नगर आयुक्त महोदय / नगर आयुक्त महोदय

कृपया अवगत कराना है कि नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत 60 वार्डो में (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत) आवासीय भवन कर निर्धारण हेतु न्यूनतम मासिक किराए की अनन्तिम दरों का प्रकाशन दि0 19/07/2018 को किया है, जिसमें हितबद्ध व्यक्तियों से दिनांक 02/08/2018 तक आपत्तियॉ आमन्त्रित की गई है। उक्त दरों का अवलोकन नगर निगम की Official website www.nagarnigamdehradun.com पर किया जा सकता है।
इस सम्बन्ध में स्थानीय जनता द्वारा अनुरोध के आधार पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा आपत्तियों / सुझावों को प्राप्त करने हेतु एक सप्ताह के तिथि विस्तार हेतु मौखिक निर्देश दिए गए है। महोदय नियमानुसार उक्त तिथि विस्तार की सूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित करना उचित होगा।
महोदय सूचना का प्रारूप तैयार कर दाहिनी ओर संलग्न किया गया है कृपया सहमति की दशा मे अनुमति प्रदान करना चाहें।

2/8/18

नगर आयुक्त

(19)

उपनगर आयुक्त महो0/अपर नगर आयुक्त महो0/नगर आयुक्त महोदय

कृपया अवगत कराना है कि नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत 60 वार्डो में (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत) आवासीय भवन कर निर्धारण हेतु न्यूनतम मासिक किराए की अनन्तिम दरों का प्रकाशन दिनांक 19/07/2018 को व सूचना का प्रकाशन कमशः दिनांक 28/07/2018 व दिनांक 03/08/2018 को विभिन्न समाचार पत्रों में किया गया था जिसमें आपत्ति एंव सुझाव प्राप्त कराने की अन्तिम तिथि दिनांक 10/08/2018 निर्धारित की गई थी। महोदय दिनांक 10/08/2018 तक निगम कार्यालय में कुल 140 आपत्तिया/सुझाव प्राप्त हुए है जिनका वार्डवार विवरण निम्नवत है–

वार्ड न0	प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की सं0	वार्ड न0	प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की सं0	वार्ड न0	प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की सं0
1	7	21	1	41	3
2	7	22	2	42	1
3	0	23	5	43	18
4	0	24	0	44	1
5	3	25	2	45	3
6	0	26	0	46	5
7	1	27	4	47	2
8	1	28	2	48	0
9	4	29	0	49	1
10	0	30	0	50	0
11	6	31	4	51	0
12	8	32	1	52	4
13	4	33	0	53	5
14	0	34	5	54	5
15	5	35	0	55	4
16	0	36	2	56	1
17	2	37	1	57	1
18	1	38	0	58	0
19	2	39	0	59	5
20	0	40	0	60	1

महोदय नियमावली में कुल प्राप्त आपत्तियों में से कम से कम 10 प्रतिशत आपत्तिकत्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए जाने का प्रावधान है चूकि आपत्तिया अधिक नही है अतः समस्त आपत्तिकत्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए जाने पर विचार करना चाहे।

कृपया आपत्तिकत्ताओं के नोटिस तैयार किए गए है सुनवाई हेतु तिथि निर्धारण एंव हस्ताक्षर करना चाहें।

18/8/18 TA (JHA) 18/8/18

18/08/18 UNA उप नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

18/8/18 Issue Notice using Fax, mail and आपत्ति प्रति प्रत्यारोप 03 सप्ताह का समय गठित कमेटी, सभी कार्यवाही हेतु को/प्रतिलेख आ जा रे.

OK 18/8 नगर आयुक्त

(20)

नगर आयुक्त महोदय

कृपया आपके आदेश सं0 137/कर अनुभाग/2018 के कम में अवगत कराना है कि उक्त आदेशों के अनुपालन में भवन कर की मासिक किराया दरों के सम्बन्ध में कुल 170 आपत्तियां प्राप्त हुई उक्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक 29/08/2018, 30/08/2018, 01/09/2018, 04/09/2018 को की गई। कुल 170 आपत्तिकर्त्ताओं में से 106 आपत्तिकर्त्ता स्वंय व प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हुए एंव 64 आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित रहे। उपस्थित आपत्तिकर्त्ताओं की आपत्ति व सुझाव समिति द्वारा सुने गए व अनुपस्थित आपत्तिकर्त्ताओं की लिखित आपत्ति पर विचार किया गया। अधिकांश आपत्तिकर्त्ताओं द्वारा मूलभूत सुविधाओं यथा सफाई व लाइट आदि में सुधार करने का सुझाव दिया गया व भवन कर में अधिक वृद्धि न करने का आग्रह किया गया है। चूकि उत्तराखण्ड सरकार के साधारण गजट सं0 239/XXVI/2016 दिनांक 02/08/2016 एवं तत्कम में शुद्धिपत्र अधिसूचना सं0 **285/XXVI(3)/2016/44(1)/2016** दिनांक 12 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की संशोधित धारा 174 "ख" तथा अधिसूचना संख्या 1624/IV(03)/2016-06(8)/2016 के अर्न्तगत संशोधित उत्तर प्रदेश सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के नियम 4 के उपनियम 4 "क" के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून सीमान्तर्गत वार्डवार/वार्ड के मौहल्लेवार प्रत्येक चार वर्षो में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए न्यूनतम मासिक किराए की दर या भूमि कि प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराए की दर निर्धारित किए जाने का प्रावधान है तथा नगर निगम द्वारा नगर में दी जाने वाली सेवाओं एंव मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु आय में वृद्धि भी आवश्यक है उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–2022 तक चार वर्षो हेतु (पूर्व में वर्ष 2007 के परिसीमन के अन्तर्गत 60 वार्डो में) संलग्न सूची के अनुसार न्यूनतम मासिक किराए की दरें निर्धारित करने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।

महोदय समिति की रिपोर्ट अग्रिम आदेशार्थ/निर्देशार्थ प्रेषित है।

26/11/18

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

समिति के आख्यानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 हेतु दरें स्वीकृत, विभिन्न श्रेणी में 20%, 24% एवं 28% यथानुसार स्वीकृत।

10/12/18